खण्ड-359, अंक-8
मंगलवार, 26 माघ, शक संवत् 1904
(15 फरवरी, 1983 ई0)

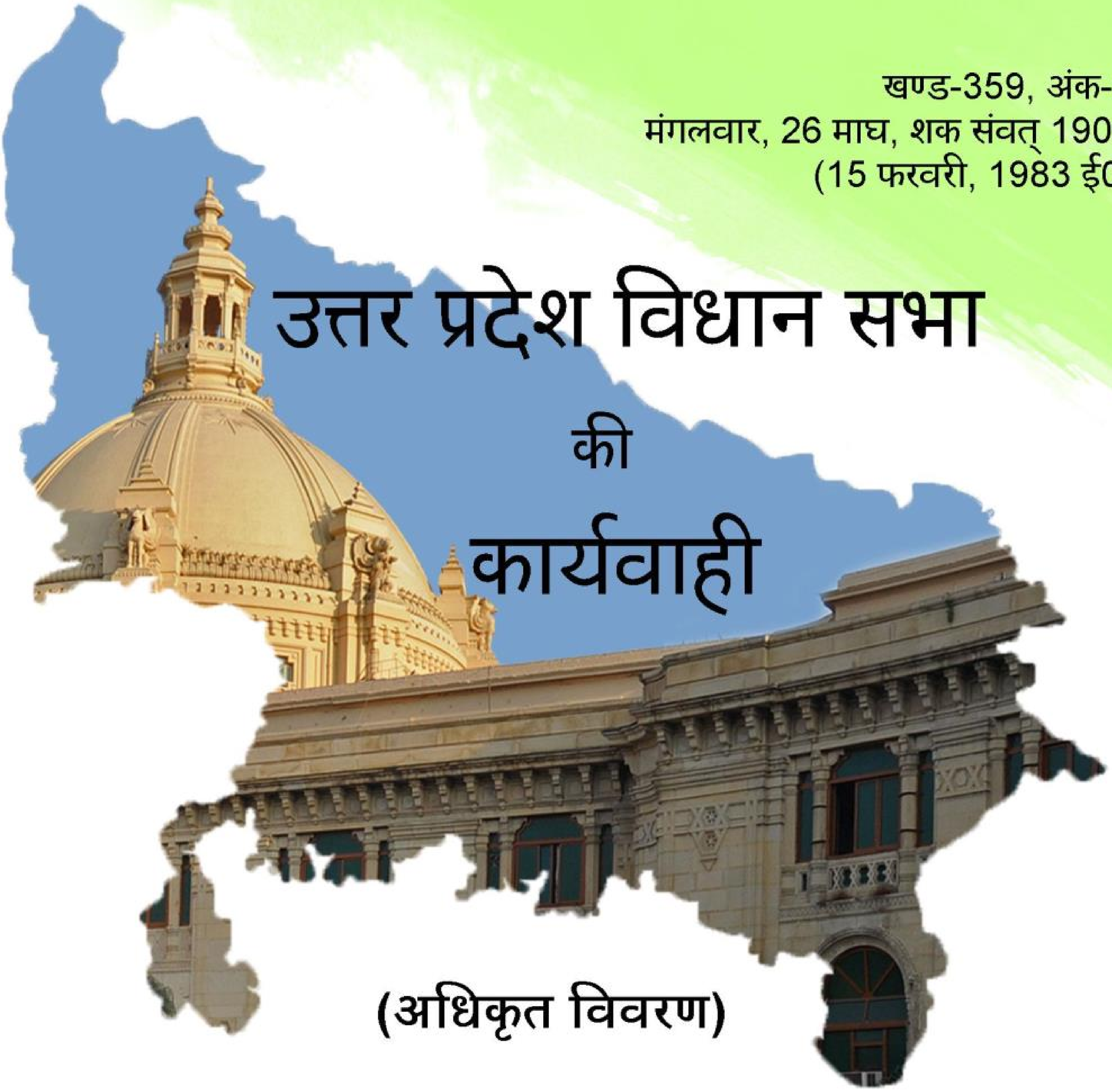

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 359 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	965
प्रश्नोत्तर	...	971
अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	....	1058
श्री हाकिम अली निवासी कटय्या उदयपुर की थाना निगोही की पुलिस कस्टडी में हुई मृत्यु के संबध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1059
आगरा जनपद के ब्लाक अछनेरा के अन्तर्गत ग्राम हसेला क्षेत्र के राष्ट्रीय पक्षी मोर को राजस्थान की बावरिया जाति के लोगों द्वारा मारे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1060
मैनपुरी पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मृत घोषित डकैत प्रमोद द्वारा अदालत में समर्पण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1060
कटरा बिजनबेग, लखनऊ निवासिनी श्रीमती हेमलता की उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लालच में की गयी हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1061
थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद के एस० ओ० के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1062
मुख्य मन्त्री द्वारा इलाहाबाद सर्किट हाउस में भेंट हेतु समय निश्चित करके न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	....	1062
उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	....	1063
दिनांक 18 जनवरी 1982 को राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अनुपूरक उत्तरों के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	....	1064
दिनांक 2 फरवरी 1982 को श्री श्यामलाल बाजपेयी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 68 का गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना	....	1065
जटाशंकर निवासी नेवलगंज थाना हसनगंज जिला उन्नाव की हिस्ट्रीशीट में गलत उल्लेख किये जाने से संबंधित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के विषय में वक्तव्य	....	1066

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 (पुरः स्थापित किया गया)···· 1067

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ ···· 1067

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)···· 1073

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ ···· 1115

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)···· 1115

1983-84 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव (पारित)···· 1117

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983 (पारित)···· 1122

नत्थियां ···· 1130

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—373

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमान, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथसिंह,श्री(उर्फ अनिल सिंह)(फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)

गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रवली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूँ)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)

बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झाँसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खाँ, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झाँसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)

राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)

साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

अपर प्रदेश विधान सभा

मुद्रेश्वर सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 15, फरवरी 1983

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

श्री रामवृक्ष सिंह की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु तथा उत्तराधिकारी को अनुग्रह भुगतान

***1—श्री राजकुमार राय—**

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्रीमती धनपती देवी पत्नी श्री रामवृक्ष सिंह, निवासिनी रसड़ी, थाना घोसी, जिला आजमगढ़ का कोई पत्र प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ विद्युत स्पर्शाघात से हुए मृत्यु की क्षतिपूर्ति के विषय में दिनांक 24-4-82 को मिला था ? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

जी हाँ। मृतक के वैध उत्तराधिकारी को 5000/—रुपये अनुग्रह भुगतान किये जाने के आदेश दिनांक 3 फरवरी, 1983 को निर्गत कर दिये गये हैं।

श्री राजकुमार राय—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जब 24 अप्रैल, 1982 को ही अपनी दरखास्त दे दी थी और उसमें अपने को प्रत्यक्षदर्शी बताया था किन्तु अभी तक वह मामला लीपापोती व रिपोर्टिंग में ही लगा रहा। 3 फरवरी, 1983 को अनुग्रह भुगतान किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। मान्यवर, यह पैसा इसलिये होता है कि कोई आदमी मर जाय तो उसको लाभ हो जाय। इस भुगतान में देरी करने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, जांच पड़ताल करनी पड़ती है।

श्री राजकुमार राय—

मान्यवर, लोगों की कठिनाइयों को जानते हुए और यह मानते हुए कि विभाग के लोग ज्यादा समय लगाते हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की कोशिश करेंगे कि एक समयबद्ध या सीमाबद्ध तरीके से जैसे 6 महीने, 5 महीने, या 2 महीने के अन्दर कर देंगे ? इस प्रकार दो साल तक पैरवी करते रहेंगे। माननीय मंत्री जी को जिसे देना है, और जिसे नहीं देना है, ना कहें।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, सरकार प्रयत्नशील है और बहुत जल्द से जल्द निस्तारण कर रही है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि इस तरह की घटनाओं से जो आदमी मर जाता है, उसकी पोस्ट-मार्टम, थाने की रिपोर्ट व इन्जीनियर की रिपोर्ट कि कौन आदमी दोषी है और कौन नहीं, आती है, जिसकी वजह से कम्पनसेशन जल्दी मिलना चाहिये। किन्तु इस कम्पेनसेशन में महीनों लग जाते हैं। क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कोई सरल तरीका निकालेंगे जिससे यह मुआवजा जल्दी मिल जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह चेष्टा हम करते हैं।

[मंगलवार, 15 फरवरी, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड 2 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ के निरीक्षण में उठायी गयी आपत्तियां

*1—**श्री हरिवंश सहाय,**
श्री रामआसरे वर्मा,
श्री संत बक्स रावत तथा
श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-8-82 को उप श्रमायुक्त कार्यालय, लखनऊ के श्रम-निरीक्षक द्वारा उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, 2, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ का निरीक्षण कर किन-किन बिन्दुओं पर आपत्ति उठाई गयी ? क्या उन आपत्तियों का समाधान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड 2—महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ का उप-श्रमायुक्त लखनऊ के कार्यालय के श्रम निरीक्षक द्वारा दिनांक 7-8-1982 को किये गये निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपत्तियाँ उठाई गईं :—

(1) बैंक के कुछ तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन का भुगतान, आवश्यक सूचनायें प्रदर्शित न किया जाना आदि।

(2) अधिष्ठान के रजिस्ट्रार का रखरखाव नियमानुसार न करना।

(3) अस्थायी कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर भी आकस्मिक अवकाश व चिकित्सा अवकाश की सुविधा न देना।

(4) समान पद पर महिला तथा पुरुष कर्मचारियों के वेतन में अन्तर पाया जाना।

उपरोक्त में से बिन्दु 1 पर उठाई गई आपत्ति का समाधान हो गया है। शेष आपत्तियों का समाधान न किये जाने पर सेवायोजकों के विरुद्ध न्यायालय में प्राभियोजन तथा वाद दायर कर दिये गये हैं।

श्री हरिबंश सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने के आदेश दिये गये हैं जब कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पहले से दैनिक बेतन पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को बैंक द्वारा नियुक्त न करने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोआपरेटिव बैंक अधिनियम 1946 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए उसके ऊपर सीधी कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जिन बातों को माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है, उन अनियमितताओं व लापरवाही को देखते हुये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, हमारा उत्तर स्पष्ट है कि जिन लोगों ने लापरवाही की, उनके खिलाफ कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री संत बक्श रावत—

बैंक महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव 3 माह का, जैसा शासन में प्रत्येक महिला को दिया जाता है, यहाँ न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न आपका नहीं बनता है, इसकी मैं आज्ञा नहीं देता।

श्री ऊदल—

जिन बातों का जिक्र मा० मंत्री जी ने किया, इसका सम्बन्ध श्रम विभाग के कानून से है, इसलिये इस पर मुकदमा दायर करने का सवाल नहीं उठता, लेकिन इसमें कुछ चीजों को जैसे रजिस्टर व हाजरी आदि ठीक करवाना था, वह ठीक करवा दिया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

इन चीजों को मेन्टेन समय पर न करने के कारण ही, उन पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि० एक ऐसी संस्था है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का करोड़ों रु० लगा हुआ है। इसलिए इस मामले में मात्र अदालत में कार्यवाही करने के बजाय, जबकि सरकार इस मामले की गम्भीरता को समझते हुए, जो भारत के संविधान के खिलाफ भी है कि महिलाओं को कुछ और पुरुषों को कुछ तनख्वाह

दी जाए, सरकार द्वारा अपने तौर पर दबाव आदि डालकर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

जो कम वेतन दिया जा रहा है, उस पर कार्यवाही हुयी है और सम्बन्धित कर्मचारियों को लगभग 2,138 रु० विभाग की ओर से दिलवाया भी गया है और महिला व पुरुष के वेतन में जो फर्क है, उस पर कार्यवाही 16-2-83 को यानी कल को होना निश्चित हुआ है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —

मा० मन्त्री जी ने जो सूचना अभी दी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो अधिकारी इस में दोषी पाये गये हैं, उनके क्या-2 नाम हैं और दूसरे यह कि जो अधिकारीगण इसमें दोषी पाये गए हैं उनमें से कितनों को अभी हाल में पदोन्नत किया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

माननीय सदस्य का यह प्रश्न सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है, क्योंकि पदोन्नति वहीं से इन सबकी होती है, इसलिए इसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य को यदि वह चाहें तो वहां से मंगाकर दे सकता हूँ ।

राजकीय निर्माण निगम में दूसरे विभागों से आये हुए अधिकारियों में से उनके मूल विभाग में गबन व भ्रष्टाचार के मुकदमे

***2—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में दूसरे विभागों से आये हुए कितने अधिकारियों पर (जहां से वह आये हैं) उनका मूल विभाग गबन, भ्रष्टाचार के मुकदमे चला रहा है और दूसरे विभागों से आये हुए दोषी अधिकारियों को निगम में रखने का क्या औचित्य है ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

अगस्त 1982 तक के बारे में उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में शासन के विभागों अथवा शासकीय संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों में से किसी पर भी उनका मूल विभाग या संस्थान गबन अथवा भ्रष्टाचार के मुकदमे किसी न्यायालय में नहीं चला रहा है ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी, यह लखनऊ यूनिट इनका है, और लखनऊ यूनिट में सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये हैं, इनमें से कितनों पर गबन के आरोप उनके मूल विभाग में चलाये जा रहे हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, आरोप और मुकदमे में तो अन्तर होता है। इन्होंने प्रश्न किया था कि कितने अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जा रहे हैं, जिसका उत्तर मैंने दे दिया कि

किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। जहां तक आरोपों का सम्बन्ध है, आरोपों के विषय में इन्क्वायरी हो रही है।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की बहुत प्रतिष्ठा है, यह विदेशों में भी कार्य करता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में जितने बड़े-बड़े अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी निर्माण निगम और सेतु निगम में रखवाते चले जा रहे हैं। इनका काम अगर घटिया दर्जे का होगा, तो बड़ी बदनामी होगी। इस बात को देखते हुए क्या मा० मंत्री जी उन अधिकारियों को जिन पर गबन के आरोप हैं, उनकी सूची बनवाने की कृपा करेंगे? और दूसरे, क्या मा० मन्त्री जी सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस बात को देखते हुए कि इसकी प्रतिष्ठा और साख बढ़े, ऐसे लोगों को निकलवायेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, जहां तक आरोप का प्रश्न है। ऐसे कुल 83 लोग हैं, जो डेपुटेशन पर आये हैं। इसमें से सार्वजनिक निर्माण विभाग से 65, सिंचाई विभाग से 12, जल निगम से 2 और अन्य विभागों से 2 हैं। जिन पर आरोप लगे हैं और इन्क्वायरी चल रही है, उनकी सूची मेरे पास है। अगर कहें तो पढ़ दूँ, यह बहुत लम्बी है।

श्री अध्यक्ष—

नहीं पूरी सूची पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री प्रियदर्शी जेतली का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, अभी मेरे प्रश्न का जबाव नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने उनको बुला लिया है, आपको पहले कहना चाहिये था।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मा० मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बहुत से अधिकारी और कर्मचारी हैं डेपुटेशन पर चपरासी से लेकर क्लास वन गजेटेड आफिसर तक। अगर ऐसे व्यक्ति आरोपों में पकड़े जाते हैं तो उनके पैरेण्ट डिपार्टमेण्ट को ही एक्शन लेने का अधिकार है। इस बात को देखते हुए क्या मा० मंत्री जी इस डेपुटेशन सिस्टम को खत्म करने का निर्णय लेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, इस प्रकार का निर्णय तो नहीं ले सकते क्योंकि इस निगम का कार्यक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है और विभिन्न प्रकार के इन्जीनियरों इत्यादि की जरूरत पड़ती है। हां, यह हो सकता है कि जिन पर आरोप हों, उनको न लें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

30-9-82 को मैंने प्रश्न किया है, शासन को 10-10-82 को पहुँचा है, उत्तर अगस्त तक का आ रहा है। मा० मंत्री जी बीच की बातों को छुपाकर मा० सदन को गुमराह कर रहे हैं। मुझे पूरी सूचना दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रतिनियुक्ति पर लेने के जो शासनादेश और नियम हैं, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को 5 वर्ष से अधिक तक प्रतिनियुक्ति पर नहीं रखा जा सकता। उनके निर्माण निगम में जो पैरेण्ट डिपार्टमेण्ट के, जैसा अभी उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसे इन्जीनियर हैं, जिनको 5 वर्ष से अधिक हो गया है, तो क्या उनको पेरेण्ट्स डिपार्टमेण्ट में वापस करने के लिये आप आदेश प्रसारित करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह तो नीतिगत मामला है, इसमें क्या सूचना की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप बैठें, मैंने श्यामलाल बाजपेयी को बुला लिया है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उनके सम्पूर्ण विभाग में क्या कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिन पर गबन का या भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो, तो उनकी अपेक्षा उन दोषी अधिकारियों को क्यों प्रश्रय दिया जा रहा है, इसमें कौन सी सूचना की आवश्यकता है भाई ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, इसमें क्या आपत्ति हो गयी आपको ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने अगले प्रश्न के लिये ओझा जी को बुला लिया है।

धुधली, थाना गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सामने वर्दी उतार कर फेंकने के सम्बन्ध में पत्र पर जांच

***3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—**

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने धुधली, थाना (गोरखपुर) के समस्त कर्मचारियों द्वारा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सामने वर्दी उतार कर फेंकने एवं शस्त्रों को वापस करने सम्बन्धी आचरण करने की ओर उनका ध्यान गत माह आकृष्ट किया गया तथा जिसके विषय मे कोई प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस संबंध में प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक क्या कार्यवाही की गयी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

जी हाँ । प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 20-5-82 पर जांच करायी जा रही है । रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मेरा जो शिकायती-पत्र है वह मई का है और यह फरवरी है, करीब 8 महीने हो गये हैं इस घटना को घटे जो कि अपने आप में पी०ए०सी० के बाद दूसरी घटना है जबकि पुलिस की सेवा के लोगों ने अपनी वर्दियाँ और अपना असलहे फेंक दिये । यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और मन्त्री जी कहते हैं कि जांच की रिपोर्ट प्रतीक्षित है । वह कौन से अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं ? पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने यह घटना घटी तो इसमें जांच कराने का क्या औचित्य है ?

श्री गुलाब सेहरा—

आपका 25-5-82 का पत्र गोरखपुर के डी०आई०जी० को भेज दिया गया । इसके बारे में विस्तृत विवेचना की आवश्यकता है जो कि मंगाई जा रही है । इसको शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए आदेश भी दे दिये गये हैं, आशा है कि शीघ्र ही सूचना प्राप्त हो जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने वर्दी उतार कर फेंक दी और शस्त्र वापस कर दिये । उसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सूझबूझ का ही परिणाम था कि यह घटना आगे नहीं बढ़ सकी और वे पुलिस कर्मी जिन्होंने अनुशासनात्मक कार्यवाही की थी उन्हें अच्छी जगह भेज दिया गया । माननीय मन्त्री जी सदन को अपने उत्तर से गुमराह कर रहे हैं । जो एडीशनल एस० पी०, गोरखपुर वहां पर गये थे उन्होंने मेरे शिकायती पत्र के पहले इस बात की कोई रिपोर्ट दी है क्या गृह मंत्रालय को उसकी जानकारी है या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसकी सूचना मांगी जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में पुलिस फोर्स की नियुक्ति एवं अवैध स्थानान्तरण

***4—श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में पुलिस फोर्स की अवैध रूप से की गई नियुक्तियां एवं स्थानान्तरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 27-6-81 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो जांच आख्या क्या है ? दोषी पाये गये अधिकारी के विरूद्ध क्या कायवाही की गयी तथा उक्त अवैध नियुतियाँ एवं स्थानान्तरण आदेश क्या निरस्त कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ ।

फैजाबाद जनपद में कोई भी नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण अवैध रूप से नहीं किया गया है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, शासनादेश के अनुसार पुलिस फोर्स में जो इण्टरमीडिएट पास हैं उन पुलिस कर्मियों को सी० पी० पुलिस यानी सिविल फोर्स में रखे जाने का प्राविधान है और जो हाई स्कूल पास हैं उन्हें ए०पी० फोर्स में रखे जाने का प्राविधान है, 1980 में कितनी ऐसी नियुक्तियाँ की गई हैं जो कि इस नियम के तहत रही हों ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसमें तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी इस मामले को छिपा रहे हैं । जो अनुसूचित जाति के पुलिस कर्मी हैं उनका तबादला करने में वहाँ के एस० पी० ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की हैं । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या वे इसकी जांच करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

किससे जांच करा लूँ ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 27-6-1981 को एक शिकायती-पत्र दिया था, उसकी जांच की गयी परन्तु मुझ से जांच अधिकारी ने सम्पर्क स्थापित नहीं किया और वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने अपनी मनमानी रिपोर्ट लिखकर शासन के पास भेज दी, और उस पर माननीय मन्त्री जी संतुष्ट हो गये ।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, इस पत्र में नियुक्ति से कोई सम्बन्धित बात ही नहीं है । स्थानान्तरण की बात है, उसके बारे में मैंने उत्तर दे दिया ।

श्री हुकम सिंह—

माननीय मन्त्री जी यह तो मान ही गये हैं कि माननीय सदस्य का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जो नियुक्तियों के बारे में है और स्थानान्तरण के बारे में भी है और भ्रष्टाचार के आरोप मा० सदस्य ने लगाये हैं। अगर इसकी जांच माननीय मन्त्री जी ने करायी है तो जाँच आख्या क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, नियुक्तियों का कोई मामला नहीं है।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

श्री रियासत हुसेन—

जैसा माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया, पत्र को लिखे हुए डेढ़ साल हो गये हैं। पत्र 27-6-1981 का है और उस पत्र में मुख्य रूप से नियुक्तियाँ और ट्रान्सफर के सिलसिले में आरोप लगाये गये हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी जाँच कराई गयी, यदि हां, तो उस जाँच आख्या पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैं माननीय सदस्य के पत्र को पढ़ दे रहा हूँ—इसका विषय है पुलिस फोर्स फैजाबाद में अवैध रूप से नियुक्तियों एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जांच उपरान्त उचित कार्यवाही हेतु। उपरोक्त सम्बन्ध में जांच उपरान्त अविलम्ब उचित कार्यवाही हेतु पत्र के साथ आवेदन पत्र संलग्न है। कृपया कृत कार्यवाही से हमें भी अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने प्रश्नकर्त्ता के पत्र को स्वीकार किया है और यह बात भी स्वीकार की है और यह भी कहा है नियुक्यों और स्थानान्तरण के बारे में जिक्र है तो क्या उस पत्र की जांच की गई। जांच अधिकारी ने क्या प्रश्नकर्ता से सम्पर्क स्थापित किया ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने प्रारम्भ में बताया कि जो पत्र लिखा है, उसमें संलग्न किया है और उसमें उन्होंने कुबेर नाथ अम्बेदकर, मुन्शी के स्थानान्तरण के बारे में लिखा है।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, वहाँ पर बहुत घपला है।....

श्री अध्यक्ष—

आप नियमों के अन्तर्गत चर्चा की मांग कर लीजिये।

श्रीमती मुमताज जहां की दहेज न मिलने के कारण हत्या की जाँच

*5—**श्री पंचानन राय—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इस्लाम अली अंग्रेजी अध्यापक, शिव नारायण सिंह विद्या मन्दिर इण्टर कालेज गौरी, रायबरेली का अपनी पुत्री श्रीमती मुमताज जहां की दहेज न मिलने के कारण 24-7-82 का हत्या किये जाने क सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिनांक 31-7-82 व 14-8-82 जिला अधिकारी, हरदोई पुलिस अधीक्षक, हरदोई तथा अन्य उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

(मन्त्री जी द्वारा सम्बन्धित उत्तर विलम्ब से देने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपको पहले से सवालों को निकालकर रखना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

किसी चीज का क्रम बदल जाय तो इतना शोर करने की आवश्यकता नहीं है ।

(इसके पश्चात लिखित उत्तर पढ़ा गया)

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ । श्री इस्लाम अली के उक्त प्रार्थना पत्रों में अंकित है कि उनकी पुत्री श्रीमती मुमताज जहाँ की शादी श्री सादिक अली, निवासी हरदोई के साथ 21-4-82 को हुई थी । श्री सादिक अली ने स्कूटर की माँग की थी । असमर्थता व्यक्त करने पर उसने टेलिविजन की माँग की जिसे भी वह पूरी नहीं कर सका । इस पर सादिक अली व उसके साथ के लोग बगैर कलेवा किये हुये ही प्रार्थी की पुत्री को विदा करा ले गये । मुमताज जहाँ प्राइवेट इण्टर की परीक्षा दे रही थी । अतः प्रार्थी उसे 24-4-82 को विदा करा लाया । लड़की दुबारा विदा होकर 15-7-82 को ससुराल गई थी, जिसकी 24-7-82 को उसके पति सादिक अली और उसकी भाभी जिससे सादिक अली के अवैध संबंध थे, ने मिलकर घर के अन्य लोगों के मशवरे से हत्या कर दी । सादिक अली का अपनी मझिली भाभी के साथ कुकर्म लड़की ने अपनी आँखों से देख लिया था और अपनी माँ से बताया । लड़की को विदा कराने भी 15-7-82 को सादिक अली नहीं आया और माशूक अली व महबूब अली को भेजा था । संभवत : लड़की को 17-7-82 को रोजा अफतारी के समय कोई जहर मिली वस्तु खिलाई गई होगी जिसकी प्रतिक्रिया रात 2 बजे हुई । लड़की ने अचानक जोर से चिल्लाना और अपनी जान बचाने के लिये घर से बाहर भागने का प्रयास किया । उसका इलाज जिला अस्पताल में नहीं कराया गया और मिथ्या इलाज का नाटक करते रहे । लड़की का जेवर लेने 19-7-82 को हरदोई से आदमी आया केवल बताया कि लड़की बड़ा घर होने से घबराती है । दिनांक 21-7-82 को मुमताज जहाँ की गम्भीर बीमारी का तार 24-7-82 को शाम 4 बजे मिला । सूचना आदमी भेजकर कराई जा सकती थी, जो नहीं कराई गई ।

प्रार्थी ने 25-7-82 को पुलिस अधीक्षक, हरदोई को लिखित सूचना दी कि उसकी पुत्री मुमताज जहाँ की 24-7-82 को रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई है, उसे संदेह है कि मृत्यु प्राकृतिक नहीं है अतः उचित कार्यवाही की जाय ।

उक्त सूचना पर उप निरीक्षक श्री पी० के० दीक्षित ने मुमताज जहां की लाश का पंचायत नामा तैयार किया और लाश पोस्टमार्टम हेतु भेजी। पोस्टमार्टम से मृत्यु गला दबाने से सांस रुक जाने से होना पाया गया इस पर 28-7-82 को अभियोग संख्या 388 धारा 302/201 भा० दं० वि० बनाम सादिक अली आदि कोतवाली हरदोई पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना स्थानीय पुलिस ने की और अब अपराध शाखा द्वारा की जा रही है जो प्रचलित है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, 24 जुलाई को हत्या की गई। मैं जानना चाहता हूँ कि जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कब हुई और दूसरी बात यह है कि अपराध अनुसंधान शाखा को यह जांच कब दी गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, रिपोर्ट 25-7-82 को लिखाई गई। पोस्ट-मार्टम 26-7-82 को हुआ उसके बाद जो प्रार्थनापत्र दिया गया वह 25-7-82 और 14-8-82 को दिया गया। अब सी० आई० डी० इन्क्वायरी कर रही है इसलिये गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता।··· (व्यवधान)।

श्री पंचानन राय—

पत्र में आरोप लगाया गया था कि जो व्यक्ति इस मामले से सम्बन्धित है वह वहाँ पर कलेक्टरेट में कर्मचारी है जिससे कि मामले को दबाया जा रहा है। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी कब की गई और अपराध अनुसंधान शाखा को जाँच कब सौंपी गई।

श्री गुलाब सेहरा—

विवेचना तब से ही चल रही थी और 1-10-82 को अपराध अनुसंधान शाखा को यह मामला दिया गया।

श्री पंचानन राय—

302 का मुकदमा है और····(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

जो उनके पास सूचना थी, वह उन्होंने बता दी।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है और दहेज से सम्बन्धित मामला है। मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जिसकी 24.7.82 को उसके पति सादिक अली और उसकी भाभी जिससे सादिक अली के अवैध संबंध थे, ने मिलकर घर के अन्य लोगों के मशवरे से हत्या कर दी। तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि वह अन्य लोग कौन थे जिनका नाम दिया है ? दूसरा यह कि जो पोस्टमार्टम में बताया गया है कि गला दबा कर हत्या कर दी गयी है तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या उसके शरीर पर गला दबाने के अतिरिक्त चोट के निशान भी पाये गये ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जुलाई में हत्या की गयी और आज फरवरी का महीना है क्या अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी या नहीं इसका उत्तर हमें दिला दें ?

श्री अध्यक्ष—

किसी की गिरफ्तारी की गयी या नहीं यह बता दें ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, जब मामले की विवेचना हो रही थी उसी बीच मामला सी० आई० डी० को दे दिया गया इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि सी० आई० डी० को जांच के आदेश कब दिये गये और उसके बाद कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है ? जब कि अभियुक्त सरकारी कर्मचारी है, कलैक्ट्रेट में नौकरी करता है । लड़की के पिता ने प्रार्थनापत्र में लिखा है कि अभियुक्त कचहरी में सरकारी कर्मचारी है इसलिए पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है । दहेज उन्मूलन अभियान हम चला रहे हैं लेकिन इस पर कोई कार्यवाही न हो, हत्यारा गिरफ्तार न किया जाय इससे ज्यादा गंभीर सवाल क्या हो सकता है । इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि सी० आई० डी० को मामला कब दिया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् मैंने पहले बताया कि 1.10.82 को सी० आई० डी० को जांच के लिये दिया गया । इसमें हम शीघ्रता कर रहे हैं जैसे ही जाँच रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार गिरफ्तारी की जायेगी ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, हत्या का मुकदमा 302 में दर्ज है पुलिस विवेचना और सी० आई० डी० की विवेचना में कोई अंतर नहीं है जिससे वह गिरफ्तार न हो । जब 302 में मुकदमा दर्ज है तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, विवेचना के दौरान सबूत इकट्ठा किये जा रहे हैं तब गिरफ्तार किया जायगा ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जरा आप देखें 25.7.82 को एफ० आई० आर० दर्ज हो गयी । क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की डिपार्टमेंटल जाँच करायेंगे जब गला दबाने से हत्या की

गयी और नामजद एफ० आई० आर दर्ज है और अभियुक्त गवर्नमेंट सरवेंट है पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में लापरवाही बर्ती, ढाई महीने बाद मामला सी० आई० डी० को गया। तो क्या पुलिस की इस लापरवाही की जांच करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता। (व्यवधान)

ग्राम बसन्तपुर झूसी, देवरिया में किसान सभा के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एवं पी० ए० सी० द्वारा लाठी चार्ज एवं गोली चलाये जाने की घटना

***6—श्री नन्द किशोर सिंह—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत थाना तरकुलवा से डेढ़ किलोमीटर दक्षिण बसन्तपुर झूसी के पास किसान सभा के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एवं पी० ए० सी० द्वारा दिनांक 13-4-82 को लाठी चार्ज एवं गोलियाँ चलाई गयीं, जिसमें दस आदमी देवरिया सदर अस्पताल में भर्ती किए गये ? यदि हाँ, तो इसकी जांच कराने का कष्ट करेंगे तथा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही होगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं। चूँकि देवरिया जिलान्तर्गत ग्राम बसन्तपुर झूसी के आस पास दिनांक 13-4-82 को किसान सभा के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एवं पी० ए० सी० द्वारा लाठी चार्ज एवं गोलियां चलाये जाने की कोई घटना नहीं हुई है, अतः इसकी जाँच कराने तथा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सत्य से परे है, झूठा है। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ मैं उस दिन वहां गया कम से कम 10 आदमी घायल हुए थे। सवाल वहां यह था कि कटपुलवा में कस्तूरी पति त्रिपाठी ने एक महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया था जिसके विरोध में वहां कम्युनिस्ट पार्टी वालों की मीटिंग हुई मीटिंग करने के बाद एक महीने का नोटिस देकर प्रदर्शन की तैयारी किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो गलत जवाब आया है और मेरी जानकारी को सही मानते हुये पुनः यहां से किसी अधिकारी को भेजकर जांच करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया था कि लाठीचार्ज किया गया तो ऐसी घटना नहीं हुई बल्कि आंदोलनकारियों ने पुलिस को उल्टे मारा है।

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, पुलिस के और गुंडों के गेंग ने मिलकर फायरिंग किया, किसानों ने नहीं मारा है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है जिससे 10 आदमी घायल हुये और अस्पताल मे भर्ती हुये, मैं वहां मौजूद था। इसलिये उत्तर गलत है। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि लाठी चार्ज किसानों ने किया और पुलिस को मारा है तो कितने पुलिस कर्मी घायल हुये हैं ? क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, इसमें 14-4-82 को थानाध्यक्ष, तरकुलवा ने एक एफ आई आर० दफा 147/148/323/307/188 भा०दं०वि० 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करायी है। इसमें अभियुक्त विभूति प्रसाद चौहान और अन्य 11 व्यक्ति हैं। श्रीमन्, घायलों में श्री श्यामलाल, श्री झिकन पांडेय, श्री लाल बहादुर और श्री दूधानाथ हैं, यह सभी सिपाही, पी० एस० तरकुलवा के हैं।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

जो 4 सिपाही घायल हुये हैं तो उसमें रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, इंजरी रिपोर्ट है, यदि कहें तो पढ़ दूं ?

श्री मदन हरिजन की फर्जी मुठभेड़ में हत्या विषयक पत्र की अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच

*7— **श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना भोगांव जिला मैनपुरी में दिनांक 16 जुलाई, 1982 को कोई इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई गयी कि पुलिस ने मदन नामक एक हरिजन को फर्जी मुठभेड़ दिखा कर हत्या कर दी है ? यदि हां तो प्रथम सूचना क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमती राधा रानी, विधवा मदन, निवासी मो० हथियापौर, भोगांव जनपद मैनपुरी का उनके पति की फर्जी मुठभेड़ में हत्या किए जाने विषयक दिनांक 16-7-82 का एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी को प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना भोगांव में अ०सं० 195 अन्तर्गत धारा 364/302 भा०दं०वि० पंजीकृत हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है। इस संबंध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मदन एक हरिजन व्यक्ति है। एफ०आई०आर० में स्पेस्फिक नाम उसकी पत्नी ने दिये हैं कि एक रात पुलिस और कुछ व्यक्ति एक साथ आये और दरवाजा खुलवाया गया और फिर उसको ले गये। इसको वहां लोगों ने देखा है। नामजद रिपोर्ट है पुलिस और कुछ व्यक्तियों के खिलाफ, इसके चश्मदीद गवाह हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 302 दफा में रिपोर्ट है और साक्षी हैं तो उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, शासन ने इसको गंभीरता से लिया है। इसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। दिनांक 16-10-82 को सी०आई० डी० की जांच के लिये दिया गया था। श्रीमन्, मैं सूचना के आधार पर बताना चाहता हूँ कि घटना एटा पुलिस

में घटी है और मैनपुरी पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया है। इसमें विवेचना की आवश्यकता थी इसलिये सी०आई०डी० को दिया है और उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी ने जिस तत्परता की बात कही, उसका पर्दाफाश इसी बात से हो जाता है कि अभियुक्त नामजद होने पर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि शासन की नीति ऐसे लोगों को संरक्षण देने की है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने घोषणा की है कि जहाँ कहीं फर्जी एन्काउण्टर की बात हमारे सामने आएगी, उसकी जांच मैजिस्ट्रेट से कराई जाएगी, तो इस मामले की जांच मैजिस्ट्रेट से न कराकर सी० आई० डी० से कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जब सी० आई० डी० से जाँच कराने की मांग की गई, तो उससे जांच कराई गई।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, उन्नाव के अधीक्षण अभियन्ता श्री जगमोहन लाल के निवास स्थान में मारा गया छापा

*8—**श्री रामलाल वर्मा—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 45वां वृत्त, उन्नाव सा० नि० वि० के तत्कालिक अधीक्षण अभियन्ता श्री जगमोहन लाल के घर पर वर्ष 1981 में कोई छापा मारा गया था उसमें 22 लाख रुपये के स्वर्ण बिस्कुट बरामद हुए थे ? यदि हां, तो श्री लाल के विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

जी हाँ। कलकत्ता के एक बिजनेस ग्रुप के 'सर्च-आपरेशन' के सिलसिले में श्री जगमोहन लाल, अधीक्षण अभियन्ता, 45वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उन्नाव के निवास स्थान की दिनांक 25-8-81 को आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई थी। तलाशी का क्या परिणाम हुआ था उसमें क्या बरामद हुआ इसके बारे में कोई सूचना आय-कर बिभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध नहीं कराई है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री राम लाल वर्मा—

श्री जगमोहन लाल प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनके खिलाफ एक गम्भीर आरोप में यह छापा मारा गया, तो क्या सरकार ने इस छापे के बारे में जानने की कोशिश की कि यह किस कारण हुआ है और इसका क्या परिणाम हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, इस बारे में हम लोगों ने जानकारी करने की कोशिश की और इसीलिए कई पत्र भी इन्कम टैक्स कमिश्नर को लिखे, किन्तु वहाँ से उनका कोई जबाब नहीं आया

है। हाँ, एक पत्र उनका जरूर अंग्रेजी में आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि खर्च के बारे में दैनिक जागरण, कानपुर में जो एक खबर निकली है, कानपुर के एस० पी० पाण्डेय ने इसको मना किया है और कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है।

(अगला प्रश्न लेने पर)—(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

यह बहुत गम्भीर सवाल है, इस पर अभी और समय दें...

श्री मुख्तार अनीस—

यह बहुत गम्भीर सवाल है, इसे यों ही आप न टालें।

श्री खैरूल बशर—

यह बहुत गम्भीर सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिए, आप संन्तुष्ट न हों तो नोटिस देकर इस पर चर्चा करवा लीजिएगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

जिस तरह से आपने दूसरे सवालों के लिए समय दिया है, उतना ही समय आप इस प्रश्न के लिए भी दें। [व्यवधान]

यह तो इस तरह से मामले को दबाने की बात हो गई है।

श्री मुख्तार अनीस—

यह 22 लाख रुपये के भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामला है, इसमें आपकी ओर से हम लोगों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप बैठ जाइये। यदि आप इससे सन्तुष्ट नहीं हैं तो नोटिस देकर इसमें नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा करवा लीजिए। इस तरह से करने से दूसरे माननीय सदस्य एतराज करते हैं।

***9—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

—[स्पष्टीकरण के आभाव में निरस्ती]

दारूल शफा स्थित होटलों को शासन द्वारा री आर्गनाइज करने में हुआ व्यय

10—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित दारूलशफा 'ए' ब्लाक 'बी' ब्लाक तथा रायल होटल में जो वेजिटेरियन एवं नान-वेजीटेरियन होटल चल रहे थे

उनको एकाएक दिनांक 8-11-81 को बिना किसी नोटिस या सूचना के सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उन होटलों को री-आर्गनाईज करने के लिए 50 लाख से अधिक रुपया सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है ? यदि हाँ, तो उसका आधार क्या है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)

जी हाँ ।

नोटिस दिये जाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है ।

विधान परिषद की गृह समिति एवं विधान सभा की आवास मंत्रणा एवं किचेन समिति की अनुशंसा पर माननीय विधायकों को सस्ते एवं अच्छे भोजन व्यवस्था हेतु लिया गया ।

जी नहीं ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 'ए' व 'बी' ब्लाक में जो रेस्टोरेंट हैं, उन पर जो कब्जा लिया गया और कब्जा लेने की प्रक्रिया में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी रूल आफ ला में जब किसी का पजेशन होगा तो खाली कराने का नोटिस अवश्य दिया जाता है, लेकिन इस मामले में यह क्यों नहीं दिया गया ? और जो आपने 'जी नहीं' कहा है, तो क्या 50 लाख रुपया सरकार ने रैस्टोरेंट को आर्गनाइज करने में खर्च किया है ? यदि 50 लाख नहीं तो फिर कितना खर्च किया है ? और क्या यह भी सही है कि इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी उनमें न चाय की प्याली साबुत है न ट्रे साबुत हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, कई प्रश्न साथ-साथ हैं, पहला जो है, नोटिस का जहां तक सवाल है, 7 नवम्बर, 1981 को उनको नोटिस दी गयी थी खाली कराये जाने के सिलसिले में । जहां तक 50 लाख रुपये की स्वीकृति का सवाल है, इसमें 50 लाख रु० नहीं 5, 71, 765–00 रु० की स्वीकृति थी । उसके बाद जो प्यालियों और केंटीन की हालत के बारे में माननीय रियासतहुसैन साहब ने बताया, तो उसमे अलग से जाँचकी जा सकती है, कार्यवाही की जा सकती है । लेकिन इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी उसके एक साल का मुनाफा या नुकसान का ब्योरा सदन के समक्ष रखेंगे ? माननीय मंत्री जी यह कृपया बतायेंगे कि जो उसकी हालत खराब हुई है, उसका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया था । वह स्वीकृत का पूछा था कि 50 लाख रुपये से अधिक रु० सरकार द्वारा स्वीकृत हुअ, मान्यवर, उसको मैंने बताया कि 50 लाख रुपये के बजाय, 5 71,765रु० स्वीकृत हुआ । लेकिन जो ऐक्चुउल एक्सपेंडीचर हुआ वह 7,59,050–58 पैसे हुआ । मान्यवर,इसका जो अधार है माननीय विधायकरगण हैं,उनको सुविधा पहुँचाना है, उसमें किसी प्रकार के लाभ वगैरह की कोई बात नहीं है । जहां तक

वर्किंग की बात है, उसको मान्यवर, दिखवा लिया जायगा, जहाँ कहीं पर कोई लूप होल वगैरह है, तो उसमें चुस्ती लायी जायगी ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपने जाती दिलचस्पी लेकर माननीय विधायकों की सुविधा के लिए इन्तजाम किया है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दोनों हाउसेज के माननीय विधायकों को सुविधा देने के लिए एकबार भी क्या वहाँ पर जाकर देखा है, या चाय पीने या खाना खाने की कोशिश की है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 8-12-1980 को विधान परिषद की गृह समिति के कार्यवाहक सभापति ने पत्र द्वारा प्रस्ताव से सूचित किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 31 जनवरी, 1981 के पहले सभी विधायक निवासों में केंटीन की व्यवस्था जो इस समय है, वह समाप्त कर दी जाय तथा सरकार की ओर से उसका संचालन किया जाय । विधायक निवासों में ठेकेदारी प्रथा के आधार पर जो केंटीनें या भोजनालय चलाये जा रहे हैं, यह व्यवस्था समाप्त कर दी जाय और इसके स्थान पर 'नो लास नो प्राफिट' के आधार पर व्यवस्था की जाय । मान्यवर, उसमें जो कुछ प्रयास किया जा सका, वह किया गया, जितने लोग हटाये गये, उनको अल्टरनेटिव अकोमोडेशन देकर व्यवस्था कर दी गयी । मान्यवर, चाय पीने की बात जो माननीय आजम साहब ने कही, जिस रोज माननीय आजम साहब आमंत्रित करेंगे उस रोज मैं चाय पीने के लिए आ जाऊंगा ।

***11—श्री श्यामलाल वाजपेयी—**

—[8 वें गुरूवार में तारांकित प्रश्न संख्या–9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना त्रिलोकपुर के भूतपूर्व थानाध्यक्ष (श्री जयपति नाथ) द्वारा विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डेय के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की सी० आई० डी० द्वारा जांच

***12—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत थाना त्रिलोकपुर के भूतपूर्व थानाध्यक्ष (श्री जयपति नाथ) को 1 अप्रैल, 1982 को विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डेय के साथ दुर्व्यवहार करने के फलस्वरूप निलम्बित किया गया था और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हाँ, तो क्या अपराध अनुसन्धान शाखा ने अपनी जांच आख्या शासन को दे दी ? यदि नहीं, तो उक्त थानाध्यक्ष को किस आधार पर निलम्बन समाप्त कर पुनः नियुक्त किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ । इस प्रकार की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किये जाने के आदेश दिये गये थे । अपराध अनुसंधान विभाग की अन्तिम जांच आख्या अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है । इसी संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपी जांच की आख्या प्राप्त होने और मामले के गुणावगुण पर विचार करने के उपरान्त थानाध्यक्ष का निलंबन समाप्त कर दिया गया ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, यह मामला जो है, 22 मार्च को इसी सदन में आया था और 5 अप्रैल को भी यह आया था। एक में आपने कहा कि अपराध अनुसंधान शाखा की अन्तिम आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है और दूसरे में यह बात कहा कि गुण-दोष के आधार पर जांच हेतु अपराध अनुसंधान शाखा को सौंप दिया गया है। मान्यवर मंत्री जी, यह बताने की कृपा करेंगे कि अपराध अनुसंधान शाखा की कोई अन्तरिम रिपोर्ट आपको प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो वह क्या है और किस पुलिस अधिकारी से आपने जांच कराई है जिसके आधार पर उस दरोगा को बहाल कर दिया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, अन्तरिम रिपोर्ट 28-7-82 को प्राप्त हो गयी है। बाकी रिपोर्ट आनी शेष है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी जब अध्यक्ष पीठ पर बैठते थे तो उन्होंने इस पर व्यवस्था दी थी। आप कार्यवाही देख लें। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि रिपोर्ट को बदल दिया गया है।

श्री अध्यक्ष —

अन्तरिम रिपोर्ट क्या है, मंत्री जी आप बता दें।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् अन्तरिम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन मेरे पास इस वक्त है नहीं।

(शोर)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, घपला किया जा रहा है। रिपोर्ट बदल दी गयी है। असली रिपोर्ट को छिपाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूँ। आप लोग कृपा कर बैठें। यह दोबारा आयेगा।

(शोर)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, उत्तर आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

आप लोग कृपा करके बैठें। मैंने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया है और इसका दोबारा जवाब आयेगा तब फिर आपको क्या कहना है, कृपा कर बैठें।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक निवेदन सुन लें। जांच आख्या को राजनीतिक प्रभाव से दबाया जा रहा है। माता प्रसाद पाण्डेय जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद उसके निलंबन को राजनीतिक प्रभाव से ब्रह्मदत्त के विशेष आग्रह पर उसके निलंबन को समाप्त किया गया। इस तरह का काम मंत्री लोग करेंगे तो यह बात नहीं चलेगी। उस समय अध्यक्ष पीठ पर आज के मुख्य मंत्री जी विराजमान थे और इसी सदन के अन्दर उसके निलंबन की घोषणा हुई है।

(मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, खेद प्रकट किया जाय कि रिपोर्ट क्यों नहीं है। नेता सदन तत्काल खेद प्रकट करें।

(शोर)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ—

नहीं, मान्यवर, यह बिल्कुल नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपा करके बैठें। मैंने नेता सदन को बुला लिया है।

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगित कर दिया है। आपने, अन्तरिम रिपोर्ट क्या है उसके संबंध में जानना चाहा है। यह उत्तर दिया गया है कि अन्तरिम रिपोर्ट अभी नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

उन्होंने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट है।

श्री श्रीपति मिश्र—

आप कृपा करके मेरी बात सुनें। यह बताया गया है कि अन्तरिम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष द्वारा इस प्रश्न को स्थगित कर दिया गया है। तो, जब अन्तरिम रिपोर्ट उपलब्ध न हो, कोई कागज उपलब्ध न हो, तो उसके लिये खेद प्रकट करने की बात का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह जानबूझ कर छिपाया जा रहा है। खेद प्रकट इनको करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम गोबिन्द—

मान्यवर, जांच रिपोर्ट नहीं आयी, लेकिन उसको बहाल करके फिर नियुक्त कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एक माननीय सदस्य से सम्बन्धित था, जिसके लिए पिछली बार इस सदन में आश्वासन दिया गया था और उसको सस्पेण्ड किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय अध्यक्ष थे। उत्तर में कहा गया कि अन्तरिम रिपोर्ट आ चुकी है। तो, मैं नहीं समझता कि माननीय नेता सदन जो उस पीठ पर बैठ चुके हैं, उनका निर्णय है, तो रिपोर्ट तो आना चाहिए था। आज जब प्रश्न उनके विभाग से संबंधित है, उत्तर चाहे कोई भी मन्त्री दे, तो यह नहीं होना चाहिए कि रिपोर्ट आ जाय तब भी उसे छिपाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि बहुत निष्पक्षता होनी चाहिए। मैं माननीय नेता सदन से यह आशा करता हूँ कि जब प्रश्न हो हम लोगों को, किसी सदस्य का, तो जब आपकी तरफ से यह उत्तर आ गया कि अन्तरिम रिपोर्ट आ चुकी है, उस आदमी को वहाल कर दिया गया है, तो इसमें निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक चीज आयी है। इसलिये मैं चाहता कि आधा घंटा अभी है आप इस प्रश्न को दुबारा ले सकते हैं। आधे घण्टे में रिपोर्ट आनी चाहिए, यह तो हमारा अधिकार है। मान्यवर, जब उनके विभाग में रिपोर्ट मौजूद है, तो इनके अधिकारी जो बैठें हुए हैं, क्यों नहीं भागकर जाते हैं। दस मिनट हो गया है, इस प्रश्न को होते हुए, रिपोर्ट आ सकती थी। मान्यवर यह हमारे सम्मान और इस सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मान और रक्षा का प्रश्न है। तो मैं आशा करता हूँ कि रिपोर्ट आप मंगायें।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, रिपोर्ट चूँकि खिलाफ है, इसलिए नहीं सुना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने जब प्रश्न को स्थगित कर दिया है, उसके बाद भी आप संतुष्ट न हों, तो क्या कहा जाय। मैंने कह दिया है कि यह दुबारा आयेगा।

(व्यवधान)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ—

मान्यवर, मुझे एक मिनट मौका दे दें, मेरी बात सुन लें।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, साल भर के बाद तो उत्तर आता है....

(व्यवधान)

(लोकदल के कुछ सदस्य एवं श्री खैरुल बशर सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी—नहीं चलेगी, हत्यारों की यह सरकार नहीं चलेगी—नहीं चलेगी, सड़ी गली यह सरकार नहीं चलेगी—नहीं चलेगी)।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपने स्थान वापस जायें। मैंने प्रश्न को स्थगित कर दिया है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

माननीय मुख्य मन्त्री जी उस समय अध्यक्ष पीठ पर मौजूद थे और उन्होंने निर्देश दिया था कि वास्तव में माननीय सदस्य की जान का खतरा है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, आप लोग अपनी सीट पर वापस जांय मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री खैरुल बशर—

हाउस नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूँ।

(इस समय 12 बजकर 1 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई और 12 बजकर 16 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट पुनः स्थगित रहने की सूचना मार्शल ने दी।

तदुपरान्त 12 बजकर 31 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में आपने प्रश्न स्थगित कर दिया। एक अन्तरिम रिपोर्ट आई है, यह जवाब था और यह था कि वह इस वक्त नहीं है। प्रश्न स्थगित हो गया, अन्तरिम रिपोर्ट नहीं है, जब आप हुकम देंगे अन्तरिम रिपोर्ट आ जायेगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गयी थी। अन्तरिम रिपोर्ट यहाँ नहीं है, आ गयी है, उसे निकलवाकर, देखकर, जो भी कार्यवाही न्यायोचित होगी, वह उस अधिकारी के खिलाफ की जायेगी।

सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत सचिवों की सेवाएं नियमित किये जाने की मांग

***13—डा० शिवानन्द नौटियाल—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को लिखा है कि सैनिक कल्याण विभाग के अधीन कर्यरत उन जिला सचिवों की सेवाएं नियमित कर दी जांय जो अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किये गये हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है और कब आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*14—श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

आगरा में मधुनगर, बस्ती के अन्तर्गत हुई डकैती की सी० आई० डी० द्वारा जांच

*15—श्री विजय सिंह राणा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में मधुनगर बस्ती के अन्तर्गत हुई डकैती जिसमें 3 व्यक्ति मारे गये थे उनके मामले को सी० आई० डी० को सौंप दिया गया है ? यदि हाँ, तो किन आधारों पर तथा सी० आई० डी० की जांच भी बदल दी गई है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ । मामले की गम्भीरता को देखते हुए प्रश्न में उल्लखित घटना की जांच सी० आई० डी० को सौंपी गयी थी । सी० आई० डी० की जांच बदली नहीं गई है ।

महाराजगंज स्थित गौशाला मन्दिर के पीतल के कलशों की चोरी

*16—श्री मसरूर जाफरी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दिनांक 16/17-9-82 की रात को ग्राम नेवलगंज, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के गौशाला मन्दिर के कुछ गुम्बद की हजारों रुपये की पीतल को चोर लोग काट ले गये हैं ? क्या इसकी सूचना ग्रामवासियों ने थाना हसनगंज में लिखित भेजी है ? यदि हाँ, तो मुकदमा किस अपराध संख्या पर कायम किया गया है और उसकी जाँच किस अधिकारी ने की और क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-9-82 को श्री अभिलेख कुमार पुत्र बाबूराम द्विवेदी निवासी नेवलगंज, थाना हसनगंज, जिला उन्नाव ने लिखित सूचना दी कि दिनांक 16/17–9-82 की रात में महाराजगंज स्थित गौशाला मंदिर में पीतल के कलशों को चोर उतार कर ले गये हैं । उक्त सूचना पर थाना हसनगंज जिला उन्नाव में अपराध संख्या 153/82 धारा 379 भा०दं०वि०कायम हुआ । इसकी विवेचना श्री रमाकान्त व्यास उप निरीक्षक थाना हसनगंज द्वारा की गई । विवेचना में कलश बदस्तूर लगे होना पाया गया और अपराध होना नहीं पाया गया ।

*17—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

[5 वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अधिक जनसंख्या वाले ग्राम/नगरों में दो फेज विद्युत की व्यवस्था

*18—श्री हुकम सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार ने 10,000 या उससे ऊपर जनसंख्या वाले ग्रामों को रात्रि में लाईट देने हेतु दो फेस बिजली देने का निर्णय लिया है ?

यदि हाँ, तो अभी तक कितने ग्रामों को यह सुविधा दी जा चुकी है और शेष ग्रामों में कब तक व्यवस्था होने की सम्भावना है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। राज्य विद्युत परिषद की नीति के अनुसार 1971 की जनगणना के अनुसार 10000 अथवा 1981 की जनगणना के अनुसार 15000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों/नगरों को रात्रि में दो फेज विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है। इस श्रेणी में लगभग 235 ग्राम/नगर आते हैं। इन सभी ग्रामों में दो फेज बिजली रात्रि में बत्ती व पंखा के प्रयोग के लिए दी जाती है।

गोरखपुर जिले के बक्सीपुर मोहल्ले में श्री गुलाब चन्द की मृत्यु की जांच

***19—श्रीमती गौरी देवी—**

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के बक्सीपुर महल्ले में दिनांक 11 जून, 1982 को शेर कोठी (मकान) के विवाद में पुलिस की गोली से गुलाब चन्द नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस मामले की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग कर रहे हैं। जाँच अभी प्रचलित है।

जनपद जौनपुर में पुलिस फोर्स बढ़ाने की व्यवस्था

***20—श्री प्रभूनारायण सिंह—**

क्या मुख्य मन्त्री जनपद जौनपुर में जनसंख्या और अपराध वृद्धि को देखते हुए जनपद के प्रत्येक थाने पर पुलिस फोर्स बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद जौनपुर में जनसंख्या और अपराध वृद्धि को देखते हुए जनपद के प्रत्येक थाने पर पुलिस फोर्स बढ़ाने की व्यवस्था माह अगस्त, 1981 में कर दी गई है।

विधान सभा के सत्र 1982 में 6 ठे मंगलवार के श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 139 का संशोधित उत्तर

श्री हाशिम अली सिद्दीकी, एडवोकेट, लखनऊ द्वारा महानगर की पुलिस के विरुद्ध दिया गया शिकायती पत्र

139—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें हाशिम अली सिद्दीकी, एडवोकेट, लखनऊ द्वारा अप्रैल के पहले सप्ताह, 1981 में महानगर की पुलिस के विरुद्ध दिया गया शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की प्रमुख बातें क्या हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मूल उत्तर

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हाशिम अली सिद्दीकी, एडवोकेट लखनऊ का एक शिकायती प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुआ जिसे मूल रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद बुलन्दशहर को भेजा गया ।

संशोधित उत्तर

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हाशिम अली सिद्दीकी, एडवोकेट लखनऊ का प्रार्थना पत्र दिनांक 31-3-81 एक माननीय सदस्य विधान परिषद के माध्यम से माह मई, 81 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ था । उक्त प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी के पुत्र को महानगर की पुलिस द्वारा शराबखाने के एक ठेकेदार से मिलकर झूठे मुकदमों में फसाने की धमकी देने, अमुक व्यक्तियों को अनुचित रूप से सहायता देने, साम्प्रदायिक भावना फैलाने बिना कारण प्रार्थी के पुत्र को अर्ध रात्रि को घर पर आकर तलाश करने आदि के आरोप लगाये गये थे उक्त प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गयी । जाँच के आरोप निराधार पाये गये ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

विद्युत क्षेत्र को पुर्नगठित एवं सुदृढ़ करने हेतु गठित समिति तथा निर्णय

****1—श्री जयदीप सिंह बरार—**

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1982 में राज्यों के ऊर्जा मंत्री की दिल्ली में हुई बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा गठित राज्याध्यक्ष समिति की कौन कौन सी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी थी और राज्य सरकार द्वारा उन पर अभी तक क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

देश के विद्युत क्षेत्र को पुर्नगठित एवं सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कानूनी परिवर्तन हेतु एक प्रस्ताव भेजा था जिस पर अगस्त, 82 में विद्युत मंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक में व्यापक चर्चा हुई थी परन्तु कुछ निर्णय नहीं लिया जा सका । अतः प्रश्नगत विषय में शासन द्वारा निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी सेवाओं में आयु सीमा बढ़ाने पर विचार

****2—श्री मित्रसेन यादव—**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आने वाली सरकारी सेवाओं में आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ा कर 30 वर्ष करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ, यह मामला विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न

मेरठ में हुए दंगे में मृत्यु, सम्पत्ति की क्षति एवं बलवाइयों के विरूद्ध कार्यवाही

1—श्री मुहम्मद आजम खाँ—

क्या सरकार यह बतायेंगी कि जिला मेरठ में सितम्बर, 1982 के महीने में हुए दंगों में कितना जानी तथा माली नुकसान हुआ और सरकार ने बलवाइयों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार, जिला मेरठ में मास सितम्बर, 1982 में बलवे में तेरह लोगों की मृत्यु हुई है। आगजनी की घटनाओं में करीब रु० 35,000/- की सम्पत्ति की अनुमानित क्षति हुई है। दंगों को नियंत्रित करने हेतु असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी, अवैध आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक सामिग्री की बरामदगी हेतु मकानों की तलाशी ली गई तथा दंगों के दौरान मास सितम्बर, 1982 में 526 वैध हथियारों को जमा कराया गया। बलवाइयों के विरूद्ध मुकदमें कायम किये गये और गिरफ्तारियाँ की गयीं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को डी. सी. यू. भत्ता

2—श्री राजेन्द कुमार गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कुछ विभागीय निर्माण खण्डों (डी० सी० यू०) में अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं तथा कार्य अधीक्षक को डी० सी० यू० भत्ता मिलता है ? यदि हाँ, तो शेष डी०सी०यू० के उपरोक्त कर्मचारियों तथा अधिकारियों को यह भत्ता न देने का क्या कारण है ? शेष को कब तक देना प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन किसी भी विभागीय निर्माण इकाई (डी० सी० यू०) के अधिकारी/कर्मचारी को डी० सी० यू० भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

श्री शिव कुमार सर्राफा बाजार, बुलन्दशहर का भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती पत्र

3—श्री थम्मन सिंह गहलौत—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत विभाग को 19-8-81 को श्री शिव कुमार सर्राफा बाजार बुलन्दशहर का भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित व संस्तुत उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम उमरी जलालपुर, जनपद फैजाबाद का विद्युतीकरण

4—श्री नत्थूलाल—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम उमरी जलाल, पोस्ट आदमपुर, तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद की ग्राम समाज के विद्युतीकरण विषयक प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है तथा क्या मन्त्री ने इस सम्बन्ध में दिनांक 28 नवम्बर, 1981 को पत्र संख्या 699-ई/ एस० एम० ई०-81 के द्वारा विद्युतीकरण के आदेश दिये हैं ? यदि हाँ, तो विद्युतीकरण की रिपोर्ट से सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ।

ग्राम उमरी जलालपुर का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत किया जाना है जिसके अन्तर्गत पहली शर्त यह है कि उक्त ग्राम में विद्युत कनेक्शन हेतु रु० 25/- अर्नेस्ट मनी के साथ इतने प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जायें कि ग्राम के विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त हो जाय । अभी तक उक्त ग्राम के किसी भी निवासी ने रु० 25 अर्नेस्ट मनी के साथ प्रार्थना पत्र नहीं दिया हैं । अतः ग्राम का विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं है ।

विधायक निवास नं. 3 व 4 में विधायक कक्षों की मरम्मत एवं रख रखाव पर व्यय

5—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधायक निवास नं० 3 व 4 में विधायक कक्षों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए कितनी धनराशि जुलाई, 1980 से अगस्त, 1982 तक व्यय की गई तथा इस बीच डिस्मेंटल एवं रिप्लेसमेंट की नीलामी से कितनी धनराशि विभाग को मिली ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जुलाई, 1980 से अगस्त 1982 तक विधायक निवास—3 व 4 की मरम्मत एवं रख-रखाव पर कुल रुपया 4,97,265-05 की धनराशि व्यय की गई । इस धनराशि में उक्त विधायक निवासों के समस्त भवन (कार्यालय कक्षों को मिलाकर) सम्मिलित हैं । इस अवधि में डिस्टमेंटल से लगभग रु० 93,500/- की लागत की सामग्री प्राप्त हुई जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त डिस्मेन्टल एवं रिप्लेसमेंट की नीलामी से रु० 1,211,90 की धनराशि प्रस्तुत हुई ।

6–7—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 65-66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रादेशिक सिविल सेवा में तहसीलदार श्रेणी से पदोन्नत किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या

8 — **श्री जनार्दन प्रसाद ओझा** —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि प्रदेश में तहसीलदार कोटे से जिस प्रतिशत में डिप्टी कलेक्टर पद के लिए पदोन्नति होनी चाहिए वह विगत दस वर्षों से नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी-शाखा) नियमावली, 1941, जो 8 जुलाई, 1981 तक प्रभावी थी, के नियम 7 के अनुसार यह राज्यपाल के विवेक पर था कि वह प्रादेशिक सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में तहसीलदार श्रेणी से पदोन्नत किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या का निर्धारण इस बात को दृष्टि में रखते हुए करे कि पदोन्नत श्रेणी के अधिकारियों की संख्या किसी भी समय उक्त सेवा के संवर्ग के 25% से अधिक न होने पाये। 8 जुलाई, 1982 से प्रादेशिक सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) की नई नियमावली प्रभावी की गई है। उसमें यह प्राविधान है कि सेवा में भर्ती इस प्रकार ते की जायेगी कि यथा संभव संवर्ग के 33.1/3% पद पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा और शेष सीधी भर्ती द्वारा उधृत किये जायें। अत: वर्ष 1982 से पूर्व प्रोन्नत श्रेणी के लिए रिक्तियों का आरक्षण 1941 की उक्त नियमावली के प्रासंगिक नियमों के अन्तर्गत किया जा रहा था तथा वर्ष 1982 से नये नियमों के अनुसार किया जा रहा है।

जहाँ तक गत दस वर्षों की स्थिति का सम्बन्ध है, भर्ती वर्ष 1973 (आंशिक) से भर्ती वर्ष 1975 तक की प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत नियमानुसार आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध चयन वर्ष 1979 में हुआ था और चयनित अधिकारियों की नियुक्ति जुलाई, 1979 में कर दी गई थी। उस चयन के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अपेक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए थे तथा उनकी जितनी रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकीं वे अग्रणीत कर दी गई हैं। भर्ती वर्ष 1976 से भर्ती वर्ष 1982 तक प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध चयन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इन रिक्तियों के भरने के लिए पात्र (स्थायी) तहसीलदार उपलब्ध नहीं है।

जनपद जौनपुर के केराकत तहसील में ग्रामों का विद्युतीकरण

9—**श्री प्रभु नारायण सिंह**—

क्या ऊर्जा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के केराकत तहसील में वर्ष 1981 में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ? क्या इस वर्ष किसी ग्राम का विद्युतीकरण और किसी हरिजन बस्ती में बिजली पहुँचाने का कोई लक्ष्य है ? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद जौनपुर के केराकत तहसील में वर्ष 1981 में किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया। वर्ष 1982-83 में जनपद जौनपुर के विद्युतीकृत किये जाने के लिये चयनित ग्रामों में केराकत तहसील का कोई ग्राम नहीं है। जहाँ तक वर्ष 1982-83 में जनपद जौनपुर के केराकत तहसील में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का प्रश्न है, केराकत तहसील में चार हरिजन बस्तियों-लालपुर (विकास खण्ड जलालपुर), सुरहापुर

(विकास खण्ड) केराकत, हिसमसपुर (विकास खण्ड डोभी) तथा ताला मझवरा (विकास खण्ड मुफ्तीगंज), का विद्युतीकरण किया जाना निश्चित किया गया है जिनमें से लालपुर हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

पीली नदी पर पुल के निर्माण की मांग

10—**श्री प्रभु नारायण सिंह**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत नैपेड़वा से बटाउबीर जाने वाली सड़क पर मई ग्राम में पीली नदी पर पुल का निर्माण न होने से लोगों को आवागमन में घोर असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थल पर पीली नदी पर पुल का शीघ्र निर्माण करायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

पुल के न होने से लोगों को आवागमन में असविधा होती ही है।

पुल का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद जौनपुर में देवकली से बेलाव होते हुए जफराबाद तक सड़क का निर्माण

11—**श्री प्रभु नारायण सिंह**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के देवकली से बेलाव होते हुए जफराबाद तक आने वाली सड़क का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हुआ और उसकी प्रगति क्या है ? क्या इस सड़क पर खड़ंजा बिछाने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ ? क्या सरकार क्षेत्रीय जनता को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शीघ्र इसका निर्माण कार्य पूरा करायेगी और इस पर पड़ने वाले गठिया नाले पर पुल का निर्माण भी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद जौनपुर में देवकली से बेलाव होते हुए जफराबाद तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 1978-79 में आरम्भ हुआ था। मार्ग की कुल लम्बाई 14 कि० मी० है जिसमें से 9.4 कि० मी० में खड़ंजे तथा 4.50 कि० मी० में मिट्टी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। खड़न्जा लगाने का कार्य प्रगति पर है।

गठिया नाले पर पुल बनाने की कोई योजना नहीं है।

कि० मी० 9 से 12 तक तथा पुलों के क्षेत्र की सड़क को छोड़ कर खड़न्जा स्तर तक का कार्य जून 1983 तक पूर्ण होने की आशा है।

जनपद जौनपुर के ग्राम कुकुहा का विद्युतीकरण

12—**श्री प्रभु नारायण सिंह**—

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र करंजा कलां के ग्राम कुकुहा के निवासियों ने उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु लगभग 5 वर्ष पूर्व प्रार्थना-पत्र

एवं अग्रिम धन जमा किया था ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त ग्राम के विद्युतीकरण के लिए तभी से खम्भे और तार की आपूर्ति उक्त ग्राम में कर दी गयी किन्तु विद्युत् कनेक्शन अभी तक नहीं दिये गये ? क्या सरकार इस ग्राम में शीघ्र विद्युत् आपूर्ति करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ग्राम कुकुहा के विद्युतीकरण हेतु अभी तक किसी भी ग्राम निवासी ने रु० 25/- अर्नेस्ट मनी की धनराशि के साथ विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। ग्राम कुकुहा के विद्युतीकरण के लिये किसी भी स्टोर सामग्री की आपूर्ति उक्त ग्राम में नहीं की गयी है। ग्राम कुकुहा का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत किया जाना है जिसके लिये पहली शर्त यह है कि उक्त ग्राम में विद्युत कनेक्शन हेतु रु० 25/-अर्नेस्ट मनी की धनराशि के साथ इतने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो जायें कि ग्राम के विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त हो जायें। वर्तमान स्थिति में उक्त ग्राम के किसी भी निवासी ने 25/-अर्नेस्ट मनी की धनराशि के साथ प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। अतः ग्राम का विद्युतीकरण किया जाना अभी संभव नहीं है।

देवरिया के कुछ गांवों को पुराने थाने रामपुर कारखाना या थाना तरकुलवा में ही रखे जाने का प्रस्ताव

13—**श्री रुद्र प्रताप सिंह—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र 1 मार्च, 1982 का उन्हें प्राप्त हुआ था जिसमें उनके क्षेत्र के थाने के सम्बन्ध में लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1 मार्च 1982, जिसमें उनके क्षेत्र के कुछ गाँवों को पुराने थाने रामपुर कारखाना या थाना तरकलवा में ही रखे जाने का प्रस्ताव किया गया था, शासन को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री अवध बिहारी शोरेवाल उप पुलिस अधीक्षक का कन्डीशनल रिटायरमेन्ट तथा उनके द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

14—**श्री गोरेलाल शाक्य—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अवध बिहारी शोरेवाल उप पुलिस अधीक्षक का कण्डीशनल रिटायरमेंट स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उनकी सर्विस बुक, 1982 तक रेगुलराईज कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री अवध बिहारी शोरावाल, पुलिस उपाधीक्षक, को स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान की गई थी। उनको यह स्पष्ट कर दिया गया था कि शासन को उनके आवेदन-पत्र में निहित शर्तें मंजूर नहीं हैं। चूँकि श्री शोरावाल दिनांक 17-5-1977 के अपरान्ह से सेवा निवृत्त कर दिये गये थे अतः उस तिथि के बाद की अवधि के लिए सेवा-पुस्तिका को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता।

15 — **श्री गोरे लाल शाक्य —**

क्या श्री अवध बिहारी शोरेवाल उप पुलिस अधीक्षक, की वरिष्ठता के आधार पर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति तथा पोस्टिंग करने के लिए प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 18-2-82 तथा 2-3-82 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र —

माननीय सदस्य का एक पत्र दिनांक 2-3-82 शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि श्री शोरावाल की फाइल तलब करके उनके साथ न्याय किया जाय । मामले में शासन द्वारा विचार किया गया और यह पाया गया कि श्री शोरावाल के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हुआ है ।

सीतापुर नगर में जेल रोड स्थित श्री ओम प्रकाश गुप्त के मकान पर सशस्त्र हमले की दर्ज रिपोर्ट

16 — **श्री राम लाल वर्मा —**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 23-2-82 को सीतापुर नगर में जेल रोड स्थित श्री ओम प्रकाश गुप्त के मकान/दुकान पर कोई सशस्त्र हमला किया गया जिसमें नियाज अली नामक व्यक्ति घटना स्थल पर मारा गया और अन्य तीन गम्भीर रूप से घायल हुए तथा तीन लाइसेन्सी बन्दूकें भी हमलावर उठा ले गये ? यदि हां, तो पुलिस ने अब तक अपराधियों को पकड़ने व माल बरामदगी में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी हां, प्रश्नगत घटना के संबंध में थाना कोतवाली सीतापुर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 147/48/149/307/302/380 भा०दं०वि० पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई । प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई । दूसरे अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिसे जेल भेजा गया एवं चालान अदालत किया गया । बन्दूकों की बरामदगी के प्रयास जारी है ।

थाना मिश्रिख, जनपद सीतापुर के थानाध्यक्ष श्री वहेन्द्र सिंह का निलम्बन तथा बहाली

17 — **श्री राम लाल वर्मा —**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना मिश्रिख जनपद, सीतापुर के थानाध्यक्ष श्री वहेन्द्र सिंह जब सिधौली थाने में तैनात थे उन्हें निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और किन परिस्थितियों में उन्हें पुनः कार्यभार सौंपा गया ?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी हां, श्री वहेन्द्र सिंह वर्ष 1981 में प्रभारी निरीक्षक थाना सिधौली के पद पर नियुक्त था । दिनांक 5-8-81 को ग्राम धर्मपुर में हुई डकैती की घटना के संबंध में अपराध का अल्पीकरण करके धारा 458 भा०दं०वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये जाने

तथा दिनांक 10-9-81 को ग्राम मदारपुर में हुई डकैती की घटना को पंजीकृत न किये जाने के आरोपों के आधार पर उन्हें निलम्बित किया गया था। विभागीय जांच के उपरान्त आरोप प्रमाणित नहीं हुए अतः श्री वहेन्द्र सिंह को बहाल करके थाने के प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया।

थाना मिश्रिख, जनपद सीतापुर में हुये मामले की जांच

18—**श्री राम लाल वर्मा**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि अपराध संख्या 212 वर्ष 82 थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर में मामले की जांच सी०आई०डी० अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जा रही है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ, पुलिस द्वारा प्रश्नगत धारा 394/342 भा०दं०वि० के अन्तर्गत अभियोग की विवेचना की गई। विवेचना के उपरान्त सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है। सामान्य अपराध का मामला पाये जाने एवं कोई जटिलता निहित न होने के कारण, सी०आई०डी० अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री अवध नारायण सिंह, पुलिस अधीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध जांच

19—**श्री रामलाल वर्मा**—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस अधीक्षक, सीतापुर श्री अवध नारायण सिंह के विरुद्ध जब वे इलाहाबाद व बहराइच में तैनात थे कोई सी०आई०-डी० जांच लम्बित है और क्या जांच अधिकारी की यह संस्तुति थी कि जब तक उक्त जाँच लम्बित है तब तक इन्हें किसी जनपद का चार्ज न दिया जाय ? यदि हां, तो इन्हें जनपद स्तर पर किन परिस्थितियों में तैनात किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री अवध नारायण सिंह, पुलिस अधीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध इलाहाबाद एवं बहराइच के नियुक्ति काल की कोई जाँच सी०आई०डी० द्वारा नहीं की गयी है और न ही इस समय लम्बित है। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

थाना मिश्रिख, जनपद सीतापुर में श्री भग्गा नामक हरिजन की मृत्यु

20—**श्री राम लाल वर्मा**—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर में भग्गा नामक एक हरिजन की मृत्यु सन्देहास्पद परिस्थितियों में पुलिस पिटाई एवं अपमानित होने के कारण हुई थी और क्या 3-7-1982 को उसने थाना मिश्रिख में कोई मुकदमा कायम कराया था ? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी तथा क्या उसकी मृत्यु की जांच सी०आई०डी० अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई ? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार जांच से यह सही नहीं पाया गया कि श्री भग्गा निवासी ग्राम लकड़िया मऊ थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर की पुलिस द्वारा पिटाई की गई एवं उसे अपमानित किया गया जिसके परिणामस्वरूप संदेहास्पद परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। श्री भग्गा की मृत्यु बीमारी के कारण होनी पायी गयी। दिनांक 3-7-82 को श्री भग्गा द्वारा थाना मिश्रिख पर दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 322/506/504 भा०दं०वि० तथा 6 छुआछूत अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियोग प्रमाणित न होने के कारण विवेचना समाप्त करके अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। श्री भग्गा की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में नहीं हुई थी एवं इसकी सूचना थाने पर भी नहीं दी गई थी अतः इस संबंध में सी०आई०डी० अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जनपद के भट्टपुर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को नलकूप हेतु विद्युत कनेक्शन

21—**श्री रामलाल वर्मा—**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ क्षेत्र भट्टपुर, जनपद हरदोई में दिनांक 20-2-74 को शासन द्वारा यह आदेश हुआ था कि जो निजी पैसे से नलकूप लगाए गये हों उन्हें सिंचाई हेतु वरीयता क्रम में विद्युत दी जाय तथा उनसे 25 रु० खण्ड विकास अधिकारी भरावन द्वारा जमा करा लिये गये थे ? यदि हां, तो अभी तक विद्युत क्यों नहीं दी गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

हरदोई जनपद के भट्टपुर क्षेत्र के 15 भावी उपभोक्ताओं ने विभिन्न तिथियों में निजी नलकूप के कनेक्शन हेतु प्रत्येक ने 25 रु० जमा किया था। इन उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन अभी तक इसलिये नहीं दिया जा सका, क्योंकि इस क्षेत्र में 11 हजार वोल्ट की कोई लाईन नहीं थी, अब एक 11 हजार वोल्ट की लाईन सीतापुर जनपद से बनाई जा रही है जिससे इस क्षेत्र के 9 निजी नलकूप उपभोक्ताओं का (सूची "अ" संलग्न) ऊर्जीकरण निकट भविष्य में कर दिया जायेगा। शेष 6 निजी नलकूप उपभोक्ताओं (सूची "ब" संलग्न) को वर्तमान परिस्थितियों में विद्युत कनेक्शन देना इसलिये सम्भव नहीं है, क्योंकि ये नलकूप प्रस्तावित 11 हजार वोल्ट विद्युत लाईन से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ पर।)

जनपद चमोली की तहसीलों में नियुक्त पी० सी० एस० परगनाधिकारी

22—**श्री कुंवर सिंह नेगी—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली की तहसीलों में कब तक नियमित पी० सी० एस० परगनाधिकारी नियुक्त हो जायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

चमोली जनपद की चार तहसीलों में से तीन में नियमित पी० सी० एस०/आई० ए० एस० परगनाधिकारी सम्प्रति नियुक्त हैं तथा शेष एक तहसील में नियमित परगनाधिकारी को नियुक्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

सांख्यकीय सहायक के पदों पर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति

23 श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोजगार निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधीन दिनाँक 7-2-82 को सांख्यकीय सहायक के पदों हेतु साक्षात्कार किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पदों पर अनुसूचित जन जाति के कितने अभ्यर्थी चयनित किये गये ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

अनुसूचित जन जाति का कोई अभ्यर्थी चयनित नहीं किया गया ।

24—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला कानपुर देहात व कानपुर शहर के मुख्यालयों पर शोषित समाज दल की ओर से प्रदर्शन व मांग-पत्र

25—**श्री रामस्वरूप वर्मा—**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 9 सितम्बर, 1982 को जिला कानपुर देहात व कानपुर शहर के मुख्यालयों पर शोषित समाज दल की ओर से कोई प्रदर्शन किया गया और उसमें माँगपत्र दिया गया ? यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं और उनमें से सरकार ने किन-किन मांगों को स्वीकार किया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । मांगें शासन के वन, निर्वाचन, हरिजन एवं समाज कल्याण, शिक्षा, सिंचाई, कृषि, कार्मिक तथा खाद्य विभागों से सम्बन्धित हैं । सम्बन्धित विभागों को उन पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।

थाना अफजलगढ़, जनपद बिजनौर में पंजीकृत अभियोग तथा वापिस किये गये आग्नेयास्त्र

26—**श्री श्याम सिंह—**

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष श्री बलबीर सिंह थाना अफजलगढ़, बिजनौर ने अपराध सं० 44 धारा 307 आई० पी० सी० में जमा 9 एम० एम० आर० बी० 5.56 रिवाल्वर मय डोरी व दो कारतूस भरे एक खोका कारतूस तथा एक पिस्टल खोल व पांच कारतूस 30 बोर पिस्टल के जिन पर 65.11 लिखा था और बगैर लाइसेंस का था किसी व्यक्ति को सील तोड़कर कैसे वापिस कर दिया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर पर पंजीकृत अभियोग संख्या—44/02 अन्तर्गत धारा 307 भा० द० वि० से सम्बन्धित एक पिस्टल 9एम० एम०, 12 कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा एक निवार की कमर पेटी इसके मालिक श्री जनकराम को, निवार का एक

पिस्टल कवर व चमड़े की एक पेटी जिसमें 455 बोर के दो कारतूस भरे हुए थे, इसके मालिक श्री लक्खा सिंह को, 30 बोर पिस्टल के 5 कारतूस लगी हुई निवार की एक बेल्ट इसके मालिक श्री गुरुचरन सिंह को तथा 30 स्प्रिंग रायफल के 7 कारतूस तथा चार्जर सहित एक बैग इनके मालिक हरबंश सिंह को अन्तिम रूप से नहीं अपितु सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ वापिस किये गये थे कि उक्त सामान न्यायालय अथवा पुलिस के तलब करने पर प्रस्तुत करेंगे। मामले की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

थानाध्यक्ष श्री बलबीर सिंह, थाना अफजलगढ़, बिजनौर द्वारा सुपुर्दगी में दी गयी कारतूस व रायफल तथा पंजीकृत अभियोग की सी० आई० डी० द्वारा जांच

27—**श्री श्याम सिंह**—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष श्री बलबीर सिंह थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ने अपराध संख्या 44 धारा 307 आई० पी० सी० में जमा एक 30 कारबाईन राइफल मय 7 कारतूस मय चार्जर भरे हुए बिना किसी न्यायालय के आदेश के व्यक्ति को दे दी ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

थानाध्यक्ष श्री बलबीर सिंह, थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर द्वारा एक 30 स्प्रिंग रायफल तथा चार्जर सहित सात कारतूस इसके लाईसेन्सी श्री हरबंश सिंह को अन्तिम रूप से नहीं अपितु इनके सुपुर्दगी में दी गयी थी। उक्त रायफल का सम्बन्ध अ० सं०–44 धारा 307 भा० द० वि० से नहीं है अपितु वह चौकी अफजलगढ़ के एक हेड कान्सटेबुल को कस्बा अफजलगढ़ की सीमा के अन्तर्गत एक गड्ढे में लावारिस पड़ी मिली थी। इस सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

श्री अफसर खां, निवासी पुरवादल, जनपद इटावा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु तथा आश्रितों को क्षतिपूर्ति मुआवजा

28—**श्री धनीराम वर्मा**—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री अफसर खां निवासी पुरवादल, तहसील विधूना जनपद इटावा गांधी आश्रम मेरठ में कुम्हारी कला विभाग में मजदूर था और गांधी आश्रम मेरठ के निकट ही 11 नवम्बर, 1981 को सरकारी बस से दब कर मृत्यु हो गयी थी जिसकी रिपोर्ट 279/304 धारा में थाना सिविल लाइन मेरठ में 12-11-81 को करायी गयी थी जिसका इल्जाम संख्या 835 है ? यदि हाँ, तो आज तक क्या कार्यवाही हुई ? और स्वर्गीय अफसर खां की बेवा पत्नी शहीदन व उसके दो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के गुजारा हेतु पेंशन अथवा क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्री अफसर खां निवासी पुरवादल, विधुना जनपद इटावा क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम मेरठ में कुम्हारी कला विभाग में मजदूर थे तथा उनकी मृत्यु दिनांक 11 नवम्बर, 1981

को क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम मेरठ के परिसर के बाहर एक सड़क दुर्घटना में हो गई। क्षतिपूर्ति का दावा मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 110 ए के अन्तर्गत गठित मोटर दुर्घटना संबंधी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 10 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दावा कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यह दावे प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अभी तक स्वर्गीय श्री अफसर खां की विधवा पत्नी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त हो सकी है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति तथा सेवा अनुबन्ध की शर्तें

29—श्री हरीकिशन श्रीवास्तव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा नये अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षरित सेवा अनुबन्ध में ऐसी धारा थी कि यदि किसी कारणवश अनुबन्ध की अवधि पूरी होने से पहले अध्यक्ष की सेवाएं समाप्त की जाती हैं तो अनुबन्ध के अनुसार शेष अवधि का वेतन विद्युत परिषद द्वारा अध्यक्ष को देना होगा ? इस प्रकार की अन्य धाराएं इस अनुबन्ध में अध्यक्ष के अनुकूल हस्ताक्षरित की गयी हैं परन्तु अध्यक्ष की ओर से अपेक्षित कार्य क्षमता का कोई भी आश्वासन किसी भी धारा में इस अनुबन्ध में नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या मुख्य मन्त्री जी इस अनुबन्ध की एक प्रति सदन में प्रस्तुत करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

राज्य विद्युत परिषद के वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति 22-10-81 से 3 साल की अवधि के लिये की गई है। उनके साथ हुए सेवा अनुबन्ध के अनुसार अनुबन्ध की अवधि पूरी होने से पहले अध्यक्ष की सेवा समाप्त होने की दशा में केवल 3 महीने का वेतन दिया जायगा। (शेष अवधि के लिये नहीं) अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना जनहित में न होगा।

श्री प्रेम बिहारी लाल, श्रम निरीक्षक, मुरादाबाद की गिरफ्तारी एवं निलम्बन

30—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री को विदित है कि दिनांक 30 जून, 1982 को लेबर इन्सपेक्टर मुरादाबाद (श्री प्रेम बिहारी लाल) को उनके ही कार्यालय में एक स्त्री के साथ रंगरेलियां मनाते हुए पुलिस द्वारा पकड़ कर जेल भेजा गया ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। श्री प्रेम बिहारी लाल श्रम निरीक्षक, मुरादाबाद को दिनांक 30-6-82 को सुनीता पुत्री बेगम नामक वैश्या के साथ अवैध शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करते हुए अपराध संख्या 253/82, धारा 5 वैश्यावृति उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उन्हें उसी तिथि से निलम्बित कर दिया गया था। विवेचना के उपरान्त उनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

31—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा
श्री वीरेन्द्र प्रसाद शाही—

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नसरतपुर, गाजियाबाद की पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र की अपराध अनुसंधान विभाग की जांच

32—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित भाजपा गाजियाबाद के अध्यक्ष का होली के दिन नसरतपुर गाजियाबाद से 3 हरिजन नाबालिग लड़कियों के अपहरण पर पुलिस की अक्षमता के विरुद्ध घंटाघर पर धरना विषयक कोई शिकायती-पत्र 15 अप्रैल, 1982 के आस पास उन्हें मिला ? यदि हां, तो उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गयी है ।

उ० प्र० चीनी मिल मजदूर संघ, देवरिया चीनी मिल के ज्ञापन में उल्लिखित मांगें तथा कृत कार्यवाही

33—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जुलाई, 1982 के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में कोई ज्ञापन उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघ देवरिया चीनी मिल, देवरिया का प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या मांगें थीं तथा शासन द्वारा अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूर संघ देवरिया चीनी मिल देवरिया का जुलाई 1982 के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ । क्षेत्रीय श्रम कार्यालय गोरखपुर द्वारा दिनाँक 5-7-82 के ज्ञापन की एक प्रति संघ से प्राप्त की गई ।

उपरोक्त ज्ञापन में उल्लिखित भागों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ पर)

डा० पन्नालाल शर्मा, भूतपूर्व सदस्य नगरपालिका की धर्मपत्नी के लापता होने की दर्ज रिपोर्ट

34—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० पन्नालाल शर्मा भूतपूर्व सदस्य नगरपालिका की धर्मपत्नी के दिनाँक 16-5-82 से लापता होने के बारे में थाना सहारनपुर

में इसकी कोई रपट लिखाई गई है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

पुलिस द्वारा दरियाफ्तहाल जारी करके विवेचना की गयी । पुलिस के भरसक प्रयासों के बाद भी डा० पन्नालाल शर्मा की पत्नी का कोई पता नहीं लगा सका । अतः दरियाफ्तहाल विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा लघु ऊर्जा संयंत्रों का विक्रय

35—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा लगभग 10 लघु ऊर्जा संयंत्रों को बेचा गया ? यदि हां, तो बिक्री की क्या प्रक्रिया तय की गयी तथा कौन कौन संयंत्र किस-किस व्यक्ति अथवा संस्थान को कितने रुपये में किन शर्तों के साथ बेचे गये हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा वर्ष 1981 में कोई भी लघु ऊर्जा संयंत्र नहीं बेचा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सिविल (जुडिशियल) सेवा परीक्षा, 1979 का घोषित परीक्षाफल

36—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979 में पी०सी०एस० (जे०) (मुन्सिफ) की जो लिखित परीक्षा तथा इसी क्रम में वर्ष 1980 में साक्षात्कार हुआ था उसका पूर्ण परीक्षाफल अब तक घोषित न किये जाने का क्या कारण है ? परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश सिविल (जुडिशियल) सेवा परीक्षा 1979 का परीक्षाफल लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित किया चुका है ।

उक्त परीक्षा के आधार पर सफल घोषित 96 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल लोक सेवा आयोग की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20-10-1980, एक अभ्यर्थी का परीक्षाफल दिनांक 5-12-1980 तथा एक अन्य अभ्यर्थी का परीक्षाफल दिनांक 24-10-81 के अन्तर्गत घोषित किया गया है ।

श्री सूरजभान सिंह की थाना अलापुर की पुलिस में हुई मुठभेड़ में मृत्यु

37—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि श्रीमती मुन्नी देवी विधवा श्री सूरजभान सिंह, ग्राम सरकी, थाना कादर चौक जिला बदायूं का दिनांक 14 अप्रैल, 81 को कोई शिकायत-पत्र मा० गृह राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को इस आशय का प्राप्त हुआ कि बदायूँ पुलिस ने उनके पति श्री सूरजभान सिंह को फर्जी पुलिस मुठभेड़ दिखाकर उस की हत्या कर दी थी ? यदि हां, तो उसमें शासन ने अब तक (दिनांक जुलाई, 1981) तक क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। इसी आशय का प्रार्थिनी का एक और शिकायती-पत्र दिनांकित 24-1-81 प्राप्त हुआ था जिस पर प्रारम्भिक जाँच की गई थी। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनाँक 8/9-10-80 को श्री सूरजभान सिंह को थाना अलापुर की पुलिस से हुई मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी। इसलिए प्रार्थिनी के उसी आशय के प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-4-81 पर पुनः जाँच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई। मामले की मजिस्टेरियल जाँच हो रही है।

श्री बद्री प्रसाद, निवासी मौहल्ला साहूकारा की गिरफ्तारी एवं निरपराध पीटे जाने से दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

38—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 14, 15 मार्च, 1981 को बरेली के मौहल्ला साहुकारा के एक नागरिक श्री बद्री प्रसाद को पुलिस ने थाने ले जाकर बुरी तरह पीटा तथा बिजली के शाक लगाये जिससे उसको शारीरिक क्षति हुई ? यदि हां, तो बद्री प्रसाद के क्या दोष थे ? यदि नहीं, तो फिर पुलिस द्वारा क्यों पीटा गया और यदि निरापराध पीटा गया तो दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री लेखराज पुत्र धर्मदास, निवासी मौहल्ला बाकरगंज, थाना किला, बरेली ने अपने पुत्र नेमचन्द की गुमशुदगी की सूचना दिनांक 26-2-82 को थाना किला पर दर्ज कराई थी जिसके आधार पर थाना किला, बरेली पर दरयाफ्त हाल केस कायम हुआ था जिसकी जाँच के दौरान यह विदित हुआ कि गुमशुदा लड़का नेमचन्द्र के बारे में पूरी जानकारी बद्री प्रसाद, निवासी मौहल्ला साहूकारा को है और उसी ने इस लड़के को गायब किया है। इस सूचना के आधार पर दिनाँक 14/15 मार्च, 1981 को बद्री प्रसाद को गिरफ्तार करके थाना लाया गया और पूछताछ के दौरान उसे मारा पीटा गया। श्री बद्री प्रसाद को बिजली के शाक नहीं लगाये गये थे। इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये सब इन्सपेक्टर श्री आर०डी० त्यागी को लाइन हाजिर कर दिया गया और उनकी चरित्र पंजिका में एक दुश्चरित्र लेख की प्रविष्टि की गई।

लेबर कालोनी कलक्टरगंज, बरेली में मजदूरों को क्वार्टर एलाट किये जाने के संबंध में कार्यवाही

39—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री डी० के० शर्मा बरेली द्वारा हस्ताक्षरित कोई इस आशय का मांग पत्र दिनांक 24-8-82 के आस पास किसी दिन उन्हें मिला कि बरेली स्थित लेबर कालोनी कलक्टरगंज बरेली में रहने वाले मजदूरों को जिस क्वार्टर में वह रह रहे हैं उन्हीं के नाम एलाट कर दिये जायें ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हाँ, किन्तु शासकीय आदेश दिनांक अप्रैल 15, 1978 के अनुसार अवैध अनाधिकृत अध्यासियों का नियमन 31 मार्च, 1979 के पश्चात् सर्वथा बन्द है। अतः सम्बन्धित अनधिकृत अध्यासियों के पक्ष में गृहों का नियमन किया जाना संभव नहीं है।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर के आपातकालीन कक्ष में घुस कर मारपीट की घटना की मैजिस्टीरियल जांच

40—राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि बी० आर० डी० मेडिकल कालेज कर्मचारी संघ गोरखपुर का दिनांक 22-6-82 को गुलरिया पुलिस द्वारा मेडिकल कालेज गोरखपुर के आपातकालीन कक्ष में घुस कर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारियों को बुरी तरह मारने पीटने की शिकायत के संबंध में पत्र 6-8-82 के आस पास किसी दिन उन्हें मिला ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराई गयी और शासन ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

पत्र में उल्लिखित शिकायत की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा नहीं कराई गई है, अपितु दिनाँक 22-6-82 को मेडिकल कालेज, गोरखपुर में घटित सम्पूर्ण घटना की मैजिस्टीरियल जाँच सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है, जो अभी प्रचलित है।

शीश महल फाइनेन्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लि० अलीगढ़ ब्रांच में जनता के धन के गबन के आरोपों की जांच

41—श्री कुबेर भंडारी तथा
श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शीश महल फाइनेन्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लि० अलीगढ़ ब्राँच में जनता के धन के गबन के संबंध में दिनांक 12-4-78 को कम्पनी के प्रबन्ध संचालक एवं अन्य तीन कर्मचारियों को धारा 406,420,467,468 में बन्नादेवी थाने में बन्द कर दिया गया था और कम्पनी के कार्यालय को सील कर दिया गया था ? यदि हाँ, तो इस कम्पनी के कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए और उनके प्रति क्या कार्यवाही हुई और जनता का पैसा इन लोगों से कब तक वापस करा दिया जाएगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-4-78 को जनता के कतिपय व्यक्तियों, जिसमें श्री कृष्ण कुमार गुप्ता भी सम्मिलित थे, के द्वारा शीशमहल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, प्रा० लि०, अलीगढ़ ब्रांच के सुशील बाबू गुप्ता, निरमल कुमार, मुकेश कुमार तथा अवधेश चन्द पाण्डे को थाना बन्नादेवी पर पकड़ कर लाया गया। श्रीकृष्ण कुमार गुप्ता की लिखित सूचना पर इन व्यक्तियों के विरुद्ध जाली संस्था बनाकर धोखाधड़ी आदि के आरोपों के संबंध में उक्त थाने पर अ० सं० 204/78, अन्तर्गत धारा 420/406/467 468 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ। उपरोक्त चारों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर थाने की हवालात में बंद किया गया और दिनाँक 13-4-78 को जेल भेजा गया।

पुलिस द्वारा कम्पनी का कार्यालय सील नहीं किया गया था बल्कि विवेचना से संबंधित सामान कब्जे में लेकर सील किया गया था।

अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में दिनाँक 31-7-78 को प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। जनता के पैसे की वापसी का मामला न्यायालय से ही निस्तारित होगा।

इन्द्रा नगर के अध्यासियों द्वारा उनके आवास की किश्तों का गृह निर्माण अग्रिम से समायोजन की मांग

42—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज० कालोनी इन्द्रा नगर के अध्यासियों ने अपने पत्र में उनके नाम आवंटित आवास हायर परचेज पर दिये जाने की स्थिति में आवास का किश्तों का भुगतान उन्हें देय गृह निर्माण अग्रिम (हाउस बिल्डिंग एडवान्स) से समायोजित कर लिये जाने का अनुरोध किया था? यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्या कठिनाई है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। इन्दिरा नगर कालोनी के केवल सेक्टर–4 स्थित राजकीय आवासों के अध्यासियों ने यह अनुरोध किया था।

जी नहीं।

शासन की नीति अधिकारियों/ कर्मचारियों को किराये पर आवास देने की है, न कि हायर परचेज पर आवास उपलब्ध कराये जाने की। अध्यासियों को उनके नाम आवंटित आवास हायर परचेज पर दिये जाने से शासन द्वारा अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था सम्भव न हो सकेगी।

थाना परौर में इकबाल, इरशाद व इसरार पुत्रगण यासीन खां के विरुद्ध पंजीकृत अपराध

43—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री साधू उर्फ इरशाद पुत्र तसब्बर व अख्तर खां पुत्र लाल खां निवासी मई खुर्द कलां द्वारा निम्न मुलजिमानों इकबाल, इरशाद व इसरार पुत्रगण यासीन खाँ के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दिनांक 2-6-82 को थानों परौर

जिला शाहजहाँपुर में मु० नं० 53 धारा 307/109 आई० पी० सी० के अन्तर्गत दर्ज करायी ? यदि हाँ, तो उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र —

प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री अख्तर हुसेन खाँ पुत्र श्री लाल खाँ निवासी मई खुर्द, कलां, थाना परौर, जिला शाहजहाँपुर की लिखित सूचना पर थाना परौर में दिनाँक 2-6-82 को इकबाल, इरशाद व इसरार पुत्रगण यासीन खाँ के विरुद्ध अपराध संख्या 53 धारा 307/109 भा० दं० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। विवेचना से मामला झूठा पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है।

जनपद शाहजहांपुर में थर्मल पावर स्टेशन बनाये जाने की योजना

44—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर थर्मल पावर स्टेशन बनाये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उसे लागू करने में विलम्ब का क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा अप्रैल 1980 में शाहजहाँपुर जनपद में प्रस्तावित 2×210 मेगावट "रोजा तापीय परियोजना" का प्राकलन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा योजना आयोग भारत सरकार को तकनीकी एवं आर्थिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त स्वीकृतियाँ प्राप्त होने पर ही परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया जाना संभव होगा।

महाराजगंज शंकरपुर मार्ग के निर्माण में व्यय

45— श्री पंचानन राय—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराजगंज शंकरपुर मार्ग के निर्माण में कुल कितनी धनराशि वर्ष 1981-82 में व्यय हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी —

महाराजगंज-शंकरपुर मार्ग के निर्माण कार्य पर वर्ष 1981-82 में कुल रु० 1,88,012 व्यय हुआ है।

महाराजगंज-राजे सुल्तानपुर मार्ग पर व्यय

46—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित आतारांकित प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि महाराजगंज राजे सुल्तानपुर मार्ग पर वर्ष 78 से 81 तक प्रतिवर्ष अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

महाराजगंज-राजे सुल्तानपुर मार्ग पर आयोजनागंत मद में वर्ष 78 से 81 तक व्यय की गई धनराशि निम्न प्रकार है:—

वर्ष	व्यय रु० में
78-79	25079=00
79-80	43905=00
80-81	1,59417=00

सूचना केन्द्रों की लाइब्रेरियों हेतु उर्दू पुस्तकों का क्रय

47—**श्री रियासत हुसैन—**

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सूचना केन्द्रों की लाइब्रेरियों के लिए वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में कितने रुपये की उर्दू की किताबें खरीदी गयीं और किस-किस लाइब्रेरी के लिए कितने-कितने रुपये की ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1980-81 में रु० 6,427-60 पैसे के मूल्य की 468 उर्दू पुस्तकें क्रय की गई थीं। इनमें से रु० 6,298/- के लागत की 456 पुस्तकें राज्य सूचना केन्द्र, लखनऊ के लिये थीं तथा शेष 12 पुस्तकें (1) बरेली, (2) बाराबंकी (3) रामपुर (4) मुरादाबाद, (5) बहराइच, (6) बस्ती, (7) बिजनौर, (8) गोंडा, (9) मुजफ्फरनगर (10) पीलीभीत, (11) सहारनपुर तथा (12) मेरठ में स्थित सूचना केन्द्रों के लिये। जिला स्तर के इन बारह सूचना केन्द्रों के लिए वस्तुतः एक ही पुस्तक की 12 प्रतियां खरीदी गई थीं—कुल रु० 129-60 की लागत पर।

वर्ष 1981-82 में उर्दू भाषा की कोई पुस्तक नहीं खरीदी गई।

जनपद मुरादाबाद में पुलिस और डाकुओं के मध्य मुठभेड़ में मारे गये लोग तथा उनका अपराधिक इतिहास

48—**श्री रियासत हुसैन—**

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में माह अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1981 में कौन-कौन लोग पुलिस की मुठभेड़ (इनकाउण्टर) में मारे गये और उनकी क्रिमनल हिस्ट्री क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मुरादाबाद में माह अक्टूबर, 1981 में 4 डकैत, बेग सिंह उर्फ बेगा, लखपत उर्फ लखपट उर्फ गटुआ, हरपाल सिंह और राम सिंह तथा माह दिसम्बर, 1981 में 4 डकैत दो का नाम पता अज्ञात और 2 डकैत फूल सिंह और

रमेश पुलिस मुठभेड़ में मारे गये हैं। मृतक एवं ज्ञात 6 डकैतों का अपराधिक इतिहास संलग्न है।

2—माह नवम्बर, 1981 में पुलिस और डाकुओं के मध्य कोई मुठभेड़ ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डकैत मारा गया हो।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ.....पर।)

मेरठ व दिल्ली की पुलिस द्वारा चोरी हुई स्कूटर की बरामदगी

49—**श्री रियासत हुसैन—**

क्या मुख्य मंत्री को यह विदित है कि दिनांक 27-12-81 को ग्राम अक्का डिलारी, थाना मूण्डा, जिला मुरादाबाद में तीन चोरी के स्कूटर मेरठ तथा दिल्ली की पुलिस ने पकड़े ? यदि हां, तो उन स्कूटरों की चोरी के सम्बन्ध में किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मेरठ की पुलिस द्वारा दिनांक 27-12-81 को गुफरान मिस्त्री, निवासी मेरठ की निशानदेही पर ग्राम अक्का डिलारी, थाना मूण्डा पांडे, जिला मुरादाबाद से एक स्कूटर तथा मोहल्ला खालसा, जिला मुरादाबाद से एक अन्य स्कूटर अर्थात् जनपद मुरादाबाद से दो स्कूटर बरामद किये गये तथा एक मोटर साइकिल मेरठ से बरामद हुई थी। इस संबंध में अभियुक्त गुफरान मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया तथा दो व्यक्ति कुबेर सिंह पुत्र कुँवर सेन मोहल्ला खालसा मुरादाबाद और श्योनाथ सिंह पुत्र खूब सिंह निवासी अक्का डिलारी, जिला मुरादाबाद को मुचलके पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा स्कूटर की कोई बरामदगी उक्त स्थान से नहीं की गई है।

श्री एस० के० शर्मा, एस०आई०थाना बछरांवा, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध कार्यवाही

50—**श्री रियासत हुसैन—**

क्या मुख्य मंत्री को विदित है कि श्री एम० के० शर्मा एस० आई० थाना बछरांवा, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध जब वह थाना हयातनगर, जिला मुरादाबाद में थे तो 302 का मुकदमा कायम हुआ था और जब थाना भगतपुर व थाना बछरांवा, जिला मुरादाबाद में गये तब उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की इन्क्वायरी हुई थी ? क्या यह सच है कि वह सन् 1970 में आगरा के मेन्टलहास्पिटल में भी रह चुके हैं ? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री एस० के० शर्मा नामक कोई एस० आई० जनपद मुरादाबाद में थाना बछरायूँ में कभी तैनात नहीं रहा बल्कि श्री एन० के० शर्मा नामक एस० आई० जनपद मुरादाबाद के थाना बछरायूँ में तैनात थे। श्री एन. के. शर्मा जब थाना हयातनगर में तैनात थे तो इनके विरुद्ध भा. द. वि. की धारा 202 के अन्तर्गत कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। थाना भगतपुर एवं थाना बछरायूँ में उनकी नियुक्ति की अवधि में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो जांच कराये जाने पर निराधार पायी

गई अतः इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। श्री एन. के. शर्मा के वर्ष 1970 में मेंटल हास्पिटल, आगरा में दाखिल होने की कोई सूचना नहीं है।

श्री जी० बी० सिंह सी० ओ० मुरादाबाद के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच

51—**श्री रियासत हुसैन—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र श्री जी० बी० सिंह, सी० ओ०–4, मुरादाबाद की अपराधी गतिविधियों के सम्बन्ध में दिनांक 5-10-81 मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। श्री जी० बी० सिंह, क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करायी गई। जाँच से आरोप सही नहीं पाये गये।

मुरादाबाद में एस० पी० ओ० की नियुक्ति तथा उनके कार्यकलापों के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

52—**श्री रियासत हुसैन—**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद में एस० एस० पी० द्वारा एस० पी० ओ० की नियुक्तियाँ तथा उनके कार्यकलापों के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता का 13 अगस्त, 1980 के बाद उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मुरादाबाद में एस० पी० ओ० के पद पर की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 3-5-82 शासन को प्राप्त हुआ किन्तु उसके पूर्व ही प्रश्नगत एस०पी०ओ० को हटाने के आदेश 23 फरवरी, 1982 को निर्गत किये जा चुके थे, अतएव संदर्भित पत्र पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठा।

सूचना विभाग द्वारा प्रदेश से छपने वाले उर्दू दैनिक व साप्ताहिक पत्रों को दिए गए विज्ञापन और उनके मूल्य

53—**श्री रियासत हुसैन—**

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में उत्तर प्रदेश से छपने वाले किस-किस उर्दू डेली तथा साप्ताहिक समाचार पत्रों को सूचना विभाग की तरफ से इश्तहार दिये गये और कितने-कितने रुपये के दिये गये ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ड०" आगे पृष्ठ पर।)

जनपद जौनपुर के मडियाहूँ फीडर के अन्तर्गत चढ़ई ग्राम का क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर के बदले जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

54—**श्री प्रभू नारायण सिंह—**

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के मडियाहूँ फीडर के अन्तर्गत चढ़ए ग्राम का ट्रांसफार्मर माह मार्च 82 से अगस्त 1982 तक जल जाने के कारण विद्युत आपूर्ति न कर सका ? क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम के उपभोक्ताओं द्वारा बार-बार प्रार्थना-पत्र देने पर भी ट्रांसफार्मर नहीं बनाया गया और फसल सूख गई ? यदि हाँ, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और किसानों को राहत पहुँचायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद जौनपुर के मडियाहूँ फीडर के अन्तर्गत चढ़ई ग्राम का ट्रान्सफार्मर दिनांक 27 जून 1982 को जल गया था जिसके स्थान पर दूसरा ट्रान्सफार्मर दिनांक 19 अक्टूबर, 1982 को लगाया गया । उक्त जले हुए ट्रान्सफार्मर के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं का प्रार्थना-पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1982 को प्राप्त हुआ । क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर बदला जा चुका है । जले ट्रान्सफार्मर को बदलने में हुई देरी की जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा दोषी पाये जाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं ।

फैजाबाद में जहांगीरगंज से कमहारिया घाट तक पीच रोड बनाने के सम्बन्ध में ज्ञापन

55—**श्री अनवार खाँ—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद में जहांगीरगंज से कमहारिया घाट तक पीच रोड बनाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिनांक 31-12-1981 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या आरोप लगाये गये हैं तथा सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद में सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धन

56—**श्री रमाकान्त मिश्रा—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में 1981-82 में राज्य सरकार द्वारा किन-किन सड़कों के लिए कितना-कितना धन स्वीकृति किया गया था ? क्या वे स्वीकृत सड़कें बन गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1981-82 में जनपद इलाहाबाद में संलग्न सूची में उल्लिखित मार्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि दी गई थी ।

धनाभाव के कारण सभी सड़कें नहीं बन पायी हैं ।

छापी नहीं गयी ।

गाजीपुर में मत्स्य जीवी परिवारों को सुविधा

57—**श्री राम नरायन एडवोकेट तथा**
श्री यदुनाथ सिंह—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में मत्सत्य विभाग द्वारा आज से विगत 5 वर्षों में कितने मत्सस्यजीवी परिवारों को क्या सुविधा दी गई तथा उसका विवरण क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री—

गाजीपुर जनपद में मत्स्य विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में मछुआ परिवार के 54 सदस्यों को मत्स्य पालन का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत गठित मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से तालाब सुधार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव तैयार करके बैंकों को प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

मत्स्य विभाग में अवर अभियन्ताओं के पद हेतु साक्षात्कार एवं नियुक्ति

58—**श्री सन्त बक्स रावत—**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत मत्स्य विभाग में अवर अभियन्ताओं के पद का दिनांक 27-8-82 को साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो उसमें कितने-कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया ? क्या उक्त पद पर 71 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया है ? 74 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, जनपद उन्नाव में मत्स्य पालक विकास अभिकरण में अवर अभियन्ता के पद के लिये दिनांक 27-8-82 को साक्षात्कार हुआ था जिसमें 74 प्रतिशत, 71.1 प्रतिशत तथा 67 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तीन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया। उनमें से 71.1 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन गुणावगुण के आधार पर चयन समिति द्वारा किया गया। 74 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी वर्ष 1981 में उत्तीर्ण हैं और उन्हें कोई क्रियात्मक अनुभव नहीं है जबकि चयनित अभ्यर्थी वर्ष 1979 में उत्तीर्ण हैं, उन्हें क्रियात्मक अनुभव है तथा वह पिछडी जाति के हैं।

ग्राम कुआहाटा, थाना उस्का बाजार, जनपद बस्ती में डकैती संबंधित पत्र की जाँच

59—**श्री पंचानन राय—**

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी, जांच से पूर्व क्या प्रश्नकर्त्ता को शिकायतों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जाँच क्षेत्राधिकारी, हर्रैया, जनपद बस्ती द्वारा की गई। जाँच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्त्ता से पूछताछ करना आवश्यक नहीं समझा गया।

महाराजगंज-राजे सुल्तानपुर मार्ग पर तथा जनपद आजमगढ़ के रखरखाव पर हुआ व्यय

60—**श्री पंचानन राय—**

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के उत्तर के संदर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित कार्य में कितनी धनराशि व्यय हुई ? और आजमगढ़ जनपद के लिए रख रखाव के मद में कुल कितना धन स्वीकृत हुआ था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

महाराजगंज-राजे सुल्तानपुर मार्ग पर छोटी सरजू नदी पर अस्थायी क्रासिंग के कार्य पर रु० 6408-00 व्यय हुआ। आजमगढ़ जनपद के लिये रखरखाव पर रु० 87-86 लाख स्वीकृत हुआ था।

श्री शिव प्रसाद मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के विरुद्ध जांच

61—**श्री पंचानन राय—**

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई है और उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जाँच रिपोर्ट राज्य विद्युत परिषद को जून, 1981 में प्राप्त हुई है। जाँच रिपोर्ट में लेखा-जोखा (रिकार्ड) को नियमित रूप से न रखना, फर्जी भुगतान करना, अपंजीकृत फर्मों को आर्डर देना, तथा कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, आदि मुख्य बिन्दु हैं। जांच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

बस्ती जनपद में सुवांव नाले पर बने पुल को पथकर से मुक्त घोषित करने की मांग

62—**श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—**

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत सवांव नाले पर बने हुए सेतु का लागत धन वर्ष 80-81 में पूरा हो चुका है और उसकी वसूली की जा चुकी है ? यदि हां, तो उसे अब तक कर मुक्त क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार उसे कर मुक्त करने की घोषणा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न गत पुल की कुल लागत, लागत पर ब्याज, पथकर की वसूली और पुल के रखरखाव पर हुआ व्यय, पूर्ण रूप से पथकर के रूप में वसूल नहीं हुआ है, और न ही पुल पर पथकर वसूली शुरू हुए इतना अरसा गुजरा है कि नियमानुसार पुल को पथकर से मुक्त किया जा सके। अतएव पुल को पथकर से मुक्त घोषित करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

थाना त्रिलोकपुर, ग्राम वेलवा में संयुक्त खाते के पेड़ काटने पर जुर्माना तथा दायर किया मुकदमा

63—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के थाना त्रिलोकपुर के अन्तर्गत ग्राम वेलवा में हरीराम सोनार आदि पर जनवरी, 82 में संयुक्त खाते के पेड़ काटने पर दफा 379 का मुकदमा कायम हुआ जबकि जंगल विभाग पहले ही इन लोगों पर 300 रु० जुर्माना करके वसूल चुका था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इन पर मुकदमा कायम किया गया और इन्हें गिरफ्तार किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूजना एकत्रित की जा रही है।

जनपद बस्ती के मोहाना थाने की पुलिस के जुर्म के विरोध में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर कृत कार्यवाही

64—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के मोहाना थाने की पुलिस और उनके गुण्डों के जुर्म के विरोध में वहां कार्यकर्त्ताओं जिसमें नसी बदार बेखुद हरिश्चन्द्र शहाबुद्दीन, भगौती, रामचन्द्र गुप्ता, शहाबुद्दीन जोकूराम विश्वकर्मा, मोहम्मद मुसता, मो० मुस्लिम, बाबूराम, गुषिवान सम्मिलित हैं ने डी०आई०जी०/गोरखपुर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा 6-1-82, 9-12-81, 26-1-82, 5-2-82, 6-2-82 तथा पुलिस अधीक्षक, बस्ती को रजिस्टर्ड एवं तार द्वारा 22-12-81, 16-12-81, 5-10-81, 15-12-81 20-12-81, 12-12-81, 20-12-81 को भेजा है ? यदि हां, तो अब तक कितनी दरख्वास्तों की जांच कराई गयी है ? तथा प्रत्येक की जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों क खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्रों में से केवल दो प्रार्थना-पत्र ही प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक दिनांकित 6-1-82 श्री मोहम्मद नसीब बेखुद का था जो उप पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर को सम्बोधित था तथा दूसरा दिनांकित 20-12-81 श्री मुहम्मद मुस्लिम का था जो पुलिस अधीक्षक बस्ती को सम्बोधित था। श्री मु० नसीब बेखुद के प्रार्थना-पत्र पर जांचोपरान्त तीन सिपाहियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार का आरोप प्रमाणित हुआ जिसके आधार पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। श्री मुहम्मद मुस्लिम के प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

जनता पार्टी, फैजाबाद द्वारा मांगों को लेकर अनशन तथा आवश्यक कार्यवाही

65—श्री रियासत हुसेन—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में दिनांक 2-3-81 को दिन में 12 बजे से कचहरी परिसर में जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के सामने जनता पार्टी, फैजाबाद द्वारा मांगों को लेकर 24 घंटे का प्रतीक अनशन आयोजित किया गया था और समाप्ति पर जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया है उसमें जिला प्रशासन पर राजनैतिक दबाव वश अपराधियों को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्त्ता अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रतीक अनशन पर बैठे थे और ज्ञापन दिया था । ज्ञापन में अंकित मांगे सामान्य तथा सुझावात्मक थी । अतः जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञापन की प्रतियां संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं ।

वन निगम में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किश्तों का भुगतान

66—श्रीमती गौरी देवी—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन निगम में सीधे भर्ती होने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की 7 किश्तों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? इसका कारण क्या है और कब तक भुगतान किया जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश वन निगम में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की सभी किश्तों का भुगतान कर दिया गया है ।

बलिया जनपद में घाघरा नदी पर माझी पुल निर्माण की योजना

67—श्री मती गौरीदेवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में घाघरा नदी पर माझी पुल निर्माण की योजना वर्ष 1978 से प्रस्तावित है ? क्या यह भी सच है कि इस पुल का शिलान्यास स्व० जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्ष 1978 में किया गया था ? यदि हाँ, तो इस माझी पुल के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण था और इस पर होने वाला कुल अनुमानित लागत क्या है और इसे कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ ।

जी नहीं ।

पुल अभी स्वीकृत नहीं है । पुल की अनुमानित लागत लगभग 7 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है । पूरा करने के लक्ष्य का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

गृह विभाग में संयुक्त सचिव पद पर आई० पी० एस० अधिकारी की नियुक्ति

68—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गृह विभाग में आई० पी० एस० अधिकारी को संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या जुलाई, 82 से कई माह तक संयुक्त सचिव पद पर किसी आई० पी० एस० अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण उक्त पद रिक्त था ? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या था और क्या अब इस पद पर किसी आई० पी० एस० की नियुक्ति कर ली गई है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। पिछले कई वर्षों से गृह विभाग में एक आई० पी० एस० अधिकारी की संयुक्त/ उप सचिव के पद पर तैनाती होती रही है। सम्बन्धित अधिकारी के भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण उक्त पद दिनांक 7 जून, 1982 के अपरान्ह में रिक्त हुआ। उसके उपरान्त एक आई. पी. एस. अधिकारी की नियुक्ति उप सचिव, गृह विभाग, के पद पर की गयी, जिन्होंने दिनांक 15 दिसम्बर, 1982 के पूर्वान्ह में पद- भार ग्रहण कर लिया।

कोलना वाया रामपुर से केलहट मार्ग का निर्माण कार्य एवं प्रगति

69— **श्री रामचरण सिंह—**

द्वितीय सत्र 1981 के दूसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (4) चार किलोमीटर स्वीकृत मार्ग पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक पूर्ण कराया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस मार्ग पर 3.60 कि. मीं. में मिट्टी का कार्य तथा 2 कि. मी. लम्बाई में पुलिया का कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य प्रगति में है। धन की उपलब्धता पर कार्य का पूरा कराना निर्भर करेगा।

कोलना वाया रामपुर मार्ग, जनपद मिर्जापुर का निर्माण

70—**श्री रामचरण सिंह—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 19-2-82 को कोलना वाया रामपुर मार्ग जनपद मिर्जापुर का शेष 6 कि० मी० के बनवाने के सम्बन्ध में एक पत्र उन्हें लिखा था ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना मोहाना की पुलिस के जुल्म के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

71—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 7 वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 159 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री जी कृपया सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत जांच रिपोर्ट मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

थाना त्रिलोकपुर जनपद बस्ती में पंजीकृत मुकदमा एवं बन्दूक के लाइसेन्स को निरस्त करने की नोटिस

72—श्री मालिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना त्रिलोकपुर जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम बिसकोहर के पास अगस्त 1982 के अन्तिम सप्ताह में श्री भरत राम मिश्रा, सचिव साधन सहकारी समिति, विकास क्षेत्र, मनवापुर की लायसेंसी बन्दूक के गायब होने की सूचना थाना त्रिलोकपुर के थाना अध्यक्ष को प्राप्त हुई थी ? क्या उक्त बन्दूक के बारे में पुलिस अधिकारियों को यह सूचना मिली है कि वह बराबर डकैती में इस्तेमाल होती थी ? यदि हां, तो क्या लायसेंस निरस्त करके सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । इस सम्बन्ध में मुकदमा अ० सं० 75/82 धारा 457/380 भा. दं. वि. थाना त्रिलोकपुर जनपद बस्ती में पंजीकृत है । जहाँ तक प्रश्नगत बन्दूकें डकैती में इस्तेमाल होने का प्रश्न है, पुलिस की जानकारी में केवल यह बात आई थी कि बन्दूक के डकैतों के हाथ में पड़ जाने की आशंका है । लायसेन्स निरस्त करने के लिये नोटिस दी जा चुकी है ।

ग्राम बरेठी थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव में श्री शम्भू हरिजन की हत्या तथा मुल्जिमानों के असलहों का निलम्बन

73—श्री मालिक मु० कमाल युसुफ

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत माह मई, 1982 को ग्राम बरेठी थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के कुछ व्यक्तियों ने ग्राम के ही शम्भू हरिजन की हत्या कर दी थी जिसमें कुछ मुल्जिमान आर्म्स लाइसेंसदार भी हैं ? यदि हां, तो क्या उनके असलहों को निलम्बित कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 15-5-82 को श्री शम्भू हरिजन की हत्या गांव के रणवीर सिंह, गुलबीर सिंह जमुना सिंह, राम सिंह, विजय पाल, मल्खे व जुगराम द्वारा कर दी गई थी। इस संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 85/82 धारा 364 भा. दं. वि. थाना हसनगंज पर पंजीकृत हुआ जो उसी दिन शव बरामद हो जाने पर धारा 302/201/404 भा. दं. वि. में परिवर्तित किया गया। उक्त सात अभियुक्तों में से अभियुक्त रणबीर सिंह तथा मल्खे उर्फ रामस्वरूप लाइसेन्सी है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही की गई। किन्तु अभियुक्त रणबीर सिंह ने निलम्बन के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट दायर करके स्टे प्राप्त कर लिया है जिसने उसके असलहे कब्जे में नहीं लिये जा सके। अभियुक्त मल्खे उर्फ रामस्वरूप का लाइसेंस दिनांक 22-9-82 को निलम्बित किये जा चुके है।

श्री जे० एस० श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता, द्वारा सब स्टेशन खण्ड आजमगढ़ में दर्ज रिपोर्ट

74—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा,**
श्री राम गोविन्द—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि दिनांक 22 अगस्त, 82 को श्री जे० एस० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, 4 के० बी० सबस्टेशन खण्ड आजमगढ़ ने थाना कोतवाली में कोई प्रथम सूचना दर्ज कराई ? यदि हां तो वह क्या है एवं इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ।

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कोतवाली आजमगढ़ में श्री जे० एस० श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता विद्युत 400 के० वी० सब स्टेशन खण्ड आजमगढ़ द्वारा श्री डी. एन. सिंह अवर अभियन्ता मुबारकपुर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी थी। उक्त सूचना में अवर अभियन्ता श्री सिंह के विरुद्ध भा. द. वि. की धारा 452/323/307/353 के अन्तर्गत घर में घुस कर जान से मारने की नीयत से गला दबाकर मारपीट करने व सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के मुख्य आरोप लगाये गये हैं। थाना सिधारी पर मुकद्दमा कायम हुआ। विवेचनोपरांत वादी के कथन की पुष्टि में कोई लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य न मिलने के कारण उक्त अभियोग में दिनांक 26-9-82 को अन्तिम रिपोट लगा दी गयी।

75—**श्री जर्नादन प्रसाद ओझा,**
श्री राम गोविन्द—

[—स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

राजगढ़ शाहगंज मार्ग, जिला मिर्जापुर में ली गयी भूमि के मुआवजे के भुगतान

76—**श्री राम चरण सिंह—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 2-5-82 को रायगढ़ शाहगंज मार्ग जनपद मिर्जापुर में ली गयी भूमि के मुआवजे

के भुगतान के सम्बन्ध में लिखा था। यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नकर्त्ता द्वारा राजगढ़ शाहगंज मार्ग, जिला मिर्जापुर में ली गयी भूमि के मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 1-5-82 को लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ था। प्रश्नगत मार्ग के मामले में धारा-4 की विज्ञप्ति राजकीय गजट में दिनाँक 7-11-1981 को प्रकाशित हो चुकी है तथा धारा 6 की विज्ञप्ति के प्रकाशन के बाद प्रतिकर वितरण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी द्वारा की जायेगी। वैसे प्रतिकर बाँटे जाने के लिये बैंक ड्राफ्ट द्वारा रु० 3-50 लाख की धनराशि दिनांक 24-2-82 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी को भेजी जा चुकी है।

नारायनपुर बाजार त्रिमोनी जनपद मिर्जापुर में सरदार पटेल की प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

77--**श्री रामचरण सिंह—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नारायनपुर बाजार त्रिमोनी जनपद मिर्जापुर में सरदार पटेल की प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15 मार्च, 1982 को प्रश्नकर्त्ता ने उन्हें पत्र लिखा था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त उक्त पत्र में किया गया अनुरोध अस्वीकार कर दिया है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

78—**श्री रामचरण सिंह—**

[चौथे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

खैरपुर ग्राम में दुहनिया नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

79—**श्री राम चरण सिंह—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 2-5-1982 को एक पत्र खैरपुर ग्राम में दुहनियाँ (गरैई) नदी पर जनपद मिर्जापुर में पुल बनवाने के सम्बन्ध में उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार यह जिला सेक्टर का कार्य होने के कारण जिला स्तर पर विचार होना है ।

सचिवालय सेवा में संयुक्त सचिव, उप सचिव व अनुसचिव के रिक्त पद

80—**श्री रामचरण सिंह—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय सेवा में संयुक्त सचिव, उप सचिव, व अनुसचिव के कितने पद-23-9-82 को रिक्त हैं तथा ये कब तक भरे जायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 23-9-1982 को सचिवालय सेवा में संयुक्त सचिव, उप सचिव व अनु सचिव के क्रमशः 1,4, व 7 पद रिक्त थे जिनको भरा जा चुका है ।

कोफियार व सुकुल बाजार विकास खण्डों में पशु चिकित्सालय

81—**श्री रमाकान्त मिश्रा—**

क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि इलाहाबाद में (कोफियारा) तथा सुल्तानपुर में (सुकुल बाजार) नामक दो नए विकास खण्ड 1981 में खोले गये थे जिनमें पशु चिकित्सालय भी स्वीकृत हुए हैं किन्तु वित्तीय स्वीकृति न होने से निर्माण कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हाँ, तो इन चिकित्सालयों को धन आवंटित करके कब तक निर्मित कराया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हाँ । वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला योजना के अन्तर्गत इन पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण सम्भव नहीं है । भवनों का निर्माण कार्य जिला योजना में धन उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा ।

प्रदेश में सड़कों के निर्माण की सूची

82—**श्री हुकुम सिंह—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि माह जुलाई एवं अगस्त, 1982 में प्रदेश में सड़कों के निर्माण की सूची शासन द्वारा तैयार की गयी है ? यदि हाँ, तो यह कौन-कौन सी सड़कें हैं और इन सड़कों के निर्माण के निर्णय लेने के पूर्व आंकलन तैयार कराया गया था ? यदि हाँ, तो कुल कितना धन व्यय होने की संभावना है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

सड़कों की आठ सूचियाँ हैं जो सम्बन्धित पत्रावली में रखी हैं। इन्हें मेरे कक्ष में देखा जा सकता है।

जी हां।

1603.49 लाख रु० व्यय द्वारा होने की सम्भावना है।

मुस्लिम हलवाई बिरादरी को पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने पर विचार

83—**श्री फखरे आलम तथा**
श्री अमीरुद्दीन —

क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछड़ी जातियों में मुसलमान हलवाई बिरादरी भी आती है परन्तु उसको पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

पिछड़ेपन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण का प्रश्न शासन के विचाराधीन होने के कारण इस विषय में विचार नहीं किया गया है कि मुस्लिम हलवाई बिरादरी अथवा किसी अन्य जाति विरोध को पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाय या नहीं।

सैनिक कल्याण विभाग में अधिकारियों की संविदा के आधार पर नियुक्तियां एवं अनुमन्य सुविधायें

84—**श्री रेवती रमण सिंह—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक कल्याण विभाग जो राज्य सरकार का एक स्थायी विभाग है उसमें अधिकारी वर्ग को संविदा पर रखे जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि इन अधिकारियों को इस विभाग में 8 वर्ष से 21 वर्ष तक कार्यरत रहना होता है ? यदि हाँ, तो इन अधिकारियों की सेवायें नियमित न किये का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह सही है कि सैनिक कल्याण विभाग राज्य सरकार का एक स्थायी विभाग है। वर्ष 1975 में लिये गये एक उच्च निर्णय के आधार पर अधिकारी वर्ग की नियुक्तियां संविदा के आधार पर की जाती हैं। यह भी सही है कि इन अधिकारियों को इस विभाग में 8 से 21 वर्ष तक सेवा करना होता है। चूंकि इनकी नियुक्तियां केवल संविदा पर निश्चित अवधि के लिये की जाती हैं, इसलिए इन्हें नियमित किया जाना वर्तमान में संभव नहीं है।

85—**श्री रेवती रमण सिंह—**

क्या यह भी सही है कि इन अधिकारियों की लम्बी सेवा के बावजूद इन्हें राज्य सरकार द्वारा अन्य अधिकारियों को अनुमन्य सुविधाओं पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी के बदले नकदीकरण आदि से वंचित रखा जाता है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी हाँ ।

चूँकि उक्त सुविधाएँ केवल नियमित राज्य कर्मचारियों को ही अनुमन्य होती हैं, इसलिए यह सुविधाएँ इन्हें अनुमन्य नहीं हैं ।

जनपद गोण्डा में निलम्बित थाना इन्चार्ज एवं उनके विरुद्ध मुकदमे

86— **श्री मसरूर जाफरी —**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में कितने थाना इन्चार्ज इस समय निलम्बित हैं और उनके विरुद्ध किन-किन धाराओं में न्यायालय में दीवानी मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र —

इस समय जनपद गोंडा में 2 थाना इन्चार्ज निलम्बित हैं और इनमें से किसी के भी विरुद्ध न्यायालय में दीवानी मुकदमे नहीं चल रहे हैं बल्कि दोनों के विरुद्ध न्यायालयों में अपराधिक मुकदमे चल रहे हैं ।

दारुलशफा स्थित बगीचे का धोबियों द्वारा कपड़े सुखाने हेतु उपयोग को रोकने पर विचार

87— **श्रीमती कमला साहनी —**

क्या मुख्य मन्त्री को यह जानकारी है कि दारुलशफा लखनऊ के सौन्दर्यीकरण हेतु बने बगीचे का उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े सुखाने में लाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके दुरुपयोग को रोकने की कृपा करेगी ? क्या सरकार उन धोबियों को कहीं अन्यत्र हटाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धोबियों को इस कारण कहीं अन्य हटाये जाने का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद बस्ती में शोहरगढ़ मार्ग में चिल्हिया पल्टा देवी मार्ग पर लकड़ी के पुल का निर्माण

88— **श्रीमती कमला साहनी—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में शोहरतगढ़ क्षेत्र में चिल्हिया पलटादेई मार्ग पर लकड़ी के पुल अब तक न बनवाने का क्या कारण

है ? क्या सरकार इसमें शिथलता बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी —

जनपद बस्ती में शोहरतगढ़ क्षेत्र में चिल्हिया पल्टा देवी मार्ग पर लकड़ी के पुल का निर्माण प्रगति पर है तथा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

शिथिलता बरतने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय महिला पोलीटेक्निक, लखनऊ के व्याख्याता आर्ट को अवशेष वेतन का भुगतान

89 —**डा० शिवानन्द नौटियाल—**

क्या प्रावधिक शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला पोलीटेक-निक लखनऊ के व्याख्याता आर्ट को जुलाई, 1975 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया ? कृपया यह भी बतायेंगे किन कारणों से शासनादेशों के अन्तर्गत छंटनी का उनको लाभ नहीं दिया गया तथा छटनी से पूर्व अर्जित वेतन वृद्धियां कब से स्वीकार की कई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

राजकीय महिला पालीटेकनिक लखनऊ के व्याख्याता आर्ट का जुलाई, 1975 का कोई वेतन अवशेष नहीं है ।

श्री यतीन्द्र प्रसाद जसमोला, व्याख्याता आर्ट की सेवाएँ दिनांक 3-7-73 को समाप्त की गयी थीं । छंटनीशुदा कर्मचारियों के लिये जो नियमावली बनी थी, वह दिनांक 23-10-71 से व्ययगत हो गयी थी । अतः श्री जखमोला को छंटनीशुदा कर्म-चारियों का लाभ नहीं दिया जा सकता ।

छंटनी से पूर्व की व्याख्याता आर्ट की उनके तत्कालीन वेतनमान में सभी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत कर दी गयी हैं ।

डोरीलाल द्वारा आयुक्त, लखनऊ को हरिजन उत्पीडन संबंधी शिकायतीपत्र

90 —**श्री नरेश अग्रवाल—**

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 5-8-80 को होरीलाल नि० झिनुवा व मिहीलाल हरिजन नि० सथरी थाना सुरसा जिला हरदोई ने आयुक्त लखनऊ को एक प्रार्थनापत्र दिया था जिसमें उन्होंने ठाकुर प्रसाद यादव आदि द्वारा हरिजन उत्पीडन की शिकायत की थी इस पर आयुक्त, लखनऊ ने दिनांक 23-8-81 को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिये थे ? क्या यह भी सत्य है कि उस जांच में उपरोक्त लोग दोषी पाए गए ? यदि हाँ, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

सर्वश्री मिहीलाल एवं होरीलाल नहीं, बल्कि डोरीलाल के उक्त प्रार्थनापत्र में तत्काल उ० नि० थाना सुरसा श्री टी० आर० सिंह एवं 5 कांनिस्टेबिलों के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं, की मजिस्ट्रीरियल जाँच परगना मजिस्ट्रेट सदर, हरदोई को सौंपी गई।

मजिस्टीरियल जाँच से उ० नि० श्री टी० आर० सिंह दोषी पाये गये। उनके विरुद्ध धारा 7 पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश दिये जा चुके हैं। श्री ठाकुर प्रसाद यादव को इस जाँच में दोषी नहीं पाया गया है इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सी० डी० एफ० डेरी अलीगढ़ का निरीक्षण

91—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 1982 में उन्होंने सी. डी. एफ. डेरी अलीगढ़ का निरीक्षण किया तथा कई लाख रुपये का घी वहाँ सड़ा हुआ पाया गया था ? यदि हाँ, तो उपरोक्त के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी था तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हाँ, निरीक्षण दिनांक 12-8-82 को किया गया था। निरीक्षण के समय घी के स्टाक की पोजीशन 8.823 टन थी। इस स्टाक में से 17 किलो घी का एक सील बन्द टिन रसायनिक परीक्षण कराने हेतु लखनऊ भेजा गया था।

रासायनिक जांच से पता चला कि घी की क्वालिटी में कोई खराबी नहीं आयी थी और कथित घी पूर्ण रूपेण शुद्ध एवं उच्च कोटि का था। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

वन मन्त्री द्वारा गोरखपुर वन विभाग का निरीक्षण

92— श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27-8-72 को उन्होंने गोरखपुर वन विभाग का निरीक्षण किया था तथा उन्हें वहां पर मजदूरों की 12 टिन की झोपड़ियों पर 2.50 लाख रु० गलत रूप से खर्च करने की शिकायत मिली थी ? यदि हाँ, तो, उन्होंने उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, की तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हाँ। श्री संजय सिंह, राज्य मन्त्री वन ने दिनांक 27 अगस्त, 1982 को गोरखपुर वन प्रभाग का निरीक्षण किया था तथा उन्हें कथित शिकायत मिली थी जिसकी उनके द्वारा जाँच की गई और कोई अपव्यय नहीं मिला। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ए. डी. एम. हरदोई द्वारा चपरासी रामकुमार के विरुद्ध जाँच रिपोर्ट

92—श्री शिव नरेश तथा
डा० विनोद कुमार तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि ए. डी. एम. (एफ एण्ड आर), हरदोई ने विभाग के एक चपरासी रामकुमार के विरुद्ध 260.75 पैसे फर्जी टी. ए. बिल निकालने के कारण एक रिपोर्ट थाना कोतवाली हरदोई में दिनांक 19-5-82 को धारा 120 बी, 426, 468, 471 आई. पी. सी. के अन्तर्गत की, और उस चपरासी के निलम्बन हेतु जिलाधिकारी, हरदोई को भी लिखा परन्तु जिलाधिकारी, हरदोई ने पुलिस अधीक्षक, हरदोई को लिखकर उस रिपोर्ट की तफतीश रुकवा दी ? यदि हाँ, तो उस तफतीश को रुकवाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए तथ्यों का परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता समझी गई, जिस हेतु विवेचना स्थगित रखी गई है और बाद को पुनः विवेचना जारी की गई और यह विवेचना वर्तमान में प्रचलित है ।

उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली की व्यवस्था अधिकारी श्रीमती मीरा कुमार को दिया गया भत्ता

94—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश निवास नई दिल्ली की व्यवस्था अधिकारी श्रीमती कुमार को अतिरिक्त भत्ते के रूप में 75 रु० प्रतिमाह दिया जाता है ? क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश भवन नई दिल्ली या अन्य राजकीय अतिथि गृह व्यवस्था अधिकारियों को यह भत्ता नहीं दिया जाता है ? यदि हाँ, तो ऐसा होने का क्या औचित्य है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ।

उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली की व्यवस्था अधिकारी श्रीमती मीरा कुमार को रु० 75/- प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन दिया जाता है ।

उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली के व्यवस्था अधिकारी को भी रु० 75/- मासिक की दर से विशेष वेतन दिया जा रहा है ।

विशेष वेतन निर्धारित नियमों के अनुसार विशेष ड्यूटी के स्वरूप में दूरूहता या कार्य या उत्तरदायित्व में वृद्धि के कारण अनुमन्य किया जाता है । इन्हीं सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर दिल्ली की विशेष परिस्थितियों एवं कार्य के स्वभाव के कारण वहाँ के व्यवस्था अधिकारियों को विशेष वेतन स्वीकृत किया गया है । राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन अन्य राजकीय अतिथि गृहों के व्यवस्था अधिकारियों को कोई विशेष वेतन या भत्ता इन्हीं नियमों की शर्तों के पूरा न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया है ।

95—श्री राजकुमार राय—

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 150 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री वी. एम. शुक्ला, जूनियर इन्जीनियर, विद्युत वितरण खण्ड, गोण्डा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

96—श्री अकबाल हुसैन—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के विधायकों की लिखित शिकायत पर श्री वी. एन. शुक्ला, जूनियर इन्जीनियर, विद्युत वितरण खण्ड, गोण्डा का स्थानान्तरण ओबरा प्रोजेक्ट के लिए मार्च 1982 में हुआ था ? क्या यह सत्य है कि वे अब तक कार्य मुक्त नहीं हुए ? यदि हां, तो कब तक उन्हें कार्य मुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। श्री वी. एन. शुक्ला के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त होने पर उन्हें जनपद गोण्डा से ओबरा प्रोजेक्ट में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश मार्च, 1982 में किये गये थे। श्री शुक्ला के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जाँच करायी गयी और जाँचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये। अतएव उन्हें गोण्डा से कार्यमुक्त नहीं किया गया।

सहायक एवं अधिशासी अभियन्ताओं को सर्वेक्षण (अकार्यकारी) खण्डों में रखने का शासनादेश

97—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक सहायक एवं अधिशासी अभियन्ताओं को सर्वेक्षण (अकार्यकारी) खण्डों में दो वर्ष तक रखने सम्बन्धी शासनादेश है ? यदि हाँ तो क्या उसका अनुपालन किया जा जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हाँ, सही है कि प्रत्येक सहायक एवं अधिशासी अभियन्ताओं को सर्वेक्षण (अकार्यकारी) खण्डों में दो वर्ष तक रखने का शासनादेश है और यथासम्भव इसका अनुपालन भी किया जा रहा है।

सीतापुर बाईपास का निर्माण

98—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 6ठे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी —

सीतापुर बाईपास का निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित कार्यों में सम्मिलित नहीं किया गया है । शासन की ओर से भारत सरकार से दो बार अनुरोध किया गया परन्तु सीमित साधनों के कारण भारत सरकार ने उक्त कार्य को छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यों में सम्मिलित करने में असमर्थता व्यक्त की है ।

होमगार्डस संगठन में अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड

99 — श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 4थे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 199 के सम्बन्ध में क्या नागरिक सुरक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आदेश किस तिथि को निर्गत किये गये तथा क्या अब सेलेक्शन ग्रेड मिलना प्रारम्भ हो गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र —

होमगार्डस संगठन में जिन पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य है उनको सलेक्शन ग्रेड दिये जाने सम्बन्धी आदेश क्रमशः दिनांक 14 मई, 1982 एवं 21 अगस्त, 1982 को निर्गत कर दिये गये हैं । अभी किसी को सलेक्शन ग्रेड नहीं मिला है ।

100 — श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

[3 रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बलराम नगर इन्सपेक्टर इन्चार्ज के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना-पत्र की जांच

101 — श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 2267/82 दिनाँक 4 मई, 1982 जो बलरामपुर नगर के इन्सपेक्टर इंचार्ज द्वारा श्री देवी दयाल तिवारी एडवोकेट बलरामपुर जिला गोण्डा को उत्पीड़न के सम्बन्ध में था ? उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र —

श्री देवी दयाल तिवारी का दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 4-5-82 के संलग्नक द्वारा प्राप्त हुआ । श्री देवी दयाल तिवारी के प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की जाँच करायी गई ।

जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए । अतः थानाध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

तराई भावर में वन विभाग की भूमि पर भूमिहीनों द्वारा अतिक्रमण

102—**श्री बिहारी लाल**—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई भावर में वन विभाग की भूमि में वर्षों से भूमिहीनों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण हुआ है ? यदि हाँ, तो भूमिहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? क्या उक्त के परिप्रेक्ष्य में कोई स्पष्ट नीति अपनायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खटीमा विकास खण्ड में वनों के अवैध कटान के सम्बन्ध में कार्यवाही

103—**श्री बिहारी लाल**—

क्या वन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि खटीमा विकास खण्ड के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों द्वारा वन विभाग की लापरवाही से कितना अवैध कटान वर्ष 1981-82 में हुआ ? क्या उसमें छपे हुए पेड़ भी थे ? यदि हाँ, तो छपे हुए पेड़ों की संख्या कितनी थी तथा साथ ही अवैध कटान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

खटीमा विकास खण्ड के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये अवैध कटाव में वन विभाग की लापरवाही नही रही है । वर्ष 81-82 में हुए अवैध कटाव के कुल 97 मामले हैं जिसमें वृक्षों की संख्या 772 है । अवैध कटे पेड़ों में छपे हुए पेड़ नहीं काटे गये ।

अवैध कटाव के पकड़े गये 97 मामलों में से 80 मामलों में वन विभाग द्वारा फैसला किया गया जिसमें अभियुक्तों से धनराशियाँ बसूल की गयीं । 9 मामले जो न्यायालय में चलाये गये, उनमें से 3 मामलों में फैसला विभाग के पक्ष में हुआ तथा अभियुक्तों पर न्यायालय द्वारा अर्थ-दण्ड लगाया गया । शेष 8मामलों में विभागीय जांच अभी चल रही है ।

थाना टनकपुर में पकड़ी गई खैर की लकड़ी तथा व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

104—**श्री बिहारी लाल**—

क्या वन मत्री यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि थाना टनकपुर में जो खैर की लकड़ी वर्ष 1981-82 में पकड़ी गयी वह कुल कितनी है, उसमें किन-किन व्यक्तियों को पकड़ा गया और उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

थाना टनकपुर के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से काट कर ले जाते हुए खैर के

छोटे व बड़े गिल्टों में 29 अदद लकड़ी पकड़ी गयी जिसमें लगभग 2.7 धनमीटर लकड़ी होती है ।

इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनका चालान उ० प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत न्यायालय में किया गया :—

(1) श्री मोहम्मद उगर पुत्र श्री मोहम्मद आशिक निवासी, पीलीभीत ।

(2) श्री मोहम्मद वहीद खाँ पुत्र श्री मोहम्मद हमीद खाँ, निवासी बरेली ।

(3) श्री इकवाल अहमद पुत्र श्री काले, निवासी पीलीभीत ।

(4) श्री मुश्ताक अहमद पुत्र श्री दौलत खाँ, निवासी पीलीभीत ।

(5) श्री मोहम्मद उमर पुत्र श्री इनातुल्ला, निवासी पीलीभीत ।

उत्तर प्रदेश गन्ना मिल्स सहकारी संघ के कर्मचारियों की मांगें

105—**श्री सूबेदार सिंह**—

क्या श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 29-7-82 को उत्तर प्रदेश गन्ना मिल्स सहकारी संघ के कर्मचारियों के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय सदस्य की जानकारी हेतु निवेदित है कि सहकारी गन्ना विकास समितियों के कर्मकारों को चीनी मिलों के गन्ना विभाग में कार्यरत कर्मकारों के समकक्ष वेतन तथा अन्य सुविधायें दिये जाने तथा उक्त कर्मकारों के संबंध में यू० पी० केन यूनियन्स इम्पलाइज फेडरेशन की अन्य मांगों पर विचार कर शासन को अपनी अनुशंसायें देने हेतु एक समिति का गठन कर दिया गया है ।

106—**श्री पंचानन राय**—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

शहर युवक कांग्रेस महामंत्री राजकुमार आदि ने कोतवाली पुलिस के अत्याचार, अनियमितता के विरूद्ध दी गयी मांगें

107—**श्रीमती गौरीदेवी**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के जिला अधिकारी के कार्यालय के समक्ष दिनांक 7-6-82 से बाबूला तथा शहर युवक कांग्रेस महामन्त्री राजकुमार आदि ने कोतवाली पुलिस के अत्याचार अनियमितता के विरूद्ध अपनी मांगों के समर्थन में

भूख हड़ताल की थी ? यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या थीं तथा उस पर जाँच कराकर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र –

जी हां। उसकी मांगें संलग्नक में दर्शायी गयी हैं जिन पर जाँच करायी जा रही है।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ पर)

गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार नायक श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री यती कुमार शर्मा व श्री रामानन्द सिंह की निरूद्धि के आदेश

108–श्रीमती गौरी देवी—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार नायक, देवेन्द्र प्रताप सिंह, यती कुमार वर्मा व रामान्द सिंह को रासुका में निरूद्ध करने का औचित्य क्या था ? क्या यह सच है कि श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह के संबंध में जिला प्रशासन को 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र –

गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार नायक तथा श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री यति कुमार वर्मा व श्री रामानन्द सिंह की गतिविधियाँ ऐसी थी जिनसे लोक व्यवस्था के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और आगे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी। अतः जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा अपना समाधान हो जाने पर निरूद्धि के आदेश पारित किये गये थे।

2–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी निरूद्धि के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में हैबियस कारपस रिट याचिका दायर की थी, जिसे दिनांक 19-8-81 को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह को याचिका के खर्चे के रूप में रु० 550/– की धनराशि राज्य सरकार से प्राप्त करने का अधिकार होगा। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई है और रु० 550/– के खर्चे के भुगतान को स्थगित रखने के विषय में भी स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में खर्चे की उक्त धनराशि का भुगतान अभी नहीं किया गया है।

गाजीपुर नगर में विभिन्न श्रेणी के एलाट किए गये सरकारी आवास

109–श्री राम नरायन एडवोकेट तथा
श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगर सीमा में कितने सरकारी आवासीय भवन हैं तथा किन-किन लोगों को एलाट किए गये हैं तथा आवंटन करने के मूल आधार एवं मानक क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों की आवास आवंटन में अवहेलना बरती गई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

गाजीपुर नगर सीमा में विभिन्न श्रेणी के 162 सरकारी आवासीय भवन हैं।

135 आवासों के आवंटियों की सूची संलग्न है। शेष 27 आवास सभी एफ श्रेणी के हैं जो पूर्ण रूप से अल्प वेतनभोगी चपरासियों को आवंटित हैं।

आवंटन के आधार एवं मानक शासकीय विज्ञप्ति संख्या 6910 सी०वी०/76/23-सा० नि० आ० 90 सी० वी०/64 दिनांक 6-9-76 में उल्लिखित हैं।

जी नहीं।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ पर।

जनपद मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर्स की चोरी तथा रोक लगाने हेतु उठाये गये कदम

110—**श्री हुकम सिंह—**

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 जनवरी, 1982 से लेकर 15 सितम्बर, 1982 तक जनपद मुजफ्फरनगर के बिजली के कितने ट्रांसफामरों की चोरी हुई? क्या ट्रांसफार्मरों की बढ़ती चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र—

मुजफ्फर नगर जनपद में 1 जनवरी, 1982 से 15 सितम्बर, 1982 तक 36 (छत्तीस) ट्रांसफारमरों की चोरी हुई।

ट्रांसफारमरों की चोरी की घटनाओं पर रोक लगाये जाने के संबंध में जो कदम उठाये गये हैं, उनका विवरण संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ पर।)

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा मार्गों का निरीक्षण तथा जाँच आख्या

111—**श्री सन्त बक्स रावत—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सा० नि० वि० उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 333 (कैम्प) सी० ई० 82 दिनांक 4-8-82 तथा पत्र संख्या 334 (कैम्प) सी० ई० 82 दिनांक 2-8-82 के संदर्भ में दिनांक 5 अगस्त, 1982 को अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड सा० नि० वि० लखनऊ द्वारा लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग निगोहा-नगराम मार्ग और लखनऊ-वाराणसी मार्ग का निरीक्षण प्रश्नकर्त्ता के साथ किया गया? यदि हां वि० तो प्रश्नकर्त्ता के प्रमुख अभियन्ता सा० नि० उत्तर प्रदेश को दिये गये जाँच आख्या पत्र दिनांक 5 अगस्त, 1982 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी —

जी हाँ । धन की उपलब्धता के अनुसार मार्गों पर तीव्रता से कार्य किया जा रहा है । अगस्त 1982 से सितम्बर 1982 तक लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग के 7.25 कि० मी० लम्बाई में तथा लखनऊ निगोहा नगराम मार्ग के 2 कि० मी० लम्बाई में प्रथम सतह लेपन का कार्य पूरा कर लिया गया है ।

डा० एम० के० त्यागी, पशुधन विकास अधिकारी, कोंच का स्थानान्तरण

112—श्री शंकर सिंह—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोंच (जालौन) के पशुधन विकास अधिकारी डा० एम० के० त्यागी का वर्ष 81 के पूर्वार्द्ध में स्थानान्तरण का आदेश हो गया था और बाद में उसे निरस्त कर दिया गया तथा वर्ष 82 के पूर्वार्द्ध में पुनः डा० त्यागी के स्थानान्तरण का आदेश कर दिया गया और इसे बाद में निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

चूँकि वर्ष 1981 एवं 1982 में डा० एम० के० त्यागी, पशुधन विकास अधिकारी, कोंच जालौन का स्थानान्तरण आदेश किया ही नहीं गया था अतः स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला जालौन के पत्रकार श्री राधेश्याम दांतरे द्वारा कोंच में भारी मात्रा में गोवध हत्या संबंधी शिकायती-पत्र की जांच

113—श्री शंकर सिंह—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले के शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकार श्री राधेश्याम दाँतरे ने गत तीन वर्षों में विभिन्न अधिकारियों को दर्जनों शिकायती-पत्र देकर और अभी 2 अगस्त, 82 को जिलाधिकारी जालौन को, 20 अगस्त को गृह सचिव एवं पशुधन विकास सचिव को तथा 10 सितम्बर, 82 को विशेष सचिव, पशुधन विकास को पत्र देकर कोंच में भारी मात्रा में गोवध की अवैध हत्या की शिकायत की थी ? यदि हाँ, तो उसकी जांच किस-किस अधिकारी ने की और जाँच का क्या निष्कर्ष रहा ? क्या शिकायतकर्त्ता श्री दांतरे को अपने आरोप सिद्ध करने का पूर्ण अवसर दिया गया ?

श्री सुनील शास्त्री —

जी हां । अपनी शिकायतों के संबंध में प्रश्नकर्त्ता व श्री दांतरे तत्कालीन विशेष सचिव पशुधन से दिनाँक 10-9-82 को मिले थे । वार्ता के दौरान अवैध गोवध, गोमांश निर्यात तथा गोवंशजों के निर्यात सम्बन्धी आरोपों के संबंध में जो बिन्दु उभर कर आये उनके बारे में जाँच का कार्य पशुपालन निदेशालय के संयुक्त (निदेशक से० वि०) डा० एम० एल० भार्गव को सौंपा गया था, डा० भार्गव ने जाँच कर ली है ।

उनकी जांच रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है । जाँच अधिकारी ने श्री दातरे को अपने आरोप सिद्ध करने का अवसर दिया है ।

जिला पशुधन अधिकारी जालौन द्वारा भैंस का मांस ले जाने हेतु निर्गत किये गये परमिट तथा गौ वंशजों का अवैध परिवहन

114— श्री शंकर सिंह —

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के एक जिले से किसी दूसरे जिले में भैंस का मांस ले जाने के लिये किसी परमिट की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो क्या इसी प्रसंग में मंत्री जी वह भी बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद में गत पांच वर्षों में इस प्रकार की कितने परमिट कब-कब किस-किस को किस किस तारीख में कितने-कितने गोश्त के परिवहन के लिये जारी किये गये ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

भैंस के मांस की आड़ में गोमांस बाहर भेजे जाने की शिकायतें मिलने पर जिलाधिकारी, जालौन ने भैंस के मांस की जिले से बाहर परिवहन करने के लिये प्रतिबन्धित मात्रा में परमिट जारी करने की व्यवस्था कुछ समय के लिए अगस्त, 1981 में लागू की थी । इस व्यवस्था के अधीन निम्नलिखित चार परमिट जिला पशुधन अधिकारी, जालौन द्वारा निर्गत किये गये थे—

क्र०सं०	परमिट की अवधि कब से कब तक	परमिट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम	भैंस के गोश्त की कुल मात्रा (कुन्तल में)	स्थान जहां के लिए परमिट दिया गया
1—	1-11-81 से 30-11-81 तक	श्री अमीन अहमद, कोंच (जालौन)	10	जालौन से कानपुर
2—	4-12-81 से 5-12-81 तक	—तदैव—	—तदैव—	जालौन से आगरा
3—	1-1-82 से 3-1-82 तक	श्री मकबूल अहमद, कोंच	—तदैव—	—तदैव—
4—	15-1-82 से 17-1-82 तक	श्री शेर मुहम्मद, कोंच	—तदैव—	जालौन से झांसी

115—श्री शंकर सिंह—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवध निषेध अधिनियम की धारा 5 (ए) (1) तथा (2) 1979 (संशोधन) के अनुसार उत्तर प्रदेश से वध हेतु देश के अन्य किसी भी प्रदेश में गौ वंशजों का परिवहन अवैध है ? क्या यह सही है कि 80-81 में जालौन जिले के तत्कालीन जिला पशुधन अधिकारी ने कोंच के पशुधन विकास अधिकारी डा० एम० के० त्यागी के साथ मिल कर कोंच से महाराष्ट्र के लिये वध हेतु हजारों गौ वंशजों के बध के लिये परमिट जारी किये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों और गौ वंशज ले जाकर वध करा देने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 5 (ए) (1) तथा (2) 1979 (संशोधन) के अनुसार :—

(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को, सिवाय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र के, और सिवाय ऐसी अनुज्ञा-पत्र के निबन्धन और शर्तों के अनुसार, किसी गाय, सांड़ या बैल का जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर वध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, न तो परिवहन करेगा, न परिवहन करने के लिये प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा ।

(2) ऐसा अधिकारी प्रत्येक गाय, सांड़ या बैल के लिए पांच रुपये से अनधिक ऐसा शुल्क जिसे नियत किया जाय, देने पर अनुज्ञा-पत्र जारी करेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा यदि गाय, सांड़ या बैल का परिवहन अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट छः मास से अनधिकृत अवधि के लिये हो ।

कोंच रेलवे स्टेशन के वर्ष 80-81 के अभिलेखानुसार कुरता (महाराष्ट्र) को केवल 410 बूढ़े बैलों जिनकी आयु 15 वर्ष से ऊपर 16 या 17 वर्ष की थी, का वध हेतु परिवहन करने का परमिट दिया गया था ।

निदेशालय स्तर से जांच का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है । जाँच रिपोर्ट विचाराधीन है ।

डा० महेन्द्र कुमार त्यागी, पशुधन विकास अधिकारी, कोंच का स्थानन्तरण तथा शिकायतों की जांच

116—**श्री शंकर सिंह—**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या झांसी के तत्कालीन मण्डलायुक्त, श्री अरविन्द वर्मा द्वारा दिनांक 14-9-81 को उप निदेशक, पशुपालन, झांसी को पत्र लिख कर निदेश दिया गया था कि कोंच के पशुधन विकास अधिकारी डा० महेन्द्र कुमार त्यागी के अविलम्ब स्थानान्तरण हेतु निदेशक को लिखा जाय ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुनील शास्त्री—

लिखित नहीं बल्कि मौखिक निर्देश दिया था जिसके परिपालन में उप निदेशक ने अपना प्रस्ताव भी निदेशक, पशुपालन को भेजा था । विचारोपरान्त स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

117—**श्री शंकर सिंह—**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उरई के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री खंजनलाल ने एक अर्ध शासकीय पत्रांक 42 एस० टी० (जाँच) दिनांक 30-10-80 भेज कर तथा उप निदेशक पशुपालन झाँसी ने अर्ध शासकीय पत्रांक 13952-53/ई० एस०

दिनांक 3-11-81 तथा पुनः इन्हीं उप निदेशक ने पत्र दिनांक 3920/स्था० दिनांक 6-6-81 धारा पशुपालन निदेशक उत्तर प्रदेश को लिखा था कि भारी मात्रा में अवैध गौवंश की शिकायतों की जांच के बाद यह संस्तुति की जाती है कि कोंच के पशुधन विकास अधिकारी डा० एम० के० त्यागी का अविलम्ब स्थानान्तरण करा दिया जाय ? यदि हाँ, तो उक्त डा० त्यागी का स्थानान्तरण अभी तक न करने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

डा० महेन्द्र कुमार त्यागी, पशुधन विकास अधिकारी, कोंच, (जालौन) के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उरई का अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 30-10-80, उप निदेशक, पशुपालन विभाग, झाँसी का अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 3-11-80 (न कि 3-11-81) तथा अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 6-6-81 पशुपालन निदेशालय में प्राप्त हुए थे स्थानान्तरण करना उचित नहीं समझा गया ।

कोंच में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा गौवंश के अवैध वध की जांच तथा जिला पशुधन अधिकारी, जालौन द्वारा बफैलो मीट के लिए दिया गया परमिट

118—**श्री शंकर सिंह—**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक पशु निदेशक, पशुपालन, झांसी ने एक गोपनीय अनुस्मारक अर्ध शासकीय पत्र संख्या 18-19/एच० सी०/दिनांक 1-4-81 तथा तत्कालीन झांसी मण्डलायुक्त ने 5-12-82 को पत्र भेजकर गृह सचिव महोदय उत्तर प्रदेश को लिखा था कि कोंच में भयंकर पैमाने पर गौवंश के अवैध वध की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराने की कृपा की जाय ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच करायी गई ? जांच कब और किस अधिकारी ने की तथा शिकायतकर्त्ताओं को अपने आरोप सिद्ध करने का अवसर दिया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । मण्डलायुक्त के पत्र प्राप्त हुए थे । इस सम्बन्ध में अभिसूचना विभाग द्वारा गोपनीय जांच कराई गई थी । ऐसी जांच में शिकायतकर्त्ताओं को आरोप सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया जाता है ।

119—**श्री शंकर सिंह—**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रधान मंत्री, श्रीमती गांधी ने 24 फरवरी, 82 को पत्र क्रमांक 173—पी० एम० ओ/82 जारी करके उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री जी को लिखा था कि विभिन्न प्रकार के वाहनों और षड्यत्रों की आड़ लेकर गौवध निषेध अधिनियम की भावनाओं के विपरीत गौवंश की हत्या करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो क्या 1 नवम्बर, 1981 को कोंच से कानपुर तक प्रतिदिन दस क्विटल बीफ ले जाने का परमिट देने वाले जिला पशुधन अधिकारी उरई (जालौन) के विरुद्ध गौवध निषेध अधिनियम के प्राविधानों और प्रधान मंत्री जी की भावनाओं की उपेक्षा करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि जिला पशुधन अधिकारी, जालौन द्वारा दिया गया परमिट बोवाइन मीट (बीफ) जिसका तात्पर्य बफैलो मीट (भैंस का गोश्त) से था, के परिवहन के लिए था और परमिट के लिए दिया गया प्रार्थना-पत्र बफैलो मीट (भैंस का गोश्त) के लिए ही थी । अतः जिला पशुधन अधिकारी, जालौन द्वारा गौवध निवारण अधिनियम के प्राविधानों का न तो उल्लंघन ही किया गया और न उपेक्षा ही की गई ।

कलकत्ता ले जाये जाने हेतु गौवंशजों को परिवहन करने हेतु परमिट की जांच

120—**श्री शंकर सिंह—**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन के जिला पशुधन अधिकारी डा० दिवाकर ने वर्ष 81-82 में कलकत्ता ले जाये जाने के लिये गौवंशजों को परिवहन करने हेतु जो परमिट जारी किये हैं ? क्या उनके सम्बन्ध में गौवध निषेध अधिनियम की धारा 5 (ए) (1) तथा (2) 1979 (संशोधन) के अन्तर्गत प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो जिला पशुधन अधिकारी और परमिट प्राप्त करके परिवहन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बांके सिंह, भू० पू० प्रबन्धक, उ० मा० विद्यालय, धवरिया साथ, आजमगढ़ के विरुद्ध जांच

121—**श्री पंचानन राय—**

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बांके सिंह, भू० पू० प्रबन्धक, उ० मा० विद्यालय, धवरिया साथ, आजमगढ़ के विरुद्ध 24-3-81 को पंजीकृत अपराध संख्या 359/81 धारा 409/420 भारतीय दं० वि० की विवेचना पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बांके सिंह भू० पू० प्रबन्धक, उ० मा० विद्यालय धवरिया साथ के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा अ० सं०–359/81 धारा 409/420 भा० द० वि० की विशेष अपराध अनुसंधान शाखा आजमगढ़ द्वारा विवेचनोपरान्त श्री सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होने पर, आरोप पत्र दिनांक 16-9-82 को न्यायालय को भेजा गया । श्री सिंह पर उक्त विद्यालय के बालक, बालिकाओं की क्षतिपूर्ति के राजकीय कोष से रु० 5023/- का अपहरण तथा धोखेबाजी एवं जालसाजी करने के आरोप हैं ।

122—श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कोल्ड स्टोरेज के स्वामियों द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान की जांच

123—श्रीमती गौरी देवी—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद में जून व जुलाई, 82 में कोल्ड स्टोरेज के कितने स्वामियों ने विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया ? यदि हां, तो क्या कारण था ? यदि विद्युत बिलों का भुगतान किया गया तो किसने कितना भुगतान किया और क्या विद्युत बिलों के भुगतान की जांच होगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वाराणसी जनपद में जून व जुलाई 82 में कोल्ड स्टोरेज के क्रमशः 12 व 6 स्वामियों ने विद्युत बिल की कोई धनराशि जमा नहीं की थी किन्तु जुलाई 82 में 4 कोल्ड स्टोरेज के स्वामियों ने अंशिक रूप से भुगतान किया था। जिन कोल्ड स्टोरेज के स्वामियों ने विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया उसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी हैं। जिन कोल्ड स्टोरेज के स्वामियों ने विद्युत बिलों का जून व जुलाई, 1982 में भुगतान किया है जांचोपरान्त उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी "झ" आगे पृष्ठ पर।)

गोरखपुर के सब इन्सपेक्टरों का कार्यकाल, स्थानान्तरण एवं नए थाने खोलने का प्रस्ताव

124—श्रीमती गौरी देवी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में जनवरी 81 से मार्च 81 तक कुल कितने सब इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण किन कारणों से जिले से बाहर किया गया था और उन्हें कार्य मुक्त कब किया गया ? क्या यह सही है कि कुछ सब इन्सपेक्टर 5 वर्षों से एक ही स्थान पर इसी जनपद में कार्यरत हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनवरी 81 से मार्च 81 तक कुल दो नागरिक पुलिस के सब-इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से जनपद गोरखपुर से अन्य जनपदों के लिए किया गया। स्थानान्तरित किये गये उप निरीक्षकों ने क्रमशः दिनांक 19-1-81 और 27-3-81 को स्थानान्तरण पर प्रस्थान किया। कोई भी उप निरीक्षक इसी जनपद में एक ही स्थान पर विगत 5 वर्षों से कार्यरत नहीं है।

125 श्रीमती गौरी देवी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में कुल कितने नये थाने वर्ष 1981-82 में खोले गये ? क्या मण्डल में कुल 52 नये थाने खोलने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो शेष थाने कब तक खोल दिए जायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

गोरखपुर मण्डल में कुल 33 थाने 1981-82 में खोले गये। मण्डल में कुल 52 थाने नहीं बल्कि 33 थाने खोलने का प्रस्ताव था जो स्थापित किये जा चुके हैं।

गडवार-रतसर मार्ग बलिया जनपद में आधुनिकीकरण हेतु व्यय

श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गड़वार-रतसर मार्ग बलिया जनपद में आधुनिकीकरण हेतु कितने किलोमीटर सड़क कब स्वीकृत की गयी है ? इस सड़क के आधुनिकीकरण पर कुल कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है तथा कुल कितना रुपया विभाग को दिया जा चुका है ? बाकी रुपया कब तक दे दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद बलिया में गड़वार-रतसड़ मार्ग के 8 कि० मी० के आधुनिकीकरण की स्वीकृति 2 मई, 1981 को दी गई थी। इस मार्ग के आधुनिकीकरण पर 20·00 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है। वर्ष में 1981-82 में 1·5 लाख एवं वर्ष 1982-83 में 4 लाख रु० आबंटित किया गया। शेष धनराशि का आबंटन आगामी वित्तीय वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री राम कमल पाण्डेय, जिला वाराणसी के विरुद्ध गबन के आरोपों की जांच

117—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, चन्दौली पश्चिमी, वाराणसी ने दिनांक 6-10-79 को पुलिस स्टेशन सकलडीहा, वाराणसी में श्री राम कमल पाण्डेय, पुत्र श्री गया पाण्डेय, ग्राम तेनवट, जिला वाराणसी के विरुद्ध लगभग 10 लाख रुपए के गबन के आरोप की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज कराई थी ? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ।

उक्त मामले की विवेचना एस० आई० एस० (विशेष जांच दस्ता) को सौंपी गई है। विवेचना जारी है।

गण्डक नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव

128—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सर्वाजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में कसया से पडरौना होते हुए छितौनी तक राष्ट्रीय राज मार्ग बनाने तथा छितौनी और बगहा के बीच गण्डक नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आएगी और कब तक बन जायगा।

श्री अम्मार रिजवी—

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री रमा शंकर शाही द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र की माँग

129—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या प्रश्नकर्त्ता के दिनांक 20 जनवरी, 1982 को विधान सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या—101 एवं 102 के उत्तर के सम्बन्ध में राजनैतिक पेंशन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री रमाशंकर शाही, ग्राम व पोस्ट पिडहनी जिला गोरखपुर को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र दे दिया गया है जिसके लिये श्री रमा शंकर शाही ने जिलाधिकारी, गोरखपुर को 29-6-81 को आवेदन-पत्र दिया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र दिये जाने का आधार क्या था ? क्या अतिरिक्त जिलाधिकारी, गोरखपुर और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने श्री रमाशंकर शाही के जिला कारागार गोरखपुर में विचाराधीन बन्दी होने की अवधि और तिथि अलग-अलग बताये हैं ? यदि हां, तो इसका कारण और आधार क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री रमा शंकर शाही को उनके पत्र दिनांक 29-6-81 के आधार पर प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था । श्री रमाशंकर शाही द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में उल्लिखित उनके जेल में रहने की अवधि की पुष्टि नहीं हो सकी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुजारी, रामभूल, नगर मेरठ की हत्या

130—**श्री मन्जूर अहमद—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंडित रामभूल (मोरी पाड़ा) नगर मेरठ की 6-9-82 की रात्रि 10-30 बजे हत्या कर दी गई ? यदि हाँ, तो किन कारणों से हत्या हुई ? घटना का पूरा विवरण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार पुजारी श्री रामभूल निवासी मारा बाड़ा को घर जाते समय चाकू से घायल कर दिया गया और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी । घटना की विवेचना जारी है । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न† है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

नगर मेरठ के समस्त थानों में कर्फ्यू के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों की चोटें, मृतकों के नाम एवं पते

131—**श्री मंजूर अहमद—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 6-9-82 से 25-9-82 तक नगर मेरठ के समस्त थानों लिसाड़ी गेट–कोतवाली देहलीगेट–रेलवे रोड–थाना ट्रान्सपोर्ट नगर, थाना सदर, थाना लाल कुर्ती, थाना सिविल लाइन–पुलिस चौकी मेडीकल के अन्तर्गत (कर्फ्यू) के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? क्या यह सही है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से कुछ के गम्भीर चोटें थीं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि एवं थानों के अन्तर्गत कर्फ्यू के दौरान 573 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में चार को गम्भीर चोटें थीं । उनके नाम शरीफ पुत्र नसीर, नासिर पुत्र सुल्तान, खालिद पुत्र असगर अली, मनवर पुत्र अली हसन थे ।

132—**श्री मंजूर अहमद—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-9-82 से 24-9-82 तक विवादित स्थल शाहघासा नगर मेरठ के कर्फ्यू के समय में मेरठ नगर एवं मेरठ कैन्ट के थाना लिसाड़ी गेट, थाना देहली गेट, थाना रेलवे रोड, थाना ट्रान्सपोर्ट नगर, थाना सदर, थाना लालकुर्ती, थाना सिविल लाईन मेडिकल पुलिस चौकी के अन्तर्गत कितनी हत्यायें हुई हैं और कर्फ्यू खुलने पर कितनी हत्यायें हुयी (मृतकों के नाम क्या-क्या हैं और मृतक कहाँ के निवासी हैं ? मृतकों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि व क्षेत्रों के अन्तर्गत दंगों के दौरान कुल 11 हत्यायें हुयीं । इनमें कर्फ्यू लगने से पूर्व एक तथा पाँच कर्फ्यू लगे क्षेत्र में हत्यायें हुयीं हैं । मृतकों के नाम व पते निम्नवत हैं :

(1) श्री राम भूल पुत्र राधेलाल, निवासी 222, मोरीपाड़ा, थाना कोतवाली, मेरठ ।

(2) श्री अशोक कुमार पुत्र किशन स्वरूप, निवासी 108, तोपचीवाड़ा, थाना कोतवाली, मेरठ ।

(3) नाम पता अज्ञात ।

(4) नाम पता अज्ञात (मुस्लिम)

(5) श्रीमती मज्जा पत्नी हाजी सद्दीक, निवासी कृष्णपाड़ा, थाना कोतवाली, मेरठ ।

(6) श्री असद मोहम्मद, निवासी राघवराव पंडित, थाना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर ।

(7) श्री शब्बीर पुत्र सूखे, निवासी कंकरखेड़ा, स्थल देवीनगर ।

(8) श्री सईद पुत्र, लियाकत, निवासी जली कोठी, थाना देहलीगेट, मेरठ न्यू मोहनपुरी, मेरठ।

(9) श्री मो० गुलाम पुत्र नूर अली निवासी दुकान छोटे मिस्त्री घंटाघर के सामने, दिल्ली गेट, मेरठ (मोहल्ला थापर नगर में)।

(10) समसू पुत्र सिकन्दर, निवासी भैंसा, थाना मवाना, मेरठ (सदर बाजार)।

(11) श्री सईद, पुत्र जमील, निवासी नूरनगर, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ (रेलवे फाटक मलियाना)।

मृतकों के आश्रितों को प्रत्येक को सात-सात हजार रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिये गये हैं।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की पेंशन व ग्रेच्युटी काटने का औचित्य

133—श्री रेवती रमण सिंह तथा
श्री मुख्तार अनीस—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक कल्याण विभाग में लिए गये भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के मासिक वेतन में उनकी पेंशन व ग्रेच्युटी जोकि उन्होंने अपनी सैन्य सेवा में अर्जित की थी काट ली जाती है ? यदि हाँ, तो प्रदेश में इन कर्मचारियों की पेंशन य ग्रेच्युटी काटने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार ने इनको सुधारने के लिए कोई कदम उठाया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी जो तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के अन्तर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये जाते हैं, इनका वेतन-निर्धारण सी० एस० आर० के अनुच्छेद 526 के अनुसार किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार सारे सेवा निवृत्तिक लाभ काटे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त इस विभाग में सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति संविदा पर की जाती है और इनको एक नियत वेतन सेना से अन्तिम आहारित वेतन में से सकल पेंशन को घटा कर तथा रु० 125/- जोड़ कर दिया जाता है, जिसमें सकल पेंशन से यह तात्पर्य है कि ऐसे अधिकारी की सेना से मिली ग्रेच्युटी और पेंशन के अलावा कमयुटेड पेंशन के धन को भी काट लिया जाता है। यह कटौती वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में एक उच्च निर्णय के आधार पर की जाती है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

जनपद जौनपुर के ब्लाक जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में विद्युत उप केन्द्र

134—श्री प्रभू नारायण सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-132 के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि

क्या जनपद जौनपुर के ब्लाक जलालपुर मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में उक्त सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु वहां बिलों के भुगतान की व्यवस्था करायेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद जौनपुर के ब्लाक जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर में उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों के भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर ब्लाक मुख्यालय पर 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र नहीं है। जहां तक जलालपुर ब्लाक का सम्बन्ध है वहां पर 31/1 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र स्थित है। अतः इस उपकेन्द्र पर विद्युत बिलों के भुगतान की सुविधा बिलों में अंकित भुगतान की निश्चित तिथियों को उपलब्ध कराने के आदेश पारित कर दिये गये हैं।

135 — **श्री प्रभू नारायण सिंह—**

(2रें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री सुदामा त्रिपाठी, भू०पू० वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक आलू फर्म बालापुर, बहराइच के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

136—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—**

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्यान अधिकारी, बहराइच ने माह जुलाई, 1982 में श्री सुदामा त्रिपाठी भू०पू० वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक आलू फर्म बालापुर, बहराइच के विरुद्ध कोई रपट थाना इकौना, बहराइच में दर्ज कराया है ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं एवं इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुदामा त्रिपाठी भू०पू० वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक राजकीय आलू फर्म बालापुर थाना इकौना जिला बहराइच के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा सं 86 धारा 409/218/467 भा०द०वि० में लगाये गये आरोप मुख्यतः यह हैं कि उक्त निरीक्षक ने रोकड़ बही से बहुत से पन्ने निकालकर उन्हें जाली व फर्जी प्रवृष्टियों के पन्नों से बदल दिये, श्रमिकों की मजदूरी तथा फर्जी इण्ट्री करके धनराशि का गबन कर लिया। उक्त पंजीकृत अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

थाना हरपालपुर, जिला हरदोई में पंजीकृत मुकदमें के विरुद्ध कृत कार्यवाही

137—**श्री हरी शंकर—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अ०सं० 159 सन् 82 धारा 420/468 आई०पी०सी० के अन्तर्गत थाना हरपालपुर जिला हरदोई में मुकदमा किन व्यक्तियों पर कायम किया गया और उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना हरपालपुर, जिला हरदोई में अ०सं० 159/82 धारा 420/468 आई०पी०सी० दिनांक 19-9-82 को श्री बी०एस० उपाध्याय, सहायक

अभियन्ता एवं श्री शिवपाल सिंह, जूनियर इंजीनियर, विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, हरदोई तथा श्री महेन्द्रपाल सिंह, ठेकेदार, निवासी ग्राम सहजना, हरदोई के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है ।

विवेचना शीघ्रता से हो रही है जिसके पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की जायेगी ।

राम सागर मिश्र नगर (इन्दिरा नगर) कालोनी, सेक्टर 4 के अध्यासियों के हस्ताक्षरित पत्र में मुख्य समस्यायें

138—**श्री नन्द किशोर सिंह**—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री क्रांति कुमार सदस्य, विधान परिषद् के दिनांक 9 अगस्त, 1982 के संस्तुति पत्र के साथ राम सागर मिश्र नगर (इन्दिरा नगर) कालोनी, सेक्टर 4 के अध्यासियों का संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र उक्त कालोनी का प्राविधिक परीक्षण (टेक्नीकल आडिट) कराए जाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ? इस सम्बन्ध में दिनांक 31-8-82 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ ।

पत्र मे मुख्य-मुख्य बातें आवासों के निर्माण में निम्नकोटि का मेटीरियल लगाये जाने व आवश्यक सुविधाओं आदि की व्यवस्था न किये जाने के बारे में थीं । पत्र में उल्लिखित राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से आगणन मंगा कर उनकी परीक्षणोपरान्त स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की गई ।

श्री उदयनाथ मिश्र, थाना लंका वाराणसी में गिरफ्तारी तथा आरोपों की जांच

139—**श्री नन्द किशोर सिंह**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री उदयनाथ मिश्र पुत्र श्री रामनाथ मिश्र, निवासी ग्राम पो० मरुई, थाना चोलापुर, वाराणसी को पुलिस थाना लंका, वाराणसी द्वारा दिनांक 20-7-82 को प्रात: 9 बजे उनके उनके निवास स्थान से ले जाकर झूठे व मनगढंत स्कूटर चोरी के मामले का अभियुक्त करार किया तथा बुरी तरह से मारा पीटा ? क्या यह भी सच है कि इस घटना के सम्बन्ध में क्षेत्र के आम लोगों, ग्राम प्रधानों आदि ने उत्तर प्रदेश शासन के उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर मुकदमें की विवेचना स्थगित कर उच्च स्तरीय जांच करने व दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित करने की मांग की है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-6-82 को डा० ओ०पी० उपाध्याय द्वारा अपने स्कूटर की चोरी के संबंध में एक अभियोग के अन्तर्गत धारा 379 भा०दं०वि० पंजीकृत कराया गया था । दिनांक 19-7-82 को श्री उदयनाथ मिश्र व एक अन्य व्यक्ति को चोरी

गये स्कूटर सहित थाना लंका क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उन्हें कुछ चोटें भी आईं। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

प्राप्त प्रार्थना पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

140— श्री नन्द किशोर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री सत्य नारायण सिंह की राइफल तथा रिवाल्वर/पिस्टल के लाइसेन्स के निलम्बन के आदेश को तामील न किये जाने की जांच

141— श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सुमेश्वर सिंह लिपिक स्टेट बैंक आफ इण्डिया, मोती महल मार्ग, लखनऊ एफ० 2 कारपोरेशन फ्लैट नवल किशोर रोड, थाना कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ की एन०पी० बोर राइफल व एन०पी० बोर पिस्टल/रिवाल्वर का लायसेन्स अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) लखनऊ ने दिनांक 18 मई, 1982 को निलम्बित किया था ? यदि हां, तो लगभग 3 माह बाद भी पुलिस थाना कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ द्वारा उक्त निलम्बन आदेश की तामील न कराये जाने व निलम्बित आग्नेयस्त्र, पुलिस कब्जे में न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित श्री सत्य नारायण सिंह के राइफल तथा रिवाल्वर/पिस्टल के लाइसेन्स अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) लखनऊ के आदेश दिनांक 18-5-82 द्वारा निलम्बित किये गये थे। इन आदेशों के लाइसेन्सी पर समय से तामील न किये जाने के कारणों की जांच कराई जा रही है।

श्री वीर बहादुर सिंह की बन्दूक के लाइसेन्स के निलम्बन के आदेश को तामील न किये जाने की मांग

142— श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि श्री बीर बहादुर सिंह पुत्र श्री शंकर दयाल सिंह लिपिक भूमि विकास बैंक मुख्यालय, 10 माल एवेन्यू, लखनऊ की दो नाली बन्दूक का लाइसेन्स जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के आदेश दिनांक 27 जून 1981 द्वारा निलम्बित किया गया था तथा क्या यह भी सच है कि उक्त निलम्बन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से श्री बीर बहादुर सिंह ने 29 जुलाई, 1982 को स्थगन आदेश प्राप्त किया है ? यदि हां, तो लगभग 12 माह के लम्बे अन्तराल में पुलिस थाना हुसैनगंज द्वारा उक्त निलम्बन आदेश को तामील न कराए जाने और बन्दूक पुलिस कब्जे में न लिए जाने के क्या कारण थे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित श्री वीर बहादुर सिंह की बन्दूक का लाइसेन्स जिला मजिस्ट्रेट बलिया के आदेश दिनांक 27-6-81 द्वारा निलम्बित किया गया

एवं लाइसेन्सी ने उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 29-7-82 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इस बीच निलम्बन आदेश तामील न कराये जाने के कारणों की जांच कराई जा रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर यथोचित अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही होगी।

श्री सत्य नारायण सिंह की रायफल तथा रिवाल्वर के लाइसेंस का निलम्बन आदेश की तामीली में विलम्ब के सम्बन्ध में जांच

143 – **श्री नन्द किशोर सिंह** —

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व० श्री सुमेश्वर सिंह, लिपिक स्टेट बैंक आफ इन्डिया, मोती महल मार्ग, लखनऊ (मूल निवासी ग्राम रुस्तमपुर, थाना बांसडीह रोड, जिला बलिया) के एन. पी. बोर राइफल व एन. पी. बोर पिस्टल/रिवाल्वर का लाइसेन्स अपर जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) लखनऊ ने दिनांक 18 मई, 1982 को निलम्बित किया था ? क्या उक्त आदेश पुलिस थाना कोतवाली हजरतगंज व हुसैनगंज ने गायब कर दिया है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त घटना की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने पर विचार करेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र —

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित श्री सत्य नारायण सिंह की रायफल तथा रिवाल्वर के लाईसेन्स अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) लखनऊ के आदेश दिनांक 18 मई, 1982 के द्वारा निलम्बित किये गये थे। यह कहना सही नहीं है कि उक्त निलम्बन आदेश पुलिस द्वारा गायब कर दिया गया है। तामील में विलम्बन के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

पुलिस थाना बांसडीह रोड, बलिया के थानाध्यक्ष श्री राजाराम यादव व सब इन्सपेटर श्री टी०बी० सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

144—**श्री नन्द किशोर सिंह** —

क्या मुख्य मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, 1982 में श्री बलिराम सिंह निवासी ग्राम रुस्तमपुर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया ने पुलिस थाना बांसडीह, रोड, बलिया के थानाध्यक्ष श्री राजाराम यादव व सब इन्सपेक्टर श्री टी. बी. सिंह द्वारा की जा रही ज्यादती के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र उत्तर प्रदेश शासन व पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को देकर उक्त दोनों पुलिस कर्मियों के तत्काल स्थानान्तरण व उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र —

जी हाँ। जांच करायी गयी। जाँच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए। वैसे तत्कालीन थानाध्यक्ष अब थाना बांसडीह रोड पर नियुक्त नहीं हैं।

इंपेक्टर का चुनाव एवं साक्षात्कार

145 — **श्री नन्द किशोर सिंह** —

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिन थानेदारों की सेवा 15 वर्ष की हो चुकी है उन सबको इन्सपेक्टरी के चुनाव के वक्त इन्टरव्यू में बुलाया

जाया करे और जिले के एस०पी० से केवल चरित्र पुस्तिका ही इन्टरव्यू के वक्त मांगी जाया करे ? 15 वर्ष की सेवा वालों का एस०पी० से नाम मांगने की पद्धति को समाप्त कर दिया जाय ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

टाउन एरिया कुरावली में 'बी' क्लास के हिस्ट्रीशीटर

146—**श्री नन्द किशोर सिंह—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के टाउन एरिया कुरावली में जो 'बी' क्लास के हिस्टरी शीटर हैं उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार टाउन एरिया कुरावली में कोई भी "बी" क्लास का हिस्ट्रीशीटर नहीं है ।

भूतपूर्व विधायकों की लखनऊ में ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था के प्रश्न पर विचार

147—**श्री नन्द किशोर सिंह—**

क्या सरकार भूतपूर्व विधायकों को लखनऊ आने पर ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

जनपद मुजफ्फरनगर में बिजली के ट्रांसफार्मर्स की चोरी तथा थानों पर दर्ज मुकदमें

148—**श्री हुकम सिंह—**

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में 1 जनवरी, 1981 से लेकर 31 दिसम्बर, 1981 तक बिजली के ट्रांसफार्मर्स की चोरी के कितने मुकदमें जनपद के विभिन्न थानों पर दर्ज कराये गये और कितने मुकदमों में 28 सितम्बर, 1982 तक विवेचनापूर्ण होकर चार्जशीट लग चुकी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद मुजफ्फरनगर में 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर 1981 की अवधि में ट्रान्सफार्मर्स की चोरी के 67 मुकदमें विभिन्न थानों पर दर्ज कराये गये । 28 सितम्बर 1982 तक उपरोक्त 67 मामलों में से 4 मामलों की विवेचना पूर्ण कर मामला समाप्त कर दिया गया तथा किसी भी मामले में चार्जशीट नहीं लगायी गयी ।

श्री एल. बी. प्रसाद, उप विभागीय वन अधिकारी बिचलौल, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतें

149—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या वन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता एवं अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा श्री एल. बी. प्रसाद, उप प्रभागीय वन अधिकारी बिचलौल, गोरखपुर के विरुद्ध जनवरी, 1982 से अब तक कितनी शिकायतें कब-कब मिलीं एवं उसकी क्या जाँच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रश्नकर्त्ता एवं अन्य श्रोतों से श्री सी. एल. प्रसाद, उप प्रभागीय वन अधिकारी, निचलौल, गोरखपुर के विरुद्ध जून से सितम्बर 1982 की अवधि में 32 शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए जिनमें लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांदा, प्रान्तीय खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

150—**श्री मोहनसिंह**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग बाँदा प्रान्तीय खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध माह मई, 1982 में भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र जिला मजिस्ट्रेट बांदा का शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र का पूरा विवरण क्या है और उसके सन्दर्भ में शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

सचिवालय कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर उपलब्ध कराने हेतु भवन की व्यवस्था तथा आवंटन में प्राथमिकता, नीति का निर्धारण

151—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा अब कहां-कहां भवन की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

शासन द्वारा लखनऊ में सचिवालय कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बादशाह नगर राजकीय कालोनी के समीप स्थित नजूल भूखण्ड में 56 आवासों की व्यवस्था की जा रही है ।

152—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित विभिन्न स्थानों पर शासन द्वारा पहले से ही आवंटित किए गए सरकारी क्वार्टरों में रह रहे सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों को उक्त व्यवस्था किये जा रहे भवनों में स्थानान्तरित किये जाने के बजाय उक्त भवनों में पहले उन सचिवालय कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करने को प्राथमिकता देगी जिन्हें अब तक कोई सरकारी क्वार्टर मुहैया नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) अवंटन नियमावली, 1980 के अनुसार आवास का आवंटन अधिमानतः ऐसे आवेदक को किया जाता है जो इस प्रकार के निवास स्थान का परिवर्तन करना चाहता हो और यदि कोई ऐसा आवेदक न हो तो उसका आवंटन इस प्रकार के निवास स्थान के लिये उक्त नियमावली के नियम-4 के अधीन तैयार की गई सूची के अनुसार ऐसे आवेदक को, जिसके पास उस प्रकार का आवास न हो, किया जाता है । सरकारी आवास में रह रहे कर्मचारी के आवास परिवर्तन के बजाय आवास आवंटन में ऐसे कर्मचारी, जिसे कोई सरकारी आवास नहीं दिया गया है, को प्राथमिकता देने का कोई नियम नहीं है ।

153—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या सरकार उपरोक्त क्वार्टरों के आवंटन में कोई निश्चित नीति निर्धारित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवंटन की नीति पहले से ही निर्धारित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

154—**श्री पंचानन राय—**

—[आश्वासन समिति की विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री श्याम बहादुर श्रीवास्तव, फिटर अनुदेशक, आई. टी. आई. देवरिया के विरुद्ध जांच

155—**श्री नन्दकिशोर सिंह—**

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री श्याम बहादुर श्रीवास्तव, फिटर अनुदेशक, आई. टी. आई. देवरिया, के विरुद्ध वर्ष 1973-74 में जांच कराई गयी थी ? क्या यह सही है कि जांच अधिकारी (श्री आर. बी. यादव) तत्कालीन जिला सेवा योजन अधिकारी, गोण्डा ने इन्हें दोष मुक्त घोषित किया था ? यदि हाँ, तो इनका वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने तथा इनके विरुद्ध अन्य कार्यवाही करने का क्या कारण है ?

सुनील शास्त्री—

जी हाँ ।

जी नहीं । इन्हें दोषी पाया गया था और फलस्वरूप इन्हें एक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी ।

वर्ष 1965 से 1969 तक प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के कारण इन्हें दक्षता स्तर पर देय वेतन वृद्धि देय तिथि (1-4-68) को नहीं दी जा सकी । बाद में 1-4-71 से दक्षतारोक पार करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री राजेश सिंह, थाना खण्डासा, फैजाबाद के विरुद्ध हरिजन उत्पीड़न तथा प्रताड़न के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट

156—**श्री मित्रसेन—**

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजेश सिंह पुत्र जगदम्बिका सिंह, ग्राम गोहनिया बेहटा, थाना खण्डासा, फैजाबाद के विरुद्ध कोई रिपोर्ट 6-1-81, 22-3-81 तथा 15-5-81 को थाना खण्डासा में हरिजन उत्पीड़न तथा प्रताड़न के सम्बन्ध में दर्ज की गई ? यदि हाँ, तो रिपोर्ट की जुर्म दफाएं क्या हैं और उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना खण्डासा में श्री राजेश सिंह के विरुद्ध दिनाँक 6-1-81 को श्री बुद्धीराम आदि द्वारा धारा 147/323/342/भा. द. वि. का तथा दिनाँक 21-3-81 न कि दिनांक 22-3.81 को श्री सालिकराम हरिजन द्वारा धारा 452/323/504 भा. द. वि. के अपराध पंजीकृत हुये हैं । दिनांक 15-5-81 को थाना खण्डासा पर श्री राजेश सिंह के विरुद्ध कोई रिपोर्ट पंजीकृत नहीं हुई है । उपर्युक्त दोनों पंजीकृत अपराधों में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं ।

आर. के. शर्मा उप सचिव गृह को प्राप्त पत्र में शिकायतों की जाँच

157—**श्री मित्रसेन यादव—**

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र राधे मोहन यादव, सहमन्त्री जिला किसान सभा गाजीपुर के संलग्नक सहित दिनांक 5-12-81 को आर. के. शर्मा उप सचिव गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ? किन-किन बिन्दुओं पर जांच करायी गयी और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीपति मिश्र—

प्रश्नकर्त्ता का दिनाँक 5-11-81 का एक पत्र संलग्नक सहित प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्नलिखित थीं :—

(1) जनपद गाजीपुर में पुलिस के अत्याचार से सामान्य जनजीवन विशेषतः पिछड़े वर्ग में भय व्याप्त होना ।

(2) राजनैतिक द्वेष के कारण पुलिस के माध्यम में सैदपुर क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लोगों की सरेआम हत्या एवं उत्पीड़न होना।

प्रार्थना-पत्र में लगाये गये समस्त आरोपों की जाँच कराई गई। जांच से आरोप निराधार पाए गये।

जनपद फैजाबाद के इनायतनगर मार्ग का निर्माण

158—**श्री मित्रसेन**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के इनायतनगर (आस्तिकन) मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 17-11-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक श्री मित्रसेन द्वारा दिये गये पत्र में कृत कार्यवाही

159—**श्री मित्रसेन**—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र उन्हें 21-4-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे और अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हाँ, प्रार्थना-पत्र में मुख्यत: यह आरोप लगाये गये हैं कि ग्राम पालपुर, थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद में हुये हरिजन हत्याकाण्ड में स्थानीय पुलिस द्वारा भ्रामक चार्ज शीट लगाई गई है। मामले की जाँच कराई जा रही है।

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, फैजाबाद में कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार

श्री मित्रसेन—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छठवें मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–119 के उत्तर के सन्दर्भ में की जा रही आवश्यक कार्यवाही की प्रगति आख्या क्या है और विभागीय कर्मचारियों के नियमितीकरण अब तक न किए जाने का कारण क्या था ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रथम सत्र 1982 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–119 में जिस पत्र का उल्लेख है वह पत्र कुमारगंज इकाई, जो सामाजिक

वानिकी वन प्रभाग, फैजाबाद के अन्तर्गत आता है, के विषय में था। इन प्रभाग के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या–133 है जिनमें से 73 पदों पर नियमित नियुक्तियाँ की गई हैं तथा 60 पद रिक्त हैं। इन 60 रिक्त पदों में से 4 के विपरीत कार्य संचालनार्थ, दैनिक वेतन पर, 4 व्यक्ति कार्यरत हैं जिनका कार्यकाल 1 से 3 वर्ष तक का है। जब उपलब्ध रिक्तयों के लिए नियमित चयन होगा तब इन 4 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं के विनियमन के प्रश्न पर भी विचार कर लिया जायेगा।

जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा अस्वीकृत आयुध लाइसेन्स

161—**श्री मित्रसेन यादव**—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 171 के उत्तर के सन्दर्भ में जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा प्रार्थीगणों के आयुध लाइसेन्स स्वीकृति न किए जाने का क्या कारण है और प्रार्थीगण किस जाति से सम्बन्धित हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अता. प्र. संख्या 171 के उत्तर में उल्लिखित सातों व्यक्तियों के आग्नेयास्त्र के लाईसेन्स हेतु प्रार्थनापत्रों पर क्षेत्राधिकारी, एवं परगना मजिस्ट्रेट द्वारा पुनः संयुक्त जांच कराई गई। जांचोंपरान्त वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सात व्यक्तियों में से सर्व श्री रामगुलाम व राम खेलावन को आग्नेयास्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं। शेष पाँच व्यक्तियों को आयुध अधिनियम के प्राविधानों के अन्त र्गत लाईसेन्स दिये जाने के लिये उपयुक्त न पाये जाने के कारण आग्नेयास्त्र लाईसेन्स स्वीकृत नहीं किये गये हैं। आर्म्स ऐक्ट एवं रूल्स के अन्तर्गत लाइसेन्सियों की जाति/वर्ग के आधार पर विवरण रखने की व्यवस्था निर्धारित न होने के कारण प्रश्नगत व्यक्तियों की निश्चित जाति बताना सम्भव नहीं है।

जनपद आजमगढ़ में कतिपय मार्गों हेतु किसानों की ली गयी भूमि तथा मुआवजा

162—**श्री पंचानन राय**—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित जीयनपुर बेरमा मार्ग पर स्थित ग्राम ढोलीपुर समुदपुर तथा पखोपुर एवं जीयनपुर महाराजगंज मार्ग पर स्थित खालिसपुर तथा मालटारी के किसानों की सड़क निर्माण में ली गयी भूमि का मुकावजा शीघ्र देने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 8-4-82 का पत्र जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्त्ता महोदय का पत्र दिनांक 8-4-82 जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है या नहीं इसके बारे में तो सूचना एकत्रित नहीं हो पायी किन्तु प्रश्न में उल्लिखित गांवों के सड़क निर्माण में ली गयी भूमि के प्रतिकर दिये जाने की स्थिति निम्नवत है :—

1—मुबारकपुर–जीयनपुर मार्ग (जीयनपुर बेरमा मार्ग कहा गया है)।

(1) ग्राम ढोलीपुर (परखोपुर) प्रतिकर वितरित कर दिया गया है।

(2) ग्राम समुन्द्रपुर का प्रतिकर वितरित कर दिया गया है।

(3) पखखोपुर–इस नाम के गाँव की भूमि सड़क में नहीं ली गयी है।

2—जीयनपुर–बिलरियागंज--महाराजगंज जिसे प्रश्न में जीयनपुर। (महाराजगंज मार्ग कहा गया है।)

ग्राम खालिसपुर प्रतिकर के कागजात तैयार करके विशेष दर पर अवार्ड स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम मालटाड़ी—सड़क में ली गयी भूमि का कुछ अंश तो चकबन्दी के दौरान सार्वजनिक मार्ग घोषित हो गया है, एवं शेष भूमि भी सरकारी या जिला परिषद की है। अतः इस ग्राम में सड़क में ली गयी भूमि का प्रतिकर किसी कृषक को नहीं दिया जाना है।

कामर्शियल प्रैक्टिस डिप्लोमाधारियों के पद को विज्ञापित करने का निर्देश

163—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा**
श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग (शिक्षा एवं समाज कल्याण मन्त्रालय) ने अपने पत्र संख्या एक 18-10/75-टी-2, नई दिल्ली दिनांक 20 फरवरी, 1976 एवं राज्य सरकार के प्राविधिक शिक्षा-2 अनुभाग के पत्र संख्या 663 ई. डी. 8-घ 19 (एस) ई. डी./78, लखनऊ, दिनाँक 7 फरवरी, 1978 के द्वारा प्रदेश के अधीनस्थ सेवाओं के लिए कामर्शियल प्रैक्टिस डिप्लोमाधारियों के पद को भी विज्ञापित करने का निर्देश दिया है ? यदि हाँ, तो उक्त शासनादेशों का पालन प्रदेश सरकार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। उक्त राजाज्ञाओं द्वारा अधीनस्थ सेवाओं के उपयुक्त पदों पर भर्ती के लिये कामर्शियल प्रैक्टिस डिप्लोमा पाठ्यकम को केवल मान्यता प्रदान की गयी है। उक्त राजाज्ञाओं के आधार पर निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने प्रदेश के समस्त सेवा योजन अधिकारियों को आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये हैं। शेष भाग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

जनपद जौनपुर में मशीनों के रख-रखाव व संरक्षण हेतु कृत कार्यवाही

164—**श्री प्रभु नारायण सिंह—**

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के बदलापुर महाराजगंज जाने वाली सड़क के किनारे विभाग की भारी मशीनें कई वर्षों से रख-रखाव व संरक्षण के अभाव में पड़ी हुई नष्ट हो रही हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार यथाशीघ्र इस सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा करेगी और कर्त्तव्य की उपेक्षा के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(12 बजकर 32 मिनट)

***श्री हुकम सिंह—**

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, आपके द्वारा जो प्रश्न स्वीकार होते हैं उनको शासन के पास भेज दिया जाता है । क्या शासन की तरफ से यह उत्तर दिया जा सकता है कि मंत्री जी के कक्ष से वस्तुस्थिति की जानकारी की जाय । मान्यवर, अतारांकित प्रश्न संख्या 82 है, इसका उत्तर आप देखें । प्रश्न यह था कि क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि माह जुलाई, एवं अगस्त, 1982 में प्रदेश में सड़कों के निर्माण की सूची शासन द्वारा तैयार की गयी थी ? यदि हां, तो यह कौन-कौन सी सड़कें हैं और इन सड़कों के निर्माण के निर्णय लेने के पूर्व आकलन तैयार कराया गया था ? उत्तर आता है सड़कों की आठ सूचियाँ हैं जो सम्बन्धित पत्रावली में रखी हैं । इन्हें मेरे कक्ष में देखा जा सकता है । इन्होंने कुछ विशेष व्यक्तियों के लिये, अपने एक गिरोह के लिये सड़क तैयार कर ली और प्रदेश का रुपया गिनी चुनी सड़कों पर खर्च कर दिया । इसे सदन में रखा जाय । प्रश्न स्वीकार हो, उत्तर यहाँ न आये उनके कक्ष में चला जाय और सूची देख ली जाय । आपके संरक्षण में इस प्रकार का उत्तर आयेगा तो हमारे हितों की रक्षा कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष—

इस सूचना के सम्बन्ध में अच्छा यही होता है कि सदन की मेज पर रखा जाय ताकि सभी मा० सदस्य देख सकें । लेकिन इस प्रकार की कोई बात मना नहीं की जा सकती कि अगर मंत्री यह चाहे कि इसे वह अपने कक्ष में दिखला देंगे, आपसे जानकारी कर लेंगे । आपको वह सारी चीजें अपने कक्ष में दिखा देंगे इस पर रोक नहीं हो सकती ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, हम किस प्रकार उस मंत्री के कक्ष में जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप उनके कक्ष में जाते न हों ऐसी बात नहीं है ।

(शोर)

श्री हुकम सिंह—

हम जाते जरूर हैं । प्रश्न यह है कि अगर इस प्रकार के उत्तर आयेंगे तो किस प्रकार सदन चलेगा । अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आ जायें हम देख लें । आप व्यवस्था दें कि जानकारी के लिये क्या मंत्री जी इस प्रकार का उत्तर देंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

जो हमारा नियम 34 है मैं उसको आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ।

यदि कोई मंत्री किसी प्रश्न के सम्बन्ध में यह उत्तर देना चाहे कि कागजात उनके दफ्तर में देख लिये जांय तो उन्हें चाहिये कि ऐसा उत्तर देने के पूर्व अपने कार्यालय में संबंधित कागजात मंगा लें ताकि यदि मा० सदस्य देखना चाहें तो सदन में प्रश्नोत्तर आरम्भ होने के पहले कागजात को कार्यालय में देख सकें। संबंधित मंत्री को उस दिन कार्यालय में निर्धारित समय से आधा घन्टा पहले आ जाना चाहिये। यदि वे उस दिन संबंधित पत्रादि प्रश्नकर्ता सदस्य को नहीं दिखा सकते हैं तो उन्हें अपने प्रश्नों को किसी अन्य दिन के लिये स्थगित करा लेना चाहिये।

श्री हाकिम अली निवासी कट्टया उदयपुर की थाना निगोही की पुलिस कस्टडी में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें 5 मैंने स्वीकार की हैं—वे हैं 1. श्री जगदीश सिंह, 2. श्री बदनसिंह, 3 श्री. राजेन्द्रकुमार गुप्त, 4, श्रीमती प्रेमवती तिवारी, 5. सर्वश्री अकबरहुसैन, रियासत हुसैन, रामगोबिन्द चौधरी की।

जो अन्य 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनको मैंने अस्वीकृत किया है, वे हैं— 1. श्री नन्दराम, 2. श्री दीपू उर्फ दीपनारायण, 3. श्रीमती गौरी देवी, 4. श्री खैरूलबशर, 5. श्री रामकुमार भार्गव, 6. श्री श्याम नारायण तिवारी, 7. श्री रुद्रप्रतापसिंह, 8. श्री हर गोविन्द वर्मा, 9. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, 10. श्री सरदार सिंह, 11. श्री जमुना प्रसाद 12. श्री मसरूर जाफरी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री परमाई लाल एवं श्री गोपीनाथ वर्मा 13. श्री रामसागर, तथा 14 श्री अकबाल हुसैन।

श्री रुद्रप्रताप सिंह—

हमने जो दी है, कृपया उसे पढ़ने की इजाजत दे दें, वह बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको देख लूँगा।

***श्री जगदीश सिंह**—

मान्यवर, मैं आपका व माननीय सदन का ध्यान जनपद शाहजहाँपुर के थाना निगोही के ग्राम कट्यया उदयपुर में हुई पुलिस के अत्याचार की दुखद घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

दिनांक 11-3-83 की शाम को श्री हाकिम अली निवासी कटय्या उदयपुर थाना निगोही की पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने पर ले आयी। थाने पर श्री हाकिम अली को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। दिनांक 12-2-83 को पुलिस चालान करके श्री हाकिम अली को शहर कचहरी में लायी, उसी समय श्री हाकिम अली की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गयी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश सिंह]—

श्री हाकिम अली का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भरा गया जिसमें चोटें स्पष्ट थीं। इस संबंध में स्व० श्री हाकिम अली के भाई इसरार अली के द्वारा थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर में एक रिपोर्ट पुलिस कर्मियों, थाना निगोही के विरुद्ध भी लिखाई गयी। जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि स्वर्गीय हाकिम अली को पुलिस ने काफी मारा पीटा जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी।

ऐसा विदित हुआ है कि पुलिस अधिकारियों एवं डाक्टरों द्वारा सांठ गांठ करके श्री हाकिम अली की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट भी बिगाड़ दी गयी है।

इस कारण क्षेत्र की जनता में अत्याधिक रोष व नाराजगी है। इस संबंध में मैं मांग करता हूँ कि थाना निगोही के समस्त पुलिस कर्मियों को हटाकर न्यायिक जाँच कराने की कृपा करें ताकि क्षेत्र में शासन की प्रतिष्ठा बढ़े व पीड़ितों को न्याय मिले।

आगरा जनपद के ब्लाक अछनेरा के अन्तर्गत ग्राम हसेला क्षेत्र के राष्ट्रीय पक्षी मोर को राजस्थान की बावरिया जाति के लोगों द्वारा मारे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, आगरा जनपद के ब्लाक अछनेरा के अन्तर्गत हसेला ग्राम के बाग बगीचों में मोर पक्षी बहुत बड़ी संख्या में प्राकृतिक छटा बढ़ाता है। लेकिन राजस्थान शासन द्वारा उसके विभिन्न क्षेत्रों में बिखरी जरायम पेशा तथा मांसाहारी बावरिया कौम जो हसेला ग्राम के निकट राजस्थान के आजाद नगर में बसाई है, उसने गत दो माहों में हसेला ग्राम में 500-600 मोर मार डाले हैं। उल्लेखनीय है कि मोर एक सीधा-साधा, भोलाभाला राष्ट्रीय पक्षी है। यह जन-जीवन व कृषि को नुकसान पहुँचाने वाले बिषैले कीटाणुओं को नष्ट कर आदि काल से मानव सेवा कर रहा है। परन्तु यह बावरिया कौम विदेशी मुद्रा कमाने तथा माँस खाने के प्रलोभन से उत्तर प्रदेश के उक्त क्षेत्र में मोरों को बहुसंख्या में मनमाने तौर पर शिकार कर मार रहे हैं। इनके पास जहरीले जंगली और अनधिकृत असलहे होने के कारण क्षेत्रीय जनता इनका मुकाबला नहीं कर पाती है तथा जिला प्रशासन आगरा इस राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा और रखरखाव में बिल्कुल मौन बैठा है। परिणामस्वरूप जनजीवन तथा कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले इस राष्ट्रीय पक्षी का इस क्षेत्र से लोप होता जा रहा है। जो एक राष्टीय अपूर्णीय क्षति है। इस राष्ट्रीय पक्षी के निरुन्तर बध से श्रेत्रीय जनता में भारी क्षोभ व्याप्त है।

मैं इस राष्ट्रीय एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। तथा सरकार से माँग करता हूँ कि सम्बन्धित राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा और रखरखाव का कोई ठोस एवम् प्रभावी कदम सरकार द्वारा अविलम्ब उठाया जाय ताकि जनाक्रोश एवम् राष्ट्रीय बढ़ती हुई अपूर्णीय क्षति को रोका जा सके।

मैनपुरी पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मृत घोषित डकैत प्रमोद द्वारा अदालत में समर्पण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह विस्मयकारक तथ्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाना चाहता हूँ कि मैनपुरी पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मृत घोषित एक कुख्यात डकैत विगत सप्ताह मैनपुरी स्थित द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में हाजिर हो गया। मान्यवर, पुलिस ने एक मुठभेड़ में डाकू शिवराम सिंह तथा प्रमोद को मार डालने का दावा किया था। यह खबर अखबारों में भी प्रकाशित कराई गयी थी। परन्तु हत्या अज्ञात व्यक्तियों की हुई थी। जब उक्त डकैतों में से प्रमोद अदालत में हाजिर हुआ तो पूरे नगर में सनसनी फैल गयी।

मान्यवर, इस फर्जी मुठभेड़ के लिए दोषी पुलिस कर्मियों को तो दंडित किया ही जाय तथा इसकी भी जाँच आवश्यक है कि प्रमोद के नाम पर किस निर्दोष व्यक्ति की हत्या की गयी।

इस घृणित एवं निदनीय घटना से क्षेत्र में जहाँ पुलिस प्रशासन की विश्वसनीयता खत्म हुई वहीं पर सरकार पर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कराने का आरोप भी सिद्ध हुआ है। जाँच तथा उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

कटरा बिजन बेग लखनऊ निवासिनी श्रीमती हेमलता की उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लालच में की गई हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्रीमती प्रेमवती तिवारी—**

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ।

श्री शत्रुघन प्रसाद पाण्डेय, सहायक अधिकारी, निवासी ग्राम बिंघोरा पोस्ट-पहाड़पुर थाना इटौजा, लखनऊ की पुत्री हेमलता उर्फ सीता देवी का विवाह 23 मई, 1982 को श्री मिथलेश कुमार द्विवेदी निवासी कटरा बिजनबेग, लखनऊ के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुआ था। तब से हेमलता के ससुराल वालों ने उसे कभी भी उसके मायके नहीं भेजा क्योंकि उनकी माँग थी कि उनको एक बुलेट मोटर साइकिल तथा 5 हजार रुपये नगद दिया जाय। परन्तु जब उनको उपरोक्त सामान नहीं मिला तो दिनांक 27 जनवरी, 1983 को हेमलता की हत्या उनके पति श्री मिथलेश कुमार व उनकी माता एवं उनके मामा कौशल किशोर द्वारा आग लगाकर कर दी गई। इस घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई राकेश कुमार पाण्डेय द्वारा थाना सहादतगंज, लखनऊ में दर्ज कराई गई। श्री कौशल किशोर जो कि इस हत्या का मुख्य अभियुक्त है फरार है तथा पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार करने में असफल रही है। ससुराल वालों को दहेज में उपरोक्त सामान न मिलने के कारण 19 वर्षीय गर्भवती श्रीमती हेमलता को अपनी जान गवानी पड़ी।

मेरा विश्वास है कि कानून और न्याय का तकाजा है कि उक्त अभियुक्त को अविलम्ब गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाय। सदन के संज्ञान में यह भी लाना चाहती हूँ कि इस प्रकार कोई नव विवाहिता युवती दहेज के लालची लोगों द्वारा भविष्य में इसकी शिकार न हो। तथा ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड दिलाया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद के एस० ओ० के विरुद्ध भृष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री अकबर हुसैन--**

मान्यवर, एस० ओ० भोजपुर जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अपराधों को छुपाने की बहुत-सी गम्भीर शिकायतों की जाँच के लिये शासन ने एस० एस० पी० मुरादाबाद को आदेश भेजे गये। माह दिसम्बर, 1982 में जिनकी जाँच सी० ओ० फोर्थ मुरादाबाद (ठाकुरद्वारा) द्वारा की गई थी। जाँचोपरान्त यह साबित हुआ कि सिद्दीक निवासी बाजीपुर थाना भोजपुर के यहाँ डेढ़ माह पूर्व डकैती हुई थी। अहमदजान निवासी वाजीदपुर के यहाँ ढाई महीने पूर्व डकैती हुई थी। इन दोनों घटनाओं की रिपोर्ट एस० ओ० भोजपुर ने नहीं लिखी थी। सी० ओ० की जाँच के बाद अपराध संख्या 14 धारा 395, 397 तथा अपराध संख्या 15 धारा 395, 397 दिनांक 30-1-83 को सी० ओ० के आदेश पर लिखी गयी और सजा के तौर पर एस०ओ० भोजपुर को लाईन हाजिर कर दिया गया और दिनांक 5-2-83 को एस० ओ० भोजपुर ने पुलिस लाईन मुरादाबाद में अपनी आमद करा दी परन्तु यह विदित हुआ हैं कि एस. एस. पी. मुरादाबाद के मौखिक आदेश के अनुसार दिनांक 7-2-83 का चार्ज दे दिया गया है।

इसी विषय को लेकर एक तरफ तो मुरादाबाद जिले की पुलिस अधिकारियों के दो ग्रुप हो गये हैं और दूसरी तरफ जनता में व्यापक रूप से रोष, अविश्वास उत्पन्न हो गया है क्योंकि उक्त थानेदार ने चार्ज लेते ही उसके विरुद्ध होने वाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी जाँचों में लोग को डराना-धमकाना शुरू कर दिया है। क्योंकि एस. ओ. भोजपुर के विरुद्ध लगभग 20 जुल्मों की शिकायत शासन द्वारा जांच हेतु भेजी गयी है। किसी भी थानेदार के लाईन हाजिर होने और थाने में आमद करने के बाद मौखिक आदेशानुसार दुबारा उसी थाने का एस. ओ. बना दिया जाना ऐक्ट के विरुद्ध है।

अत: मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मुख्य मंत्री द्वारा इलाहाबाद सर्किट हाउस में भेंट हेतु समय निश्चित करके न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री राधेश्याम पटेल, सदस्य, विधान सभा ने औचित्य के एक प्रश्न की सूचना आज दिनांक 15 फरवरी, 1983 को दी है, जिसमें उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जनपद इलाहाबाद के सरकिट हाउस में मा० सांसदों विधायकों तथा जनता से विचार-विमर्श एवं भेंट हेतु समय निश्चित करके न मिलने और इससे भेंटकर्ताओं को हुई असुविधा का उल्लेख किया है।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा)--

मान्यवर, हमें सुन लें, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था। 11-00 बजे से लेकर सायं पाँच बजे तक वहाँ पर रहा निश्चित कार्य-क्रम के अनुसार, परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी जनपद इलाहाबाद गये और वहाँ नहीं गये, जिसकी वजह से वहाँ पर हजारों की संख्या में एकत्रित जनता व प्रतिनिधि इतने समय तक सिर्फ यह बताने के लिये मौजूद रहे कि इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामले में जो अत्याचार उन पर हुए हैं, वह स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ है, जिसे डी. एम. व एस. एस. पी. अच्छी तरह से जानते हैं और उसे जानबूझकर नजर-अन्दाज कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें इस बात को समझने के प्रयास करने चाहिए कि इस मामले में अधिकारियों ने उस दिन जनता एवं प्रतिनिधियों से आपको न मिलने दिये जाने के क्या कारण थे, कृपया स्पष्ट करा दें।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में मैंने माननीय सदस्य को सुना, श्री राधेश्याम पटेल, सदस्य, विधान सभा ने औचित्य के एक प्रश्न की सूचना आज दिनाँक 15 फरवरी, 1983 को दी है, जिसमें उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जनपद इलाहाबाद के सरकिट हाउस में माननीय सांसदों, विधायकों तथा जनता से विचार-विमर्श एवं भेंट हेतु समय निश्चित करके न मिलने और इससे भेंटकर्त्ताओं को हुई असुविधा का उल्लेख किया है।

नियमानुसार औचित्य का प्रश्न उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियमों या भारत के संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है। इस औचित्य के प्रश्न की सूचना में सदन से बाहर घटित घटना का संदर्भ किया गया है और इसमें ऐसा कोई विषय नहीं उठाया गया है, जिसका सम्बन्ध सदन के कार्य से हो। अतः मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की आज्ञा नहीं देता हूँ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन†

***श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण—**

माननीय अध्यक्ष जी। मैं सभापति, प्राक्कलन समिति, आपकी आज्ञा से समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन, जो हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ। यह प्रतिवेदन 18 अक्टूबर, 1982 को वर्ष 1981-82 की समिति द्वारा, जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, माननीय अध्यक्ष को करण संख्या 64 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर दिया गया था।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, हम लोगों को यह रिपोर्ट मिली नहीं, पिजन होल में रखी नहीं गयी। इसको कम से कम कबूतरखाने में तो रखवा देते।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, क्या नियम 216 के अनुसार मा० मंत्री जी, इस रिपोर्ट का, जो सभापति, प्राक्कलन समिति ने पेश की है, उत्तर देंगे या भविष्य में कोई तारीख निश्चित करेंगे ?

---

† छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी—

इस समय तो प्रस्तुत किया गया है, जब समय आयगा, उत्तर दिया जायगा ।

दिनांक 18 जनवरी, 1982 को श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अनुपूरक उत्तरों के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

***श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18 जनवरी, 1982 को श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 के सम्बन्ध में श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न किये थे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मन्त्री जी ने जबाव दिया है वह बिल्कुल असत्य है । 79 से आज तक मैंने इस सदन में बनगायों को पकड़ने की आवाज उठायी । केन्द्र सरकार से भी लिखा पढ़ी की, उसने एक अधिकारी को भेजा, उससे सर्वेक्षण कराया और जो जवाब आया उसमें उन्होंने लिखा है कि अधिकारी से सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों से मिलने और ग्रस्त क्षेत्रों में जँगली गायों के झुण्डों को देखने के पश्चात् जो सर्वेक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय को दी उसकी प्रतियां जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उप निदेशक, पशुपालन, लखनऊ, एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को इसी निदेशालय के इसी····

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, 300 गायों के स्थान पर 14 को पकड़ा गया । मान्यवर, उक्त पत्र में लिखा है कि आगे की कार्यवाही तभी सम्भव होगी जब राजकीय अधिकारी आवश्यक प्रबन्धों के बारे में हमें सूचित करेंगे, तो मान्यवर इस सिलसिले में कोई कार्यवाही की गई ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मानकर वहाँ की बन-गायों को पकड़ने की कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उस समय उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, वर्मा जी ने जब प्रश्न किया था तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपना कोई विभाग नहीं है जिससे बनगायों को पकड़वा सकें इसके लिये केन्द्र सरकार पर गायों को पकड़ने के लिये निर्भर रहना पड़ा । फिर जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया, हमने उसका एक सर्वेक्षण कराया पूरे उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ दो सौ गायों का पता चल सका । सोचा गया कि जब तक केन्द्र से दल न आ आये स्थानीय अधिकारियों से कहा गया कि तब तक वे पकड़वायें तो 14 गायें पकड़ी जा सकीं । अब जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि यह सूचना गलत है तो मैं इसकी जानकारी कराऊंगा कि जो सूचना हमें दी गई और हमने सदन में जवाब दिया है वह सही है या गलत । मैं इसको देखूँगा ।

इस सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि सदन में दिया गया उत्तर स्पष्ट नहीं था । स्पष्ट उत्तर इस प्रकार है—

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिनांक 18 जनवरी 1982 को श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अनुपूरक उत्तरों के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

हरदोई जनपद के तहसील शाहाबाद के विकास खण्ड टोंडरपुर के ग्राम सभा बरावां तथा विकास खण्ड पिहानी के ग्राम सभा उचवल से 14 बनगायें पकड़ी गयीं और राजकीय गोसदन जिला खीरी भेजी गयीं। बिलग्राम तहसील में कोई भी बनगाय पकड़ी नहीं गयी।

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी "अ" आगे पृष्ठ....पर)

दिनांक 2 फरवरी 1982 को श्री श्याम लाल बाजपेयी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 68 का गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना

***हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)—**

मा० अध्यक्ष जी, विधान सभा के प्रथम सत्र (1982) के लिए निर्धारित श्री श्यामलाल बाजपेयी के तारांकित प्रश्न संख्या–68 के उत्तर में यह सूचना दी गयी थी कि बाराबंकी जनपद में लाशों की ढुलाई के लिए एक ट्रेलर उपलब्ध है तथा दिनाँक 9 जून, 1980 से 9 अक्टूबर, 1981 की अवधि में उक्त ट्रेलर से 19 लाशों की ढुलाई की गई थी।

उत्तर दिये जाने के बाद प्रश्नकर्ता श्री श्यामलाल बाजपेयी ने माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सूचित किया कि उनके प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह तथ्यों से परे है क्योंकि—

1— उक्त अवधि में केवल 16 लाशों की ढुलाई हुई, और

2— लाशों की ढुलाई ट्रेलर से नहीं हुई।

माननीय सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना पर तथ्यों की छानबीन पुनः करायी गई जिससे ज्ञात हुआ कि वास्तव में उक्त अवधि में ट्रेलर से केवल 16 लाशों की ही ढुलाई की गयी थी। अतः प्रश्न के उत्तर का यह अँश छोड़कर कि "19 लाशों की ढुलाई की गयी" शेष पूरा उत्तर सही था। प्रश्न के उत्तर के लिए गलत सूचना देने के लिये पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी द्वारा खेद प्रकट करते हुए यह सूचित किया गया है कि उक्त सूचना रेडियोग्राम से तुरन्त माँगे जाने के कारण जनपद की परिवहन शाखा के प्रभारी अधिकारी हैड कांस्टेबिल, एम० टी० श्री मोहम्मद अयूब खां ने जल्दबाजी में 19 लाशों की ढुलाई की सूचना दे दी। इस लापरवाही के लिये उक्त हैड कांस्टेबिल ड्राइवर को लिखित रूप में कड़ी चेतावनी दे दी गयी है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, क्या मुझे सुनने का आप मौका देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

संशोधन वक्तव्य में कोई प्रश्न नहीं किया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

तो मान्यवर, क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा ना कि इसमें प्रश्न नहीं किये जाते ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मैं आपका आभारी हूँ ।

जटा शंकर निवासी नवलगंज, थाना हसनगंज, जिला उन्नाव की हिस्ट्रीशीट में गलत उल्लेख किये जाने से सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के विषय में वक्तव्य

*** हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)—**

श्री जटाशंकर, निवासी नेवलगंज, थाना हसनगंज, जिला उन्नाव को थाना हसनगंज की पुलिस द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री रामसागर की नियम 301 की नोटिस का उत्तर प्राप्त सूचना के अनुसार दिया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि श्री जटाशंकर सिंह को एक साल की सजा हुई थी । बाद में मामले को गहराई से देखने से ज्ञात हुआ कि सजा वास्तव में श्री जटाशंकर के भाई श्री देवी प्रसाद को हुई थी । इस त्रुटि के लिये श्री रामदेव प्रसाद त्रिवेदी तत्कालीन हेड कानस्टेबिल एवं श्री लक्ष्मी शंकर शुक्ला तत्कालीन थाना अध्यक्ष, हसनगंज दोषी पाये गये । इन दोनों पुलिस कर्मचारियों की चरित्र-पंजिका में दुश्चरित्र लेख अंकित करके उन्हें दण्डित किया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

†दिनांक····फरवरी 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सिसवा काण्ड (बस्ती) की न्यायिक जांच को प्रभावित करने के लिये पुलिस द्वारा मुख्य शिकायतकर्त्ता श्री राजेन्द्र पाठक का घर जलाने तथा सम्पत्ति नष्ट करने से संबंधित है।

दूसरी सूचना श्री हर गोविन्द वर्मा की है जो कि जनपद सीतापुर में प्रशासन से त्रस्त होकर अनशन करने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द सिंह भण्डारी की बलिया जनपद के अधिकारियों द्वारा सहकारिता मन्त्री के विरुद्ध भर्त्सना प्रस्ताव एवं उनके आदेशों को न मानने के निर्णय के संबंध में है। चौथी सूचना जो कि श्री शंकर सिंह के द्वारा दी गयी है इसमें ही श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की भी सूचना सम्मिलित है जो कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में देवी आपदाओं से हुई क्षति के सम्बन्ध में है।

ग्राह्यता के संबंध में किसी सदस्य को दो मिनट से ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं होगा, यदि कोई सदस्य दो मिनट से अधिक समय बोलने में लेगा तो मैं उसे तुरन्त रोक दूंगा।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, मैं अपनी बात दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। जो कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने दी है यह सबको पता है कि 14 तारीख को सिसवा में शर्मनाक हादसा हुआ है जिसकी जांच के लिये एक आयोग बैठा हुआ है आज उसके सम्बन्ध में सूचना मिली है कि उस आयोग के सामने सही साक्ष्य प्रस्तुत न हो सकें इसलिए पुलिस से मिलकर श्री राजेन्द्र पाठक के घर को भस्मासात कर किया दिया गया, सम्पत्ति को लूटा गया है और मान्यवर, उसकी एफ. आई. आर. नहीं लिखी गयी है। कल शाम की सूचना है, नामजद रिपोर्ट की गई तो उनके नाम भी नहीं लिखे गये। एक हेड कांस्टेबिल और 3 सिपाही गांव में रहते हैं, उनके रहते हुए भी वे मामले को रोकने के लिए नहीं आये। न्यायिक जांच के सामने जो लोग गवाही देना चाहते हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ के लोकल कांग्रेस पार्टी के एक एम. एल. ए. हैं, उनके रिश्तेदार 4-5 महीने पहले वहाँ गये और उन्होंने गवाहों को भी प्रताड़ित किया, जिससे न्यायिक जाँच से सही चीज सामने न आने पाये। इस प्रकार से उसमें बाधा डाली जा रही है। सबसे बड़ी चिन्ता की बात है कि जब पत्रकारों को पता लगा तो वे वहाँ से जानकारी लेकर आये, तब तक न तो आई. जी. को कोई सूचना थी और न ही गृह सचिव को सूचना थी। पुलिस प्रशासन इसको दबाना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्यवाही को रोककर विचार करना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

मा० सदस्य दो—दो मिनट में अपनी बात कह रहे हैं, मैं चाहूँगा कि मा० संसदीय कार्य मंत्री जी उन सभी का उत्तर संक्षेप में एक साथ दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*संसदीय कार्य मन्त्री (अम्मार रिजवी) —

मान्यवर, घटना 10-2-83 की 10 बजे रात की है। 11 तारीख को 8 बजे रिपोर्ट लिखायी गयी। उस समय नामजद नहीं किया गया। 14 तारीख को 2 व्यक्तियों को नामजद किया गया। सारे वाकिया की छानबीन की जा रही है और कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि सदन का कार्य रोककर इस पर चर्चा की जाय। यह तो ला एण्ड आर्डर की प्राबलम है और उसमें उसी प्रकार से कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, वहाँ पर एक हेड कॉस्टेबिल और 3 सिपाही थे। क्या वह भाँग खाकर सो गये थे या इन लोगों ने उनको मना कर दिया था ?

*श्री हरगोविन्द वर्मा—

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि सदन के कार्य को रोककर सीतापुर जनपद के प्रशासन के बारे में चर्चा हो। महमूदाबाद की मिल के सामने 26 जनवरी से लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। 10 फरवरी से लोग बैठे हैं जिनमें से एक महिला भी है। जिसकी हालत बहुत गम्भीर है। उसके कारण पूरे जिले में किसानों का संघर्ष चल गया है। 32 किसान गिरफ्तार किये गये हैं। किसानों ने सत्याग्रह किया है, जिसके फलस्वरूप 63 और किसान जेल चले गये हैं। हर गाँव और बिसवां की मिलों में आन्दोलन चल गया है। पुलिस उन आन्दोलनकारी किसानों को पकड़ती है और उनको मोटर में बिठाकर जंगल में छोड़ देती है। इस प्रकार से पुलिस उन किसानों को परेशान कर रही है। पुलिस ने धारा 307 में उनको बन्द करने का काम किया है। मान्यवर, महमूदाबाद की मिल में जो भ्रष्टाचार है उस पर आज तक प्रशासन ने कोई निगाह नहीं डाली ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को रोककर सीतापुर के पूरे जनपद के बारे में चर्चा करायें। और यह बहुत ही आवश्यक होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने भी संकल्प किया कि 19 फरवरी को वहाँ के किसानों और मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको सहन न करते हुए उस सत्याग्रह में शामिल हो जाऊँगा। उसके बाद मेरे साथ सैकड़ों किसान और मजदूर हमारे साथ जेल जाने के लिये तैयार हो जायेंगे। इसलिये मैं चाहूँगा कि आप काम रोककर इस पर चर्चा करा दें।

*श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं शांत रहता लेकिन चूँकि मेरे क्षेत्र का मामला है इसलिये बोलना पड़ रहा है। मान्यवर, कल शाम को उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आये थे और उनकी जितनी माँगें हैं उन सब पर कार्यवाही हो रही है। जो लोग सत्याग्रह में बैठे हुये हैं उनमें से दो आदमी अनशन छोड़कर चले गये हैं और अब 3/4 रह गये हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का पुलिस का आतंक नहीं है। जिनके बारे में कहा गया है, उनकी सुरक्षा की जा रही है। वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था है। वहां पर किसी प्रकार का ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं हुआ है जिससे यह कहा जाय कि वहाँ के लोगों की जान खतरे में है। वह मिल मार्च–अप्रैल में चलने वाली है। कुछ लोग चाहते हैं कि इसी तरह की खींचतान वहाँ पर होती रहे और मिल के चलने में बाधा पैदा हो जाय। अन्यथा यह मिल मार्च में सुचारू रूप से चल जाती।··· (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

जो लोग बोल चुके हैं उनको दुबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा··· (व्यवधान)। यह कोई नियम नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, महोली से सम्बन्धित एक बयान सदन में आना है वह भी सीतापुर से ही सम्बन्धित है और यह मामला भी उस जनपद की मिल से सम्बन्धित है। इसलिये हम चाहेंगे कि उसको भी इसके साथ ही मिला दें। मैं समझता हूँ कि संसदीय कार्य मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी—

ठीक है।

***श्री मुख्तार अनीस—**

मान्यवर, आज 15 फरवरी हो गई। मार्च से ये उस मिल को चलाने जा रहे हैं। अभी तक वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं गया है कहाँ का गन्ना लिया जायेगा, कहाँ का नहीं लिया जायेगा, यह तय नहीं किया है। वहाँ पर उस क्षेत्र के लोगों को सरकारी नौकरी पर रखा जायेगा या नहीं रखा जायेगा। स्थिति यह है कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनमें भी सीतापुर के लोगों को नहीं रखा जा रहा है। इन्हीं चीजों को लेकर उन्होंने हड़ताल की है। महमूदाबाद में जो शुगर फैक्टरी लगाई गई है उसमें वहाँ के लोगों को क्यों नहीं रखा जाता है। रिउसा ब्लाक जो वहाँ का है उसका गन्ना नहीं लिया जाता है। उसका गन्ना उस फैक्ट्री को लेना चाहिए। इस बारे में आप व्यवस्था कर दें।

श्री अम्मार रिजवी—

जो आपने बताया है और गादरी क्षेत्र का जो गन्ना है, वह भी लिया जा रहा है और वहाँ के लोगों को नौकरी भी दी जा रही है।

एक सदस्य—

और वहाँ पर जो घूस ली जा रही है, उसका क्या होगा ?

***श्री कुंवर सिंह नेगी—**

मान्यवर, गत 5 फरवरी को बलिया के 21 राजपत्रित अधिकारियों में जिनमें एक मजिस्ट्रेट भी हैं, वहाँ पर वहां के ए० डी० एम० (एक्जीक्यूटिव) की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और यह प्रस्ताव पास किया गया कि सहकारिता मन्त्री जो हैं उनके आदेशों का परिपालन नहीं किया जायेगा और उनके बुलाने पर वे नहीं जायेंगे। उनका कहना है कि मंत्री जी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। यदि उनके पास जाना भी पड़ा तो बिना बाड़ी-गार्ड के वे मंत्री जी के पास नहीं जायेंगे। वहाँ पर इतनी भयावह स्थिति हो गई है। वह मंत्री जी का जनपद है जहाँ से वे एम० एल० ए० हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं होगा। यह इतिहास में एक गलत शुरूआत है। इससे शासन की छवि बिगड़ रही है, प्रशासन गिर रहा है। इसी संदर्भ में जनवरी 24/25 को यहां पर भूतपूर्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर सिंह नेगी—]

मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। उसमें भी पी० सी० एस० आफिसर्स ने एक प्रस्ताव पास किया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जायेंगी तो वे प्रदेश के किसी आई० ए० एस० आफिसर का कहना नहीं मानेंगे। इससे मान्यवर, प्रदेश का सारा प्रशासन अवरुद्ध हो जायेगा तथा विकास कार्य ठप पड़ जायेंगे। मेरा निवेदन है कि यह एक गलत शुरूआत हो रही है इसको इसी समय रोका जाना चाहिये। इसमें मन्त्री जी की गलती है या अधिकारियों की गलती है इसको ठीक से देखा जाना चाहिए। अभी मान्यवर, मंत्री जी ने पी. सी. एफ. की 5 हजार डायरियाँ लेकर अपने क्षेत्र में बांटने के लिये कहा है। वे यहां से 5 हजार डायरियाँ बलिया में बांटने के लिये ले गये। तो इस प्रकार वह गलत काम कर रहे हैं। इनकी छानबीन की जाय। अगर अधिकारी गलत काम करते हैं तो उनको भी दंडित किया जाय। यह बहुत गंभीर मामला है। इससे विस्फोटक स्थिति हो सकती है। यह अति लोक महत्व प्रश्न का है इसलिये इसकी गम्भीरता को देखते हुए अवश्य चर्चा का अवसर प्रदान करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह मामला पहले भी उठा था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जिले से जानकारी करा लेंगे। तो वह सूचना आ गयी होगी इसलिये सदन को उसकी जानकारी दे दें। तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के खड़े होने पर) मैंने श्री शंकर सिंह को बुला लिया है। आप बैठें।

***श्री शंकर सिंह—**

मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्र रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बुन्देलखण्ड की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है और सरकार की जरा भी रूचि उसकी तरफ नहीं है। स्थिति यह है कि संपूर्ण बुदेलखंड आज ही नहीं पिछले तीन सालों से सूखे और ओले से त्रस्त है। फसलें कीड़ा लग जाने से पूरी तरह से तबाह हो गयी हैं। इस वर्ष पहले पानी बरसा लेकिन बाद में पानी न बरसने के कारण खरीफ की फसल चौपट हो गयी। रबी की फसल भी पाले से और कीड़ा लग जाने से नष्ट हो गयी है। आज स्थिति यह है कि बाजारों में गेहूँ तीन रु० सेर भी नहीं मिल रहा है। शहरों में तो कहीं मिल भी जाता है लेकिन गांवों में मोटा अनाज भी ज्वार, बाजरा आदि किसी भाव में नहीं मिल रहा हैं। बड़े किसानों तथा सरकारी भंडारों में कहीं अनाज नहीं है। सार्वजनिक वितरण केन्द्र में जो सरकारी दुकानें हैं उनमें गल्ला नहीं है। लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं हैं। पहले राहत कार्य चला करते थे लेकिन अब वह भी नहीं चल रहे हैं। जो हम लोग वहाँ से चुन कर आये हैं उनकी बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है इसलिए हम आपसे संरक्षण चाहते हैं कि हम किस प्रकार अपना कर्तव्य निभायें। हम चाहते हैं कि इसकी गंभीरता को देखते हुए आप काम रोको प्रस्ताव स्वीकार कर चर्चा सदन में करा दें। वहाँ कुछ न कुछ राहत कार्य चलाये जांय। वहां का जो मजदूर तबका है वह भूखों मर रहा है उसको किसी न किसी तरीके से अनाज वहां दिलवा दें। भूख से वहाँ कई मौतें हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुकी हैं लेकिन उनको सरकार की तरफ से शीत लहर का बहाना बना कर आंकड़े बता दिये जाते हैं। बहुत-सी ऐसी मौतें वहाँ हो गयी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। मामला बहुत गँभीर है इसलिए इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, जी अब आपको क्या कहना है। आप पहले बोल लिये हैं।

*** श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

मुझे मान्यवर, कुछ कहना नहीं है केवल आपसे अनुरोध करना है। माननीय शंकर सिंह जी ने जो कहा है उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूँ। इसके साथ ही आपसे निवेदन करना है कि जो हमारा बुन्देलखण्ड का क्षेत्र है वहां पर भयंकर भुखमरी फैली हुई है और वहां की वितरण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सारा सरकारी गल्ला गेहूँ, चावल आदि सरकारी दुकानों का बाजार में जाकर बेचा जा रहा है। और सरकार के लोगों एवं इनका उनको संरक्षण प्राप्त है। ऐसी स्थिति में वहां राहत के कार्य नहीं हो रहे हैं। इसलिये अनुरोध है कि आज बुन्देलखण्ड में जिस तरह भुखमरी फैली हुई है उसके सम्बन्ध में मैं आपके कक्ष में भी कह चुका हूँ, इसलिये इस पर आज चर्चा करायें नहीं तो यह सरकार बेशर्म है और कुछ सुनने वाली नहीं है। खाद्य मंत्री आज यहां नहीं हैं, इसके पहले वह चुनौती दे रहे थे तो आज मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ कि उन्होंने जो गेहूँ वहाँ भेजा है वह खुले रूप में बाजारों में बिक रहा है और शासन को सूचना देने के बावजूद एक सप्ताह में अभी तक यह कोई प्रबन्ध वहां नहीं कर पाये हैं, इसलिये मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें और चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने नियम 56 में जो सूचनायें प्राप्त की हैं उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को सुना और....

श्री अकबाल हुसैन—

मेरी सूचना को आपने नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना देर में प्राप्त हुई थी इसलिये कल दे दें।

नियम 56 में आज कोई भी सूचना स्वीकार नहीं की है। जहां तक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता की सूचना का सवाल है उसके विषय को वक्तव्य के लिये मैंने स्वीकार किया है। श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी का एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, इसलिये उसमें शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ और शासन को उसकी प्रतिलिपि भेज दी जायेगी।

इसी प्रकार शंकर सिंह और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना के सम्बन्ध में तमाम तथ्यों को देखते हुये वह एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दें। बशर्ते आप नियमों के अनुसार अल्पसूचित प्रश्न का नोटिस देंगे तो वह स्वीकार हो जायेगा। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शंकर सिंह—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न से काम नहीं चलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अल्पसूचित प्रश्न को नियमों में आप स्वीकार कर लेंगे लेकिन मंत्रिगण जैसा कि नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं तो उसी प्रकार मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गारण्टी है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर देने के लिये मंत्रियों को आप कहां बाध्य करेंगे कि तीन दिन में उसका उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष—

मा० सदस्य नियमानुसार अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की सूचना देंगे तो स्वीकार हो जायेगा । (व्यवधान)

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न से मैं संतुष्ट नहीं हूँ । मेरे क्षेत्र का मामला है और वहां भुखमरी है··· । (व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह एवं श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री हाउस के फ्लोर पर आ गये और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के प्रयास से अपने स्थान पर वापस चले गये और खड़े होकर बोलने लगे)

हम विधायक हैं और यहां बैठे हैं लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता भुखमरी से मर रही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जांय । इस प्रकार जो माननीय सदस्य कहेंगे और यदि उनकी इच्छानुसार न होगा तो क्या आप फ्लोर के बीच में आ जायेंगे ? यह सदन की गरिमा के खिलाफ है । यह मेरे देखने का काम है कि मंत्री कैसे जवाव नहीं देंगे । आप लोग बैठ जांय ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था को मैं मानता हूँ और बैठ जाता हूँ लेकिन मैं भी अपने क्षेत्र का विधायक हूँ, यहां सदन में हम बैठें और हमारे क्षेत्र के लोग भुखमरी से मरें और आप कहें कि अल्पसूचित प्रश्न कर लें और उनको स्वीकार कर लेंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा ।

क्या प्रश्न के माध्यम से किसी समस्या का हल होने वाला है । मेरे क्षेत्र में व्यापक भुखमरी फैली हुई हैं, आप शासन से उस पर वक्तव्य दिलाएं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप लोगों की बात को सुन लिया है, आप अपनी बात कह चुके हैं और अब यदि निर्णय के बाद भी इस तरह से बातें होती रहीं तो···

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शंकर सिंह—

श्रीमन्, वहां पर स्थिति बहुत गम्भीर है। आपका निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्थिति की गम्भीरता को आप देखें। यह हमारी बात को सुनने वाले नही हैं। मेरे पास इसके अलावा क्या चारा है कि आपसे अनुरोध करूँ और इस पर भी आप यदि उचित नहीं समझते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं इस सदन में नहीं बैठ सकता हूँ। मैं सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(श्री शंकर सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जिस प्रकार बुन्देलखण्ड में भुखमरी की स्थिति है और जिस प्रकार से मैंने निवेदन किया है और उसका कोई समाधान न होने की वजह से मैं भी सदन त्याग करता हूँ।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री सदन त्याग कर चले गये।)

*** श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बुन्देलखण्ड की स्थिति बहुत गम्भीर है, वहां के लोग भूख से व्याकुल हैं। जो कार्यस्थगन की सूचनाएं राजेन्द्र अग्निहोत्री और शंकर सिंह जी ने दी हैं उसके लिए माननीय खाद्य मंत्री को इस सदन में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए था। यदि किसी कारण नहीं आ सकते थे तो वह यहां पर अपनी मजबूरी बता सकते थे। उन्हें आज इस गम्भीर विषय पर सदन में आकर माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहिए था। मैं खाद्य मंत्री जी की इस हृदयहीनता पर और उनके रवैये पर सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के प्रश्नों के अन्तर्गत जिन माननीय मंत्रियों के बारे में इस प्रकार से यहाँ पर सूचनाएँ आती हैं, उनकी या तो आप जिम्मेदारी लें, वरना उस पर माननीय मंत्री जी को उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए।

श्री रियासत हुसैन—

यह (श्री अम्मार रिजवी) कितनी जिम्मेदारी लें, आप इसकी भी तो सीमा बाँध दीजिए।

(1 बजकर 25 मिनट)

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर मान्यवर चर्चा इसको आयटम नं० 10 के बाद यह संख्या 11 पर होना चाहिए था, लेकिन छपाई की गलती से आज यह 12वें नम्बर पर हो गया है।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† 14 फरवरी, 1983 की कार्यवाही से।

*श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन में जो बजट पेश हुआ है उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। यह बजट जिसको मैंने प्रारम्भ से अन्त तक पूरी तरह से पढ़ा है, उसको देखने से यह साबित होता है कि यह बजट किसान और मजदूर विरोधी है। इस बजट में कहीं भी किसान और मजदूर के हित की कोई बात नहीं कही गयी है। यह हमारा उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है और आज दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के अन्दर भुखमरी फैली हुई है। लोग अपने जेवर, बर्तन बेचकर रोटी चलाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन फिर भी उनको देहातों में अनाज नहीं मिल रहा है। यह सोचने का विषय था कि क्या कारण है कि पूरे प्रदेश में आज लोग भूख से पीड़ित हैं। (इस समय 1 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठता, श्री हुकम सिंह पीठासीन हुए।) हम यह मानकर चलते हैं कि इस प्रदेश में मुख्य रूप से दो चीजें पूरे मानवजाति के लिए विशेष रूप से आवश्यक होती हैं। एक तो अनाज में गेहूँ और चाय और खाने पीने के लिए शक्कर। यह दोनों चीजें हमारा प्रदेश पैदा करता है, पर इन दोनों चीजों पर आज हमारे प्रदेश में संकट है, और इस बजट में हमारे किसान—शक्कर और गेहूँ पैदा करनेवालों के लिए कोई बात नहीं कही गई है, उनको कोई राहत देने की बात नहीं कही गई है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करते हुए शासन से कहना चाहता हूँ कि वह इसमें संशोधन करके बजट को पास कराने की कृपा करें।

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि गेहूँ आज 3—सवा तीन रुपये किलो बिक रहा है। जब मान्यवर, इस पर चर्चा चल रही थी, तो उधर के हमारे माननीय विधायक लोग यह कह रहे थे कि जिस समय आपकी सरकार थी, तो उस समय क्या हुआ। मान्यवर, जिस समय जनता पार्टी और लोकदल की सरकार थी, उस समय हमारी सरकार ने क्या किया, मान्यवर, वह सबको मालूम है। मान्यवर, अगर उन्हीं के पद-चिन्हों पर यह सरकार चलती, तो आज यह दशा न होती। मान्यवर, आज तक जब कभी भूखा भी पड़ा है, तो 1-20 पैसे से ज्यादा दाम में गेहूँ नहीं बिका है। मान्यवर, जब भी कभी देश और प्रदेश के अन्दर अनाज की ऐसी स्थिति आई, तो खाद्यान्न योजना चला कर गांव-गांव तक हमारी सरकार ने देहात के अन्दर अनाज पहुँचाया और लोगों को भूख से, हमारी सरकार ने मरने नहीं दिया। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि देहात के अन्दर अनाज नहीं मिल पा रहा है। देहात के अन्दर अनाज के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस सरकार ने कोई भी इस प्रकार की योजना नहीं बनाने का काम किया। देहात के अन्दर अनाज पहुँचाने की कोई भी व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की। इस साल ये 40 लाख लाख टन का दस्तावेज तैयार कर चुके हैं, 20 लाख और मंगाना चाहते हैं।

मान्यवर, इतना गेहूँ मंगाने के बावजूद भी अनाज के लिए गांवों में लोग तरस रहे हैं। हमारे यहाँ मान्यवर, रेऊसा, बेहट और तमाम ऐसे इलाके हैं, जहाँ पर क्या स्थिति है, गेहूँ के नाम पर, चावल के नाम पर अनाज नहीं मिलता है। मान्यवर, वहां पर ज्वार-बाजरा तक नहीं मिल रहा है। वहां पर लोग अनाज के लिए परेशान हैं। मान्यवर, वहाँ पर बाजारों में अनाज नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, लखनऊ की बाजार में गेहूँ भले तीन-सवा तीन रुपये किलो मिल रहा हो, लेकिन सीतापुर में, जहाँ से माननीय मंत्री जी आते हैं, वहाँ पर मान्यवर, गेहूँ नहीं मिल रहा है। मान्यवर, वहाँ पर जहाँ कहीं पर गेहूँ मिल भी रहा है, तो वह तीन-सवा तीन रुपये किलो में मिल पा रहा है। जब हमारी सरकार प्रदेश के अन्दर थी, उस समय हमारी सरकार ने पूरा ध्यान किसानों के लिए दिया था। हमारी सरकार ने खाद का दाम घटाया, हमारी सरकार ने लगान माफ करने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने पूरे तौर पर उनकी उपेक्षा की। इस सरकार ने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाद, पानी का दाम बढ़ाया। इस सरकार ने लगान भी बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार ने सिंचाई के दामों में कमी की, खाद के दामों में कमी की। खाद्यान्न योजना बना कर गाँवों के लोगों तक अनाज पहुँचाया और उनको भूख से मरने नहीं दिया। आज स्थिति यह है कि गाँवों में लोग अनाज के बिना भूख से मरने की स्थिति में हो गये हैं।

मान्यवर इस सरकार ने हमारे किसानों के गेहूँ लेने का काम किया। मान्यवर, इस सरकार ने हमारे किसानों के गेहूँ 1 रु० 40 पैसे में लेने का काम किया और किसानों को अनाज लेना है, तो तीन-सवा तीन रुपये किलो का भी अनाज बड़े मुश्किल से मिल रहा है। मान्यवर, आज बाजारों के अन्दर अनाज नहीं है। मान्यवर, इस तरह से इस सरकार ने प्रदेश के अन्दर किसानों को भूख से मरने का काम पूरे प्रदेश के अन्दर किया है। मान्यवर, जब तक प्रदेश के अन्दर किसान उपेक्षित किया जायगा, तब तक देश और प्रदेश की खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती। मान्यवर, यह बड़े शर्म की बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश और यहाँ की जनता अनाज न मिलने के कारण भूंख से मरे। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में यदि लोकदल या जनता पार्टी की सरकार होती तो शहर के लोगों को 3 रुपये किलो गेहूँ खाने की जरूरत न पड़ती। मान्यवर, आप नोट कर लीजिये, लिख लीजिये कि अगले साल गेहूँ 4 रुपये किलो यह सरकार बिकवायेगी। क्योंकि इस सरकार की सारी योजनायें भ्रष्टाचार पर आधारित हैं। इनके अधिकारी, व्यापारियों से मिलकर भ्रष्टाचार करा रहे हैं। मान्यवर, खाद में मिलावट होती है। मेरी बात पर विचार करें, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आज देहात में बड़ी बुरी स्थिति है, मैं दौरे पर गया तो किसान ने कहा कि वर्मा जी मैं खेत में खाद लगाता हूँ और पानी लगाता हूँ, दो दिन बाद जब खेत पर जाता हूँ तो खेत उठता नहीं है। मैंने कहा खेत उठेगा नहीं। खेत नहीं उठ रहा है, इनके मंत्री, विधायक अधिकारी और व्यापारी उठ रहे हैं। प्रदेश के मुठ्ठी भर मंत्री, अधिकारी और व्यापारी उठे हैं किसान के उठने का सवाल नहीं है। तो आपको किसान को अच्छी खाद देनी पड़ेगी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, यह परशुराम संवाद समझ में नहीं आ रहा है।

श्री हरगोविंद वर्मा—

मान्यवर खाद की बोरी 50 किलो की होती है लेकिन किसान को 40 किलो की मिलती है। खाद में पोटाश, राख और नमक मिला होता है और तरह तरह की मिलावट होती है जिसकी वजह से खेत में उत्पादन घटता चला जा रहा है। मैं आँकड़े देना चाहता हूँ, 80, 81 और 82 के। जिस खेत में सन् 81 में गेहूँ 10 मन होता था उस खेत में सन् 82 में साढ़े 7 मन पैदा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो उस खेत में इस साल 6, 7 मन गेहूँ पैदा होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के चलते यह प्रदेश कभी पनप नहीं सकता है। तरक्की नहीं कर सकता है। कंज्यूमर्स को सस्ता गल्ला नहीं मिल सकता है। यह सरकार कंज्यूमर्स को नोचने का, मजदूरों को नोचने का काम कर रही है। मजदूर जो ईमानदार हैं, मेहनतकश हैं उसको सरकार नोचने का काम कर रही है। मान्यवर, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर गन्ना प्रमुख फसल है। सीतापुर जनपद जहां से हमारे मंत्री जी चुनकर आते हैं गन्ना पैदा करने में प्रमुख स्थान रखता है। मंत्री जी को जानकारी नहीं है कि पिछले साल सीतापुर जनपद में लगभग 6 लाख क्विंटल गन्ना खेतों में खड़ा रह गया। आज भी मंत्री जी चलकर देखें 2 लाख टन गन्ना पिछले साल का खेतों में खड़ा है। मान्यवर, पिछले साल 86 लाख 34

[श्री हरगोविन्द वर्मा]—

हजार टन शकर पैदा हुयी और 38 लाख टन शकर पूरे देश के स्तर पर सरप्लस स्टाक में है। लेकिन अधिकारी और मिल मालिकों ने, सरकार ने साजिश की है और पूँजीपतियों से पैसा लेने का काम किया है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

भूतपूर्व मंत्रियों की साजिश है या वर्तमान मंत्रियों की साजिश है।

श्री हरगोविंद वर्मा—

सरकार ने गन्ना किसानों को चौपट करने का काम किया है। गन्ने की दुर्नीति के कारण किसान तबाह हो गया है। पूरे प्रदेश के अन्दर सरकार ने बेसिक कोटा कम कर दिया है। जिस खेत पर पिछले साल 100 क्विंटल गन्ना लिया था इस साल उस पर 50 क्विंटल गन्ना रखा है। नतीजा क्या होगा कि किसान गन्ना बाहरी लोगों के हाथ सस्ता बेचने पर मजबूर होगा। आज 5 रुपये, 7 रुपये और 8 रुपये क्विंटल गन्ना किसानों को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस तरह की दुर्नीत चलाकर सरकार गन्ना किसानों को चौपट कर रही है। मान्यवर, यही नहीं किसान ने दो साल इनकी मिल की, इनकी गन्ना यूनियन को गन्ना नहीं दिया, उसको सट्टा भी इन्होंने नहीं दिया। श्रीमन्, बोनाफाइड मेम्बर किसी यूनियन का है, मिल का है, उसको पर्ची न देना, कितना बड़ा आघात है किसान के साथ। इस प्रकार के लाखों किसान पर्ची से वंचित रह गये हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस साल शक्कर कम पैदा होगी और मेरा निश्चित मत है कि मई, महीने के आखिर तक मिलें बंद हो जायेंगी और केवल 38 लाख मी० टन शक्कर हिन्दुस्तान में होगी यहाँ के पूँजीपति मुनाफा कमाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शक्कर पहले 4 रु० 15 पैसे किलो थी, परन्तु कल लखनऊ की बाजार में भाव पता करने पर मालूम हुआ कि शक्कर के दाम 4 रु० 80 पैसे किलो हो गए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जुलाई- अगस्त में इसके दाम बढ़कर 6 रु० हो जायेगे और अगले वर्ष, इनकी दुर्नीति के कारण, पूरे हिन्दुस्तान में 10 रु० किलो शक्कर बिकेगी। मैं चाहूँगा कि यह शासन किसानों की समस्याओं पर विचार कर, उन पर गौर कर, उनका निदान करने एवं उनकी दशा को सुधारने का प्रयास करें। मान्यवर, यह जब तक नहीं होगा, तब तक देश से गेहूँ की समस्या का, गन्ने की समस्या का और अन्य समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। मैं अन्त में, इन तमाम बातों के साथ पुनः कहना चाहूँगा कि सरकार इनकी समस्याओं पर गौर करें और उनके हित में काम करें वरना निश्चित तौर से विद्रोह होगा और इस सरकार को जनता घसीट-घसीट कर सड़क पर खड़ा कर देगी।

***श्री विमल प्रसाद तिवारी**—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर हो रही सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

वर्ष 1983-84 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। इस सरकार ने तीसरे साल वित्तीय वर्ष में, निश्चित समय पर पूरे प्रदेश का बजट एक साथ प्रस्तुत करके, प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, इसलिए यह सरकार विशेष बधाई की पात्र है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय नेता विरोधी दल का भाषण, लम्बा भाषण कल मैंने सुना और मुझे ऐसा लगा और शायद सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों को भी ऐसा लगा हो कि वह सारहीन और नीरस था। वह एक ऐसे डाक्टर का भाषण था, जो सिर्फ यह तो छिपा रहे थे कि मैं जब डाक्टर था और मरीज मेरे इलाज में था तो मैं असफल रहा। जो दवाइयाँ मैंने दीं, उससे मरीज की हालत खराब हो गयी। और आज जब उस मरीज की हालत ठीक हो रही है, नयी-नयी दवाइयां देकर, तो वह नाम गिना रहे हैं।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल स्वयं शासन में रहे, उनका दल शासन में रहा, तो उस समय उन्होंने क्या-क्या कदम उठाये इन सब घाटों को, इन सब कमियों को दूर करने के लिए, जिनका लम्बा विवेचन वे कल कर रहे थे। हम लोग अब पक्ष में बैठते हैं। यह जो सदन और इस सदन के माननीय सदस्य हैं, वे ये अधिकार रखते हैं उनसे पूँछने का कि निगमों का घाटा तो इस काल में नहीं बढ़ा, वह तो उनके समय से हैं। तो जब माननीय नेता विरोधी दल सत्ता में थे, उनका दल सत्ता में था, तो उन्होंने घाटे को दूर करने का क्या प्रयास किया। मान्यवर, इनके लम्बे भाषण में कोई भी तर्क युक्त, कोई भी रचनात्मक सहयोग का सुझाव नहीं था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने, माननीय श्रीपति मिश्र जी की सरकार ने, इस प्रदेश में वित्तीय अनुशासन लाने का जबरदस्त प्रयास किया है, उसके लिए वे सराहना और बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, जहाँ तक आर्थिक विकास का प्रश्न है, इस वर्ष के प्लान ने लिए 1375 करोड़ रु० लाने में सफल हुए माननीय मुख्य मंत्री जी तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, यह धनराशि पिछले वर्ष के प्लान के लिए स्वीकृत धनराशि से 175 करोड़ रु० अधिक है। मान्यवर, यही नहीं जब से काँग्रेस सत्ता में आयी है, माननीय नेता विरोधी दल चाहे जो कुछ कहें, उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य चाहे जो कुछ कहें, प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नकारा नहीं जा सकता है। विकास हो रहा है।

श्री विजय सिंह राना—

आपके क्षेत्र में कितनी सड़कें बनी ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्षेत्र विशेष में सड़क की बात मत करिये। आप बैठें आपको मौका मिलेगा। इतनी सड़कें बनी जितनी आप तीन साल के कार्यकाल में नहीं बना सके। आपने मिट्टी डलवा दिया था जो एक साल के अन्दर खराब हो गयी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रति-व्यक्ति आय 1979-80 में जब उधर बैठे हुए लोग सत्ता में थे तो 420 रु० प्रतिव्यक्ति था जो बढ़कर 1980-81 में 515 रु० हुआ और 1981-82 में 522 रु० हो गयी। क्या यह प्रगति का सूचक नहीं है ? औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में चाहे जो कुछ उधर बैठने वाले कह दें, उनको तकलीफ हो रही है और तकलीफ होनी चाहिये क्योंकि वह अपने शासन काल में असफल रहे उनके शासन काल में हमेशा हर क्षेत्र में गिरावट आयी है। जब से काँग्रेस शासन में आयी है चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक प्रगति की बात हो हर मामले में तरक्की हुई है। इसलिये इनको तकलीफ होना स्वाभाविक है कि काँग्रेस के काल में प्रगति हो रही है। इसको लेकर यह चाहे जितनी अनर्गल बात कहें उससे हमको तकलीफ नहीं होती है। क्योंकि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरागाँधी और नेता सदन श्री श्रीपति मिश्र से एक निश्चित दिशा की ओर प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेकर चलना चाहते हैं और विकास के पथ पर हम चल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 79-80 में 169-1 था, 80-81 में 177-5 हुआ और 81-82 में यह 190-8 हुआ।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी]—

यह प्रगति रही है औद्योगिक क्षेत्र में। माननीय नेता विरोधी दल और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यगण चाहे जो कुछ कहें, मुझे प्रसन्नता होती अगर उन्होंने किसी भी कार्य को कहा होता कि यह अच्छा कार्य हुआ है।

मान्यवर, विकेन्द्रीकृत नियोजित योजना की बात है आप भी शासन में रहे लेकिन जब काँग्रेस सत्ता में आयी तो उसने इसको एक शक्ल का रूप दिया। 987 करोड़ रु० का बजट में प्राविधान इसके अन्तर्गत किया गया है। जिसके द्वारा जिले की आवश्यकतानुसार और अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार जैसा अग्निहोत्री जी और राना जी कह रहे थे अपने क्षेत्र में सड़क, पेयजल और हरिजन पेयजल की व्यवस्था कर सकेंगे। इस विकेन्द्रीकृत योजना को साकार रूप देने के लिये मैं विशेष रूप से सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। यह सरकार इस तरफ सक्रिय कार्य कर रही है। एकीकृत कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड को 8 लाख रु० दिया गया है। जाहिर है यह रुपया कमजोर लोगों के आर्थिक उत्थान में उनकी सहायता में व्यय किया जायेगा। उधर के माननीय सदस्य आलोचना करते हैं। मुझे प्रसन्नता होती अगर माननीय नेता विरोधी दल ने एकीकृत योजना में किये गये कार्यों में से किसी एक काम को अच्छा कहा होता। माननीय अधिष्ठाता महोदय उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य केवल आलोचना के लिये आलोचना करते हैं। एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके ऊपर यह सरकार गर्व कर सकती है। और वह है 74 हजार 102 प्रदेश की ग्राम सभाओं का चुनाव जो इस सरकार ने कराये और यह एक ऐसी महान उपलब्धि है जिस पर यह सरकार और हम सब लोग गर्व कर सकते हैं क्योंकि आप चुनाव नहीं करा सके थे।

श्री अधिष्ठाता—

तिवारी जी, आप का समय समाप्त हो गया।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

जब आप सत्ता में आये थे, जनता के मौलिक अधिकारों को आपने नष्ट कर दिया था। मान्ययर, एक मिनट और दे दें। बिजली उत्पादन की बात माननीय नेता विरोधी दल ने भी कही। इस वर्ष अत्यधिक प्रगति हुई है जिस पर यह सरकार गर्व कर सकती है। अप्रैल-दिसम्बर, 1982 की अवधि में गत वर्ष की तुलना में 13.1% बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई। यह भी एक सराहनीय कार्य है। कम से कम कोई सुझाव देना चाहिए था कि किस प्रकार इस बिजली की कमी को पूरा किया जाय।

मान्यवर, कानून और व्यवस्था की बात कही गयी। यह एक निश्चित सफलता का विषय है जिस पर इधर के बैठे हुए लोग, कांग्रेस के, गर्व कर सकते हैं। जो कानून और व्यवस्था की हालत 1977-80 के बीच में जो खराब हुई थी उस पर अंकुश लगाने में यह सरकार सफल हुई। आप बार-बार लाल बत्ती दिखा रहे हैं मान्यवर, 1982 में डकैती और राहजनी के 2061 तथा 4470 मामले हुए जबकि 1980 में 3365 और 6175 मामले थे। इस प्रकार कानून और व्यवस्था में भी भारी सुधार हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं इस सरकार को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य, नेता विरोधी दल, सब लोग रचनात्मक सहयोग की दिशा में अग्रसर रहेंगे।

*श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, बजट की सामान्य चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके लिये धन्यवाद देता हूँ। श्रीमन् बजट भाषण और बजट पर चर्चा चल रही है। पिछले दिन जब माननीय मंत्री जी इस भाषण को और बजट को रख रहे थे तो ऐसा लगता था कि कोई उधार ली हुई चीज रख रहे हों। इसमें जो भी कुछ रखा गया या जो कुछ कहा गया उसमें बहुत अन्तर है। बहुत सारी उपलब्धियां इन्होंने गिनायीं। बड़ी उपलब्धियों की बात कहते हैं लेकिन एक चावल होता हैं खुदेवा चावल, जिसे गरीब तबके के लोग बहुत नीचे के लोग खाते हैं। आज उसकी कीमत बाजार में 350 रुपया पर है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया। दो-तीन बातें जरूर कह देनी चाहिए थीं। दो-तीन दिन से एक मामला आपके सामने आ रहा है। मेरे पास एक अखबार है, मैं उसकी हैडिंग पढ़ कर सुना देना चाहता हूँ—सहकारिता मंत्री श्री बच्चा पाठक द्वारा अधिकारियों के प्रति दुर्व्यवहार की निन्दा। सुरक्षा को छोड़ कर शेष अधिकारियों द्वारा मंत्री जी से मिलने का बहिष्कार। एक तो आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं आपके चपरासी, अधिकारी हैं। श्रीमन् एक सप्ताह से बलिया के अन्दर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी सदस्य या मन्त्री के बुलाने पर न तो मिलने जाता है और न उनसे बात करता है। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ। मन्त्री जी बैठे हैं। विद्युत का उन पर 40 लाख रुपया बकाया है। मन्त्री भी हैं और बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि यह रुपया माफ कर दिया जाय। जब मन्त्री के निवेदन को मुख्य मन्त्री पूरा नहीं करते, उनकी माँग को स्वीकार नहीं करते...

***आबकारी मंत्री श्री विद्याभूषण—**

यह बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। सदन में कई बार आ चुका है। मेरे ऊपर 40 लाख तो क्या 4 रुपया भी साबित कर दें तो मैं अपना त्याग-पत्र दे दूँगा वरना माननीय सदस्य अपना त्याग-पत्र दे दें।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

जवाब देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

तो आप आरोप न लगायें, कृपा कर। व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं और प्रमाण नहीं है। यह आक्षेप नहीं करना चाहिये था।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

सरकार से जहां विधान सभा और विधान परिषद् में स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं तो नहीं आते। जब सवाल आये तब स्पष्टीकरण आना चाहिये। कांग्रेस (आई) के घोषणा पत्र के आधार पर ही मा० सदस्य चुन कर यहां आये हैं। यह गांव से सड़कों को जोड़ने का काम करेंगे जिस स्तर से जिस गति से यह गांव को सड़कों से जोड़ने का काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, पांच प्रतिशत भी गांव सड़कों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। जनता शासन में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत यह कार्य तेजी से हुआ। यह ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत मन्त्रियों कें और सत्ता पक्ष के विधायकों के चाहने पर जिन्हें वह चाहते हैं वहां सड़क बना रहे हैं। विरोधी दल के मेम्बर जहां चाहते हैं उन सड़कों के निर्माण का काम आप नहीं करने जा रहे हैं। इन्होंने बड़े साज बाज से प्रस्तुत किया है मान्यवर 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में, मन्त्री जी नोट कर लें, एक सलाहकार समिति बनी है। सलाहकार समिति की बैठक मे मा० सदस्यों को बुलाया जाना चाहिये। सरकारी कम्पनी खोल दी गयी है। मेरे जनपद की बात है। एक भी बैठक नहीं हुई जिसमें सत्ता पक्ष के सदस्यों को, विरोध पक्ष के सदस्यों को बुलाया गया हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरी शंकर भैय्या]—

कृषि उत्पादन को लीजिये मान्यवर, शुरू में ही कहा गया कि बाढ़ और सूखे के कारण हम तबाह हो गये हैं। हमारे जिले में सूखा भी था और बाढ़ भी। बलिया-देवरिया, सेरसा से लखनऊ की पटरियाँ पानी से भरी हुई थीं। श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी गयी थीं। उन्होंने हवाई जहाज से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बलिया जनपद सबसे अधिक बाढ़ से पीड़ित है, इसे पूरी मदद दी जानी चाहिये। श्रीपति मिश्र जी भी गये, बलिया का इन्होंने हाल देखा तो कहा कि बलिया जनपद बाढ़ और सूखे से दबा है। अब देवराज राजीव गांधी जी वहाँ गये। बड़ा तीमझाम किया गया, स्वागत सत्कार किया गया। उन्होंने भी कहा कि बलिया बाढ़ से दबा हुआ है। मदद करने की बात कही। मैं आपको बता दूँ, चार लाख रुपया हाउस सब्सिडी के नाम पर और पौने चार लाख तकाबी के नाम पर देने का प्रयास किया गया। जनता शासन काल में हमने बाढ़ग्रस्त इलाकों के बच्चों की 9 महीने की फीस माफ की थी। सारे के सारे गाँव तबाह हो गये आपने तीन महीने की फीस माफ की। (लाल बत्ती जलने पर) पांच मिनट में समाप्त करता हूँ।....

श्री अधिष्ठाता—

आठ मिनट हो गये। अब केवल दो मिनट ही शेष हैं।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

इसके बाद सहकारिता पर आना चाहता हूँ। हमारे जनपद में कोई भी सहकारिता की दुकान राशन वितरण का काम नहीं करती है। मन्त्री जी हमारे जनपद के हैं। कहीं भी सस्ती वस्तुओं का वितरण नहीं हो रहा है। सिंचाई विभाग को लूँगा, मान्यवर। दो पम्प नहरें ऐसी हैं जो दक्षिण को चली गयीं। सोहाव-बलिया (व्यवधान)...

मान्यवर, सिंचाई मन्त्री जी से मिलकर कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। दोनों पम्प नहरें गाजीपुर-देवकली, दोहरीघाट-मटौल हैं जिनसे पानी लेकर सिंचाई का काम कर सकते हैं। (शोर)। मान्यवर, एक मिनट और। हमारे जनपद के 50 प्रतिशत नलकूप खराब हैं। एक भी ऐसा नलकूप नहीं है जिसमें अण्डर ग्राउण्ड नाली हो। अण्डर ग्राउन्ड नाली बनाने की बात होगी तो वह वीर बहादुर जी के क्षेत्र में गोरखपुर में चली जायेगी पता नहीं कौन-सा गुनाह बलिया जनपद ने किया है। आजादी की लड़ाई में हमारे जिले के लोगों ने सबसे ज्यादा महान् योगदान दिया, पर विकास के कार्यों में हमारा बलिया जिला सबसे पीछे है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

जहां तक परिवहन निगम की बसों का प्रश्न है, वह भी बहुत कम हैं। 12 बसें अभी जनपद को नीलाम हो गयीं, कुछ अभी नीलाम की जाने वाली हैं। 7 बसें वर्कशाप में खराब पड़ी हैं। इस समय केवल 14 बसें पूरे जनपद में चल रही हैं। बसों में जितनी सीटें बैठने के लिये होती हैं उससे दुगनी तादाद में यात्री बैठकर यात्रा करते हैं वहाँ पर और अधिक बसें चलायी जायें।

हमारे यहाँ एक मार्ग फेफना-बक्सर है जो हर साल बाढ़ में टूट जाता है। इस मार्ग पर एक पुल बनवाया जाय।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। कल मैं माननीय नेता, विरोधी दल के भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पुराना घिसा-पिटा रेकार्ड बज रहा हो, वही पुरानी बातें दोहरायी जा रही थीं, न कोई नई बात कही जा रही थी, न कोई नया सुझाव ही दिया जा रहा था जिससे कि प्रशासन और अधिक मजबूत हो सके। मान्यवर, कल अपने भाषण में माननीय नेता विरोधी दल ने हैदराबाद के रुरल डेवलपमेंट में हुए एक सेमिनार का तसबिरा रखते हुए कहा कि वहां पर 600 आई० ए० एस० अफिसर बुलाये गये थे। वह 6 से 8 जनवरी 1983 में हुआ था लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश से दो प्रतिनिधि, माननीय अध्यक्ष ने भेजे थे, जिसमें एक सत्ता पक्ष से और एक विरोध पक्ष से। विरोध पक्ष की रुचि रूरल डेवलपमेंट में कितनी है इसका अन्दाज आप इसी से लगा सकते हैं कि विरोध पक्ष के जिन माननीय सदस्य को भेजा गया था वे उस सेमीनार में पहुँचे ही नहीं। उन्होंने न जाने का बहाना यह लिया कि उनको देर से सूचना मिली। सूचना जबकि दोनों को ही एक माह पूर्व ही मिल गई थी। केवल यहाँ सदन में ही बैठकर विरोध पक्ष वाले शासन की भले ही आलोचना कर लें, मगर कोई ठोस सुझाव उनके पास नहीं हैं। उनका कार्य केवल मात्र शासन की आलोचना करना ही रह गया है। जनता शासन के मुकाबले यह दल समझता है कि उसमें और इस शासन में जमीन आसमान का अन्तर है। शासन की बात कर रहे हैं, जिस शासन का कोई दल ही नहीं था। जिसका कोई रूप नहीं था, वह शासन कर ही क्या सकता था। जिस शासन को तीन वर्ष अपने ही झगड़े में, अपने ही बँटवारे में तथा अपने ही लोगों को बदनाम करने में निकल गये थे।

मान्यवर, लोकदल की बात करना चाहता हूँ। उनके माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ किस नेता की यह बात कर रहे हैं। जिसने कुर्सी के लिये अर्थात् प्रधान मन्त्री बनने के लिये अपने दल को तोड़ दिया था। श्रीमन्, मुझे याद आता है जब मैं अपने एक बड़े नेता से दिल्ली में मिला था और मैंने उनसे पूछा था कि यह क्या हो गया। जिस चरण सिंह ने कोई कर्म नहीं छोड़ा, उस चरण सिंह को प्रधानमन्त्री बनाया गया है तो उस तरफ से जवाब मिला कभी मजबूरन, कभी मसलहतन कातिल को भी मसीहा कहते हैं इस प्रकार चरण सिंह अपने दल को छोड़कर प्रधानमंत्री बन गये।

श्रीमन्, मैं विरोध पक्ष से कहना चाहता हूँ कि आपकी राजनीति केवल कुर्सी के लिये है, देश कुर्सी नहीं है, देश व्यक्ति है, व्यक्तियों का समूह देश है कुर्सियों का समूह देश नहीं है। श्रीमन्, मैं बड़े इज्जत के साथ कहता हूँ कि हमें जरूरत है एक मजबूत विरोध पक्ष की, डेमोक्रेटिक फार्म आफ गवर्नमेंट के लिये, लेकिन आज इस देश का विरोधी दल उसको भी नहीं बना सका। श्रीमन्, मैं श्री श्रीपति मिश्रा जी की सरकार को तथा उनके मंत्रिमंडल को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है जिससे प्रदेश की प्रगति होगी। चाहे उद्योग की बात हो, सिंचाई की बात हो, चाहे हरिजनों की बात हो और चाहे बिजली की बात हो, इन सारे मसलों पर इस सरकार ने एक नया कदम उठाया है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ तथा सराहना करता हूँ।

मान्यवर, मैं एक राय देना चाहता हूँ इस सम्बन्ध में अभी जो एक सेमिनार जिसका तसविरा मैंने पहले किया है उस सेमिनार की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है। उस रिपोर्ट के अन्दर मान्यवर, दो बातें कही गई हैं, मैं चाहूँगा कि उन सुझावों को हमारी सरकार स्वीकार करेगी। जब तक गांवों के प्रोग्राम्स में चाहे वह आई० आर० डी० हो, चाहे वह आई० आर० डी० पी० हो तथा चाहे वह ट्राईसम हो, जन-प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं होगा तब तक यह प्रोग्राम्स अफसरों की जेब में ही रह जायेगा, यह धरती

[श्री प्रियदर्शी जेतली—]

पर नहीं उतर सकेगी। क्योंकि यह अधिकारी केवल मूविंग बारवर शाप हैं इनकी जानकारी क्षेत्र के बारे में हम लोगों से अधिक नहीं हो सकती। मान्यवर उसने लिखा है इट बाज जनरली आवजर्व्ड दैट दि आई० आर० डी० प्रोग्राम हेज विकम मेयरली ए गवर्नमेन्ट प्रोग्राम. मेम्बर आफ दि पंचायती राज बाडीज, लेजिस्लेचर्स एण्ड दि पार्लियामेन्ट आफ ऐन एरिया आर मोर डीपली कन्सर्न्ड विद दैट एरिया देन दि ट्रान्सफरेबिल आफिसियल्स हू स्टे फार एलीमिटेड पीरियड एट पर्टीकुलर प्लेस. हेन्स इट वाज फेल्ट नेसेसरी ...

इस प्रकार यह आपका आई० आर० डी० प्रोग्राम रह गया।

दि एरिया/ पोपूलेशन आफ दि ब्लाक्स इन सम स्टेट्टस टेन्ड्स टोब टू लार्ज। एक्टिव स्टेप्स आर नीडेड फार रिव्युइंग दि पोजीशन एण्ड बिफरकेशन, इफ नेसेसरी, आफ लार्ज ब्लाक्स.

मान्यवर, इस इन्टीट्यूट की सेमिनार ने राय दी है कि जब तक इनप्रोग्राम्सों में जन–प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों के मेम्बर्स का सहयोग नहीं होगा तब तक इन प्रोग्रामों को धरती पर उतारने में सफल नहीं हो सकते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि इस कमेटी ने रिकमंड किया है बड़े ब्लाकों को छोटा किया जाय क्योंकि उनको जो धन दिया जाता है और उनको जो प्रोग्राम्स दिये जाते हैं। उसमें उसके साइज का ध्यान नहीं दिया जाता है। मान्यवर, अकबर मेरा एक ब्लाक है, इसमें 168 गाँव हैं तथा दूसरे में 198 उनको एक समान पैसा दिया जाता है ऐसे ब्लाकों को छोटा-छोटा किया जाय।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन योजनाओं को पूर्ण रूप से धरती पर उतारने के लिये जरूरत इस बात की है कि जब इस देश में 1981 में जब तहसीलों और जिलों का पुर्नगठन हुआ था आज इनके पुर्नगठन की आवश्यकता है। ऐसे-ऐसे आज मंडलों, जिलों व तहसीलों का पुर्नगठन हो, गाँव सभाओं, जिलों तहसीलों व ब्लाकों आदि का पुर्नगठन हो क्योंकि जितना एरिया छोटा होगा, उतनी प्रशासन की पकड़ मजबूत होगी। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —

वर्ष 1983-84 का जो बजट मान्यवर प्रस्तुत किया गया है वह ऐसी अवस्था में प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति किसी भी तरह से सन्तोषजनक नहीं है और दिन पर दिन आर्थिक स्थिति के सभी पहलू बिगड़ते ही चले जा रहे हैं और मा० वित्त मंत्री जी ने एक बात बजट प्रस्तुत करने वाले दिन और कही थी कि यह बजट प्रदेश को सुख-समृद्धि की ओर ले जायेगा। इसी से संबंधित श्रीमान जी एक कहावत है कि "अन्धा अन्धियार अमावस को छत पर चढ़कर शशि देखत है।" जिस तरह एक अंधा अमावस की आधी रात को छत पर चढ़कर चन्द्रमा को देख रहा है। ऐसे ही मा० वित्त मन्त्री जी इस बजट को प्रस्तुत करके खुश हो रहे हैं, जबकि इस बजट से मंहगाई और बढ़ी है और इसके अतिरिक्त गरीब किसान की जो पहले से बिगड़ी हुयी स्थिति है और उसको और बिगाड़ा है, इस तरह यह कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण बजट एक धोखे का बजट है। साथ ही मा० अधिष्ठाता महोदय सबसे बड़े दुख की बात है कि शासन ने यह घोषणा की थी कि प्रदेश के अन्दर जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वर्षों से, उन क्षेत्रों पर संतुलन बना रहे, इसका ध्यान रखा जायेगा, लेकिन संपूर्ण रूप से बजट के अन्दर कहीं पर भी इस बात के संकेत नहीं मिले।

---

*वक्ता वे भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों की भाँति हर प्रकार से पिछड़ा हुआ एक क्षेत्र है, जिसके लिये भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी एक घोषणा की थी कि बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बजट के अन्दर अवश्य एक धनराशि निश्चित की जायेगी, लेकिन यह संकल्प व घोषणा भी एक धोखा ही साबित हुयी। अगर श्रीमान जी इस प्रस्तुत बजट को देखा जाए कि बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इससे पूर्व बजट में इसके विकास के लिए केवल 23 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी थी और जबकि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए रु० 85 करोड़ की धनराशि दी गयी थी, जिस पर भी वहाँ की स्थिति आज भी वैसी ही है, जो पिछड़े क्षेत्र पहले थे वह आज भी विद्यमान हैं। तो इससे ज्ञात हुआ कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए जो धनराशि दी जाती है, वह सम्पूर्ण रूप में न लगाकर केवल 50 प्रतिशत ही स्तेमाल होती है और बाकी अधिकारियों की जेब में चला जाता है। इसी प्रकार से बुन्देलखण्ड के विकास कार्य के लिए जो धन 23 करोड़ रु० दिया गया था, उसमें से केवल 10 प्रतिशत ही खर्च किया गया और जानकारी के अनुसार 13 करोड़ वहाँ पर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है और बाकी धन भ्रष्टाचार की नजर हो गया तो इस भ्रष्टाचार के संबंध में आदरणीय सदन में स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता और पनपता ही जा रहा है, जिससे देश और प्रदेश के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर इसको समय रहते दूर न किया गया तो इसी प्रकार के कार्य होंगे। 50 प्रतिशत कार्य आज सड़क पर किसी न किसी रूप में दिखायी पड़ना चाहिए, वह दिखाई पड़ नहीं रहा है।

आज एक बात फिर से आपने बजट भाषण प्रस्तुत करते समय कही है और बुन्देलखण्ड क्षेत्र का नाम लिया है। बुन्देलखण्ड की 50 प्रतिशत भूमि आज भी सिंचाई से वंचित है। ट्यूबवेल और कुंए वहाँ खोदे नहीं जा सकते हैं। नहरें आज तक दी नहीं गयी हैं। वहाँ की 25 लाख के लगभग जनसंख्या, जो वहां रहती है और जंगलों की आमदनी से, पत्थरों की खदानों के माध्यम से अपने पेट को भरती थी, आज इस शासन ने पत्थरों की नीलामी कराकर उनके पेट भरने पर भी रोक लगा दी है। वन विभाग ने लकड़ी पर रोक लगा दी है। अगर आप जाँच करायें तो आपको पता चलेगा कि 50 प्रतिशत क्षेत्रों में वहां की जनसंख्या रोटी की तलाश में जिला अहमदाबाद और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भाग रही है। इनका कहना है कि बुन्देलखण्ड का प्रदेश मध्य प्रदेश से मिला हुआ है। एक ओर मध्य प्रदेश के नगरों को देखिये जैसे ग्वालियर है, दकिया है, यदि देखा जाय तो वहाँ पर उद्योग की नगरी का निर्माण किया गया है, प्रत्येक गाँव में बिजली है। बुन्देलखण्ड में जो उद्योगनगर बसाने की घोषणा की गयी थी, आज पाँचों जनपदों में केवल भूमि का सर्वेक्षण हुआ है, एक भी उद्योग की यूनिट नहीं खुली है। मैं इस शासन की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने जिन लोगों को कर्जा दिया हुआ है, उन्होंने वहां पर अपनी मशीनें लगायी हैं, लेकिन उन यूनिटों को पावर कनेक्शन नहीं दिये गये हैं।

झांसी में बिजौली में एक उद्योग नगर की स्थापना हुई थी। इकाइयां खड़ी हैं लेकिन न टेलीफोन है, न पेयजल है, न बिजली है, न यातायात की कोई व्यवस्था है। किसी प्रकार के सर्वेक्षण की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बुन्देलखण्ड की समृद्धि में जो कुछ लोगों ने उद्योग लगाने की कल्पना की थी, वे वापस जा रहे हैं।

शिक्षा की बात कहना चाहता हूँ। आज मैं ऐसे स्थानों का नाम लेना चाहता हूँ जो कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐतिहासिक नगर बने हुए हैं। इनमें एक है मऊरानीपुर। मऊरानीपुर में कोई कन्या हाईस्कूल नहीं है। इसके लिये 6 महीने आन्दोलन चला, मुख्यमन्त्री ने आश्वासन दिया कि कन्या इन्टर कालेज की स्थापना होगी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। एक क्षेत्र है मैरुनी····

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

बस मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ । झांसी एक ऐतिहासिक नगर है, वहाँ की जनसंख्या 3–1/2 लाख है, वहां आज भी कोई कन्या डिग्री कालेज नहीं है, वहाँ की छात्रायें पढ़ाई से वंचित हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखा जाय ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मैं आपका बहुत थोड़ा-सा समय लेना चाहता हूँ । यू० पी० में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़े कहे जा सकते हैं । पर इधर और उधर दोनों तरफ से विशेषकर तीन क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है बुन्देलखण्ड, पहाड़ तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश । मैं कहता हूँ कि इनके अलावा भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो इनसे भी अधिक पिछड़े हुए हैं मगर उनकी चर्चा नहीं होती है । चर्चा हो भी तो उसके लिए साधन चाहिए केवल चर्चा करने से ही इन तीनों क्षेत्रों की समस्या सुलझ नहीं सकती । साधन जब होंगे तभी उनकी समस्या का कोई समाधान किया जा सकता है । बजट के पन्ने उलटिये हर जगह पहाड़ी क्षेत्र और बुन्देलखण्ड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चर्चा रहती है चाहे वह 200 रु० का टाईपराईटर ही क्यों न दिया गया हो या 100 रुपए की घड़ी की ही बात क्यों न हो मगर बुन्देलखण्ड और पहाड़ का नाम जरूर आता है । दूसरे 4-6 पन्ने और उलटिये तो दूसरे किसी क्षेत्र का नाम नहीं होगा । उन क्षेत्रों का बराबर नाम लेना और साधन की तरफ न देखना, यह अनुचित बात है चाहे वो बात इधर से कही जाय या उधर से कही जाय ।

इसके अलावा जो एक—एक गाँव की बात यहाँ कही जाती है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कौन से गाँव हैं उसका नाम बतलाइये जो थोड़ा या ज्यादा नीचे स्तर को रखे हुए नहीं हैं । हर गाँव में कुछ न कुछ कमी है, हर मनुष्य में कुछ न कुछ कमी है । जब तक साधन उपलब्ध नहीं होते तब तक यह कमी पूरी नहीं हो सकती इसलिये इस भावना से कि बुन्देलखण्ड या पहाड़ या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात यहां करें यह उचित नहीं मालुम होता । आप माननीय सदस्यगण एक-एक लाख के प्रतिनिधि हैं । मुझे बड़ा दुःख होता है कि इस सदन की गरिमा को रखने के लिये चाहे अध्यक्ष महोदय खड़े हों, चाहे अधिष्ठाता महोदय खड़े हों, चाहे लीडर आफ दि हाउस खड़े हों जब वे लोग खड़े होते हैं तब आप बैठते नहीं हैं, सदन की गरिमा को तो आप रखते नहीं हैं और बुन्देलखण्ड, पहाड़ व पूर्वी उत्तर प्रदेश को ऊंचा उठाने की बात करते हैं, शर्म की बात है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

***श्री लल्लू सिंह चौहान—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने के लिये मौका दिया । माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के प्रारम्भ में ही आर्थिक समीक्षा करते हुए आय में प्रगति बताई है । 1979-80, 1980-81, 1981-82 में आय थोड़ी-थोड़ी बढ़ा कर बतलाई है कि हमारी आय में और विकास में बढ़ोत्तरी हुई है । परन्तु यह बढ़ोत्तरी और प्रगति आगे कहीं देखने को नहीं मिलती है । आप यह बतलाते हैं कि प्रदेश 1979-80 से लगातार दैवी आपदाओं के प्रकोप से पीड़ित रहा । वर्ष 1980-81 में जहाँ भीषण बाढ़ से 46 जिले प्रभावित हुए वहाँ वर्षा, सूखा व

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ओलावृष्टि तीनों का प्रहार 1981-82 में हुआ। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा तो आप देखें कि कीमतों में फर्क तो होगा ही। जितनी आय आपने बतलाई है और जिससे कि आप विकास की गति को बढ़ा सकें। जिस रेशियो से डेवलपमेन्ट विस्तृत हुआ है उसके लिये सीमेण्ट, लोहा, चूना, कोयला तथा विभिन्न वस्तुएं और उद्योग के लिये संयंत्र जो लगते हैं जैसे बीज, खाद या मजदूरी सभी तो बढ़ी है तो यह विकास कैसे सम्भव हो पाया। 1979-80 में 4,560 करोड़ रुपए की इनकम थी राजस्व प्राप्तियों की जो वर्ष 1980-81 में 5,651 करोड़ रुपये हो गयी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि···

श्री अधिष्ठाता —

माननीय राना जी, कृपा करके आप समाचार-पत्र को बन्द कर दें।

श्री विजय सिंह राना—

इसमें इनके काले कारनामों को मैं पढ़ रहा था।

श्री अधिष्ठाता—

यह सही नहीं प्रतीत होता कि इस तरह से सदन में आप बैठ कर पेपर पढ़ें।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि एकांगी दृष्टिकोण से यह चीजें तैयार की जाती हैं। मेरी जानकारी है और यह मेरा निजी अनुभव है कि 1979-80 में जो प्राईमरी स्कूल 36,000 रुपए में बनता था वह अब 76 हजार रु० में बनता है। अगर अब आप उस समय के मुकाबले में दूनी इनकम करें तब जाकर आप प्राईमरी स्कूल को बना सकते हैं जो कि उस समय 1979-80 में केवल 36,000 रुपए में ही बनता था। तो इस प्रकार से आपके विकास की गति निश्चित रूप से पीछे जा रही है, आगे नहीं जा रही है।

मान्यवर, अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आपने जो प्रगति की है लेकिन संसाधनों की आय में बहुत ही प्रदेश पिछड़ा हुआ है। इसको आप दूसरी तरह से देखें। इस वर्ष 46 जिलों में भीषण बाढ़ का प्रकोप हुआ और 1980-81 में 33 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए। इसके साथ ही साथ सूखे से भी प्रदेश बुरी तरह प्रभावित हुआ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि सारा उत्तर प्रदेश प्रभावित होने के बाद भी सरकार ने कहीं पर किसानों के हित की कोई घोषणा नहीं की। किसी भी जिले में लगान माफ करने की घोषणा नहीं हुई, खाद का जो बकाया था उसकी वसूली माफ करने की कोई घोषणा सरकार ने नहीं की। सरकार से कोई भी रियायत नहीं मिली है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जो फसल आ रही है, उसमें किसान को खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पायेगा, उसकी कमर टूट जायेगी। मान्यवर, मैनपुरी में 2 हजार की कुर्की हर तहसील से निकाली गयी हैं जिसके कारण किसान बुरी तरह से तबाह हैं। तहसील का अमीन गाँव जाता है और किसान को पकड़ कर हवालात में बन्द कर देता है। इस प्रकार के रवैये से किसानों में क्षोभ व्याप्त है और उनमें आन्दोलन पनप रहा है तो मान्यवर, मेरा आप से निवेदन है कि आप किसानों के हितों को ध्यान में रख कर उन बकायों को माफ करने की घोषणा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि विकेन्द्रीकरण की योजना सरकार चला रही है लेकिन कहीं पर भी विकेन्द्रीकरण दिखाई

[श्री लल्लू सिंह चौहान]—

नहीं पड़ता है। यह कहीं पर नहीं हुआ है कि किसी भी जिले को 4-5 करोड़ रुपया दे दिया गया हो और एक कमेटी बना दी गयी हो जिसमें एम० पी०, एम० एल० ए०, और जिले के दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति हों जो बैठकर यह निश्चित करें कि जिले का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। राज्य स्तर पर जो कमी है वही कमी जिले स्तर पर भी है, जो मंत्री यहां से जिस काम के लिए टेलीफोन कर देता है वह काम जिले में हो जाता है। जिले की जनता को विश्वास में नहीं लिया जाता है।

मान्यवर, विकेन्द्रीकरण की योजना केवल कागज पर ही है, उसका वास्तविक रूप सामने नहीं आ पा रहा है। मान्यवर, इन्होंने शिक्षा की बात तो कह दी। इन्होंने कहा कि इतने स्कूल खोले गये हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि केवल स्कूल खोल देने से ही शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है। स्कूलों के लिये फर्नीचर, इमारत, साज सज्जन और वहां पर पढ़ाने के लिये अध्यापकों की व्यवस्था भी आवश्यक है। जब तक यह चीजें नहीं मुहैया की जायेंगी तब तक शिक्षा का वास्तविक रूप सामने नहीं आ सकता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जिले में 1973 से बी० टी० सी० अध्यापक पड़े हुए हैं उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई और वे ओवर एज हो गये हैं। मान्यवर, 17-17 हजार रुपया लगाकर गांवों में जल निगम द्वारा नल लगाये जा रहे हैं। मान्यवर, एक गांव हैपड़ेसरा जिसका प्रधान बृज नन्दन है, वह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है उसने नल अपने दरवाजे के सामने लगवा रखा है कोई भी अधिकारी यह नहीं देखता है कि कहां पर नल लगाये जा रहे हैं। भूमि आवंटन का काम भी हमारे जिले में बहुत ही खराब तरीके से हुआ है। मैंने जिला अधिकारी को 18 गांवों की लिस्ट दी है और कहा है कि आप किसी भी दो गांवों में चले चलें जहां पर हरिजनों को कब्जा मिल सका हो। 7 हजार मुकदमे धारा 178 के चलाये जा रहे हैं जो कब्जे के सम्बन्ध में हैं। मान्यवर, आपकी योजना किस प्रकार की है, मेरी समझ में नहीं आता। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक यह बात कहना चाहता हूँ कि मैनपुरी जनपद शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। मैनपुरी जनपद का हैडक्वार्टर है और ए क्लास म्यूनिसिपल बोर्ड है। वहां पर साइन्स की पढ़ाई का कोई इन्तजाम नहीं है। सिरसा एक दूसरी नगरपालिका है वहां पर कन्याओं के पढ़ने के लिये कोई भी डिग्री कालेज नहीं है। अतः मैं शासन से मांग करूंगा कि चाहे आप प्राइवेट सैक्टर से ही सही, कन्याओं के लिये उनकी पढ़ाई के लिये एक डिग्री कालेज की व्यवस्था कर दें जिसके लिये सरकार सहायता दे।

(2 बजकर 26 मिनट)

जहां तक परिवहन की व्यवस्था का सवाल है, अपने गत वर्ष के बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि वहां व्यवस्था कर देंगे। तत्कालीन परिवहन मंत्री श्री बीर बहादुर सिंह ने भी अपने बजट भाषण में कहा था कि वहां पर हम एक रोडवेज डिपो खोल देंगे लेकिन आज तक कोई रोडवेज का डिपो वहां पर नहीं खुला है। श्री सुनील शास्त्री विद्युत राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैनपुरी में दो डिवीजन बिजली के हैं जिसमें से एक डिवीजन शिकोहाबाद में ट्रांसफर कर देंगे किन्तु मालूम हुआ है कि उस डिवीजन को 50 हजार रुपया रिश्वत देकर रुकवा दिया गया है।

मान्यवर, कछपुरा कांड जो इटावा में हुआ है जिसके बारे में कल यहां पर चर्चा होगी, उसके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। मुझे दुख हुआ जब मैंने माननीय ग्राम्य विकास मंत्री का आज अखबार में वक्तव्य पढ़ा। वे कहते हैं कि रतड़ी जी के प्रति मुलायम सिंह जी द्वेष की भावना रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है कि यह बात गलत है। वे भी इटावा के हैं और आप भी इटावे के हैं। आपको ऐसी बात नहीं कहनी

चाहिए। उनको ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कहने से आपकी प्रतिष्टा गिरी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

***श्री राज कुमार राय—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, हमारे प्रदेश की सरकार इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये, श्रम के विकास के लिये, कृषि उत्पादन और उसके विकास के लिये और हर जगह विकास के लिये कृत संकल्प है। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पिछले वर्ष को उत्पादन वर्ष बता करके हमारे किसानों में एक उत्साह पैदा किया और हमने हर क्षेत्र में उत्पादन के मामले में बखूबी के साथ सफलता प्राप्त की। इस प्रदेश में जब हमारी सरकार ने जब सत्ता और लोगों से ली तो उस समय यहां पर श्रम में अनरेस्ट था, यहां पर हड़तालें हो रही थी। इन सारी चीजों पर काबू पाकर हमने यह लिखा दिया है कि किस तरह से हम मजदूरों के हित की बात करते हैं और श्रम को अपने रास्ते पर लाना चाहते हैं। इन सारी चीजों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अगर किसी सरकार को पैसा न दिया जाय, विकास के लिए दिये गये पैसे में कटौती कर ली जाय तो कैसे काम चल सकता है। एक तरफ तो हमारे विरोधी दल के लोग यहां पर खड़े होकर कहते हैं, नाना प्रकार की माँगें अपने-अपने क्षेत्र, अपने-अपने जिले और प्रदेश के अन्य भागों के लिये किया करते हैं और दूसरी तरफ पैसे की कटौती की बात करते हैं। ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमने जहां उत्पादन के क्षेत्र में, श्रम के क्षेत्र में प्रगति की है, वहीं ला एण्ड आर्डर के क्षेत्र में कसर नहीं उठा रखी, कोई कमी नहीं रखी। ऐण्टी डकैती अभियान चलाकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। कई डकैत पिछले एक-डेढ़ वर्ष में पकड़े गये, उनसे जितने नाजायज असलाह पकड़े गये हैं वह एक मिसाल है।

हमने साम्प्रदायिक और हरिजन सेल कायम किये हैं ताकि समय-समय पर जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, हरिजन हैं, गिरिजन हैं उनको कोई प्रताड़ित न कर सके। इन सारी चीजों को लेकर हमारी प्रधानमन्त्री माननीया इंदिरा गाँधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम प्रदेश और देश के हित के लिए चलाया। अगर शून्य को हटा दें तो दो सूत्रों से हम उसे देखते हैं। एक तरफ हम प्रदेश के उत्पादन में वृद्धि चाहते हैं, श्रमिक अशाँति को दूर करके उत्पादन बढ़ाकर, किसानों को बीज तथा खाद देकर उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं वहीं दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि शिक्षा में वृद्धि हो और गरीब को सही तरीके से सामाजिक न्याय मिले। जो हमारे संविधान की मंशा है उसमें हमारे जो बंधु चाहे उधर के बैठे हों या इधर के बैठे हों सब चाहते हैं कि समाज में जो गरीब वर्गों की समस्या है उसको दूर किया जाय जिसके लिए हमारी सरकार ने हरिजन सैल की स्थापना की है। हमने गरीबों की तरक्की के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर वितरण प्रणाली को अपने हाथ में लिया। इसके पहले जो वितरण प्रणाली थी जो मुट्ठीभर लोगों के हाथ में थी उसको हमने सहकारिता के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया। मैं दावा तो नहीं कर सकता कि शत-प्रति शत सुधार हो रहा है लेकिन फखर के साथ कह सकता हूँ कि सहकारिता के माध्यम से जो वितरण हो रहा है उसमें आहिस्ता-आहिस्ता सुधार हो रहा है और जो खामियां व्यक्तिगत वितरण प्रणाली में थीं उसमें सुधार आया है। आज लोगों को किरोसीन अच्छी तरह से मिल रहा है, अनाज अच्छी तरह से मिल रहा है। पहले जो चीनी की समस्या थी जनता पार्टी के जमाने में जो शुगर पालिसी अपनाई गयी थी उससे किसानों का मनोबल टूट गया था। किसानों को उसके गन्ने का पैसा देने वाला कोई नहीं था तो सबसे पहले जब हमारी

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।**

[श्री राजकुमार राय]—

सरकार ने हुकूमत अपने हाथ में ली तो उस किसान की चिंता की और गन्ने के दाम उसे दिलाये ताकि वह उत्साहित होकर अधिक गन्ना बोये। निश्चित रूप से जब एक समस्या का समाधान होता है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है और आज प्रदेश के अन्दर 82 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है जबकि हमारा कंजम्सन केवल 53-54 लाख टन का है। लेकिन हम इसका भी समाधान करने में लगे हुए हैं और उसमें सफल हुए हैं बफर स्टाक बना कर। इसकी मिसाल आपको इतिहास में नहीं मिलेगी। जहां हमारी यह सफलतायें हैं वहीं मैं कुछ चीजों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मान्यवर, अभी हमारे पूर्ववक्ता श्री चतुर्वेदी जी ने कहा कि कोई पहाड़ों की बात करता है तो कोई बुन्देलखण्ड की बात करता है और कोई पूर्वांचल की बात करता है। यह बात अपनी जगह पर सही है, इससे अनदेखी नहीं की जा सकती कि जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसको प्राथमिकता मिले। आप इस बात को उठा कर देख लीजिये कि पूर्वांचल में आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया देवरिया आदि के जो क्षेत्र हैं ये पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने में सबसे गरीब हैं इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं रखा जा सकता है। वहां पर न कोई मजदूरी है और न कोई दूसरा काम है जिससे वह आजीविका चला सकें। वहां पर बहुत सारी समस्यायें हैं। तो जब आपका कोई अंग कमजोर हो तो उसको प्राथमिकता विकास में मिलनी चाहिये। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास प्राधिकरण बनाया जाय। मान्यवर, आप बड़े अनुभवी हैं आपको ज्ञात होगा कि इन क्षेत्रों की गरीबी की देखकर ही हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने पटेल आयोग नियुक्त किया था लेकिन उसकी संस्तुतियां अपनी जगह पर पड़ी हुई हैं उन्होंने सड़कों के लिए, उद्योग धंधों के लिए, गरीबी और भूख के निपटारे के लिए पुल, पुलियों के निर्माण के लिए बहुत सारे सुझाव दिये थे। उन सुझावों को आज नजरंदाज कर दिया गया है। इसलिये यदि पूर्वांचल के जिलों में पटेल आयोग की संस्तुतियों को लागू कर दिया जाय तो वहां गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन दुख की बात है कि अभी उद्योगों की स्थापना के लिये शिवरामन कमेटी ने देवरिया और गाजीपुर को चुना था लेकिन आजमगढ़ को उसने छोड़ दिया। इसलिये निवेदन है कि सबसे पिछड़े क्षेत्रों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिये। अंत में मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

*श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, बजट के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा में आपने बोलने का मुझे जो समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, एक कहावत है :

अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। तो इसी तरह यह चौपट राजा लोग बजट पास करेंगे लेकिन उसकी रखवाली यह कैसे करेंगे। यह जिस विभाग को बजट पास करके देते हैं तो हमारे मंत्रिमंडल के लोगों को जरा सी जानकारी नहीं है कि बजट का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है।

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री, जो इस समय नहीं हैं, के विभाग में बहुत बड़ा घपला है और वह यह कि मार्ग नं० 28 राष्ट्रीय मार्ग जो देवरिया बस्ती से आसाम-बिहार तक जाता है, वह हरदम मरम्मत में रहता है और उसमें कुछ नहीं हो रहा है कब तक वह बन जायेगा। बजट हम पास करते हैं तो हमको देखना चाहिये लेकिन लगता है कि मंत्रिगण इतने अयोग्य हैं कि वह यह सारा काम अपने अधिकारियों पर छोड़ देते हैं और स्वयं उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं देखते हैं। कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो अपने अधिकारियों को कस कर रखे चूँकि वह अयोग्य हैं। इसलिये शासन के लोगों को और हम लोग को चाहिये कि गोमती में जाकर डूब जांय चूँकि प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है।

मान्यवर, पूर्वांचल में कानून व्यवस्था कुछ नहीं रह गयी है। वहाँ मुख्य मन्त्री जी गये थे तो उनके स्वागत में कांग्रेसी लोग रायफल बंदूक लेकर गये थे और कांग्रेस का नारा लगा रहे थे। वह लोग मुख्य मन्त्री की रक्षा के लिये बंदूक रायफल ले गये थे। तो जब कांग्रेसी लोग रायफल बंदूक लेकर चलेंगे तो जनता की कैसे सुरक्षा होगी, इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में कानून व्यवस्था कुछ नहीं रह गयी है। हमारे यहां दो आदमियों का राज्य है और दो गुट हैं।

मान्यवर, इसी तरह से, केवल ढाई साल जब जनता सरकार रही को छोड़कर, 35 सालों से बजट हम पास करते हैं लेकिन इनको कहते शर्म नहीं आती कि हम हरिजनों के लिये बजट पास कर रहे हैं। मान्यवर, हरिजन बस्ती में कुयें और नल बन रहे हैं। 35 साल आजादी के बाद भी हरिजनों को नल और कुयें देकर वोट यह लोग ले रहे हैं, परन्तु अब वह भी आपकी चालों को समझ गये हैं कि आप केवल उनके नाम का प्रोपेगण्डा कर रहे हैं।

मान्यवर, भूमि आबंटन के सम्बन्ध में मेरा दावा है कि आजादी के 35 सालों बाद भी हरिजनों के पास रहने के लिये भूमि नहीं है और न खेती के लिये उनको जमीन दे पाये हैं। सीलिंग का कानून लागू किया लेकिन सीलिंग की जमीन बड़े-बड़े लोगों और जो इनके भाई हैं उन्हीं के पास है। इसके अलावा सीलिंग की जमीन जिससे निकली है वह फर्जी दिखाकर स्वयं कब्जा किये हुये हैं जैसा कि सरदार सुरेन्द्र सिंह मजेठिया का फार्म जो 4-5 हजार एकड़ में फैला हुआ है, जो कि कुसमी जंगल से शुरू होता है, सीलिंग कानून में जमीन निकलने के बावजूद उन्हीं का उस जमीन पर कब्जा है। और उसी तरह से बरकरार है। सीलिंग का कानून भी लागू है और उनकी जमीन भी वैसे ही बरकरार है। यहां तो वही कहावत लागू होती है कि अन्धा बांटे रेबड़ी और फिर आपन को दे। जमीन वास्तव में कहीं नही बंट रही है। 'व्यवधान' तो मान्यवर, इस तरह से यह ढ़ोग रच रहे हैं। इनके पास कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं है। यह कहते हैं कि जनता पार्टी के शासन में गन्ना फूँका गया और हम लोग किसानों को गन्ने का अधिक दाम दे रहे हैं। पता नहीं यह लोग कहाँ रहते हैं, आज इतनी मंहगाई बढ़ गयी है कि सन् 80 के बाद लोगों की कमर ही टूट गई है।

आज आप देखें कि यूरिया के दाम कहां से कहां पहुँच गये हैं, कितने गुना बढ़ गये हैं। हमारे शासन में यूरिया का मूल्य 55 रुपया छोटे किसानों के लिए और 75 रुपया आम लोगों के लिए था। पर इनके राज्य में क्या हैं? यूरिया कितने दामों पर बिक रही है। इनके दिमाग हो तो यह तुलना करें। यह सरकार दोमुंहा सांप की तरह है। इनकी सरकार केन्द्र से कुछ बोलती है और प्रदेश में कुछ बोलती है। केन्द्र सरकार कह रही है कि गन्ने का दाम 17.50 रुपया क्वींटल है और मुख्यमंत्री यहां कह रहे हैं कि हम 20.50 देंगे। आज तक यह इसे तय ही नहीं कर पाये हैं कि यह वास्तव में किसान को गन्ने का क्या दाम देंगे। दो जगह अलग-अलग पार्टियों की सरकार होती तो यह लड़ जाते, लेकिन यह मुख्य मंत्री तो बन्धुवा मजदूर हैं, यह केन्द्र से क्या कह सकते हैं? आज देश में गरीबी व बेरोजगारी इतनी बढ़ी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उद्योग के लिए बजट दिया गया है लेकिन यह कहीं विकास नहीं कर रहा है। मान्यवर, आप तो पश्चिम के रहने वाले हैं पूर्वांचल के लोग नैपाल से काफी सामान मंगवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर विदेशों से आया हुआ सामान उसे यहां की अपेक्षा सस्ता मिलता है। यहां से वहां हर सामान सस्ता बिकता है। यहां का उत्पादित सामान इतना मंहगा बिकता है कि वह यहां न खरीदकर

[श्री कुबेर भण्डारी]—

विदेशी सामान खरीदते हैं। हमने बहुत कम समय लिया है, लेकिन आदेश हो गया तो बैठता हूँ और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

श्री पन्ने लाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वर्ष 83-84 के बजट पर, जो वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस उत्तर प्रदेश की 11 करोड़ जनता के लिए जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ जैसा उन्होंने अपने बजट भाषण में यह स्वीकार किया कि हम सबसे पहले देवी आपदाओं-जैसे बाढ़, सूखा, ओला आदि पर ध्यान देंगे, वह ठीक है। अब मैं आपका ध्यान पूर्वांचल की ओर दिलाना चाहता हूँ, जहां प्रतिवर्ष घोर बाढ़ आती है और बराबर सूखा भी पड़ता है। पूर्वांचल में बाढ़ की स्थिति ऐसी है कि वहां पर इससे हर साल भीषण बर्बादी होती है और उसके लिए सरकार कोई ठोस मदद नहीं करती है। जनता शासन में भी हुआ और यह सरकार भी करती है कि केवल मदद करके, लोगों को राहत देकर काम चला देती है, लेकिन वह इस विकराल समस्या के स्थायी हल के लिए कुछ नहीं करती है। मैं शासन से निवेदन करता हूं कि वहां के बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं के लिए कोई स्थायी समाधान शीघ्र ढूढ़ा जाए। हमारी सरकार पूर्वांचल को ओर विशेष ध्यान देकर ऐसी योजना प्रस्तुत करे, जिससे बाढ़ की समस्या का समाधान हो। साथ ही साथ हरिजन बस्ती में जो पेय जल की समस्या है, उस समस्या का समाधान हमारी सरकार ने किया है। उस पेय जल के संबंध में मान्यवर, हमें निवेदन करना है कि कुछ ऐसे जिले हैं, जहाँ पर कि कुएं बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है और कहीं-कहीं पर ऐसा है जहां पर कुएं नहीं लग सकते हैं, वहां पर नल लगाने के लिए पैसा दिया जाता है, तो इस संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहां पर कुंए बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, वहां पर नल लगाने के लिए भी पैसा दिया जाय ताकि वहां के लोगों को स्वच्छ जल मिल सके।

मान्यवर, जनहित में वहां पर स्वच्छ जल देने के लिए नल लगाना अत्यन्त आवश्यक है। मान्यवर, विद्युतीकरण की तरफ मैं सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। गाँवों में हरिजन बस्ती में हम तीन-चार खम्भे देते हैं। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर कुछ ऐसी भी हरिजन बस्तियां हैं, जहाँ पर तीन-चार सौ घर होते हैं, मान्यवर, अगर वहाँ पर तीन-चार खम्भे देंगे, तो उस गांव की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं हो पायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर जितने खम्भों की आवश्यकता हो, वहां पर दिया जाय, ताकि उस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण हो सके। मान्यवर, इस संबंध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि अगर किसी हरिजन बस्ती की बिजली खराब हो जाती है, तो कभी भी उसको ठीक नहीं किया जाता है। कोई भी उसको देखने के लिए नहीं जाता है। इसलिए मैं मान्यवर, निवेदन करूँगा-जैसे हमारी बिजली ट्यूबवेल पर है, और अगर वह कभी खराब हो जाती है, तो जब हम कम्प्लेंट करते हैं, तो बिजली विभाग के लोग तुरन्त वहाँ पर जाकर ठीक करते हैं। लेकिन जब हरिजन बस्ती की बिजली खराब हो जाती है, तो उसको कोई भी ठीक करने के लिए नहीं जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान क्षेत्रीय पिछड़ेपन की तरफ ले जाना चाहता हूँ।

मान्यवर हमारा क्षेत्र 183, मुंडेरा बाजार है, जिसमें लगभग 2/3 हिस्सा तीन नदियों से घिरा हुआ है, जहाँ पर आवागमन का कोई साधन नहीं है। मान्यवर, तीस वर्ष की आजादी का कोई भी लाभ वहां पर नहीं पहुँचा है। मान्यवर, 6 फरवरी, 1982 को माननीया प्रधान मंत्री जी चौरी-चौरा गयी थीं, तो उन्होंने वहाँ पर पुल के निर्माण की

बात की थी। मान्यवर, वहां पर पुल का होना बहुत ही आवश्यक है। मान्यवर, वह गोरखपुर और देवरिया जनपद के लिए बहुत आवश्यक है। मान्यवर, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या किसी मरीज को गोरखपुर ले जाना होता है, तो उसको ले जाने में वहां पर पुल न होने के कारण 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो इस प्रकार से मान्यवर, वहां पर गौरी घाट पर पुल का बनना बहुत ही आवश्यक है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान उद्योग धंधे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मान्यवर, जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो, जहां पर सस्ता लेबर उपलब्ध हो, वहां पर उद्योग धंधा लगाने में प्रदेश और देश का बहुत फायदा होता है।

मान्यवर, चौरी-चौरा हमारे क्षेत्र के अन्दर एक चमड़े का बाजार है, अगर वहाँ पर चमड़े का कारखाना लगा दिया जाय, तो वहां पर सस्ते लेबर मिल जायेंगे और कच्चा माल भी वहां पर उपलब्ध हो जायगा, इसलिए वहां पर चमड़े का कारखाना लगा कर वहां की गरीबी को दूर किया जा सकता है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान सीलिंग की जमीनों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मान्यवर, सीलिंग की जमीनें जो हैं, कहीं-कहीं पर विवाद खड़े हो गये हैं, इसलिए वहाँ पर गावों में लोगों को कब्जा नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सीलिंग के कानून को आप बड़ी मुस्तैदी के साथ लागू करने की कृपा करें।

मान्यवर, इसके साथ-साथ आपका ध्यान परिवहन की ओर ले जाना चाहता हूँ। परिवहन की दशा इस समय खराब है लेकिन जब जनता सरकार थी सन् 77 में तो परिवहन में प्राइवेट परमिट देकर बसों की भरमार इन्होंने कर दिया। प्राइवेट बसों के कारण आज परिवहन छिन्न भिन्न हो गया है और मनमाने ढंग से गाड़ियां चलायी जा रही हैं। परिवहन की आय भी इसी कारण घट गयी है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों का मैंनुअल अभी तक नहीं बना हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री पन्ने लाल—

मान्यवर, परिवहन कर्मचारियों का मैनुअल अभी तक नहीं हुआ है। सन् 72 में निगम बन गया लेकिन मैनुअल न होने के कारण कर्मचारियों को जो फायदा मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, आपने जो बोलने के लिए मुझे समय दिया इसका मैं आभारी हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

विष्ट जी आप बैठें मैंने कन्हैया लाल जी को बुलाया है। आप अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोल चुके हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं अपने दल का अकेला हूँ। मुझे तो हर विषय पर बोलने का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि पर्वतीय अंचल का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ सत्ता पक्ष के लोग तो सत्ता रूढ़ दल की बातें करते हैं।

*श्री कन्हैया लाल—

अधिष्ठाता जी, प्रसंग नहीं है लेकिन जेतली साहब ने छेड़ दिया था इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ। राजनीतिक बातें करके जेतली साहब ने कुछ पार्टी जोड़ने और पार्टी बदलने की बात कही। मैं जेतली साहब को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं भी काँग्रेस पार्टी में था। 69 मे जिस वक्त इंदिरा जी ने पार्टी तोड़ी और इंडीकेट बनाया तो कांग्रेस में होते हुये भी केवल गरीबी हटाओ के नाम पर मैं इंदिरा जी के साथ चला गया। 78 में इंदिरा जी ने पार्टी फिर तोड़ी और कुछ लोगों को लेकर अलग हो गयीं।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, अगर इजाजत दें तो मैं कह दूँ।

मान्यवर, इंदिरा जी ने पार्टी नहीं छोड़ी। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में है।

श्री रियासत हुसैन—

तो आज वह नाम के आगे कांग्रेस (आई) क्यों लगा रही हैं ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह आप जैसे सज्जनों को समझाने के लिये लगा दिया गया है कि वे समझ लें कि यही इंदिरा कांग्रेस है। मान्यवर, पार्टी पर हाथ न डालें। राजनारायण जी से मिलें। पार्टी तोड़ने का इतिहास उनका है।

श्री कन्हैया लाल—

राजनीतिक कुर्सी पकड़ने के लिये पार्टी जोड़ी और तोड़ी जाती हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कन्हैया लाल जी, आप बजट पर बोलना प्रारम्भ करें छोड़ दें पार्टी को जोड़ने और तोड़ने की बात।

श्री कन्हैया लाल—

मान्यवर, बजट जैसा हर साल रखा जाता है उसी तरह माननीय ब्रह्म दत्त जी ने रखा है। कुछ आंकड़े 10 परसेंट किसी में बढ़ा दिया और 5 परसेंट किसी में बढ़ा दिया। हर साल बजट बढ़ता है। लेकिन जन साधारण पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि अगर विवेचना की जाय तो साफ बात यह है कि जितना बजट का खर्च बढ़ता है उतना ही ज्यादा परसेंटेज कमीशन का बढ़ जाता है जो जिले से लेकर लखनऊ तक आता है। बजट का 50 परसेंट तो केवल कमीशन में खर्च हो जाता है और 50 परसेंट ही जनता तक पहुँच पाता है। मैंने पता किया तो इंजीनियर ने बताया कि इस साल एक किलमीटर सड़क आपके जिले में नहीं मिलेगी। यह इसलिये है कि कमीशन में रुपया चला जाता है।

मान्यवर, इस बजट में बीस सूत्रीय कार्यक्रम और हरिजनों के उत्थान के बारे में जिक्र किया गया। मैं आपके माध्यम से हरिजन समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान का बड़ा भारी नाम है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ा इन्वैस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ा रुपया यहाँ से जा रहा है। श्रीमन् मथुरा जिले में दुकानें बनवायीं स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के अन्तर्गत हर गाँव में दो ब्लाकों के अन्तर्गत 10-10, 5-5 दुकानें, 10 हजार रुपये प्रति दुकान की लागत से, दुकानें बनीं। यह हरिजनों को एलाट करने के लिए बनवायी गयीं। लेकिन इन दुकानों को बनवाने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी थे,उन्होंने जनता के प्रतिनिधियों से कतई नहीं पूछा और दुकानों के लिए अपने आप जगह पसंद की। नतीजा यह हुआ कि एक गाँव में करीब-करीब दो फर्लांग दूर, दूसरे गांव से एक किलोमीटर दूर, तीसरे गाँव से डेढ़ किलोमीटर दूर, यह दुकानें बनीं। समझ नहीं सकता कि गाँव में जंगल में दुकानें क्यों बनवायी गयीं। लेकिन चूंकि हरिजनों के नाम का पैसा है, इसलिये अधिकारी लोग उस तरह से खर्च करते हैं। यहां के मिनिस्टर्स और लोगों का उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है। अभी मेरे क्षेत्र में बांदा गाँव में 10 दुकानें 10 हजार रुपया प्रति दुकान की लागत से बनीं। गाँव से डेढ़ किलोमीटर दूर आंल गाँव में 15 दुकानें डेढ़ लाख रुपये में बनी, कोई इन दुकानों को लेने को तैयार नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वे जरा इसको देखें कि कितना रुपया लग रहा है, हरिजनों के नाम पर कितना रुपया लूटा जा रहा है। यह इस प्रकार से दुरुपयोग है, क्रिमिनल वेस्टेज है। इस रुपये का क्रिमिनल वेसटेज हो रहा है, इसको रोकना चाहिये, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरी सरकार से मांग है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार का कार्य किया है, इस तरह की यह दुकानें बनवाई हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उनकी रिसपांसबिलटी फिक्स होनी चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सीलिंग की कुछ जमीन निकली, वह हरिजन बेचारों को एलाट कर दी गयी है, रद्दी से रद्दी सीलिंग में जमीन दी जाती है। दो-चार साल मेहनत करके वह गरीब किसी तरह से उसे उपयोगी बनाकर, उसमें ट्यूबवेल लगाकर उसे खेती लायक बनाता है, लेकिन फिर जिनकी यह सीलिंग की यह जमीन छीनी गई थी वह हाईकोर्ट में रद्द कर देते हैं और 4-5 साल के बाद वह जमीन उनको वापस हो जाती है तब हरिजन के पास कुछ नहीं रह जाता है और वह कर्ज़-दार हो जाता है। तो जिस हरिजन ने जमीन को उपयोगी बनाने के लिए ट्यूबवेल लगाया था, 10-10 हजार, 15 हजार, 5 हजार रुपये कर्जा लिया था, उसका कोई पुरसा हाल नहीं। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए और कानून में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। तो जो जमीन है वह दूसरे को गई लेकिन जो कर्जा उसने उसे उपयोगी बनाने के लिए लिया था वह उसी से लिया जा रहा है, तो वह भी जमीन के साथ चला जाना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वह बेचारा हरिजन कहां से पैसा देगा, कहां से रुपया देगा।

एक और बात मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि सीलिंग से निकली जमीन जो हरिजनों को एलाट की जाती है 1-1 एकड़, 2-2 एकड़, तो उनमें सिंचाई की व्यवस्था कतई नहीं होती है, बारबन्दी में नाम नहीं होता है तो नहर वाले कहते हैं कि कि हम आपको सिंचाई की सुविधा नहीं दे सकते हैं। तो अगर उनको जमीन दी गयी है, एलाट की गई है तो सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि उनकी सिंचाई की व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध करें। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जो सीलिंग की जमीन प्रदेश भर में हरिजनों को दी है, सरकार उसको देखे कि उनको सिंचाई की सुविधा मिल जाय। बार-बंदी में उनके नम्बरों को लिखा जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह से 1-1, 2-2 एकड़ जमीन देने से कोई लाभ नहीं होगा। तीसरी बात, अधिष्ठाता महोदय मैं और हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जमीनों का जो एलाटमेंट होता है, उस पर उनको कब्जा नहीं मिलता है। काफी समय लग जाता है कब्जा मिलने में। पिछली सरकार ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने यह नियम बनाया था कि हर महीने के पहले शनिवार को विधायक और एस० डी० एम० क्षेत्र का दौरा करेंगे, देखेंगे कि किस-किस को

[श्री कन्हैया लाल —]

असली कब्जा नहीं मिला । तो, उसमें कुछ काम हुआ था । जब हम लोग जाते थे, तो लोगों को कब्जा दिलवाते थे । लेकिन श्रीपति मिश्र की सरकार ने वह नियम भंग कर दिया । उन्होंने शायद इसकी जरूरत नहीं समझी कि हरिजनों को कब्जा दिलवाया जाय । उन्होंने कहा ईश्वर के नाम पर जैसा चल रहा है चलने दीजिये । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस नियम को फिर से लागू कराइये····

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

आप किस जमाने की बात कर रहे हैं । कुछ तो भगवान से डरिये ऐसा मत कहिये ।

श्री कन्हैया लाल—

[× × ×]

ताकि अधिक से अधिक लोगों को कब्जा मिल सके ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

[× × ×]

श्री कन्हैया लाल—

हरिजनों को अगर 3 हजार रुपये पर साढ़े सात सौ रुपये की छूट मिलने वाली है तो साढ़े सात सौ रुपया डाक्टर और बी० डी० ओ० आदि ले लेते हैं । तब उसका नाम करते हैं । मवेशी इस प्रकार का दिलवाते हैं कि 2 महीने में वह मर जाता है । बीमे की रकम के लिए वह बीमे की कम्पनी को नहीं लिखते हैं न बैंक लिखती है बल्कि उसके नाम वारन्ट और कुर्की आती है वसूली के लिए । जब वह मवेशी आपकी पसन्द का खरीदता है डाक्टर की पसन्द का खरीदता है, तो मरने पर उसकी जिम्मेदारी डाक्टर की होनी चाहिये । अगर वह मवेशी अपनी पसन्द का खरीदे तब उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिये । मान्यवर, पशुपालन का जिक्र करना चाहता हूँ । हमारे मथुरा में एक वेटनरी कालेज है किसी जमाने में यह एशिया का सर्वप्रथम कालेज था । आज यह चन्द्रशेखर आजाद यूनीवर्सिटी से सम्बद्ध कर दिया गया है । वहां नाममात्र के प्रोफेसर हैं लड़कों को कोई शिक्षा नहीं दी जी जाती है यह बहुत ही दयनीय स्थिति में है । करोड़ रुपये की इसकी बिल्डिंग है, करोड़ रुपये की जमीन है । सभी साधन हैं । लेकिन सरकार की नीति के कारण यह कालेज बर्बाद हो रहा है । इस कालेज में आपको ताज्जुब होगा कि आज तक एडमिशन में हरिजनों को यह आरक्षण नहीं मिला है । मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर गोलमाल दे दिया गया । मेडिकल कालेज में तो जितना कोटा है वह मिला है त्रिपाठी जी बैठे मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इसमें भी व्यवस्था करायें । हरिजनों के नाम पर इस सरकार के जो कार्य हैं उसको मैंने आपके सामने रखा ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

***जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—**

उत्तर प्रदेश में किसी भी मेडिकल कालेज में हरिजनों का जितना कोटा है वह कोटा के अनुपात में उनको न मिला हों, ऐसा नहीं है। जितना उनका कोटा है उतने स्थान उनको दिये गये हैं। बैकवर्ड का जितना कोटा है, वह उनको दिया गया है।

श्री कन्हैया लाल—

मैं वेटनरी कालेज की बात कर रहा हूँ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जो कानून है वह चाहे मेडिकल कालेज मनुष्यों का हो या वेटनरी कालेज हों सब जगह समान रूप से लागू है। वहां भी जो कोटा है मिलेगा।

श्री कन्हैया लाल—

मेरी सुनिश्चित सूचना है कि वहाँ कोटा न हीं मिला है।

***श्रीमती प्रेमवती तिवारी—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं, वर्ष 1983 - 84 का बजट जो पेश है उसकी आर्थिक समीक्षा, वार्षिक योजनायें, 20 सूत्री कार्यक्रम द्वारा जनमानस तक पहुँचाना, पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कृषि उत्पादन, ग्राम विकास और लघु सिंचाई, बन, सिंचाई उद्योग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और हरिजन कल्याण आदि के बढ़ते हुए विकास के कार्यक्रमों का मैं स्वागत करती हूँ। मान्यवर सरकार की बहुत-सी योजनायें, बहुत अच्छी-अच्छी हैं और यदि वे सारी की सारी कार्यान्वित हो जाय तो यह सही है कि बहुत काम हो जाय। जो हमारी सरकार है पूरी तरह से इस काम को करने के लिए उत्सुक है कि जन मानस तक काम पहुँचे, उनको पूरी तरह से मदद मिले।

मैं आपके माध्यम से कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगी कि कुछ थोड़ी सी गड़बड़ियां भी हैं। मैं स्पष्ट तरीके से जो आज की स्थिति है उसको देखते हुए कहती हूँ। 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से सरकार जनता तक पहुँचने, हरिजनों तक, निर्बल वर्ग के लोगों तक पहुँचना चाहती है और इतनी नालियों, गलियों में जिस बात को विरोध पक्ष के लोगों ने कहा है, वहाँ तक पहुँचने की बात करती है लेकिन कहीं न कहीं सच्चाई जरूर आ जाती है। जैसे मैं आप को बताऊँ मान्यवर, योजनायें दो तरह की होती हैं। कुछ तो बडी होती हैं जो बड़े-बड़े शहरों में होती हैं और जो शहरों के मुख्यालय तक होती हैं जैसे जवाहर भवन का बनाना। बन कर तैयार हो गया, सभी ने देखा, मान्यवर, आपने भी देखा, लोगों ने भी हम विधायकों ने भी देखा, बड़े खुश हुए। सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने भी देखा। यह बात सच है कि वहाँ पर काम हुआ लेकिन उन योजनाओं के बारे में जो हम गांवों के हेडक्वार्टर के संबंध में देखते हैं, चाहे वह स्कूल की बात हो, अस्पताल हो या ब्लाक का ही कोई मुख्यालय हो, कोई भी काम होता है या नहीं, उसको भी देख लेना चाहिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग और आर० ई० एस० में बड़ा संघर्ष है और उसकी वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि जनता बड़ी परेशान हो जाती है।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी—]

मान्यवर, दो हमारे खजाने भी हैं। एक तो मुख्य जहाँ से धन देते हैं और दूसरा वह जहाँ पर योजनाओं के अन्दर धन भेजा जाता है। तो जहां से धन बंटता है वहां तो हम खाली हो जाते हैं लेकिन जहां के लिए हम धन देते हैं, वे कितना खर्च करते हैं, यह प्रश्न उठता है। एक पंच वर्षीय योजना के अन्दर सुनियोजित और उसे पूरा करने की जो बात होती है, चाहे पी० डब्लू० डी० के अधिकारी हों या आर० ए० एस० के हों, दोनों मिल कर वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। न पहुँचने का क्या कारण है, यह देखने की बात है। जो धन जिस योजना क लिए दे दिया है वह कितना खर्च हो रहा है इसको भी देखना चाहिए। हमेशा बजट पेश करते हैं, सरकार कोई भी हो, सभी बजट पेश करती हैं, और हम लोगों की राय भी ली जाती है, सम्मानित सदन में हम लोग बैठते ही इसीलिए हैं और गांवों तक एमाउण्ट को पहुँचाने की कोशिश की जाती है ताकि योजनायें अच्छी हो सकें लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और तकलीफ होती है, चाहे इधर के लोग हों या उधर के, लेकिन काम कहीं होता है ?

श्रम विभाग के बारे में मान्यवर, कुछ असहाय जो होते हैं। जिन्हें पेंशन देती है। असहाय पेंशन। 60 वर्ष की स्त्री और 65 वर्ष के पुरुष को। उसकी परिभाषा देखें मान्यवर, क्या है, असहाय हो, बाल-बच्चा नहीं होना चाहिए, ताकत नहीं होनी चाहिए, अगर 40 रुपये भी कहीं से इनकम होती है तो नहीं, आखिर रोटी खाता होगा, कहीं से खाता होगा, मैं आप से बड़े दुख: के साथ कहना चाहती हूँ कि उन गरीबों की वजह से ये बड़े-बड़े अफसर कोठियां खड़ी कर लेते हैं। वह पैसा इन गरीब असहाय तक नहीं पहुँचने देते। कुछ बड़े लोगों के काम होते हैं कुछ गरीब की रेखा के नीचे वालों के काम होते हैं। जो बड़े आदमियों के काम होते हैं, बड़ी जगहों में बैठकर हाथ में हाथ मिलाते हैं, दफ्तर में चाय पिलाते हैं और काम भी करवा लेते हैं। गरीब तबका है, धन नहीं है, रोटी नहीं है, बुद्धि की कमी है, योग्यता की कमी है, वह हुजूर और सरकार कहता है, उसके लिये हर जगह के फाटक बन्द रहते हैं। इसमें परिवर्तन की जरूरत है। जबतक परिवर्तन नहीं होगा, हम कितना भी कैसे करें, कुछ हो नहीं सकता। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के माध्यम से हम संसद सदस्य, जन प्रतिनिधि अधिकारियों के साथ बैठते थे। वहाँ पर बात आयी कि कौन-कौन-सी ऐसी योजनायें हैं जो अधूरी पड़ी हैं। सरकार ने अनेक आदेश भी दिये हैं, वह पारित भी हो गये हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते हैं इसको देखना होगा। जब तक हम नहीं दे देंगे, हम लोग कुछ भी करें हमारा काम पूरा नहीं होगा।

मान्यवर, आपके माध्यम से स्वायत शासन विभाग, जो नगर विकास विभाग है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। विकास प्राधिकरण के माध्यम से बड़ी बड़ी जगहें लेकर घर बनाने की योजना है। घर बनने चाहिये अच्छी बात है। लोगों को रहने की जगह होनी चाहिये। जो एरिया है वहां पर जो मरघट आते हैं, जो लोग दुनियां से विदा हो जाते हैं, चाहे दफनाये जाते हों, चाहे जलाये जाते हों उन स्थानों को विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ले लिया जाता है। नीति का प्रश्न है किसी जिले का प्रश्न नहीं है। हम जनप्रतिनिधियों के सामने जनता आकर कहती है जिन्दा के लिये बना रहे हैं जो वहां मर जाते हैं उनको जनता आकर कहती है जिन्दा के लिये बना रहे हैं जो वहां मर जाते हैं उनको दफन करने की जगह भी चली जायेगी, उनके लिये क्या करेंगे। यह प्रश्न सामने आता है। मैं कहूंगी कि रहने के लिये जगह बनाते हैं जो दुनिया से विदा हो जाते हैं उनको गाड़ने की जगह भी चली जाती है। सन् 59 में इन्ट्रीग्रेटेड एरिया के नाम पर, नगर विस्तार योजना के नाम पर गाँव के गांव ले लिया, अच्छा किया। उसके बाद छोड़ दिया गया। वहाँ पर मलिन बस्ती बनना शुरू हो गयी, तब तमाम परेशानियाँ शुरू हो गयीं। तो जैसा मैंने बार बार कहा, यहां पर सदस्य खड़े होते हैं, अपनी बात करते हैं,

वह नोट की जाती है, उनके काम पूरे किये जाने चाहिये। 59 के बाद 83 में खड़े हैं। अभी भी वह समस्या सिर उठाये खड़ी है, उसको निपटाने की जरूरत है। जहां तक यह कहा जाता है कि विकास नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आता विकास कैसे नहीं हुआ, विकास गया कहां। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज बन रहे हैं। गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। लड़की विदा करने के बाद कभी सोचते नहीं थे कि वह लौट कर आयेगी। आज आने जाने की सुविधायें हो गयी हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आज सरकार विकास करने के लिये कटिबद्ध है। वह जरूर करेगी। इसके साथ ही धन्यवाद देते हुये समर्थन करती हूँ।

***श्री खैरूल बसर—**

अधिष्ठाता महोदय, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बजट के आय-व्यय पर मा० नेता विरोधी दल का जो संशोधन है उस पर बोलने का मौका दिया।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

क्या बोल रहे हैं। न संशोधन है, न कटौती है।

(शोर)

श्री खैरूल बशर—

इस सदन में दोनों तरफ से एक ही तरह की आवाज निकलती है। इतना जरूर है कि सरकारी बेन्चेज के लोग 2-4 बार जब तक इन्दिरा गाँधी का नाम नहीं ले लेते तब तक उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे समझते हैं कि इन्दिरा गांधी का नाम अगर वे नही लेंगे तो दोबारा उन्हें इस सदन में आने का अवसर शायद न मिले। इस हमारे देश में 35 साल तक योजना-बद्ध विकास का जो नाटक खेला जाता रहा है, अगर उसका जायजा लिया जाय तो हमारे सामने केवल असफलतायें ही नजर आयेंगी। हमारे देश में और विशेष कर इस प्रदेश में जितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है उतना कहीं नहीं है। अभी हमारी बहिन जी श्रीमती प्रेमवती तिवारी जी अपने भाषण में उसका जिक्र कर रही थीं कि किस तरह से विकास के नाम पर यहां से पैसा गांव के विकास के कार्यों के लिये जाता है और वह किस तरह से पी० डब्लू० डी० के इन्जीनियर्स और अन्य अधिकारियों तक ही खर्च हो जाता है, विकास का कोई कार्य हो ही नहीं पाता है। वे अधिकारी लोग, जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं, हम क्या करें, हमसे मन्त्री जी मांग रहे हैं। जब मन्त्री जी से पूछा जाता है तो कहने लगते हैं कि हम क्या करें, अरूण नेहरू नहीं मानते, उनको देना है····(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। श्री अरूण नेहरू का अभी नाम लिया गया, वे संसद सदस्य हैं, इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिये उनका नाम कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

अभी सत्ता पक्ष से माननीय राजनारायण सिंह जी का नाम लिया गया···(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य —

[× × ×]··· (व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी —

[× × ×]

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[× × ×]··· (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

विष्ट जी, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूँ। आप कृपया बैठें। यह लिखा नहीं जायेगा।

माननीय अम्मार रिजवी साहब ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, मैं समझता हूँ कि श्री अरुण नेहरू का जो नाम लिया गया उसे कार्यवाही से निकालने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी आवश्यकता नहीं समझता। उनका केवल नाम लिया गया है। उसे निकालने की आवश्यकता नहीं है।

***श्री खैरुल बशर**—

ढाई साल जनता शासन की बात सत्ता पक्ष से कही जाती है, उसके बाद आप पुनः सत्ता में आये, आये हुये भी 3 साल हो रहे हैं, 3 साल में आपकी विफलतायें, विफलतायें ही नजर आ रही हैं। परिवहन मंत्री जी ने बड़ी डींग मारी थी, मैं माननीय बलदेवसिंह जी आर्य को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, पर आज परिवहन विभाग की क्या हालत है? उसमें कितना भ्रष्टाचार है? हमारे यहां रोडवेज की जितनी खराब हालत है, जितना भ्रष्टाचार यहां पर है, उतना अन्य किसी प्रदेश की रोडवेज में देखने को नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपयों का घाटा इसमें देखने को मिलेगा। इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण ही आज देश और प्रदेश तबाही के कगार पर खड़ा है। बड़े-बड़े ब्लैकमार्केटियर, भ्रष्ट नेतागण, और बड़े-बड़े अधिकारी लोग मिल कर देश को लूट रहे हैं और जनता कराह रही है और प्रदेश के अन्दर यह पिछड़ापन देखने को मिल रहा है श्रीमन्, मैं जिस नगर से आया हूँ वह है मऊनाथ भंजन! यह 'ए' क्लास की है लेकिन उस 'ए' क्लास नगर के अन्दर हास्पिटल में रहने के लिये जगह नहीं है। इन्जीनियर कहता है कि इसमें जगह रहने के लिये नहीं है। हमारे यहाँ डाक्टर्स हैं लेकिन डाक्टर्स के रहने के और बैठने के लिये जगह नहीं है। वहाँ मरहम-पट्टी नहीं है। मान्यवर, यह केवल मेरे जिले की ही बात नहीं है, सारे उत्तर प्रदेश की आज यही कन्डीशन है।

श्रीमन्, उसके बाद मऊनाथ भंजन में स्कूलों की बात आती है। यह एक औद्योगिक नगर है, किन्तु यहां कोई भी कामर्शियल कालेज नहीं है। हमारा कोई बच्चा यदि व्यवसाय करना चाहता है और कामर्स लेना चाहता है लेकिन सरकार वहाँ क्लासेज नहीं खोलती है, सेक्शन नहीं खोलती है तो सारे लड़के कहाँ जांय।

नोटः [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ—इण्डस्ट्रीज की बात कही जाती है और हैण्डलूम कारपोरेशन की बात कही जाती है। श्रीमन्, हैण्डलूम कारपोरेशन के अन्दर भ्रष्ट अधिकारी हैं, बेईमान किस्म के लोग हैं, निहित स्वार्थ वर्ग के लोग हैं। ये दोनों मिलकर ऐसा सामान तैयार करते हैं जो करोड़ों रुपये का माल आज भी गोदामों में पड़ा हुआ है, उसको लेने को कोई तैयार नहीं है। मान्यवर, मुरादाबाद की इण्डस्ट्री को साम्प्रदायिक दंगा खड़ा करके तबाह कर दिया गया। जो इण्डस्ट्री करोड़ों रुपये की विदेशीमुद्रा अर्जित करती थी, वहां आज ढाई लाख मजदूर बेकार पड़ा हुआ है। श्रीमन्, उसके बाद उन लोगों ने मेरठ की तरफ भी हाथ लगा दिया। तीसरा हमला जो सम्भावित है वह है टाटा-बिरला की फैक्ट्री। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ उद्योगों के विस्तार की बात जहां तक है आज आजमगढ़ में एक चीनी मिल खोल दी गई और एक स्पिनिंग मिल खोल दी गई तथा उसके विस्तार में एक हजार आदमी रखे जायेंगे लेकिन मान्यवर, उनको एक हजार आदमी नहीं मिल सके। वहां पर केवल पांच सौ आदमी रखे गये, तीन-तीन हजार रुपया लेकर। गांव में शोर मचाया। नगर महापालिकाओं की नालियों से कीचड़ निकालने के लिये सवर्ण जाति के लोग अपनी रोजी कमाने के लिये भरती होते हैं किन्तु उनसे भी पैसा मांगा जाता है, हर तरफ करप्शन जमा हुआ है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की पुलिस, इनकाउण्टर करने वाली पुलिस और जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस, रात को जब कोई यात्री अपने घर जाता है तो उससे पैसा लेकर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। मान्यवर, अभी इसी पुलिस ने वकीलों के ऊपर प्रहार किया न्याय की रक्षा करने वालों पर भी आज यह पुलिस हमला करने लगी है। वह दिन दूर नहीं जब पुलिस इस सदन के अन्दर घुस कर मंत्रियों की पिटाई करेगी तब इन मंत्रियों के दिमाग ठीक होंगे। हमारे प्रदेश के अन्दर उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बलिया और गाजीपुर है वहां पर विकास की कोई योजना नहीं है।

मान्यवर, इस प्रकार माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, नेता विरोधी दल ने जो····· (शोर)।

(3 बजकर 25 मिनट)

***श्री पंचानन राय**—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आज वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया और इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो समय से बजट प्रस्तुत करने की व्यवस्था प्रारम्भ की है, उसे पुनः बनाये रखने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि समय से बजट प्रस्तुत करने की अनेकों अच्छाइयां हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि समय से अगर बजट पारित होता है तो निश्चित रूप से समय से खर्च भी हो जाता है और इससे जो भी योजनायें चल रही हैं, उनकी प्रगति में कोई रुकावट नहीं पैदा होती है, और जिससे भ्रष्टाचार भी नहीं पनपने पाता है। साथ ही मान्यवर हमारी सरकार ने जहां एक तरफ उद्योग संघ खत्म किये, वहीं पर तमाम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पंचानन राय --]

प्राईवेट सेक्टर्स में उद्योग बढ़े और यही नहीं इसकी वजह से अनेकों उद्योगों का निर्माण सारे क्षेत्रों में शुरू हुआ है। साथ ही खाद्य के 4 कारखाने इस प्रदेश के लिए प्रस्तावित हैं, जिससे बेरोजगारी दूर होगी और हर प्रकार से विकास सम्भव होगा, साथ ही चीनी मिलें, सूती कपड़ों की मिलों आदि का भी प्राविधान इस बजट में किया गया है, जिससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि यह सरकार प्रदेश के उद्योगों के विकास की ओर ले जा रही है। और वहीं दूसरी ओर उद्योगों को स्थापित कर बेरोजगारी दूर करना चाहती है जिससे यहां के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी सन् 1979-80 के मुकाबले में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 310 रु० थी, सन् 1980-81 में 841 रु० प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इसलिए इन चीजों को देखकर यह कहना चाहूँगा कि जब हम बेरोजगारी दूर करेंगे तो इससे अराजकता भी दूर हो सकेगी और आज हमारे सामने यही प्रमुख समस्या भी है, जहां तक इस समस्या को दूर करने का प्रश्न है, इसमें सहयोग हर दल का होना चाहिए, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उस तरफ के। जब यह सरकार दुबारा सत्ता में आयी, तब सामान्य आदमी का जन-जीवन बुरी तरह से असुरक्षित था, उसके अलावा यह प्रदेश साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा था। अभी हमारे एक साथी ने कानून और व्यवस्था के बारे में और हरिजनों की स्थिति के बारे में कहा यह सही है कि हरिजन सदियों से शोषित एवं दलित रहा है। इस ओर भी इस सरकार ने दुबारा सत्ता सम्भालते ही अभियान के रूप में कार्य किया और बड़े-बड़े पूंजीपतियों और आसामियों द्वारा अधिक कब्जा की गयी भूमि को उनसे लेकर पुनः हरिजनों में वितरित की गयी।

मान्यवर, इस शासन ने एक-एक इंच भूमि जो आबंटित होनी थी, उसे देने में सक्रिय प्रयास किया।

शिक्षा के क्षेत्र में हरिजनों को सुविधा देने के लिये तमाम जनपदों में हरिजनों के हास्टल बनाये जा रहे हैं...

श्री खैरूल बशर—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता —

आप बैठें। यहाँ कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पंचानन राय —

मैं यह कह रहा था कि हरिजनों के बच्चों के लिये जगह-जगह हास्टल बना रहे हैं। जहां पर व्यापारी वर्ग और दूसरे नौकरी पेशा लोगों के रहने में कठिनाई है, हमारी सरकार ने महसूस किया कि हरिजनों के बच्चे, चाहे हम उन्हें कितना ही वजीफा दे दें, अच्छे मकानों में नहीं रह सकते, इसलिये हास्टल्स बनवा रहे हैं। हमने हरिजन बच्चों की स्कालरशिप बढ़ायी है, फीस माफी का प्रतिशत बढ़ाया है। मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूँ कि जहाँ पढ़े-लिखे नौजवान बेकार थे, हरिजनों को नहीं दी जाती थी और यह कहा जाता था कि हरिजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, हमने उस कोटे को पूरा करने का सक्रिय प्रयास किया है।

हमने एक और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया है वहीं उद्योगों के विस्तार के और वहाँ के पिछड़े और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किया है। किसी भी कल्याण-

कारी राज्य में चिकित्सा की व्यवस्था करना भी सरकार का काम होता है । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इस सरकार ने इस प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा की सुविधा के लिये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा संस्थान की स्थापना की है, जहाँ उच्च कोटि के चिकित्सक रखे गये हैं। निर्माण निगम और सेतु निगम के इन्जीनियरों ने इस देश के अलावा दूसरे देशों में भी हमारे प्रदेश का नाम ऊँचा किया है । जब हम तकनीकी दृष्टि से ऊँचे उठेंगे, तो नौजवानों को उचित अवसर मिलेगा ।

हमारी सरकार ने दुबारा सत्ता में आने के बाद अध्यापकों के लिये बहुत सारे कल्याणकारी कदम उठाये हैं, जिसके लिये उसको बधाई देनी चाहिये । अध्यापकों के लिये अच्छे वेतनमान की व्यवस्था की है, उनके लिये पारिवारिक पेन्शन की व्यवस्था की है । और सामूहिक जीवन बीमा की व्यवस्था की है । इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के शिक्षकों के लिये भी अनेकों सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ।

अन्त में एक बार पुन: इस प्रदेश की सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूँ कि उसने जन-जीवन की सुरक्षा की है, औद्योगिक शान्ति कायम की है और उत्पादन की दर को बढ़ाया है ।

***श्री जसवन्त सिंह विष्ट—**

मा. अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सामान्य बजट पर चर्चा करने का अवसर दिया ।

जब यह बजट प्रस्तुत किया गया और समय पर किया गया, जिसके लिये हमारे राय साहब बधाई दे रहे थे सरकार को और गत वर्ष भी समय पर यानी जनवरी में ही बजट प्रस्तुत कर दिया गया था । जहाँ तक मुझे याद है कि यह कहा गया था कि समय पर बजट दिये जाने पर समय पर काम हो जायेंगे, मार्च में जो लीपापोती हमारे अधिकारी करते हैं, वह नहीं होगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समय पर बजट पेश होने के बावजूद भी अभी तक हमारे जनपद में जो राशि स्वीकार की गयी थी वह नहीं पहुँची और यदि पहुँची भी हो तो उसका किसी को ज्ञान नहीं है तो इस तरह से एक नया पैसा का काम हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है और न कोई काम ही चल रहा है । इसलिये यह जो समय पर बजट प्रस्तुत किया गया है इसका कोई औचित्य नहीं है । जब इसे समय पर खर्चा ही नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है और मार्च में लीपापोती ही करनी है तो फिर इसे समय से प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता ।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है तो आपको याद होगा कि इसके पेश करने के डेढ़ महीना पहले से ही व्यापारियों ने रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ा करके ड्योढ़े कर दिये थे, बजट तो अब प्रस्तुत हो रहा है । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में बेरोजगारों के लिये कोई रोजगार देने की व्यवस्था का जिक्र नहीं किया गया है । आपको याद होगा कि इसी सदन में कई बार इसका जिक्र आया कि बिहार की सरकार बेरोजगारों के भत्ता दे सकती है जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार से गई बीती है लेकिन इस बजट में इसका जिक्र नहीं किया गया । अच्छा होता कि बेरोजगारों के लिये भत्ता देने का कोई प्राविधान इस बजट में किया गया होता । इस समय बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है । उनके लिए कोई लघु उद्योग खड़ा करने की बात होती, उनको कोई रोजगार देने की बात की गयी होती परन्तु ऐसा कोई जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें नहीं किया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—]

मैं आपके माध्यम से एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पर्वतीय विकास की बात उन्होंने इसमें कही है और वह बात इसमें 21 1/2 लाईनों में कही है लेकिन किसी उत्पादन की बात को इसमें उन्होंने 32 1/2 लाईनों में कहा है। आप मान्यवर इसी बात से अन्दाजा लगा सकते हैं कि जब पर्वतीय विकास को वे साढ़े इक्कीस लाइन में ही कहेंगे तो क्या कर पायेंगे। पर्वतीय विकास के लिये उन्होंने 140 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि और इस सरकार से भी कि जब से पर्वतीय विकास विभाग अलग से बना है तब से जितनी धनराशि पर्वतीय विकास के लिये उन्हें दी गयी है उसके लिये आप एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाईये जो इस बात की जांच करे कि इसके विकास के लिये कितना धन खर्च किया गया और कितना धन मंत्रियों की जेबों में गया क्योंकि आम जनता के लिये वह रुपया खर्च नहीं हो रहा है। उधर के पूर्वांचल के भाई को ऐतराज है कि बुन्देलखण्ड की ओर पहाड़ की यहाँ पर चर्चा की जाती है। मैं मानता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र की तरह बुन्देलखण्ड की भी स्थिति है जिसके लिये मैं आपके माध्यम से माँग करता हूं कि वहां के लिये एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दें जो जाँच करके उसकी विस्तृत जानकारी विकास के बारे में आपको दे कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया गया है। और यदि नहीं हुआ है तो दोषी लोगों को इसके लिये दण्ड दिया जाना चाहिये ताकि देश की और प्रदेश की जनता को मालूम हो जो पैसा आप दे रहे हैं उसका सदुपयोग नहीं किया गया है।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र से सारा पानी मैदान आता है लेकिन मान्यवर, वहाँ का आदमी प्यासा ही रहता है क्योंकि अभी भी वहां पर तीन-तीन या साढ़े तीन किलो मीटर से पानी लाना पड़ता है। मेरे खुद के घर में मेरे बच्चे पौने दो कि० मी० से अधिक दूरी से पानी लाते हैं तो इस तरह से क्या आप आर्थिक विकास कर सकते हैं ? आप यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा नहीं दे सकते तो इससे ही आप अन्दाजा लगाइये कि आप पर्वतीय विकास क्या कर सकेंगे ?

जनता पार्टी की सरकार ने एक नारा दिया था कि शहर से गांव की ओर चलो और उस नारे के फलस्वरूप मेरे क्षेत्र में एक महाविद्यालय की स्थापना हुई, लेकिन तब से उस महाविद्यालय के लिए एक नया पैसा भी बजट में नहीं दिया गया है, इस शासन से, बल्कि यह कोशिश की जा रही है कि वह महाविद्यालय वहां से टूट जाय। तरह-तरह की रुकावट डाली जाती हैं, कहा जाता है कि छात्रों की संख्या नहीं बढ़ रही है, बिल्डिग नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस महाविद्यालय को समाप्त कर दिया जाय। यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि कौन-सी यह समाजवादी व्यवस्था चला रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में वह सुविधायें दी जानी चाहिए जो सुविधायें शहरों में दी जा रही हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो-जो लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, ऐसा होना बन्द हो जायेगा और लोग शहर से देहात जाने लगेंगे। मान्यवर मैं प्रशासनिक व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इतनी दूर से लोग छोटे छोटे कामों के लिए लखनऊ आते हैं। अगर उन कार्यों को ब्लाक स्तर पर या तहसील या जिला जिला स्तर पर हल कर दिया जाय तो उनको यहाँ पर आने की आवश्यकता न हो। मैं समझता हूँ कि यह समस्या सारे विधायकों के सामने है। मैं तो 9 बजे तक लैट्रिन नहीं जा पाता हूँ, लोग छोटे छोटे कामों के लिए घेरे रहते हैं। प्रति दिन वह मंत्री, सचिव और निदेशकों के यहाँ पर घूमा करते हैं और जब उनको आश्वासन मिल जाता है कि काम हो जायेगा तब वह यहां से जाते हैं। यहां पर आकर वह बहुत-सा रुपया खर्च कर देते हैं। आप छोटे ब्लाक बनायें, छोटी तहसील बनायें तो आप का प्रशासनिक ढांचा चुस्त होगा मैं तो यहां तक कहता हूँ कि यह राज्य भी छोटा होना चाहिए जिससे इसका प्रशासन ठीक प्रकार से चल सके। यह बात

इनको इन्दिरा जी से कहनी चाहिए, लेकिन यह उनके सामने बिल्ली के सामने चूहे की तरह बने रहते हैं ।

अभी मान्यवर इन्होंने 5 नये विकास खण्डों का निर्माण किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2 ब्लाक एक मंत्री के यहाँ और 2 एक मंत्री के यहाँ और एक ब्लाक एक एम० पी० जी के यहां पर खोला है और जब मैंने ग्रामीण विकास मंत्री जी से कहा तो इन्होंने कहा कि बजट नहीं है । हमारे ब्लाक पर न तो कोई ग्रामसेवक और न कोई पंचायत सेक्रेटरी पहुँचता है । मैंने ब्लाक बनाने का एक प्रस्ताव भी दिया था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पंचायतों के चुनाव हो जाने के बाद अल्मोड़ा में ब्लाकों का पुनर्गठन कर देंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बैठें । अगर आप बोलते रहेंगे तो यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—[× × ×]

***श्री बुद्धि नारायण सिंह**—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 1983-84 का जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने सदन के समक्ष रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूँ कि विगत तीन वर्षों से यह प्रदेश निरन्तर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता भाई पंचानन राय ने कहा कि जब समय से बजट आता है तो उसका खर्च भी समय से होता है, उसका उपयोग भी समय से किया जाता है और अगर समय से पैसा खर्च किया जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर तरफ से हमारे प्रदेश में प्रगति हुई है ।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, सड़कों का सवाल है या विद्युत का सवाल है, चीनी के उत्पादन का प्रश्न है, हर तरह से हमने उत्पादन में वृद्धि की हैं, वितरण व्यवस्था में चुस्ती आयी है और मितव्ययिता के साथ सरकार के पैसे का उपयोग हुआ है । यह और बात है कि जहां हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, वहां पर कुछ ऐसी बात भी हो सकती है कि कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग किया हो । लेकिन सामूहिक रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि जहां हजारों नलकूपों का सवाल है, हजारों मिलों और बसों के रखरखाव का प्रश्न है उनमें हमने काफी प्रगति की है और उनमें सुधार हुआ है । हमारी आय भी बढी है । इसके साथ ही साथ बहुत-सी ऐसी जगहें हैं जहां पर इनका ठीक से रख-रखाव नहीं हुआ है, उनके लिये सुधार की आवश्यकता है ।

इसके अलावा यहाँ पर देश के नियोजन में विकेन्द्रीकरण की बात भी कही गई । इसकी निश्चित झलक हमें इस तरह से मिलती है कि नियोजन का विकेन्द्रीकरण करके जो जिला स्तर पर खर्च हम करते हैं, वे हमारी अच्छी योजनायें हैं । जो योजनायें छूट जाती हैं, उनमें हमारी सरकार सुधार लायेगी, उनको प्राथकिता दी जायेगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिलों के लिये जिन योजनाओं पर

नोट : [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वृद्धि नारायण सिंह —]

हम विचार करते हैं उन योजनाओं को व्यापक रूप से जिलों की बैठकों में ही बनाया जाय और उसकी सूचना समस्त सदस्यों को हो जिससे उनके सुझाव भी सरकार को प्राप्त हो सकें। कुछ ऐसा देखने में आया है कि जल्दी-जल्दी में मीटिंग कर ली जाती है और योजनायें भेज दी जाती हैं जिससे कई योजनायें, कई कार्य छूट जाते हैं। उसमें सुधार की आवश्यकता है। सिंचाई के लिये इस बजट में काफी धनराशि रखी गई है। जैसा कि हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है लेकिन फिर भी उसमें और अधिक धन की आवश्यकता है। कृषि के लिये सिंचाई ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है और उसके बाद बिजली की आवश्यकता है। इन दोनों के लिये अधिक धन का प्राविधान किया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री और माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि वे इसके लिये और धन का प्राविधान करें और इसमें और सुधार किया जाय। काफी हद तक हमारी नहरों और नलकूपों में सुधार लाया गया है, जैसा कि बजट भाषण में है। विश्व बैंक की सहायता से अनेक नलकूप लगाये जा रहे हैं और सुधार किया जा रहा है फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सुधार किया जाय क्योंकि इससे हमारे प्रदेश के 80 प्रतिशत लोग लाभान्वित होंगे। जैसा आपने देखा इस वर्ष और विगत वर्ष में देवी आपदाओं के कारण हमारे उत्पादन में कमी आयी है, यह बड़े दुख की बात है, यदि हम इसे पूरा नहीं करते हैं तो हम बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। विद्युत में काफी सुधार हुआ है, ऐसा हम समझते हैं। मान्यवर, यहीं पर मैं आपका ध्यान शिक्षा की तरफ लाना चाहता हूँ। आज शिक्षा में तरह-तरह की छूट दी गयी है, दूसरी व्यवस्थायें की गयी हैं। लेकिन प्राईमरी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और काफी हद तक गिर गया है। प्राईमरी विद्यालयों का रखरखाव न के बराबर है। मैं समझता हूँ कि प्रारम्भ में ही जब भवन की बुनियाद खराब होगी तो वह भवन कहां से मजबूत हो जायेगा और कहां से सुन्दर होगा। इसलिए प्राईमरी शिक्षा पर ज्यादा धन लगाना आवश्यक है। मैंने जिला बेसिक शिक्षा के कार्यालयों को देखा उसमें भी जितना काम सौंपा गया है उसके लिए धन नहीं दिया गया है जिससे ठीक से देखरेख हो सके। विद्यालयों के पास कोई साधन नहीं हैं जिससे ठीक ढंग से पढ़ाई की जा सके। अनेक विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन नहीं हैं। जिनमें अध्यापक नहीं हैं। जहां तक अध्यापकों के विद्यालयों में उपस्थित रहने का सवाल है उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। यह सर्वविदित है कि गांवों में पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो रही है जिसकी तरफ कई साथियों ने ध्यान भी दिलाया है।

अब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करना चाहता हूँ। यह सच है कि इसमें सुधार हुआ है और काफी पैसा खर्च किया जा रहा है जिससे काफी सड़कें बन गयी हैं लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां पर एक तरफ 10 किलोमीटर सड़क बनी हैं और दूसरी तरफ 5 कि०मी० सड़क बनी है लेकिन बीच के हिस्से में सड़क नहीं बन पायी है जिससे उस खर्च किये हुए पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए इस विचार को खासतौर से इन मिसिंग लिंक्स की ओर भी ध्यान देना चाहिये और उसके लिए पैसे का प्राविधान किया जाय।

हमारी जो ग्रामीण पेयजल की योजना है पहले जिसको लघु सिंचाई विभाग देखता था अब उसे जल निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। इससे काफी लाभ हुआ है लेकिन मैं अपनी जानकारी के अनुसार बताना चाहता हूँ कि योजना बनाते समय इनकी लाइन का खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिये। इस समय ऐसे रास्ते से ले जाया जाता है जहां से 15, 20 लोगों को फायदा होता है लेकिन एक गांव में जहां 1 हजार की आबादी रहती

है वहां पर 5 कनैक्शन से पेयजल की समस्या पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए इस प्रकार योजना बनाई जाय जहाँ उसका सही उपयोग हो सके। इन शब्दों के साथ जो बजट यहां पर रखा गया है जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने विद्वत्तापूर्ण ढंग से रखा है समर्थन करता हूँ कि इससे प्रदेश का हित होगा।

***श्री नन्द किशोर सिंह** —

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे 1983-84 के बजट पर आम चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैंने बजट को बड़े ध्यान से पढ़ा उसमें सबसे पहले जो प्राईमरी शिक्षा की हालत है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सारे प्रदेश में करीब 40 हजार प्राईमरी स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन नहीं हैं और उनके लिए इस बजट में एक पैसे का इन्तजाम नहीं किया गया है। अभी 1982-83 के बजट के लिए जिले-जिले में जिला शिक्षा सलाहकर समितियों की बैठकें हुई उसमें 50 से लेकर 100 स्कूलों के लिए पैसे रखे गये लेकिन उनके लिए जिलों में कोई सूचना नहीं गयी है। मान्यवर स्कूलों के भवन नहीं हैं, बैठने के लिए कुर्सियों नहीं हैं, मेज नहीं हैं, अध्यापक टाट बिछाकर बैठते हैं, छात्र बरसात में खुले में बैठते हैं जिस कारण विद्यालय चल नही पाते हैं। मान्यवर, मैं देवरिया जिले की बात करता हूँ वहां 11 स्कूलों को अनुदान की सूची में रख गया था लेकिन उन 11 विद्यालयों के अध्यापकों को गत 6 महीनों से तनखा नहीं मिली है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जिला विद्यालय कार्यालय का घेराव किया और आज भी कर रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब अनुदान की सूची में लिया गया तो 6 महीने से उनको अनुदान क्यों नहीं दिया गया है ?

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षकों को 1971 के बाद चेक सिस्टम में लिया गया है लेकिन उसके पहले के इस प्रदेश के लाखों अध्यापकों का पैसा मैंनेजमेंट के ऊपर बकाया है जिसका पता नहीं कि कौन पेमेन्ट करेगा सरकार या मैंनेजमेंट, इसलिये उस पैसे को सरकार दिलाये।

मान्यवर, परिवहन विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि हाटा तहसील हेड-क्वार्टर से दूसरे जिलों को बसें जाती हैं जैसे गोरखपुर से तमकुही, सिसवा आदि और वह बसें हाटा में रुकती हैं जहाँ से हजारों लोग चढ़ते और उतरते हैं लेकिन वहां आजतक बस स्टेशन का प्रबन्ध नहीं हो पाया है। वहाँ यात्रियों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस-लिये हाटा तहसील हेडक्वार्टर में एक बस स्टेशन की व्यवस्था करें।

मान्यवर, बिजली के बारे में कहना चाहता हूँ कि जिन गांवों में बिजली की लाइन है वहां दिन में 8 बजे से 12 बजे तक बिजली दी जाती है रात में बिजली नहीं दी जाती है लेकिन फिर भी लोगों से पैसा वसूल किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने लिखकर भी मंत्री जी को दिया है और फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बिजली 3 फेस में न देकर 2 फेस में दें जिससे रात में भी लोग बिजली का घरों में उपयोग कर सकें।

मान्यवर, अब मैं कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ कि पूर्वी जिलों में देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया में दो तथाकथित नेता पैदा हुये हैं। जब वह चलते हैं तो लगभग 125 की संख्या में लोग उनके साथ बंदूक और रायफलें लेकर चलते हैं। तीन चार महीने से देवरिया में इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। पता नहीं कितने वैधानिक और अवैधानिक शस्त्र वहां हैं। इतना बड़ा प्रदर्शन 1923 के बाद आजतक नहीं देखा गया है। यह प्रदर्शन दिसम्बर से शुरू हुआ है और ढाई महीने हो रहे हैं और अभी चल रहा है। इसमें दो लोग हैं ठाकुर और ब्राह्मण जो पूर्वांचल को दो भागों में बांट रहे हैं। नतीजा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्द किशोर सिंह—]

वहाँ यह है कि लड़के पढ़ने के बाद दुकानों और बस से उतरने वाले यात्रियों का सामान छीन लेते हैं और कहते हैं कि मैं अमुक गुट का हूँ। इसलिये वहां ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गयी है।

मान्यवर, सिंचाई विभाग के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि 1982-83 के बजट में सिंचाई विभाग में पैसा था लेकिन देवरिया और गोरखपुर की नहरों की सफाई नहीं हुई जिससे बंधे टूटे हैं और रबी की फसल को नुकसान हुआ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि यह बजट पास कराने से क्या फायदा जबकि न प्राईमरी स्कूल के भवन बनते हैं और न सड़कें ही बनायी जाती हैं। परिवहन विभाग की हालत बहुत खराब है। 6 हजार बसें यहां हैं जबकि 3200 बसें चल रही हैं और इसमें 78 हजार कर्मचारी काम करते हैं। मान्यवर, परिवहन विभाग में लूट मची हुई है। जहां 5 बसें चलती थीं वहां आज कहीं कहीं एक भी बस नहीं है। इसलिये जब आपके पास बसें नहीं हैं तो प्राइवेट बसें वहां चलायें। मान्यवर, गोरखपुर से सुनौली मार्ग पर बसों से 25 हजार रुपये की आय थी और जबसे यह सरकार आयी है तब से वहाँ की आय 3 हजार रह गयी है। नतीजा यह हो गया कि जो पहले 25 हजार रुपया इस लाइन की आमदनी थी, वह घटकर 3-4 हजार रुपया हो गई है। गन्ने की भी बड़ी दुर्दशा है। हमारे इलाके में बैतालपुर और देवरिया फैक्ट्री हैं, उनमें 17.40 का दाम लिया जा रहा है और वह कहते हैं कि यह दिल्ली सरकार की फैक्ट्री है, इसलिए हम 17.40 से ज्यादा नहीं देंगे। इसको लेकर फैक्टी में हड़ताल रही, लेकिन मजबूर होकर किसानों को फिर उसी को अपना गन्ना देना पड़ता है। और पता नहीं यह दाम भी उसे मिलेगा या नहीं ? यह फैक्टरियां चलते चार महीने हो गये हैं और करीब 1 करोड़ रुपया उन पर किसानों का बकाया हो गया है, लेकिन एक पैसा भी उन्हें पेमेन्ट नहीं हुआ है।

पिछले वर्ष का भी 4/5 लाख रुपया बाकी पड़ा हुआ है। हमारे पूर्वांचल में हाटा ट्रेड यूनियन है जो 16 से लेकर 18 लाख क्वींटल गन्ना हर साल दूसरी फैक्टरियों को देती हैं। उसके लिए मैंने मांग की थी कि आप हेतुकपुर में एक और फैक्ट्री सहकारी क्षेत्र में खोल दें। वह लिखकर आ गया है, उस पर खोल देने की रिपोर्ट लिखकर आ गई है, लेकिन पता नहीं वह खुलेगी या नहीं ? देवरिया में जिला अस्पताल की भी हालत बहुत खराब है। वहां का पूरा स्टाफ डाक्टर और सी०एम०ओ० तक दो खम्मों में बंटे हुए हैं। डाक्टर सी०एम०ओ० तक 11 बजे आते हैं। शासक दल के भी एम०एल०ए० देखते हैं कि वहां पर कितनी ज्यादा गन्दगी है और वहां पर किसी डाक्टर का भी समय पर और अपने स्थान पर पता नहीं चलता है। सब जाने कहां रहते हैं। 50 रुपये में जो हर गाँव में महिलाओं को रखने की योजना है। उसको रखने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर एक महिला से 1-1 हजार रुपया रिश्वत ले रहे हैं। और जब मैंने इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि इसमें से आधा रुपया तो हमें सी०एम०ओ० को पहुँचाना पड़ता है और बाकी और डाक्टरों आदि में बंट जाता है हमें तो बहुत कम मिलता है। कम्पोनेन्ट प्लान के अन्दर 50 प्रतिशत सहायता कम्पोस्ट खरीदने में देने की व्यवस्था है, लेकिन हमारे देवरिया में 33 परसेन्ट ही अनुदान दे रहे हैं और वह भी उसे समय पर नहीं दे रहे हैं, उसमें भी देर कर रहे हैं। वहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है। हमारे जिले में एक महुआडीह स्थान है, जहाँ पर बहुत दूर-दूर चारों तरफ थाने बने हुए हैं। इसलिए मैं जनता की परेशानियों को को देखते हुए माँग कर रहा हूँ कि वहां पर एक नया थाना बना दिया जाए। वह कहते हैं कि जब शासन से स्वीकृति आएगी तब बनेगा। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है।

(इस समय 4 बजकर 3 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

*श्री प्रभू नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वर्ष 1983-84 का जो बजट प्रस्तुत किया है, इस पर बोलने के लिए अवसर दिया है। मान्यवर, जिस गति से हमारा प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है, निश्चिय ही जिन परिस्थितियों में यह हमारा बजट प्रस्तुत किया गया है, कि इस प्रदेश का आधा भाग उधर सूखे से परेशान था, उसके बाद भंयकर बाढ़ आई, लेकिन फिर भी हम प्रगतिशील योजनाओं में कटौती नहीं कर रहे हैं। लगातार इस प्रदेश की विकास की योजनाएं बनायी जा रही हैं। यह जो हमारी 83-84 की वार्षिक योजना है, यह 1,375 करोड़ रुपये की है। इसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं। योजनाओं के कार्यान्यवन में जो विलम्ब होता था, उसके लिए हमारी सरकार ने यह किया कि समय से बजट प्रस्तुत किया। हमारी प्रति व्यक्ति आय 79-80 में 426 रु० थी। 80-81 में बढ़कर 515 रु० हो गयी। वर्ष 198 में प्रति व्यक्ति आय 522 रुपये हो गयी है।

श्रीमन् इसमें अगर हम देखें तो हर वर्ष चाहे वह हरिजन हो, उनकी सुरक्षा के लिए हमने हरिजन सैल की स्थापना की है। शांति व्यवस्था के लिए शासन के ठोस प्रयास के फलस्वरूप इस वर्ष डकैती, लूट, दंगा, नकबजनी, दण्ड प्रक्रिया के हस्तक्षेपी अपराधों में काफी कमी हुई है। डकैतियों के अपराधों में 30 प्रशित कमी हुई है। निश्चिय ही हमारे उधर के साथियों को इस शासन की प्रशंसा करनी पडेगी। 1982 तक 378 मुठभेड़ों में 514 कुख्यात डकैतों का सफाया किया गया है, 4.052 डकैत गिरफ्तार हुए और 2,641 आग्नेय अस्त्र कारतूसों के साथ बरामद किये गये। इस प्रकार से भारी मात्रा में कारतूसें बरामद की गयीं। यह शांति व्यवस्था के क्षेत्र में हमारी सफलता है। अब हम आते हैं कृषि क्षेत्र में। 82-83 में गत वर्ष साढ़े 3 लाख टन बीजों का वितरण किया गया और 12 लाख 70 हजार टन उर्वरकों का वितरण शासन की तरफ से किया गया। कृषि विभाग द्वारा गत वर्ष साढ़े तीन लाख टन उन्नत बीज और 12 लाख, 70 हजार टन उर्वरक किसानों को वितरित किया गया और इसका परिणाम रहा कि जो 82 को उत्पादकता वर्ष, हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषित किया है, उसको यह सरकार ने चरितार्थ किया। इसी का परिणाम है कि आज इतनी भीषण वर्षा और सूख के वाद भी किसी को हमने भूखा नहीं मरने दिया है। इस शासन की मंशा हमेशा यह रही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरने पायेगा। हमारे इस प्रकार के प्रयास हमेशा हैं कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरने पायेगा। कृषि विभाग द्वारा गत वर्ष 3 लाख उन्नत बीज और 12.70 लाख टन उर्वरक किसानों में वितरित किये गये। 82-83 में 260 लाख टन हमारा लक्ष्य निर्धारित था, वह करीब-करीब प्राप्त कर लिया गया।

मान्यवर, सिंचाई सुविधाओं में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की गयी है। नलकूप और नहरों का जाल-सा बिछा दिया गया है चाहे वह सरकार ने अपने साधनों से किया है या चाहे विश्व बैंक के माध्यम से किया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों को बाढ़ से बचाने के लिये क्योंकि हर वर्ष बाढ़ आती है तो उसके लिये 153 योजनाओं के लिये बाढ़ तकनीकी सलाहकार बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया और कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। राहत तथा बचाव एवं सहायता कार्यों में 1441 बाढ़ चौकियां तथा 764 बाढ़ सहायता केन्द्र स्थापित किये गये हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत अधिक कार्य किया जा रहा है उसके लिये चाहे उच्चाधिकार समिति हो या चाहे उद्योग बंधु की स्थापना हो उस सम्बन्ध में सरकार ने काफी प्रयास किया है। इसीलिये अब तक 400 उद्योगों को उद्योग बंधु से लाभ हुआ है। प्रत्येक जनपद में एक भारी उद्योग की स्थापना के उद्देश्य से प्रदेश में पायनियर और प्रेस्टिज इकाइयां लागू की गयी हैं। ऋण वितरण के क्षेत्र में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभू नारायण सिंह—]

वित्तीय निगमों के द्वारा 31.60 करोड़ रु० की सहायता दी गयी है। प्रदेश के 21 पिछड़े जिलों में जहां पर एक करोड़ से अधिक को उद्योग नहीं हैं वहाँ टास्क फोर्स के गठन के फलस्वरूप एक व्यापक योजना बनायी गयी है। इस प्रकार से मान्यवर, विद्युत के क्षेत्र में, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में और वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया गया है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि इस समय जितनी अधिक मात्रा में बिजली किसानों और अन्य उपभोक्ताओं को दी जा रही है। 1982 में 3693. 85 मेगावट की अधिष्ठापित क्षमता प्राप्त करके एक कीर्तिमान कायम किया गया है। इसी तरह से 19162 हरिजन बस्तियों का और 48938 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है जो एक कीर्तिमान है। यह सर्वविदित है कि इस देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्देशन में हमने इस प्रदेश के सर्वोन्मुखी विकासके लिये 20 सूत्रीकार्यक्रम के अनुसार समाज के सबसे कमजोर प्राणी जो हैं, जो पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिये योजना 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से चलायी जा रही हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में सफलता मिल रही है। सरकार गांव के निर्धनतम व्यक्ति को आर्थिक सहायता चाहे वह स्पेशल कंपोनेंट प्लान हो, चाहे आई० आर० डी० की योजना हो समाज के निर्बल वर्ग और निर्धन लोग लाभांवित हो रहे हैं। मैं इस मौके पर यह कहूँगा कि शासन जो इसमें छूट देता है तो जो छूट का प्रतिशत है वह समय से दे दिया जाय तो छूट का लाभ सम्बन्धित व्यक्ति को समय से मिलेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि बैंकों के माध्यम से जो विभिन्न मदों में, जानवर खरीदने आदि के लिये बेरोजगारों को सहायता दी जाती है, धन दिया जाता है तो निश्चय ही उन व्यक्तियों को इतनी छूट होनी चाहिये कि वह अपनी स्वेच्छा से जहां चाहें खरीदें। इसके लिये जो क्रय समितियां बनी हैं मैं उनको बहुत उपयोगी नहीं समझता हूँ, उसमें निश्चय ही भ्रष्टाचार की बू आती है। इसको दूर किया जाना चाहिये। हरिजनों के लिये, इनके कल्याण के लिये सरकार कृतसंकल्प है और इसी नाते कक्षा 9 से प्रत्येक हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की सरकार ने योजना बनायी है। विभिन्न जिलों में हरिजनों विद्यार्थियों के लिये छात्रावास बनाये जा रहे हैं। बुक बैंक और पुस्तकीय सहायता के कार्य को सरकार कर रही है। सरकार हरिजनों, पिछड़े हुये वर्गों के जो लोग हैं उनकी उन्नति के लिये कृत संकल्प है। उनके उत्थान की दिशा में सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाय, तो यह सरकार निश्चय ही प्रशंसा की पात्र है कि इन्होंने माध्यमिक और उच्च स्तर पर शिक्षा सेवा आयोग का गठन करके, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। क्योंकि इन नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, जो भाई-भतीजावाद चलता था, वह समाप्त होकर अब निश्चय ही प्रतिभावान, प्रतिभा सम्पन्न लोग इन विद्यालयों में काम करने के लिए आयेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ जब शिक्षा व्यवस्था की बात करता हूँ, तो श्रीमन् प्राथमिक शिक्षा के बारे में ध्यान जाता है कि आज हमारे यहाँ की शिक्षा क्रय शब्द पर आधारित हो गयी है। जितने गरीब हैं, वे उतने ही गरीब विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। गरीब विद्यालय हमारे यहाँ तरह-तरह के हैं, जिला परिषद् के अन्तर्गत हैं, नगरपालिकाओं के हैं, बिना टाट पट्टी वाले साधन विहीन और वृक्षों की छाया के नीचे पढ़ने वाले। तो इन छात्रों की शिक्षा पर 12 पैसा प्रतिमाह खर्च किया जाता है और दूसरी तरफ साधन सम्पन्न लोगों के बच्चे जो दून जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी शिक्षा पर 1200 रुपया प्रति माह खर्च किया जाता है। तो निश्चित ही शिक्षा को क्रय शब्द पर आधारित नहीं होना चाहिए। शिक्षा हर एक के लिए समान होनी चाहिए और इसलिए मेरा नारा है कि,

"मंत्री हो या दरबान, शिक्षा होगी एक समान", सबके लिए एक तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए चाहे झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो या महल में रहने वाला व्यक्ति हो।

मान्यवर, आज जो यह तरह-तरह शैक्षिणिक संस्थाओं के रूप में दुकानें लगी हुई हैं, उसमें प्राथमिक शिक्षा का जिस तरह से शोषण हो रहा है, श्रीमन् आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़े-लिखे नवयुवकों को 50 रुपए वेतन इन तमाम मांटेसरी विद्यालयों में, शिशु मंदिरों में पढ़ने के लिए दिये जाते हैं। इसमें छात्रों का शोषण किया जाता है। तो, इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट का स्वागत करता हूँ।

श्री राम सागर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने का पुनः अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय वित्त मन्त्री जी का जो यह वर्ष 1983-84 के बारे में बजट भाषण हुआ है, उसके प्रति कुछ अपनी बातें सरकार के सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, इस किताब में जो कुछ भी दिया है, चाहे कृषि उत्पादन की बात हो, पी० डब्लू० डी० की बात हो, परिवहन की बात हो, हरिजन समाज कल्याण की बात हो या शिक्षा की बात हो, इन सबके बारे में बहुत कुछ लम्बा चौड़ा भाषण माननीय मंत्री जी ने इस सदन में दे दिया। लेकिन मैं, जो उसकी असलियत है, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें से जो गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। मान्यवर, इतना जरूर हो गया है कि इस सरकार ने और उनके मंत्रियों ने, उनके अधिकारियों ने अपने खाने पीने का वर्ष भर का इंतजाम कर लिया है, बस सिर्फ इतना हुआ है। क्योंकि आज जो भी इनके विभाग हैं, मैं कृषि उत्पादन के बारे में सबसे पहले चन्द शब्दों में अपनी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज किसानों के उपयोग सम्बन्धी चीज है चाहे वह खाद हो, बहुत ही मंहगी हो गयी है। उसके काम में आने वाले जो यंत्र हैं, वे काफी मंहगे हो गये हैं और बिजली की दरें बेहताशा बढ़ गयी हैं। लेकिन मान्यवर किसान की पैदावार के दाम वहीं के वहीं हैं।

मान्यवर, उसके उपयोग में आने वाली चीजों के दाम बढ़ गये हैं लेकिन जो किसान द्वारा उत्पादित चीजें हैं, चाहे वह गन्ना हो या गेहूँ, उसके दाम वहीं के वहीं हैं। मान्यवर, जब किसान का गेहूँ को खरीदने का समय आयेगा तो उसे 130 रुपए लगेंगे, लेकिन जब बेचने का वक्त आयेगा तो लूटेंगे और सवा तीन सौ और चार सौ में गेहूँ बेचेंगे। मान्यवर, यह इनका कृषि उत्पादन है। यही नहीं उद्योग के मामले में गांधी जी कह गये थे और उन्होंने यह कहा था कि हम गांव में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देंगे। मान्यवर आप देखें कि इससे 40-50 साल पहले इनकी मेरी उम्र नहीं है। गांव-गांव में कपड़े बुनने का कारखाना था। बुनकरों के माध्यम से कपड़े का कारखाना गांवों में था, चमारों के माध्यम से चमड़े का काम गांव में होता था लकड़ी का काम गांव में होता था तेल पेराई का काम गांव में होता था यह सारा का सारा काम गांव में होता था। यह नारा तो लगाते रहे कि हम कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन वास्तव में जो गांव में काम होते थे वह भी इन्होंने बन्द कर दिया। यह कहते हैं कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं मान्यवर बड़ी-बड़ी मशीनीकरण ने जो इस देश में कल्याण के लिए आयी थी सारी कुटीर धंधों को खा गयी। नारा केवल इनका लगता रहा कि हम कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं।

मान्यवर, नौजवानों की स्थिति यह है कि वह आज दिशाविहीन हो गया है। गांधी जी ने कहा था कि हम ऐसी शिक्षा नौजवानों को देंगे कि वह पढ़ने लिखने के बाद किसी के सामने रोजी रोटी के लिए हाथ न पसारें लेकिन आज किसी नौजवान को नौकरी

[श्री राम सागर--]

नहीं मिल रही है। मान्यवर, शिक्षा के बारे में एक दोहरी नीति है। प्रधान मंत्री, मंत्री और मुख्य मंत्री के बच्चे दून और पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन गांव के बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां न तो टाट पट्टी है और न कुर्सी। मास्टर भी अपनी ओसरी बांधे हुए हैं। मिट्टी में बैठकर कोई पढ़ाई नहीं होती और कम्पटीशन आप उन छात्रों का पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए छात्रों से कराते हैं। इसका कारण यह होता है कि उनको सर्विस मिल जाती है और जो गांव का बच्चा है उसको नौकरी नहीं मिलती है। मान्यवर, हमारे जनपद बारांबंकी में एक डिग्री कालेज है मैं बराबर मांग करता आ रहा हूँ कि एक या 2 और डिग्री खोल दीजिये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समाज कल्याण विभाग जिसमें हरिजनों के बारे में बहुत कुछ देने की बात हर सदस्य कर रहे हैं। हरिजन आकाश की ओर मुँह बाये हैं लेकिन उसके मुँह में कुछ जाने वाला नहीं है। मान्यवर, हरिजनों के लिए जो मकान बनाने की योजना है हमारे पड़ोस में सन् 80 में एक कालोनी बनाई गयी थी उसमें अब केवल डी० एम० ने जो उद्घाटन किया था वही पत्थर रह गया है और सब धराशायी हो गई है। मान्यवर, यह जो भी दुकान या कालोनी बनाते हैं उसे गांव से डेढ़ 2 फर्लांग दूर पर बनाते हैं। यह हरिजनों को और दूर रखने वाली बात और छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। हरिजनों को कुछ मिलने वाला इस विभाग से नहीं है। जो कुछ मिलने वाला होता है वह भी अधिकारी लोग खा जाते हैं। मान्यवर परिवहन के मामले में बाराबंकी से हैदरगढ़ के लिए जनता पार्टी की हुकूमत में एक बस प्रति घंटे छूटा करती थी। बारांबंकी से कोठी के लिए बस जाती थी लेकिन आज वहाँ एक डी० एस० पी० है शम्भू रत्न मिश्र और दरोगा है वृन्दा सिंह यह 35 गाड़ियाँ साढ़े 5 सौ रुपये प्रतिमाह पर प्रत्येक बस चला रहे हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी को लिखकर दिया है। ऐसा सुना जा रहा है कि यह सब गाड़ियाँ अम्मार रिजवी साहब के रिश्तेदार की हैं यह वह देखें कि कैसी रिश्तेदारी है। लेकिन 35 गाड़ियाँ इस तरह की वहाँ चल रही हैं। जितनी सड़कें जनता पार्टी की हुकूमत में बनाई गई थी उन सबको उन्होंने समाप्त कर दिया। हमारे यहाँ राड़ी नदी पर एक पुल बन रहा था।

(4बजकर 25 मिनट)

मान्यवर, हमारी सरकार, जनता पार्टी के समय में मंजूर हुआ था लेकिन इनके एक दरोगा हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, थाना असंदरा में पहुँच गये और सारी की सारी लकड़ी बाराबंकी से उठाकर बनारस ले गये। मैंने इस सदन में भी कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो भी योजनायें सरकार ने शुरू की थीं, गाँव की जनता हमारे पक्ष में भी है और आपके भी पक्ष में, उनसे कोई दुराव नहीं होना चाहिए लेकिन केवल ईर्ष्या-द्वेष भावना के तहत सारी कल्याणकारी योजनाओं को काँग्रेसी नष्ट कर रहे हैं। गरीबों, छात्रों, मजदूरों को कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसा तो यह बजट है। इससे तो अधिकारियों ने केवल अपना भला कर लिया है और गरीबों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आप को पुन; धन्यवाद देता हूँ और प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूँ।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने हेतु जो आपने मुझे अवसर दिया है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ।

[विरोध के पक्ष के एक सदस्य के "आप सही-सही बोलें" कहने पर]

श्रीमन् [× × ×] मैंने तो इस बात की शपथ ली है कि हम सही बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने। इनका केवल एक सूत्र है। हरिजनों के साथ कितना ही अत्याचार करें लेकिन इस सदन में हरिजनों के नाम पर इन्हें न रात को चैन है और न दिन को चैन।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरिजनों, अल्पसंख्यकों का, पिछड़े वर्गों की हमारी एक मात्र नेता श्रीमती इंदिरा गांधी····

(व्यवधान)

आपको इस बात से कहीं भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, वह चीज आपके सामने आ गयी है। आपने अभी दिल्ली के चुनाव का हाल देखा। जो भी हमारे अनुसूचित जाति के सदस्य खड़े हुए थे, सभी जीत गये। आपके सामने की बात है।

मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सदस्य जसवन्त सिंह बिष्ट जी ने कहा कि एक पैसा इस बजट में हमारे क्षेत्र में नहीं पहुँचा। बिष्ट जी को यह पता नहीं कि उनका क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है और आखीर। 3-4 महीने की बात है, हमारे नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री भारत सरकार, नारायण दत्त तिवारी जी अभी सल्ट में एक फैक्ट्री के निर्माण हेतु गये थे जिसकी लागत 40 करोड़ से अधिक है। मैं आपको बताऊँ, जहां के बिष्ट जी रहने वाले हैं, वहाँ मेरी ससुराल है। घर से चलते थे तो शाम को रानीखेत पहुँचते थे। दो साल के अन्दर अब रानीखेत से सल्ट तक रोड बन गयी है।

अब श्रीमन् मैं निवेदन करूँगा, भाग्य से हमारे मंत्री जी बैठे हैं, मझोला फैक्ट्री है जहाँ से हमारे स्वर्गीय साथी चरनजीत सिंह आये थे, उनका क्षेत्र और हमारा क्षेत्र मिला हुआ है, मैं माननीय गन्ना मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वहां पर हमारे किसान भाइयों का जो भुगतान होना है, उनको उसमें कठिनाई हो रही है। वहाँ पर मुझे बनाया गया है। कृपा करके उस क्षेत्र के लिए एक करोड़ रुपया दे दें ताकि वहाँ पर किसानों का भुगतान हो सके। खटीमा-पानीपत जो रोड है, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से व्यक्तिगत निवेदन है कि कुछ रोड बन चुकी है लेकिन खटीमा पानीपत जो नेशनल हाई वे है उसमें काम नहीं हुआ, बीसों ट्रक उसमें गिर चुके हैं। इसलिये उसे तुरन्त बनवाने की कृपा करें। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि मेरे क्षेत्र खटीमा में नन्दना में थारू जाति के लोग रहते हैं जिनके लिए हमारे नेता मा० मुख्य मंत्री जी ने, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति के अन्तर्गत थारू लोग आते हैं, उन्हें सुविधायें दी हैं,। हमारे कुछ अधिकारी वर्ग, जो ऐसी पार्टियों से संबंध रखते हैं, अनुसूचित जातियों को,थारू और वोक्सा जाति के लोगों को आये दिन परेशान करते हैं।

मान्यवर, देखने की बात है। नन्दना में थारू जाति की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक एक्साइज इंसपेक्टर ने वहाँ जाकर कहा कि यह शराब बनाते हैं, उन्हें बेइज्जत किया, महिलाओं के साथ छेड़खानी की। सभापति के पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। खटीमा थाने की पुलिस वहाँ आई। इसकी जांच होनी चाहिये। इनके साथ किसी प्रकार की नर्मी नहीं बरतनी चाहिये। मान्यवर, आपसे निवेदन करूँगा कि पर्वतीय क्षेत्र में सात विधायकों से टच करने वाला क्षेत्र मिला है। पांच साल में प्रत्येक गाँव में

नोट: [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री बिहारी लाल—]

नहीं जा सकता । ग्राम सभा के माध्यम से वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों के माध्यम से मुझे सूचना मिलती है औखलकांडा ब्लाक में डकैतों का इतना बड़ा गिरोह काम करता है । आपको बता दूँ, शर्मा दुकानदार है, उसकी सारी सम्पत्ति लूट कर ले गये । जिला के अधिकारियों ने कोई जाँच पड़ताल नहीं की । जो पहाड़ में नहीं होता था, वह हो रहा है । इसको देखा जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 5-6 महीने पहले श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ओखलकाण्डा गये थे । ओखलकाण्डा से 7 किलोमीटर रोड है उसको बनवाने की घोषणा करके आये थे कि यह रोड बनाई जाय परन्तु उसमें काम नहीं लगा । हमारे पहाड़ में ओला बृष्टि से काफी नुकसान होता है । अभी शनिवार को में पहाड़ गया था, आधे रास्ते से लौटकर आ गया । 3-3 फीट वर्फ जमी पड़ी है । मा० मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो ऋण लिया है किसानों ने नैनीताल में, वह ऋण वसूल नहीं किया जायेगा । जिलाधिकारी, नैनीताल उसकी जवरदस्ती वसूली करा रहे हैं, वह परेशान कर रहे हैं । मैं चाहूँगा कि ऋण की वसूली न की जाय ताकि गरीब जनता को राहत मिले ।

श्री धरमपाल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न हैं ।

श्री अध्यक्ष—

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री धरमपाल—

इस सचिवालय परिसर में कक्षा नं० 34 की दीवार पर किन्हीं चौधरी चरण सिंह की मीटिंग का पोस्टर चिपका है । आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस सचिवालय परिसर में किसी भी पालीटिकल पार्टी का पोस्टर चिपका कर प्रचार किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं दिखवा लूँगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं आपका ध्यान बजट की तरफ ले जाना चाहता हूँ । जिसका बोझ आपकी मेज पर भी रखा है और साथ ही सरकार का तवज्जों भी ले जाना चाहूँगा ।....

मान्यवर, फार्सी की एक कहावत है 'गन्दुम न रसद भुस गनीमत अस्त' यानी अगर गेहूँ न मिले तो भुस से ही काम चला लिया जाय । इसी तरह का यह वजट पेश किया गया है । इस बजट सत्र की शुरूआत ही महामहिम राज्यपाल के थके हुए बोझिल कदमों से हुई । यह सत्र ऐसा बदनसीब शुरू हुआ कि राज्यपाल महोदय खड़े भी न हो सके । इस बहतरीन हालात में उनका अभिभाषण पढ़ दिया गया ।

इस प्रदेश में चाहे अक्लियत का मसला हो, चाहे मजदूरों का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो बहाजिर तो यह सरकार उनकी बहुत हमदर्द बनती है, उनकी सबसे बड़ी मसीहा बनती है, लेकिन उनके लिये अभी तक इस सरकार के जरिये कोई काम ऐसा नहीं किया गया है जिनसे उनकी हालत बेहतर हो सके । अभी भाई

भतीजावाद की बात कही गयी है खुशी है वह वाद खत्म हो गया लेकिन माँ बेटा वाद शुरू हो गया और संजय गाँधी की जगह राजीव गांधी ने ले ली ।

गन्ने के बारे में कई बार यहां पर बात हुई, लेकिन सरकार की तैशुदा कोई पालिसी इस बारे में नहीं बन सकी । आज गन्ना काश्तकार किस तरह से अपनी जिन्दगी बसर कर रहा है इसका अन्दाजा हमारे गन्ना मन्त्री को नहीं हो सकता क्योंकि गन्ना मंत्री तो सरकार की और इस बजट की रोजी खाते हैं, वे गन्ने या मेहनत की रोजी कहां खाते हैं, गन्ना काश्तकार की तकलीफों का उन्हें ख्याल कहां हो सकता है । गन्ना किसान से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है । अब तक गन्ना किसान की अदायगी में 15 प्रतिशत की कटौती होती थी । सूरते हाल यह है कि गन्ने पर किसान की लागत 94 प्रतिशत आती है वह सिर्फ 6% में जिन्दा रहता है उसका 15% सरकार काटकर अपने खजाने में रख लेती थी और उसी किसान का 30% पैसा काटकर सरकार उसे किस गुनाह की सजा दे रही है । और यह काम वह सरकार कर रही है जो अपने को गन्ना काश्तकारों का मसीहा बताती है । (व्यवधान) मंत्री जी के कानों में तो भ्रष्टाचार की इतनी गन्दगी भरी हुई है कि हमारी आवाज तो क्या अल्लाह की आवाज भी इनके कानों को नहीं सुनायी देगी । (व्यवधान) इसीलिये मैं कहता हूँ कि आखिर 30 प्रतिशत टेकिंग करने के बाद यह सरकार किस प्रकार समझती है कि गन्ना काश्तकार जिन्दा रहेगा ? इस सरकार से बड़ा दुश्मन गन्ना काश्तकार का कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता ।

सत्ता पक्ष से हमारे कई साथियों ने यह बताया कि डकैती और हत्याओं के मामलों में कमी आयी है 30% इसका प्रतिशत घटा है और 30% की कमी आयी है । मैं मानता हूं, उसमें 30 प्रतिशत नहीं 70 प्रतिशत कमी आयी है । इसको मैं स्वीकार करता हूँ । मगर यह है क्यों ? यह भी सुन लीजिये आज कोई भी शरीफ आदमी थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो थानेदार और पुलिस वाले उसे गालियां देकर भगा देते हैं । उसे मां-बहिन की गालियाँ सुनाते हैं । इसके अतिरिक्त कोई शराब देचने वाला, गांजा बेचने वाला, जरायम पेशा शख्स, थाने में पहुँचता है तो उसे थानेदार इज्जत से कुर्सी पर बिठाता है आवाज देता है पैहले कुर्सी लाओ । बदकार और बदमाश लोगों को कुर्सी मिलती है और शरीफ आदमियों को मां-बहिन की गालियां देकर निकाल दिया जाता है ताकि उनका डीमारेलाइजेशन हो । इस तरह से शरीफ आदमी की रिपोर्ट न लिखे जाने के कारण प्रतिशत में कमी आयी है । इनकी नपुंसक पुलिस अपराधों को दर्ज ही नहीं करती । तो उनकी फीसदी क्योंकर न घटेगी ।

आपके प्रदेश में फिरकापरस्ती बढ़ी है और आप पर से अकलयिती का भरोसा खत्म हो गया है । मेरठ की बात आज मैं इसलिये नहीं कहूँगा क्योंकि तफसील से उसके ऊपर चर्चा होने वाली है । उसी वक्त मैं सरकार के चेहरे पर डाली हुई नकाब उठा दूँगा । याद होगा मुरादाबाद के फंसाद के वक्त जो-जो बातें मैंने यहाँ पर कही थीं उस सबका सबूत मैंने दस्तावेजों और बयानात और तस्वीरों की शक्ल में दिया था ऐसा नहीं है कि वह बातें गलत निकली हों । या वह बातें साबित न हो पायी हों । मैं जो बातें मेरठ के बारे में भी कहूँगा वह साबित कर दूँगा टेप रिकार्डेड बयानात से तहरीरों से और कई दूसरे तरीके से कि उसमें इस सरकार की क्या साजिश थी, सरकार का हाथ था । आखिर क्या बात थी कि ईद के दिन ही यह फँसाद शुरू हुआ । सितम का पहाड़ खोद दिया गया । यह नया ढंग कि इबादतगाहों और जुमे के दिन ही फसाद होगा ताकि लोग निहत्थे ही घरों से दूर हों, घर खाली हों ताकि जला दिये जायें लूट लिये जायें और इबादतगाहों को कत्लगाह बना दिया जाय । मेरठ में भी जुमे के दिन ही यह फँसाद होता है । जब एक फिरके के लोग इबादत करने के लिये जाते हैं, उसी वक्त क्यों उन पर हमला किया जाता है ।

[श्री मुहम्मद आजम खां—]

ये तीनों बड़े फसाद उस दिन हुए जब लोग नमाज पढ़ने गये थे । अफसोस फिर भी धर्म निरपेक्षता की बात कही गयी है । मैं समझता हूँ कि जब तक इस देश के माथे से यह कलंक नहीं छूटेगा, जुल्म करने के बाद उसे नजर अन्दाज कर दिया जायेगा तब तक अपने आप को आप सेक्यूलर नहीं कह सकते हैं । मान्यवर, मुल्क के दस्तूर ने यह जमानत आपसे 35 साल पहले दी थी अब कोई भूखा न सोयेगा किसी बेगुनाह का कत्ल न किया जायेगा कोई मांग न उजड़ेगी कोई गोद न सूनी होगी और कोई मासूम बच्चा नफरत के कदमों तले न रोंदा जायेगा । मगर सरकार के हाथ उन्हीं भंत्रालयों के खून से रंगे हुए हैं । और अकलियत की बात करती है । आपको याद होगा कि 31 दिसम्बर, 1981 को जब इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, तो उन्होंने यू० पी० के मुसलमानों को नई साल की मुबारकबाद के तौर पर यह खुशखबरी के तौर पर एक तोहफा देना चाहता हूँ और उर्दू को दूसरी राज भाषा बनाने का ऐलान कर दिया गया । उस दिन हम लोग दिल्ली में थे, इस खबर को पढ़कर खुशी भी हुई और हैरत भी । श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेस में कहा कि अकलियत का वोट लेने के लिये अकसहियत को नाराज नहीं किया जायगा लिहाजा पहली जनवरी, 1982 को मुख्य मन्त्री ने ऐलान कर दिया कि उर्दू दूसरी सरकारी जबान नहीं बनेगी । हालांकि आपने मैनीफिस्टो मे यह दावा किया था कि उर्दू को सरकारी जबान बनाया जायेगा । ला एण्ड आर्डर की भी बात कही गयी है । जरा आप मुरादाबाद के लोगों के वह मकान जो जलाये गये और मेरठ की उस मां से पूछिये जिसके घर में 6 बेटियां थीं और एक बेटा था, उसके बेटे की किस निर्दयता से कत्ल कर दिया गया क्योंकि वह अकेला सहारा था मां ने कहा मेरी बेटी ले जाओ मगर बेटा छोड़ दो मैं ऐसे हकायात पेश करूंगा जिन्हें सुनकर सरकार को शर्म आयेगी । मेरी बात को तकरीर की मौज न समझा जाये जजबाती अलफाज न समझा जाए बल्कि दर्दमन्द इन्सान होकर हमारे दुख का इलाज कीजिए जो मुस्लिम मेम्बर इस पर पर्दा डालता है वह न कौम का दोस्त है और न मुल्क का बल्कि वह खुला गद्दार है । जब तक इस मुल्क को सबसे बड़ी अकलियत के साथ इन्सान न होगा और अकलियत पर हो रहे मजालिम को न रोका जायगा यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता । मान्यवर, जहां तक तालीम का प्रश्न है, इसे माननीय मंत्रीगण खुद फैसला कर लें, अधिकारीगण खुद फैसला कर लें । आज प्रदेश में छोटे स्कूलों की क्या परसेन्टेज है और इंग्लिश स्कुलों की क्या परसेन्टेज है देखें और देखें दोनों के हालात में क्या फर्क है । मान्यवर, आज से लगभग 4 साल पहले ब्लिट्ज ने एक लिस्ट निकाली थी कि कितने बच्चे मंत्रियों और अधिकारियों के इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी एक फेहरिस्त आयी थी । 95-96 परसेन्ट उसमें वो बच्चे थे जो इस देश के मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चे हैं । आप कहते कुछ और हैं और अमल में कुछ और करते हैं मन्यवर, इससे काम चलने वाला नहीं है । माननीय मंत्रीगण यदि अपने बच्चों को इन कान्वेन्ट और इंग्लिश स्कूलों से निकालकर उन छोटी पाठशालाओं में लायें तो आज तक जो स्कूल नजरन्दाज किये जाने के संबध के कारण तबाह हो गये हैं, बच सकेंगे तभी आपकी शिक्षा पद्धति व तालीम ठीक हो पायेगी ।

श्रीमन्, मेरे शहर में एक गरीब बस्ती है, वहां पर गरीब निचले दर्जे के काश्तकार रहते हैं उसका नाम है गंगापुर । आवास विकास वालों ने वहां पुलिस और पी० ए० सी० लगाकर जबरन कब्जा ले लिया है । यह सरकार अपने को गरीबों का मसीहा कहती है और ये कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे । मान्यवर, इस प्रकार जो बात इन लोगों ने खुद पैदा कर रखी है उसे ये अपने आप खत्म कैसे कर सकते हैं ?

गंगापुर कालोनी को फौज लगाकर खाली कराया गया है और औरतों को मारा पीटा गया, जिन्हें काफी चोटें आयीं और उन्हें बजाए मस्पताल ले जाने के जेल ले जाया

गया और वहाँ पर भी उन पर मजालिम ढाये गये। यहाँ तक कि जेल अस्पताल में दाखिल न किया गया। वहाँ के निवासियों के पास छोटे-छोटे आधे-आधे बीघे के खेत व जमीन आदि थीं, उन गरीबों की जमीनों को छीनकर बड़े-बड़े महल तामीर करना और अमीरों को बांट देना कहां का इन्साफ है। जो कि आवास विकास योजना के अन्तर्गत है। साथ ही एक बात और मैं आखिर में कहकर अपनी बात को खत्म करूँगा कि मुरादाबाद में भी एक कारखाना लगाने के लिए इसी तरह का बल प्रयोग किया औरतों को मारा और दो सौ औरतों को जेल भेज दिया जबकि इस देश की प्रधान मंत्री भी एक औरत ही हैं। जहां यह देश अपने गरीबों का रखवाला और कृषि प्रधान होने की बात करता है, वहीं पर 15 सौ करोड़ रु० की लागत से एशियाड के नाम से एक तमाशा दिल्ली की सड़कों पर करता है जिस खेल को मेरे क्षेत्र के 10 आदमियों ने भी नहीं देखा इस मुल्क का हर बच्चा और बूढ़ा जो पहले से ही कर्जदार था अब 72 रु० 30 पैसा का मजीद कर्जदार हो गया (व्यवधान) काश इस पैसे में छोटे कारखाने लगे होते तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिल पाता। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों पर गौर किया जायगा। शुक्रिया।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं आज प्राप्त हुयी हैं, जिसमें से पहली सूचना सर्व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, जटा शंकर सिंह व श्री नन्दराम की है, जो प्रदेश में इमारती व जलौनी लकड़ी के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है दूसरी सूचना सर्वश्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जटा शंकर सिंह व श्री नन्दराम की है जो प्रदेश के डाक्टरों द्वारा अपने माँगों के संबंध में धरना, प्रदर्शन तथा आंदोलन करने के संबंध में है तीसरी सूचना सर्वश्री रियासत हुसैन, अकबर हुसैन व श्रीराम गोविंद की है जो बाराबंकी के ग्राम संझवर मजरा बुका के श्री बृजलाल के घर पर पड़ी डकैती तथा उन्हें जान से मार डालने के संबंध में है। इन तीनों सूचनाओं में पहली सूचना को छोड़कर दोनों को अस्वीकार कर दिया और पहली सूचना को शासन के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया है।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, मैं सरकार की ओर से समय पर रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ और मा० नेता विरोधी दल ने जो आलोचनाएँ इस बजट की हैं, वह इसलिए कि शायद उन्होंने बजट को पूरी तरह से पढ़ा नहीं या उनके नाम के सामने जो नेता विरोधी दल शब्द लगा हुआ है, इसलिए कि इसकी वास्तविकता की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया जिसमें जन-कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं का समावेश है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान यह बात कही कि बावजूद इसके कि दो सालों से प्रदेश दैवी आपदाओं व अन्य मामलों की परेशानियों से गुजरा है फिर भी प्रदेश में हर क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति में कोई ह्रास नहीं हो पाया है। मान्यवर, राज्य की आय अगर आप देखें तो 81-82 और 82-83 में बढ़ी है। इनका आलोचना करने का आधार क्या है? जहां तक व्यक्तिगत आय है, उसमें भी वृद्धि हुई है। जो सबसे अच्छा काम सरकार ने किया है वह विकेन्द्रित नियोजन का किया है। हम लोगों को यह अधिकार मिला है कि जिला स्तर पर बैठकर तय कर सकें कि किस चीज में ज्यादा जरूरत है पैसे की और पैसे

[श्री सुरेन्द्र कपिल —]

का ठीक तरह से उपयोग कैसे कर सकें। इस संबंध में चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों जिला स्तर पर बैठकर गम्भीरता से विचार नहीं करते हैं कि इस पैसे का अच्छी तरह सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। यह सारा पैसा थोड़ी-सी ढील से अधिकारियों के हाथ में चला जाता है। अभी हमारे बजट में सबसे ज्यादा महत्ता इस चीज को दी गयी है कि गरीब आदमी का जीवन स्तर कैसे ऊँचा उठा सकते हैं। इसके दो ही साधन हैं—उद्योग और कृषि। हमारे इस बजट के अन्दर इसका पूरा समावेश किया गया है कि कुटीर उद्योग धन्धों को भी और कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाय। कृषि उत्पादन के लिये आवश्यक है कि कृषि की बुनियादी जरुरतों को पूरा करें। ऊर्जा, सड़कें और खाद तथा दूसरे साधन मुहैया करने की बात है। हमारे बजट में इन सब पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। जहाँ तक कृषि की बात है, मेरा सुझाव है कि हमारे देश के अन्दर जब तक कृषि नियोजित ढंग से नहीं होगी तब तक हमारे देश और प्रदेश में कृषि तरक्की नहीं कर सकती। इसका स्पष्ट उदाहरण सामने है—गन्ने की समस्या। हर तीसरे साल यह समस्या मुँह बाये खड़ी रहती है। इससे किसान का आर्थिक शोषण होता है। गेहूँ और दूसरी फसलों के बारे में शासन को सुझाव है कि अगली बार कृषि का नियोजन और अच्छी तरह से करें। मैंने अपने साथी का भी भाषण सुना। दुख हुआ कि जहाँ बजट के ऊपर चर्चा करनी चाहिये थी उसके बाहर जाकर मुरादाबाद, अलीगढ़ और मेरठ की बात करते हैं। अगर हम प्रदेश को नहीं सम्भाल सकते तो फिर देश की बात करें, यह अच्छा नहीं लगता। मैं वित्त मन्त्री जी की प्रशंसा करूँगा कि इसबार उन्होंने हमारे घाड़ क्षेत्र के विकास की ओर पूरा ध्यान दिया है। वहां पर 35 वर्षों से कोई भी उत्थान का कार्य नहीं हो सका है। यह पहला मौका है कि अबकी बार बजट में चर्चा की गयी है। इससे वहां के मजदूर तबके को सान्त्वना मिली है कि उनकी भलाई के लिये काम किया जायगा।

परिवार नियोजन जब तक नहीं करेंगे, आबादी की समस्या खड़ी रहेगी। इसके पीछे किसका हाथ है ? जो परिवार नियोजन विकास के मार्ग पर चल रहा था उसमें रोड़ा अटकाया गया। आर.एस.एस. के लोगों ने सत्ता प्राप्त करने के लिये परिवार नियोजन के खिलाफ प्रचार किया।

(व्यवधान)

हिन्दुस्तानी की आने वाली जनरेशन आपको नहीं बक्शेगी। अगर आप यह सोच रहे हों कि सत्ता में आकर फिर कुर्सी पर बैठेंगे तो यह एक सपना होगा।

मान्यवर, आज इस बात की जरूरत है कि विरोधी दल सरकार के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर चले अगर उसे उत्तर प्रदेश की जनता को विकसित देखना है तो उसे सरकार से कंधे से कंधा मिला कर चलना होगा लेकिन आज विरोधी दल की ओर से सहयोग करने की बात नहीं है। वे सिर्फ यहां सरकार के विरुद्ध की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों के लिये यहाँ पर घड़ियाली आँसू बहाते हैं परन्तु यह किसी से दबी या ढ़की बात नहीं है कि उनके शासनकाल में किसानों का गन्ना खड़ा रह गया था खेतों में और फिर उसे जलाया गया। हमारी सरकार ने गन्ना जलाया नहीं बल्कि जबरदस्ती मिलों को चलवा कर गन्ने की पेराई करायी है और वह भी इस शर्त पर जिसके लिये ये रोते हैं हैं कि किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं दिया गया। किसानों को गन्ने का मूल्य बकाया है। अगर हम मिलों को जबरदस्ती न चलवाते तो किसानों का गन्ना चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय की तरह आज भी जलाया गया होता। किसानों के बकाया को हम देंगे वह सोने की मोहर की तरह है कि किसानों के बकाये को दिया जायेगा। ये अपने दिल से

यह गलतफहमी न रहें कि ये चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा मानते हैं तो अब चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा नहीं रहे। यह मैं उनको बतला देना चाहता हूँ कि अब किसानों का मसीहा श्रीमती इन्दिरा गाँधी हैं।

इसके बाद मैं अपनी सरकार से निवेदन करूँगा कि सहारनपुर में एक ढ़कोला नदी बहती है। आज उसकी स्थिति यह है कि उसके किनारे कट-फट जाते हैं, बस्तियाँ बह जाती हैं। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री जी वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए बाढ़ राहत कार्य की वहां जरूर व्यवस्था करें जिससे कि वहाँ के लोगों के मकानों की कटान को रोका जा सके। दूसरी बात यह है कि हमारी विश्व बैंक की योजना से जो नलकूपों की स्वीकृति हुई है उसे हमारे धाड़ क्षेत्र में किसानों के पेय जल की व्यवस्था हेतु कृषि सिंचाई हेतु भी लगवाने की कृपा करें क्योंकि वहां पर पेय जल की सुविधा नहीं है। हमारा धाड़ क्षेत्र देहरादून से लगा हुआ है वहां धाड़ क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था कराने हेतु नलकूप अवश्य लगवाने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। श्रीमन्, हमारी सरकार तीर्थयात्राएं करने पर लगी हुई है। अब तक लोग हज्ज किया करते थे लेकिन अब हमारे मन्त्री भी तीर्थ यात्रा करने लगे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी बजट सत्र के पहले अरब दुनिया की सैर करके आये हैं। उनके पीछे-पीछे सैकड़ों मजदूर जो ईराक में थे जिनमें कि उत्तर प्रदेश के मजदूर भी शामिल हैं उन्हें धक्के मार-मार कर दिल्ली पहुँचा दिया गया है। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जब सत्रावसान होता है तो वे एक बार जरूर ईराक घूम कर आते हैं। लगता है कि वे वहाँ पर कोई महान निर्माण का काम कर रहे हैं। हांलाकि वे मन्त्री यहां पर हैं परन्तु यहां प्रदेश के पहाड़ों पर कोई काम नहीं हो रहा है, बुन्देलखण्ड में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई विशेष काम हो नहीं रहा है। लखनऊ की सड़कों को देखिये तो लगता है कि रिक्शे पर बैठ कर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन वे ईराक की मदद करने जा रहे हैं हीरों के लिए। ईराक के अन्दर जो काम होता है वे बन्धुआ मजदूरों के बल पर हो रहा है। यहां से गोरखपुर से, आजमगढ़ से, बलिया से, बस्ती से, गोण्डा से वहां पर मजदूर भेजते हैं उसके लिये कान्ट्रैक्ट उत्तर प्रदेश में होता है, कन्ट्रैक्टर उनको यू०पी० से ले जाता है। जब वे ईराक में ले जाये जाते हैं तो वहाँ उन्हें वैसे ही रखा जाता है जैसे कि यहां के बन्धुआ मजदूर रखे जाते हैं। यहाँ की खानों में, कारखानों में जो बन्धुआ मजदूर हैं उसी तरह से उनको वहां पर रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय विद्या सागर नौटियाल जी, आप अपना भाषण कल जारी रखें।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

जी बहुत अच्छा।

[समय अपराह्न 5 बजे]

1983-84 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव

श्री ब्रह्मदत्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च,

[श्री ब्रह्मदत्त—]

1984 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल तथा मई, 1983 में 1983-84 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण जो 10 फरवरी, 1983, को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-4 में दिये गये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 6,14,17,38,000 रुपये से अधिक न हो ।

(श्री मोहन सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक आपने संशोधन दिया है, नियमों में आपका अधिकार है लेकिन अगर हम अपनी पुरानी परम्पराओं को देखें, रूलिंग्स को देखें, तो उससे विदित होगा कि लेखानुदान पर चर्चा नहीं होती है और एक बार नहीं कई बार इस प्रकार का निर्णय हो चुका है, आप इस पर विचार कर लें तब आगे बढ़ें ।

***श्री मोहन सिंह—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लेखानुदान तो अनावश्यक ही प्रस्तुत कर दिया गया है । इसके प्रस्तुत करने का कोई औचित्य ही नहीं है । एक ओर तो सरकार कह रही है कि हम समय से बजट पेश कर रहे हैं और दूसरी ओर इसको पेश करके समय बरबाद कर रहे हैं, और तमाम व्यय हो रहा है । हम तो समय से बजट पास करने के लिए तैयार हैं । हमारे जो असरकारी दिवस हैं जो पिछले सत्र के बकाया हैं उनको भी इसको समर्पित कर दिया है । पूरे प्रदेश में अनिश्चितता का वातावरण तैयार कर रहे हैं । इसलिए आप इस प्रथा को रोकने लिए निर्देश दें ।

***श्री रियासत हुसैन—**

श्रीमन् आपने अभी सदन की परम्पराओं का हवाला दिया और रूलिंग्स के बारे में भी कहा । यह बात सही है कि वोट आन एकाउण्ट पर बहस नहीं होती है । परन्तु नियमों में अधिकार हमको है । मगर यह वोट आन एकाउण्ट जिसकी कान्सटीट्यूशन में व्यवस्था की गयी है वह अनएवायडेविल सरकमसटान्सेज में रखी गयी है कि वोट आन एकाउण्ट लिया जा सकता है । पिछले वर्षों मे देखने में आ रहा है कि हर साल वोट आन एकाउण्ट ले लिया जाता है । मान्यवर, यह सदन को 15 जनवरी से चला सकते थे । जैसा माननीय मोहन सिंह जी ने कहा, मेरा प्रस्ताव है कि माननीय वित्त मन्त्री जी कम से कम माननीय सदन को यह आश्वासन दें कि इस आर्टिकल के तहत इसका मजाक नहीं बनायेंगे । दूसरी बात यह है कि दोनों ओर जटिल समस्यायें हैं । 20 सूत्री कार्यक्रम जो श्रीमती इन्दिरा गांधी का है उसमें सबसे पहले सिंचाई को रखा है लेकिन उसके लिए पैसा नहीं दिया जा सका है । सिंचाई मन्त्री जी, वित्त जी और गन्ना विकास मन्त्री जी इस बात का आश्वासन दें कि जो गम्भीर समस्यायें हैं उस पर विचार किया जायेगा और उनको हल किया जायेगा, इरीगेशन के लिए फण्ड भेजेगें और वित्त मन्त्री जी इस बात का आश्वासन दें कि जब तक कोई अनएवायडेविल सरकमसटान्स न हो वोट आन एकाउण्ट नहीं पेश करेंगे वैसे आपकी जो भी आज्ञा होगी वह शिरोधार्य है ।

---

*वक्ता में भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, परम्परा रही है कि इस पर चर्चा नहीं होती···

श्री अध्यक्ष—

जब परम्परा रही है तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस वर्ष एक विशेष संदर्भ आया है इसलिए बोल रहा हूँ। जब शुरु-शुरु में इस आदरणीय सदन का आह्वान हुआ था तो यह वाहवाही लूटी गयी थी कि हम समय से बजट पेश करेंगे। अभी हमारे सहारनपुर वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हम 31 मार्च तक बजट पास कर सकते हैं। लेकिन आपने दो महीने का लेखानुदान ले लिया है। मुख्य मन्त्री जी ने संवाददाताओं के सामने घोषणा की कि वे करों को रेशनलाइज करेंगे। आपने घाटा भी दिखाया है और इससे पूर्व के सालों में भी घाटा दिखाया था। आपने यह भी कहा है कि हम इस साल बिजली के रेट बढ़ायेंगे। पिछले दो वर्षों से आप कहते चले आ रहे हैं कि हम कोई टैक्स जनता पर नहीं लगायेंगे लेकिन आपने इरीगेशन के रेट बढ़ा दिये, बिजली के रेट बढ़ा दिये, परिवहन के रेट बढ़ा दिये। आपने नियमों में यह भी व्यवस्था की है कि आर्डीनेन्स के द्वारा टैक्स लगाये। इसलिए संदेह होता है कि लेखानुदान लेकर आपकी बहुमत की सरकार बैठी हुई है उसके जरिये इस सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दें और आर्डीनेन्स के जरिये टैक्स लगा दें। इसलिए आप आश्वासन दे दें कि आर्डीनेन्स के द्वारा कर नहीं लगायेंगे। हां, आप बजट में टैक्स के प्रपोजल लावें। हम उसके गुण-दोषों पर विचार करेंगे। अगर कोई ऐसे टैक्स होंगे जिनमें प्रदेश की गरीब जनता मध्यम वर्ग की जनता के लिए पैसा निकालना चाहते हो तो हम···· (व्यवधान)

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

जब एक व्यवस्था हो गई है और मैंने नियमों का हवाला आपको दे दिया है जिसे आप सबने उसे स्वीकार भी कर लिया है तो फिर आप लोग क्यों बोल रहे हैं, क्यों सदन का समय ले रहे हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। जिन्होंने संशोधन दिया है माननीय रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन, रामगोविन्द चौधरी तथा जनार्दन प्रसाद ओझा ने, और उन्होंने अपेक्षा की है कि अगर वे संशोधन को नहीं रखेंगे ····(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शांत रहे।

---

*वक्ता वे भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बासुदेव सिंह—

संशोधन रखने से पूर्व रियासत हुसैन साहब ने वित्त मन्त्री जी को सम्बोधित करते हुए यह आश्वासन चाहा है····(व्यवधान)

मान्यवर प्रतिपक्ष समझने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, आप जिसको चाहें आज्ञा दे सकते हैं। प्रक्रिया से संबंधित बात है····

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब उन्होंने अपना प्रस्ताव नहीं रखा है और संशय जाहिर किया है। इसलिये मैं इसको समाप्त करता हूँ। ···(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही। पहले तो शंका की बात कही है। तो उसके बारे में केवल यह कहना है कि—संशयात्मा विनश्यति। कोई संदेह की बात नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

यही आपने पिछले साल भी कहा था।

श्री ब्रह्मदत्त—

हां, मैंने पिछले साल भी कहा था और फिर कह रहा हूँ। कुछ कारण हो सकते हैं, कोई बात हो सकती है जिनकी वजह से ऐसा करना पड़ता है। कुछ अपरिहार्य परिस्थितियां भी होती हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लेखानुदान की माँग करने से पहले सम्पूर्ण बजट पास हो जायेगा।

दूसरी बात की याद दिलाना चाहता हूँ कि ढाई तीन साल के इतिहास में हमने आर्डिनेन्स से कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। आर्डिनेन्स से टैक्स लगाने में मैं विश्वास नहीं करता। अगर टैक्स लगाना होगा तो माननीय सदन के सम्मुख मैं उपस्थित होऊँगा और सदन की आज्ञा से लगाऊँगा। मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि टैक्स और सेवाओं के चार्ज में अन्तर होता है। सेवाओं का चार्ज आर्डिनेन्स से कभी नहीं हो सकता है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपने बिक्री कर आर्डिनेन्स से बढ़ाया है।

श्री ब्रह्मदत्त—

मेरा दावा है कि ढाई साल के अन्दर जो हमने इसमें छूट दी है, जो सरलीकरण किया है, कहीं कोई कठिनाई नहीं आयी वह पहले नहीं हुआ।

माननीय सदस्य रियासत साहब ने जो दो बातें कही उनके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सिंचाई के लिये जो परिधि के अन्दर हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जायेगा कोई कठिनाई नहीं आयेगी।

गन्ने के बारे में जो तय किया है जो हमने वायदा किया है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन हमारी जो कठिनाइयां हैं इस समय 470 करोड़ का पेमेंट होना है उसमें से 445 से 450 करोड़ के बीच हम कर रहे हैं। मैं यह नहीं चाहूँगा कि जैसा और लोगों ने ओवरड्राफ्ट किया है उसको मैं भी अपने सिर मोल लूँ।

मैं अन्त में यह बात कहना चाहता हूँ कि फरवरी और मार्च में जो खर्च होता है उसमें कोई ज्यादा गुंजायश छोड़ी जाय क्योंकि इस पर ज्यादा नियंत्रण इस समय नहीं कर पाते हैं। इसलिये आदरणीय सदन के सहयोग से मैं चाहता हूँ कि अप्रैल के पहले सप्ताह में हमारी स्वीकृति चली जाय। वह भी हम ऐसा करेंगे कि सीधे यहाँ से जिलों को स्वीकृति चली जाय ताकि विभागाध्यक्षों के पास मामला अटका न रहे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय रियासत साहब अपना संशोधन प्रस्तुत न करें और यहाँ पर बजट पर जब चर्चा होगी सिंचाई के लिये, गन्ने के लिये और पिछड़ेपन के लिये उसमें वह सब कह सकते हैं। इसे वह लेखानुदान में न लायें। लेखानुदान में वही आया है जोकि अपरिहार्य चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी आवश्यकता नहीं है और वह अपना संशोधन वापस लेंगे।

श्री ऊदल—

मान्यवर, संसदीय इतिहास में पहली बार गवर्नर साहब के एड्रेस में लेखानुदान का जिक्र आपने करा दिया है। सारे एड्रेस मंगा कर देख लें किसी में इसका जिक्र नहीं है तो आपने संसदीय इतिहास को तोड़ा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय ऊदल जी ने कहा कि संसदीय इतिहास में पहली बार यह हुआ है तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 1979-80 में जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय का हुआ उसमें भी लेखानुदान का जिक्र है इसलिये वह उसे पढ़ लें। पहली बार इसका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब बहस समाप्त करें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं इस आशा के साथ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसे वह वाकई में पूरा करेंगे, अपने एमेंडमेंट को विदड्रा करता हूँ और पेश नहीं करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल तथा मई, 1983 में 1983-84 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण, जो 10 फरवरी, 1983 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-4 में दिये गए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 6,14,17,38,000 रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983 को पुनः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करता हूँ ।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2,3 अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983

1 अप्रैल 1983 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1983 कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो अप्रैल, 1983 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 7,96,09,,84,000 रुपये (केवल सात अरब, छियानब्बे करोड़ नौ लाख चौरासी हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1983-84 के लिये 7,96,09,84,000 रुपयों का दिया जाना

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं। विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
1	आबकारी विभाग	राजस्व	35,36	1	35,37
		पूंजी	2,50	...	2,50
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग	राजस्व	51,60	73,33	1,24,93
		पूंजी	3,25,17	37,62	3,62,79
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	राजस्व	17,09	1	17,10
		पूंजी	....	....	...
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	4,39,50	28,43	4,67,93
		पूंजी	98,71	29,49	1,28,20
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	14,16	1	14,17
		पूंजी	1,02,50	83	1,03,33
6	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	1,96,05	...	1,96,05
		पूंजी	4,45	...	4,45
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	15,15	...	15,15
		पूंजी	46,69,40	...	46,69,40
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	6,38	...	6,38
		पूंजी	...	...	....
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	1,23,12	54	1,23,66
		पूंजी	23,98	....	23,98
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	7,64,05	34	7,64,39
		पूंजी	7,12,32	8	7,12,40

1	2		3	4	5
11	खाद तथा रसद विभाग	राजस्व	1,68,93	56,65	2,25,58
		पूंजी	80,04,83	6,50,08	86,54,91
12	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	1,14,99	48	1,15,47
		पूंजी	1,16,67	81	1,17,48
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	2,05,31	1,79,62	3,84,93
		पूंजी	2,08,33	....	2,08,93
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	2,06,49	1	2,06,50
		पूंजी	9,41	....	9,41
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	28,90,50	1,54	28,92,04
		पूंजी	1,85	1,23	3,08
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	88,22	—	88,22
		पूंजी	...	....	...
17	गोपन विभाग	राजस्व	2,50	....	2,50
		पूंजी	....	...	....
18	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व	24,03,56	2	24,03,58
		पूंजी	8,97	...	8,97
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	15,60,26	3	15,60,29
		पूंजी	....	....	....
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	8,95,62	1	8,95,63
		पूंजी	1,90,00	...	1,90,00
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	5,63,86	1	5,63,87
		पूंजी	...	...	....
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	9,92,79	2	9,92,81
		पूंजी	1,78,68	...	1,78,68
23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	7,12	....	7,12
		पूंजी	...	...	...
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	1,10,28	1	1,10,29
		पूंजी	...	....	...
25	नियुक्ति विभाग	राजस्व	61	...	61
		पूंजी	...	....	...
26	नियोजन विभाग	राजस्व	71,18	....	71,18
		पूंजी	7	...	7
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	19,11	....	19,19
		पूंजी	...	....	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
28 निर्वाचन विभाग	राजस्व	2,07 58	...	2,07,58
	पूंजी	....	...	....
29 न्याय विभाग	राजस्व	2,48,68	46,09	2,94,77
	पूंजी	...	...	....
30 पंचायत राज विभाग	राजस्व	1,84,30	4	1,84,34
	पूंजी	21	....	21
31 परिवहन विभाग	राजस्व	2,92,48	2	2,92 50
	पूंजी	1	...	1
32 पर्यटन विभाग	राजस्व	8,21	....	8,21
	पूंजी	2,82	...	2,82
33 पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	11,19,15	51	11,19,66
	पूंजी	7,97,62	48	7,98,10
34 पशुधन विभाग	राजस्व	2,45,71	1,00	2,46,71
	पूंजी	10,93	1,25	12,18
35 पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	13,45	1	13,46
	पूंजी	9,67	...	9,67
36 प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	2,74	....	2,74
	पूंजी	...	....	....
37 प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	2,07,08	1	2,07,09
	पूंजी	58	....	58
38 मत्स्य विभाग	राजस्व	48,75	1	48,76
	पूंजी	33	....	33
39 मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	2,49	....	2,49
	पूंजी	...	...	....
40 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	2,91,49	4	2,91,53
	पूंजी	....	...	...
41 राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	राजस्व	1,80,10	1,83,63	3,63,73
	पूंजी	23,78	2,94	26,72
42 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	10,01,28	23,29	10,24,57
	पूंजी	2,01	54,10	56,11
*43 राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	....	4,11	4,11
	पूंजी	...	....	...

*भारत विनियोग से सम्बन्धित-क्रम संख्या ।

1	2	3	4	5
44 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	4,90	...	4,90
	पूंजी	25	...	25
*45 लोक सेवा आयोग	राजस्व	...	17,58	17,58
	पूंजी	...	...	...
46 वन विभाग	राजस्व	5,89,64	3	5,89,67
	पूंजी	2,72	...	2,72
47 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	29,16,84	48,10,99	77,27,83
	पूंजी	54,17	1,17,53,32	1,18,07,49
48 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	राजस्व	11,15,70	2,00	11,17,70
	पूंजी	...	....	...
49 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	48,39	...	48,39
	पूंजी	....	...	....
50 वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	2,92,80	...	2,92,80
	पूंजी	....	....	....
51 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	1,06,03	1	1,06,04
	पूंजी	...	...	....
52 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	3,81,73	60,00	4,41,73
	पूंजी	...	...	....
53 विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	14,16	43	15,04
	पूंजी	...	....	...
54 विधान सभा सचिवालय	राजस्व	39,06	53	39,59
	पूंजी	....	....	...
55 विज्ञान एवं प्राद्योग विभाग	राजस्व	22,03	...	22,03
	पूंजी	...	....	....
56 शिक्षा विभाग	राजस्व	80,81,80	58,34	81,40,14
	पूंजी	10,33	....	10,33
57 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	1,26,95	1	1,26,96
	पूंजी	....		....
58 श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	1,32,76	3	1,32,79
	पूंजी	...	...	...
59 संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	...	...	...
	पूंजी	17	...	....

*भारत विनियोग से सम्बन्धित-क्रम संख्या

1	2	3	4	5
60 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	3,04	1	3,05
	पूंजी	62	...	62
61 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	2,05,36	...	2,,05,43
	पूंजी	...	....	....
62 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	7,79	...	7,79
	पूंजी	...	....	...
63 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	39,33	1	39,34
	पूंजी	....	...	....
64 सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	1,94,93	1	1,94,94
	पूंजी	....	...	...
65 सतर्कता विभाग	राजस्व	23,44	1,25	24,69
	पूंजी	...	....	....
66 सहकारिता विभाग	राजस्व	93,66	48,35	1,42,01
	पूंजी	2,72,47	58,56	3,31,03
67 सहायता और पुनर्वासन विभाग	राजस्व	7,89	1	7,90
	पूंजी	9,30	7	9,37
68 सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	14,37	1	14,38
	पूंजी	....	...	...
69 सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	1,18	1	1,19
	पूंजी	....	....	....
70 सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	1,85	....	1,85
	पूंजी	...	....	....
71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	3,83,55	....	3,83,55
	पूंजी	2,09,44	....	2,09,44
72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	62,27	3	62,30
	पूंजी	2,36,78	17	2,36,95
73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	54,46	1,07	55,53
	पूंजी	97,62	8	97,70
74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	17,07	3	17,10
	पूंजी	2,24,98	54	2,25,52

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4	5
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	9,69,76	.2	9,69,78
		पूंजी	14,07,75	8	14,07,83
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	5,33,74	2	5,33,76
		पूंजी	6,32,92	....	6,32,92
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	29,45,09	1	29,45,10
		पूंजी	53,38,50	1	53,38,51
78	सूचना विभाग	राजस्व	40,50	1	40,51
		पूंजी	....	....	...
79	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	9,06	1	9,07
		पूंजी	....	....	....
80	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	24,86	....	24,86
		पूंजी	...	....	....
81	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	13,13,99	1	13,14,00
		पूंजी	1	....	1
82	क्षेत्रीय विकास विभाग	राजस्व	4,90,01	....	4,90,01
		पूंजी	85,83	...	85,83
	योग	राजस्व	3,73,27,72	56,00,72	4,2928,44
		पूंजी	2,40,89,66	1,25,91,74	3,66,81,40
	कुल योग		6,14,17,38	1,81,92,46	7,96,09,84

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रह्म दत्त—

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1983 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष —

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
15 फरवरी 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सदस्य पुस्तिका

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 984 पर ।)

नकल एफ० आई० आर० नं० 164 अपराध संख्या 195 धारा 364/302 भा० द० वि० बनाम गंगा विष्नू आदि, थाना भोगांव जिला मैनपुरी ।
सेवा में श्रीमन् कोतवाल साहब, थाना भोगांव,

महोदय, कल दिनांक 15-7-82 को मैंने पुलिस कप्तान मैनपुरी को सुबह के समय सूचना दी की मेरे पति मदन पुत्र पुत्तू लाल, जाति अनुसूचित उपजाति खटीक, निवासी मुहल्ला हथियापौर भोगांव को मेरे चाचा गंगा विष्नू, निवासी ग्राम जोगा पुरविया, थाना बेवर के साथ जो पुलिस मेरे घर पर कल रात 14/15 जुलाई, 82 को समय लगभग 12 बजे आई और मेरे पति को घर से रामदास पुत्र बंगाली लाल से कुण्डी खुलवाकर मेरे पति को पकड़ ले गई खोजबीन के बाद ज्ञात हुआ कि जो पुलिस मेरे घर पर आई थी वह थाना सकीट जनपद एटा की पुलिस थी । इस पुलिस के साथ मेरे चाचा गंगा विष्नू थे, उन्होंने पुलिस को रुपया देकर मेरे पति को पुलिस द्वारा मरवा दिया । मेरे पति मदन का पोस्ट-मार्टम जिला एटा में हुआ । मेरे घर पर मेरे पति को जिस समय पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, उस समय मैंने व बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया । हम लोगों की करुण चिल्लाहट सुनकर मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठे हो गये । लोगों ने बिजली की रोशनी में सकीट पुलिस के साथ निम्न व्यक्तियों को देखा । गंगा विष्नू पुत्र हरदयाल, निवासी जोगा पुरविया, थाना बेबर, छोदालाल पुत्र श्री टिक्कू, थाना करहल, रामदास पुत्र लालाराम, निवासी कुरावली आदि को देखा । अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें । प्रार्थिनी निशानी अंगूठा राधारानी । पत्नी मृतक मदन उर्फ लालाराम, निवासी मोहल्ला हथियापौर मकान मंदिर, थाना भोगांव जनपद मैनपुरी । लेखक सूरज सिंह पुत्र सीताराम, निवासी मोहल्ला चौधरी, थाना भोगांव जनपद मैनपुरी ।

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1003 पर।)

सूची "अ"

क्रम. सं.	नाम व पता
1	श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री भगवती प्रसाद, कटका, भट्टपुर।
2	श्री कृपाल पुत्र श्री पुन्नू, कटका, भट्टपुर।
3	श्री जगतपाल सिंह पुत्र श्री रघुराज सिंह, भट्टपुर।
4	श्री गंगा प्रसाद पुत्र ननकू, भट्टपुर।
5	श्री गंगा प्रसाद पुत्र श्री शिव शंकर, 25, भट्टपुर।
6	श्री कृपाल सिंह पुत्र ब्रहम सिंह, भट्टपुर।
7	श्री शिवनंदन प्रसाद पुत्र श्री मुनेन्द्र प्रसाद, भट्टपुर।
8	श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री माधो प्रसाद भट्टपुर।
9	श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री शिव प्रसाद रसूलपुर, भट्टपुर।

सूची "ब"

क्रम. सं.	नाम व पता
1	श्री लालजीत सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह, गोदावर।
2	श्री मथुरा सिंह, पुत्र श्री जीवराखन सिंह, गोदावर।
3	श्री शिव कुमार सिंह, पुत्र श्री साधूसरन सिंह, गोदावर।
4	श्री लालता बख्श सिंह, जागीरपुर, अतरौली।
5	श्री वीरेन्द्र नाथ पुत्र श्री अयोध्या, गोदावर।
6	जगपाल सिंह पुत्र श्री सुम्मेर सिंह, गोदावर।

संसद टेलीग्राफ

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-33 का उत्तर पीछे 1007 पृष्ठ पर)

तालिका

मांगे	कार्यवाही का विवरण
1—दिनांक 28 व 29 दिसम्बर, 1981 को द्विपक्षीय व त्रिपक्षीय बैठकों में जो निर्णय हुए हैं, उनके शासनादेश तुरन्त कराये जायं तथा अन्तरिम वेतन बढोत्तरी एवं अन्य समस्याओं का विचार हेतु उक्त समिति की बैठक तुरन्त बुलायी जाय।	चीनी उद्योग की द्विपक्षीय समिति में लिये गये निर्णयों पर शासन द्वारा निम्न अधिसूचनायें जारी कर दी गयी गई हैं:— 1—परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि—अधिसूचना सं० 1866 (एच०-आई०) 36-2, दिनांक 4-5-1982 2—अभिनवीकरण के फलस्वरूप फालतू कर्मचारियों के नियोजन व वारिसों की नियुक्ति के सम्बन्ध में— अधिसूचना सं० 3158 (एच० आई०) /36-2, दिनांक 15-7-1982 3—ग्रैच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में—अधिसूचना संख्या 3157 (एच० आई०) /36-2, दिनांक 15-7-1982 दिनांक 30 व 31 दिसम्बर, 1982 को हुए चीनी उद्योग के त्रिदलीय सम्मेलन के निर्णयानुसार वेतन वृद्धि के संबंध में शासकीय अधिसूचना सं० 45 (एच० आई०) (36-2-101(1) (एच० आई०) /82, दिनांक 1-2-1983 जारी कर दी गई है।
2—यूनियनों व कार्य समितियों के पंजीकरण में जो पक्षपात किया जा रहा है वह समाप्त कराया जाय।	यूनियनों व कार्य समितियों के पंजीकरण में कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। यदि कोई विशिष्ट मामला सूचित किया जायेगा तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
3 विवादों को अभिनिर्णय हेतु भेजने में व्याप्त भ्रष्टाचार व पक्षपात को समाप्त कराया जाय।	विवादों को अभिनिर्णय हेतु भेजने में कोई भ्रष्टाचार या पक्षपात नहीं किया जाता है। यदि किसी विशेष वाद का उल्लेख किया जाय तो उस पर जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
4 श्रमिकों के भुगतान रोकने की प्रक्रिया समाप्त कराई जावे तथा पिछले बकाया भुगतान 24 प्रतिशत ब्याज सहित कराये जायं।	श्रमिकों को बकाया भुगतान कराने के लिए उचित कार्यवाही की जाती रही है और उसकी उगाही के लिये भी कार्यवाही की गई है।
5 सहकारी व निगम क्षेत्र में नये स्थापित कारखानों के कर्मचारियों को पूरा व मंहगाई भत्ते का भुगतान कराया जाय।	सहकारी व निगम क्षेत्र की चीनी मिलों में किसी विशिष्ट कारखानें का उल्लेख नहीं किया गया है जहाँ वेतन व मंहगाई भत्ते का भुगतान न किया गया हो।

6	प्रदेश के श्रम विभाग में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के अभाव में तथा पीठासीन अधिकारी विहीन श्रम न्यायालयों व औद्योगिक न्यायाधिकरण के कारण मजदूरों को उनकी समस्याओं, विवादों के समाधान हेतु वर्षों भटकना पड़ता है जिससे प्रदेश में अशान्ति का वातावरण बन गया है। अतः समस्याओं के शीघ्र निपटारे की व्यवस्था की जाय।	श्रम विभाग श्रम न्यायालय व औद्योगिक न्यायाधिकरण के रिक्त स्थानों के भरने की कार्यवाही की जा रही है।
7	प्रदेश स्तर पर गठित चीनी उद्योग से सम्बन्धित समितियों में सदस्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाय।	प्रदेश स्तर पर चीनी उद्योग से सम्बन्धित समितियों के गठन में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देते समय श्रमिक महासंघों से सम्बद्ध संघों की सदस्यता का ध्यान रखा जाता है।
8	सन् 1980 तक 30 वर्ष से चली आ रही त्रिदलीय सम्मेलनों की परम्परा को जारी रखते हुए इस वर्ष वृहद त्रिदलीय सम्मेलन तत्काल बुलाया जाय।	दिनांक 30 व 31 दिसम्बर, 1982 को चीनी उद्योग का राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है।
9	चीनी मिल के श्रमिकों के लिये सुसज्जित आवास व्यवस्था की योजना सरकार द्वारा बनाई जाय और प्रत्येक चीनी मिल में नये क्वार्टरों का निर्माण तथा पुराने क्वार्टरों की समुचित मरम्मत कराई जाय।	पुराने क्वार्टरों की मरम्मत का दायित्व चीनी मिलों का ही है। क्वार्टर निर्माण की कोई योजना यदि प्राप्त होगी तो उस पर विचार किया जायेगा।
10	सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई अथवा लिये जाने वाली मिलों के प्रबन्ध संचालन निमित्त निर्वाचित श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भागीदार बनाया जाय।	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन की मिलों में सहभागिता योजना के अन्तर्गत श्रमिक डायरेक्टर रखने की व्यवस्था है।
11	चीनी मिलों में दिनों-दिन बढ़ते टेम्परेरी श्रमिकों के शोषण को समाप्त कराया जाय तथा ऐसे कैजुअल श्रमिकों को मास में कम से कम 15 दिनों का वेतन दिलाने का कानून लागू किया जाय।	अस्थायी श्रमिकों के शोषण का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया गया है यदि कोई मामला शासन को भेजा जायेगा तो उस पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट "ब"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1013 पर।)

पुलिस मुठभेड़ में मारे गये डकैतों का अपराधिक इतिहास

(1) मृतक डकैत बेग सिंह उर्फ बेगा का आपराधिक इतिहास—

1 अ०सं० 294/79 धारा 364/302 भा०दं०वि० थाना हयातनगर, मुरादाबाद
2 ,, 166/80 धारा 302/201/120बी भा०दं०वि०, थाना आदमपुर,
3 ,, 278/80 ,, 396 भा०दं०वि०, थाना सम्भल, मुरादाबाद
4 ,, 60/81 ,, 399/402/307 भा०दं०वि० थाना सम्भल मुरादाबाद
5 ,, 45/81 ,, 399/402 भा०दं०वि० थाना हयातनगर मुरादाबाद।
6 ,, 46/81 ,, 25 आर्म्स ऐक्ट थाना हयातनगर, मुरादाबाद
7 ,, 98/81 ,, 367 भा. दं. वि. थाना हयातनगर ,,
8 ,, 99/91 ,, 25 आर्म्स एक्ट थाना ,, ,,
9 ,, 181/81 ,, धारा 399/402 भा. दं. वि. थाना हसनपुर, मुरादाबाद

(2) मृतक डकैत लखपत उर्फ लखपट उर्फ गटुआ का अपराधिक इतिहास—

1 अ०सं० 8/74 धारा 399/402 भा. दं. वि. थाना अमसौली मुरादाबाद
2 ,, 1318/75 धारा 395/397 भा. दं. वि. सिविल लाइन ,,
3 ,, 5/79 ,, 396 ,, थाना असमौली ,,
4 ,, — ,, 459 ,, थाना कटघर ,,
5 ,, 324/78 ,, 309 ,, थाना असमौली ,,
6 ,, 8/79 ,, 399/402 ,, थाना ,, ,,

(3) मृतक डकैत हरपाल सिंह का अपराधिक इतिहास—

1 अ०सं० 158/81 धारा 460 भा. दं. वि. थाना डिडौली, मुरादाबाद
2 ,, 169/81 ,, 458/307/51 भा. दं. वि. थाना डिडौली, मुरादाबाद

(4) मृतक डकैत रामसिंह का अपराधिक इतिहास—

1 अ०सं० 158/81 धारा 460 भा. दं. वि. थाना डिडौली, मुरादाबाद
2 ,, 169/81 ,, 458/307/511 भा. दं. वि. थाना डिडौली, मुरादाबाद
3 ,, — ,, 380 भा. दं. वि. थाना अमरोहा, मुरादाबाद।

(5) मृतक डकैत फूल सिंह का अपराधिक इतिहास—

1 अ०सं० 257/79 धारा 394 भा. दं. वि. थाना चन्दौसी, मुरादाबाद
2 ,, 298/79 ,, 392/412 भा. दं. वि. थाना चन्दौसी, मुरादाबाद
3 ,, 299/79 ,, 25 आर्म्स ऐक्ट ,, ,, ,,
4 ,, 523/79 ,, 60 आव. अधि. ,, ,, ,,
5 ,, — ,, 395 भा. दं. वि. थाना इस्लामनगर, बदायूँ
6 ,, — ,, 396 ,, ,, उघैसी, जनपद बदायूँ ।

(6) मृतक डकैत रमेश का अपराधिक इतिहास—

1 अ०सं० धारा 395/397 भा. दं. वि. थाना इस्लामनगर, बदायूँ
2 अ०सं० धारा 25 आर्म्स ऐक्ट चौकी नरौली, थाना में अदालत से वारंट जारी है ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1015 पर)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रदेश से छपने वाले उर्दू दैनिक व साप्ताहिक पत्रों को वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में दिये गये विज्ञापन और उनके मल्य की सूची

1980-82

			धनराशि (रु० में)
	उर्दू दैनिक		
1	सियासत जदीद,	कानपुर	26078.95
2	तीर-ओ-नश्तर	,,	14041.70
3	मजदूर वाहिनी	,,	22226.10
4	पैगाम	,,	42505.75
5	पैगाम	लखनऊ	11040.50
6	कौमी आवाज	,,	65879.95
7	अजायम	,,	41908.35
8	नाजिम	रामपुर	6222.45
9	कौमी जंग	,,	27851.90
10	कौमी मोर्चा	वाराणसी	13777.15
11	आजाद	,,	500.75
12	नया संसार	मुरादाबाद	6370,35
	उर्दू साप्ताहिक		रु०
13	खैर व खबर	अलीगढ़	3,636,00
14	सदाकत	कानपुर	1,480.70
15	मजदूर वाहिनी	,,	1,480.70
16	निशात	मुरादाबाद	2,011.10
17	रूदादे चमन	पीलीभीत	5,859.10
18	जदीद शहराह	लखनऊ	1,480.70
19	अजायम	,,	265.20
20	नज्जारा	,,	2,004.50
21	अहदे नव	,,	1,044.25
22	तर्जुमान	अलीगढ़	1,270.75
23	हमारी आवाज	बदायूँ	1,005.55
24	मर्दान	,,	1,005.55

विधान सभा

25	हुब्बे वतन	बरेली	1,237.60
26	तर्जुमान-ए-बरेली	,,	1,267.00
27	पैगाम-ए-वफा	,,	1,270.75
28	शमशी यूथ गजट	,,	1,270.75
29	बिजनौर टाइम्स	बिजनौर	1,027.65
30	मशरिक	गोरखपुर	1,138.15
31	मराद	,,	1,138.15
32	ताबवर	,,	1,138.15
33	इश्तराक	,,	1,138.15
34	तलाश	झाँसी	397.80
35	इंकशाफ	,,	1,003.55
36	अंसारी दुनिया	मुरादाबाद	1,270.75
37	हुकूमत	,,	1,270.75
38	मुहाफिजें कौम	,,	1,270.75
39	कमल छाया	,,	1,505.55
40	जिद्दत	,,	1,403.35
41	नवाये हिन्द	,,	1,270.75
42	रूहेलखण्ड रिपोर्ट	,,	995.05
43	अशरफ	सुल्तानपुर	1,005.55
44	तामीरे ताजमहल	शाहजहांपुर	1,138.15
45	सहारनपुर गजट	सहारनपुर	806.65
46	फरासत	,,	1,005.55
47	खबरदार	,,	1,005.55
48	दरवेश	,,	1,005.55
49	इन्कलाब	,,	1,005.55
50	सहारनपुर टाइम्स	,,	806.65
51	निवाये मिल्लत	लखनऊ	1,005.55
52	सुर्खी	,,	1,156.30
53	हकीकत	,,	1,138.15
54	अमल	कानपुर	861.90
55	रूहेवतन	बरेली	541.45
56	हरदोई बीती	हरदोई	298.35
57	तामीरे अदब	रामपुर	408.85
58	सीतापुर टाइम्स	सीतापुर	132.60
59	मेरठ मेलर	मेरठ	265.75
60	कौमी तराना	रामपुर	265.75

सत्यमेव जयते विधान परिषद उ०प्र०

वर्ष 1981-82

ऊर्दू दैनिक			धनराशि
1	सियासत जदीद	कानपुर	65,962.55
2	तीर-ओर-नश्तर	,,	13,667.80
3	मजदूर वाहिनी	,,	42,944.50
4	कलाम-ए-मशरिक	,,	6,251,45
5	पैमाम	कानपुर	27,091.50
6	पैगाम	लखनऊ	15,495.05
7	कौमी आवाज	,,	63,919.95
8	अजायम	,,	26,491.35
9	नाजिम	रामपुर	13,354.20
10	कौमी जंग	,,	35,466.20
11	कौमी मोर्चा	वाराणसी	40,046.50
12	नया संसार	मुरादाबाद	11,478.90

ऊर्दू साप्ताहिक

13	तर्जुमान	अलीगढ़	1,082.90
14	खैरो खबर	,,	5,002.50
15	हमारी आवाज	बदायूं	1,082.90
16	जुल्कर मैन	,,	1,082.90
17	मर्दान	,,	1,082.90
18	रूहेवतन	बरेली	1,082.90
19	हुब्बे वतन	,,	1,082.90
20	तर्जुमाने बरेली	,,	1,082.90
21	पैगामे वफा	,,	1,082.90
22	कौमी हमदर्द	,,	1,082.90
23	समशी यूथ गजट	,,	1,082.90
24	बिजनौर टाइम्स		1,082.90
25	पा० हरदोई बीती		1,082.90
26	मशरिक	गोरखपुर	1,188.90
27	मुराद	,,	1,082.90
28	ताजवर	,,	1,082.90
29	इश्तराक	,,	1,082.90

उत्तर प्रदेश विधान सभा

30	इंकिशाफ	झाँसी	1,082.90
31	सदाकत	कानपुर	2,155.80
32	मजदूर वाहिनी	,,	4,351.85
33	अमल	,,	1,624.35
34	मेरठ मेला	मेरठ	1,082.90
35	निशात	मुरादाबाद	1,780.10
36	अंसारी दुनिया	,,	1,022.90
37	हुकूमत	,,	1,082.90
38	मुहाफिजे कौम	,,	1,082.90
39	कमलछाया	,,	1,082.90
40	नवाये हिन्द	,,	1,082.90
41	रूदादे चमन	पीलीभीत	2,424.90
42	रूहेलखण्ड रिपोर्टर	रामपुर	1,082.90
43	तामीरे अदब	,,	1,082.90
44	कौमी तराना	,,	1,082.90
45	रामपुर टाइम्स	,,	1,082.90
46	अशरफ	सुल्तानपुर	1,082.90
47	सीतापुर टाइम्स	सीतापुर	1,082.90
48	तामीरे ताजमहल	शाहजहांपुर	1,082.90
49	फरासत	सहारनपुर	1,186.90
50	खबरदार	,,	1,082.90
51	दरवेश	,,	1,082.90
52	इन्कलाब	,,	1,082.90
53	सहारनपुर टाइम्स	,,	1,082.90
54	सहारनपुर गजट	,,	1,082.90
55	जदीद सहारा	लखनऊ	2,155.10
56	सुर्खी	,,	2,155.10
57	नज्जारा	,,	2,870.40
58	अहदे नव	,,	2,131.35
59	निदाये-मिल्लत	,,	1,082.90
60	हकीकत	,,	1,082.90
61	जिद्दत	मुरादाबाद	343.10
62	मुअल्लिमे ऊर्दू	,,	1,907.50
63	कलाम-ए-मशरिक	गोरखपुर	1,298.70

उत्तर प्रदेश

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1034 पर ।)

श्री बाबू लाल की मांगें—

1—नगर में कच्ची शराब कोतवाल के सँरक्षण में बिक रहा है, उसे रोका जाय ।

2—छेदी लाल गुप्ता के पुत्र अशोक कुमार के अपहरणकर्त्ता सर्व श्री आनन्द एवं बाल्मिकी निवासी मोहल्ला थवई का पुल, नगर गोरखपुर को अविलम्ब गिरफ्तार कर अशोक कुमार को उनके चंगुल से बचाया जाय ।

3—कोतवाली थाना के प्रभारी निरीक्षक श्री लोकनाथ यादव को हटाया जाय ।

महामंत्री, युवक कांग्रेस श्री राज कुमार यादव आदि की मांगें :—

1—खूनीपुर मोहल्ले में चारे समेत लगभग 3 लाख के सोने चांदी के जेवरात और 25 हजार नकद कैश जनता के बीच में बरामद हुआ था उसको कोतवाल ने मिली-भगत से सोने के जेवरों को सोने का पालिस दिखाकर, चाँदी के जेवरों को चाँदी का पालिस दिखाकर रुपये का कोई जिक्र न करके सारे माल को कोतवाल महोदय ने हड़प लिया ।

2—दिलेजाकपूर (थवई का पुल) निवासी छेदालाल है अपने पुत्र अशोक कुमार गुप्ता के दुश्मनों द्वारा अपहरण करने की अत्तिला थाना कोतवाली में दिनाँक 17-4-82 को नामजद एफ० आई० आर० किया जिसके मामले का अब तक कोई पता नहीं लगा । सुनने में आता है कि रुपया पैसा लेकर इस केस को दबा दिया गया नामजद व्यक्ति, सरेआम घूम रहे हैं और कोतवाल महोदय की मेहरबानी से इसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है । यह कहा जा रहा है कि यदि कहीं प्रार्थना-पत्र दोगे तो तुम्हारे लड़के की तरह तुम्हें भी गायब करा दूँगा ।

3—यह कि थाने के दलालों से राजनीतिक नेताओं को अपशब्द कहलवाना जान से मारने की धमकी देना, राजनीतिक चरित्र गन्दा करने की साजिश करना कोतवाल का यह सब पेशा है ।

4—यह कि शहर के कोतवाल के मुखबिरों द्वारा शहर में गुन्डई का विरोध की सूचना कोतवाल महोदय को देने पर नेताओं को बन्द करने एवं काउण्टर दिखाने की चेतावनी देना उनको अथवा उनके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने पर उनको जलील करना ।

5—यह कि कोतवाल महोदय की मेहरबानी से बक्सीपुर में कृष्णा टाकीज के आस-पास व दिलेजाकपूर नसीराबाद में खुलेआम कच्ची शराब बिकती है जिससे समाज पर बहुत खराब असर पड़ रहा है ।

6—विष्णु आइस फैक्टरी के पानी की टंकी में अल्पसंख्यक जाति का लड़का कैसे डूब कर मरा वह किसी को मालुम नहीं परन्तु बिना पोस्टमार्टम कराये फैक्ट्री के मालिक से मिलकर कोतवाल ने इसकी लीपा पोती कर दिया ।

7—कोतवाल के संरक्षण में रुद्रदलपुर दक्खिनी में प्रिया टाकीज के पीछे खुले आम टाइप बाबू के यहाँ जुआ खेलवाया जाता है और दुर्गाबाड़ी के निकट मकान में संतकुमार के यहां भी जुआ होता है ।

8—नगरपालिका के अधिकारी एवं आर० आई० द्वारा नाजायज पैसा लेकर करीबन सभी सड़कों पर नाजायज कब्जा दे दिया गया है। इसे हटाया जाय। इसे हटाकर यातायात को सुगम प्रदान किया जाय और दोषी अधिकारियों को हटाया जाय। और तमाम सड़कें टूटी फूटी नालियां खराब हैं जिससे बरसात में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा जिसे तत्काल सफाई करायी जाय और बनवायी जाय। मिसाल के तौर पर दीवान बाजार, हमामवारा के आसपास गली को देखा जाय।

9—बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्टोर कीपर से हर वर्ष लाखों रुपये के माल की खरीदारी करके हड़प लिया जाता है जिससे जबकि ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में किसी प्रकार की वस्तु नहीं भेजी जाती है जिसे जाँच करायी जाय।

10—सदर अस्पताल के कर्मचारी कभी भी अस्पताल में समय से उपस्थित नहीं होते और गरीबों को कोई दवा नहीं मिलती और यह रोज देखा जाता है कि गरीब दवा के लिये त्रस्त होकर प्राणों की आहुति दे देते हैं जबकि लाखों रुपया अनुदान के रूप में आता है उसको हड़पकर लिया जाता है।

11—सहकारी संघ उ० प्र० गोरखपुर मंडल में लेवी चीनी ढुलाई के कार्य में करोड़ों रुपये का घोटाला गत वर्ष लगभग 15 लाख बोरी चीनी कई जिलों को भेजा गया रेलवे वेगन उपलब्ध होने पर ट्रक से भेजा गया। चार गुना भाड़ा अधिक देना पड़ा। जिसकी जाँच कराकर रिकवरी संबंधित अधिकारियों से किया जाय। गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी लेवी चीनी ढुलाई हेतु जो टेण्डर खोला गया था जिन ठेकेदारों को लो रेट था उन्हें काम न देकर एक नाबालिग साढ़े सत्रह साल के लड़के के नाम में दिया गया है जिसे निरस्त किया जाय। और आगे 75 किलो मीटर से अधिक ट्रक द्वारा चीनी ले जाने पर रोक लगा दिया जाय। जिस बच्चे का नाम काट दिया गया है उसका सार्टीफिकेट संलग्न है।

सदर प्रदेश

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1036 पर)

एलाट किये गये सरकारी आवासों की सूची

ए० टाइप

1—श्री एस. एस. तिवारी, अतिरिक्त जिला जज गाजीपुर ।

2—श्री रामसूरत सिंह, परियोजना प्रशासक ।

3—श्री सुरेन्द्र कृपाल जिन्दल, अधिशासी अभियन्ता, प्रा. खण्ड, सा. नि. विभाग, गाजीपुर ।

बी० टाईप

1—श्री संकठा प्रसाद कोषाधिकारी, गाजीपुर ।

2—श्री बाबूलाल डी. डी. सी., गाजीपुर ।

3—श्री आदित्य प्रसाद रस्तोगी, अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गाजीपुर ।

4—श्री के. एन. तिवारी, अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग, खण्ड सा. नि. विभाग, गाजीपुर ।

5—श्री छोटे लाल, सिविल जज, गाजीपुर ।

6—श्री परमेश्वर सिंह परियोजना निदेशक ।

7—श्री वृन्दावन बिहारी लाल, परगनाधिकारी, गाजीपुर ।

8—श्री प्रभातकिरण चौरसिया, सहायक अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई विभाग, गाजीपुर ।

9—श्री महेश्वरी II मुन्सिफ, गाजीपुर ।

10—श्री रियाजुद्दीन, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, गाजीपुर ।

11—श्री वलिन्द सिंह, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, गाजीपुर ।

12—श्री प्रताप सिंह, मुख्य पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर ।

13—श्री प्रताप सिंह, सीं. जी. एम. गाजीपुर ।

14—श्री अमरदेव पाण्डेय, उप निदेशक, भारतीय जनसंख्या परियोजना निर्माण खण्ड, गाजीपुर ।

15—श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, जिला अस्पताल, गाजीपुर ।

16—श्री डा० राममूर्ति सिंह, जिला अस्पताल, गाजीपुर ।

17—श्री डी० एस० राम, अतिरिक्त जिला जज, गाजीपुर ।

18—श्री शीतला प्रसाद शुक्ल, जिला पूर्ति अधिकारी, गाजीपुर ।

19—श्री बैजनाथ राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर ।

20—श्री जीवन लाल, ए. आर. टी. ओ., गाजीपुर ।

22—श्री आर. पी गोस्वामी, डिप्टी कलेक्टर, गाजीपुर ।

23—श्री बाल किशुन, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, गाजीपुर।

24—श्री भानप्रकाश चन्द्रा, कार्य अधीक्षक, सा० नि० विभाग, गाजीपुर।

सी० टाईप

1 श्री नईमुद्दीन सिद्धीकी, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, गाजीपुर।

2 श्री रामदास मौर्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।

3 श्री लाल बहादुर पाण्डेय, जिला प्रोबेशन अधिकारी, गाजीपुर।

डी० टाईप

1 श्री राजपति राम प्रारूपकार सिंचाई विभाग गाजीपुर।

2 श्री कल्पनाथ सिंह, नायब तहसीलदार, गाजीपुर।

3 शम्भू नाथ राम,अवर अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई, गाजीपुर।

4 श्री ओम नारायन राय, स्टेनों, ए. डी. एम, गाजीपुर।

5 श्री वी. बी. ओझा, ए. पी. ओ.।

6 श्री राम नरेश सिंह, प्रधान लिपिक एकीकृत विकास परियोजना।

7 श्री कैलाश नाथ, वृद्धा पेंशन लिपिक कचहरी, गाजीपुर।

8 श्री बलराम, जिला बचत अधिकारी, गाजीपुर।

9 श्री देवी शरण त्रिपाठी, फाइलेरिया निरीक्षक।

10 श्री विरेश चन्द्र शुक्ला, लिपिक जिला कोषागार गाजीपुर।

11 श्री राणाप्रताप सिंह, कनिष्ठ लिपिक, जिला पशुधन कार्यालय।

12 श्री गोपाल सिंह, मैकेनिक, इक्सटेन्सन, ट्रेनिंग सेन्टर, गाजीपुर।

13 श्री शिवनाथ सिंह,सहायक जिला पशुधन, कार्यालय, गाजीपुर।

14 श्री दिनेश चन्द्र सिन्हा, प्रचार सहायक आर. टी. आई. गाजीपुर।

15 श्री सुदर्शन सिंह, नायब नाजिर, गाजीपुर।

16 श्री हरिश्चन्द्र, सिनेमा लिपिक, गाजीपुर।

17 श्री शम्भूनाथ सहायक आशुलिपिक, जिला अधिकार, गाजीपुर।

18 श्री कमलाकर दुबे, जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर।

19 श्री एस. एन. राय, मुख्य लिपिक जिला विकास कार्यालय।

20 श्री ए. एस. वर्मा, सहायक अध्यापक, सिटी इण्टर कालेज, गाजीपुर।

21 श्री कान्ती प्रसाद,

22 श्री शिवानन्द पाण्डेय, स. अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजीपुर।

23 श्री हरिश्चन्द्र जोशी, नेहरू युवक केन्द्र गाजीपुर।

24 श्री प्रकाश सिंह, सहायक मुद्रा सर्वेक्षण अधिकारी, गाजीपुर।

25 श्री विरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, संख्याधिकारी, गाजीपुर।

26 श्री हरीवंश द्विवेदी, लिपिक, स्वास्थय विभाग, गाजीपुर।

27 श्री एस. एन. तिवारी, जिला पशुधन अधिकारी, गाजीपुर।

28 श्री निब्बू लाल कौशिक, आशुलिपिक, जजेज कोर्ट ।
29 श्री उदय नरायन पाण्डेय, प्रदर्शक आर. टी. आई., गाजीपुर ।
30 श्री अयोध्या सिंह अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सा. नि. वि., गाजीपुर ।
31 श्री रामाश्रय शुक्ला, स्टेना, डी. सी. यू., गाजीपुर ।
32 श्री रामपाल कपूर, रीडर, जजेज कोर्ट, गाजीपुर ।
33 श्री शिवबचन तिवारी, सीबिंग नायबतहसीलदार ।
34 श्री राम लोचन सिंह, जिला उधान अधिकारी, गाजीपुर ।
35 श्री रुद्रधर तिवारी, नायब नाजिर, गाजीपुर ।
36 श्री रविन्द्र सिंह, वरिष्ठ उद्यान, निरीक्षक गाजीपुर ।
37 श्री प्रकाश श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता, डी. सी. यू , गाजीपुर ।
38 श्री भगवान प्रसाद, ए. पी. ओ. ।
39 श्री एस. पाठक, मुन्सिफ गाजीपुर ।
40 श्री कपिलदेव राम डिप्टी कलेक्टर, गाजीपुर ।
41 श्री एम० आर० जोशी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक बचत ।
42 श्री रामपणि भारती, प्रशिक्षक, अनुमोदित विद्यालय, गाजीपुर ।
43 श्री हरिनाथ गुप्त, प्रशिक्षक, राजकीय प्रविधिक, विद्यालय गाजीपुर ।
44 श्री सुरेन्द्र नाथ राय, अवर अभियन्ता, डी० सी० यू०, गाजीपुर ।
45 श्री एम० एल० कुरील, III अतिरिक्त मुन्सिफ गाजीपुर ।
46 श्री विजय नारायण शुक्ला, संगणक, प्रा० खण्ड, गाजीपुर ।
47 श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, सहायक लेखाधिकारी जिलापरिषद, गाजीपुर ।
48 श्री कल्पनाथ वर्मा, ए. डी. ओ. [डब्लू]
49 श्री अस्वनी कुमार राय, ए, पी. ओ. गाजीपुर ।
50 श्री विरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी ।
51 श्री आर. के. गुप्ता, पंचम मुन्सिफ मजिस्ट्रेट गाजीपुर ।
52 श्री अरशाद अहमद, मनोवैज्ञानिक अनुमोदित विद्यालय, गाजीपुर ।
53 श्री सुखराम राय, ए. पी. ओ. गाजीपुर ।
54 श्री डा० केदार सिंह, पशुपालन विभाग ।
55 श्री कल्पनाथ लाल श्रीवास्तव, अर्थ अधिकारी ।
56 श्री हेमनारायण मिश्र, पंचायत राज अधिकारी ।
57 श्री कुमारी मंजू राय, कलेक्ट्रेट गाजीपुर ।
58 श्री परशुराम लाल, एल. आर. सी. कलेक्ट्रेट, गाजीपुर ।
59 श्री मारकण्डे राम आशुलिपिक, मुख्य चिकित्साधिकारी ।
60 श्री कपिल देव सिंह मौर्य, सहायक कृषि अधिकारी, गाजीपुर ।

ई० टाईप

1 श्री शिव कुमार लिपिक कलेक्ट्रेट, गाजीपुर ।

2 श्री गिरजापति द्विवेदी, परिलेख विकास कार्यालय, गाजीपुर ।
3 श्री राम दुलार राम, पंचायत सेवक, करण्डा ।
4 श्री जीवन राम जीप ड्राइवर, कलेक्ट्रेट, गाजीपुर ।
5 श्री दिनेश चन्द्र राय, परिवेक्षक राजकीय पत्र संरक्षक, गाजीपुर ।
6 श्री इन्द्रभान तिवारी, सी० आई० डी० इन्सपेक्टर ।
7 श्री योगेन्द्र प्रसाद गुप्ता, लेखाकार, एन.सी. सी. आफिस ।
8 श्री मोतीचन्द शर्मा, मानचित्रकार, प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर ।
9 श्री हरीशंकर गुप्ता, अध्यापक, अनुमोदित विद्यालय ।
10 श्री ईश्वर शरण मिश्रा, जिला-उद्यान, गाजीपुर ।
11 श्री योगेन्द्र नाथ वर्मा, लिपिक देवकली ब्रांच कैनाल ।
12 श्रीमती मुन्नी गुप्ता, अध्यापिका, बेसिक प्राइमरी पाठशाला, फतेउल्लाहपुर ।
13 श्री अर्जुन लाल लेखाकार, जिला आपूर्ति कार्यालय, गाजीपुर ।
14 श्री विरेन्द्र नाथ सिंह, ड्राइवर जिला विकास कार्यालय ।
15 श्री प्रमोद पाण्डेय, सहायक अंग्रेजी रिकार्ड कीपर कलेक्ट्रेट ।
16 श्री सर्वेश कुमार कटियार मैकेनिक जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण गाजीपुर ।
17 श्री गुलाब सिंह प्रभारी राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्र गाजीपुर ।
18 श्री रामपति यादव सहायक उद्यान निरीक्षण गाजीपुर ।
19 श्री राम सेवक यादव, लिपिक देवकली पम्प कैनाल, गाजीपुर ।
20 श्री सत्य नारायण सिंह, लघु विकास परियोजना, गाजीपुर ।
21 श्री जमुना सिंह अध्यापक, राजकीय पालिटेनिक, गाजीपुर ।
22 श्री दया शंकर दुबे, ड्राफ्टमैन, जल निगम, गाजीपुर ।
23 श्री पारस नाथ तिवारी, जीप चालक, चिकित्साधिकारी ।
24 श्री मोहन सिंह मैकेनिक, लघु सिंचाई विभाग, गाजीपुर ।
25 श्री माधव राम त्रिपाठी, मुन्शी सिंचाई विभाग, गाजीपुर ।
26 श्री रणधीर बहादुर सिंह, भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, गाजीपुर ।
27 श्री राज बहादुर चुन्गी मुहर्रिर नगरपालिका, गाजीपुर ।
28 श्री विपिन बिहारी शर्मा, आलेखा एवं प्रालेख देवकली कैनाल ।
29 श्री सुभाष चन्द्र लिपिक, निबन्ध कार्यालय, गाजीपुर ।
30 श्री दुर्गेश कुमार सिंह श्रीवास्तव, पुलिस आफिस गाजीपुर ।
31 श्री योगेन्द्र नाथ, कार्यालय परियोजना निदेशक, गाजीपुर ।
32 श्री महेन्द्र राय, आपरेटर टेलीफोन ।
33 श्री रंग बहादुर सिंह, खजाँची कलेक्ट्रेट, गाजीपुर ।
34 श्री गजाधर जीप चालक, जिलाधिकारी ।
35 श्री विरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, आदेश पालक, नजारत, गाजीपुर ।
36 श्री छोटेलाल लिपिक, सप्लाई विभाग, गाजीपुर ।
37 कु० राजकुमारी तिवारी, पारदर्शक प्रसार, प्रशिक्षण केन्द्र, गाजीपुर ।

38 श्री संगम लाल त्रिपाठी, एस० आई० पुलिस आफिस, गाजीपुर ।

39 श्री शिवधारी राम, सी. आई. डी. इन्सपेक्टर ।

40 श्री दिलदार अहमद, सहायक राजस्व लेखाकार गाजीपुर ।

41 श्री राज कुमार राय, लिपिक, नलकूप प्रखण्ड, गाजीपुर ।

42 श्री अनिरुद्ध सिंह, जीप चालक देवकली, पम्प कैनाल ।

43 श्री नन्द किशोर, वौरिंग मैकेनिक, सिंचाई विभाग ।

44 श्री रामजी सिंह, लिपिक, जिला कृषि विभाग ।

45 श्री राम कुँवर सिंह, क्षेत्रीय सहायक प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ज"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1036 पर।)

विद्युत ट्रान्सफामर्स की चोरी की रोकथाम के लिये मुख्य रूप से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

1—ट्रान्सफार्मर की चोरियां पुलिस विवेचना हेतु "साधारण चोरी" के वर्ग से हटा कर "स्पेशल रिपोर्ट केस" के वर्ग में रख दी गयी हैं एवं इस प्रकार की चोरियों की विवेचना का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के स्तर पर भी होता है। इस प्रकार के "स्पेशल रिपोर्ट" की विवेचना सम्बन्धी क्रमागत प्रगति आख्यायें परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों को भी भेजी जाती हैं।

2—ट्रान्सफार्मर चोरी से सम्बन्धित क्रियाशील अपराधियों की सूची, उनके गैंग चार्ट एवं प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे आदि भी थानों में रखे जाते हैं जिससे प्रभावित क्षेत्रों में समुचित गश्त व्यवस्था की जा सके।

3—ट्रान्सफार्मरों की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए उन्हें सुनसान स्थानों से हटाकर यथा सम्भव आबादी के निकट लगाया जा रहा है।

4—ट्रान्सफार्मरों की ऊपरी प्लेट को भलीभाँति वेल्ड करने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

5—ट्रान्सफार्मर की चोरी मुख्यतः उनमें लगे तावें की क्वाइल के कारण होती रही है अतः राज्य विद्युत परिषद पिछले कई वर्ष से एल्युमीनियम के क्वाइल के तथा "सील्ड" छोटे ट्रान्सफार्मर खरीद रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जाते हैं।

6—ग्राम सुरक्षा समितियों की भी सहायता ट्रान्सफार्मरों की सुरक्षा हेतु ली जा रही है।

7—पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश एवं अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा ट्रान्सफार्मर कर्मचारियों की रोकथाम के लिये ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे ट्रासफार्मर की चोरी को रोकने के लिये सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निरन्तर निर्देश देते रहें एवं ऐसे थानाध्यक्षों के विरुद्ध थानाध्यक्ष के पद से हटाने की कार्यवाही करें जो इस प्रकार के अपराधों के नियंत्रण में असफल रहते हैं।

8—राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत प्रदेश के 17 जनपदों मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, बदायूँ, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, मुजफ्फरनगर, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ एवं फैजाबाद में पुलिस प्रवर्तन दल भी स्थापित किये गये हैं जो स्थानीय पुलिस को इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिये निरन्तर सहायता देते रहते हैं।

नत्थी "झ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–123 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1042 पर।)

जिन उपभोक्ताओं ने जून, 1982 में विद्युत बिल जमा किया, उनका विवरण

क्रम सं०	कोल्ड स्टोरेज का नाम	भुगतान की धनराशि	टिप्पणी
1	मेसर्स रामसुन्दर कोल्ड स्टोरेज, ग्यानपुर, भदोही, वाराणसी	22,343–91	
2	मेसर्स घनश्याम कोल्ड स्टोरेज, सुरियावाँ, वाराणसी	3,893–46	
3	मेसर्स शर्मा कोल्ड स्टोरेज, राजा तालाब	4,127–53	
4	मेसर्स कोल्ड स्टोरेज आफ इण्डिया, वाराणसी	19,935–20	
5	मेसर्स शाह कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्टरी, वाराणसी	21,556–10	
6	मेसर्स जायसवाल कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	9,760–26	
7	मेसर्स काशी कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	27,258–61	
8	मेसर्स हरिहर कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	27,329–85	
9	मेसर्स लक्खी कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	34,323–49	
10	मेसर्स गोविन्द कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	21,270–76	
11	मेसर्स कन्हैया कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	12,512–92	
12	मेसर्स हरि कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	12,013–10	

माह जुलाई, 1982 में जिन कोल्ड स्टोरेज स्वामियों ने पैसा जमा किया उनका विवरण

क्रम सं०	कोल्ड स्टोरेज का नाम	भुगतान की धनराशि	टिप्पणी
1	मे० रामसुन्दर साहू कोल्ड स्टोरेज, ग्यानपुर रोड, भदोही, वाराणसी	15,535–44	
2	मे० घनश्याम कोल्ड स्टोरेज, मुरियावां वाराणसी	4,744–73	
3	मे० शर्मा कोल्ड स्टोरेज राजा का तालाब, वाराणसी	4,203–04	
4	मे० सूरज कोल्ड स्टोरेज, हरदुआ, वाराणसी	6,300–63	
5	मे० कोल्ड स्टोरेज आफ इण्डिया, वाराणसी	16,439–05	
6	मे० शाह कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, वाराणसी	17,011–42	

7	मे० जायसवाल कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	13,159–75
8	मे० कुमार कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, वाराणसी	14,382–12
9	मे० काशी कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	45,344–55
10	मे० हरिहर कोल्ड स्टोरेज वाराणसी	25,410–49
11	मे० लक्खी कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	45,212–81
12	मे० गोविन्द कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	22,885–36
13	मे० अशोका कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री वाराणसी	52,750–60
14	मे० कन्हैया कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	8,889–73
15	मे० हरि कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	10,967–86
16	मे० सारनाथ कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	31,184–66
17	मे० अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	25,824–75
18	मे० विश्वमित्र कोल्ड स्टोरेज, वाराणसी	17,826–43

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'अ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1065 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
संख्या 5—क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत तहसील बिलग्राम के सदरपुर, रहुला, पडरा लखनपुर, शाहपुर, बसुदेव सेलापुर, गौरा, बघियारी, मुड़िया खेड़ा जुजुआमऊ आदि अनेक गांवों की फसलों को चौपट करने वाली 300 बनगायों को पकड़े जाने के बारे में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि कार्यवाही नहीं की, तो क्यों ?	इस क्षेत्र में विभाग द्वारा स्थानीय जनता के सहयोग से अब तक 14 बनगायों को पकड़कर गोसदन भेजा जा चुका है ।

भानु प्रताप सिंह,
मन्त्री, पशुधन ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०—वि० सभा—28-2-84—813—256